राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बासठवां दिवस [संख्या: 24

मंगलवार,
25 अप्रैल 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 527

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम-राम सा। जय भीम। हनुमान जी, आपका यह स्थगित करता हूं। तीन विभागों से संबंधित है, आप पढ़ लीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक ही विभाग है।

श्री अध्यक्ष: तीन विभाग हैं। आप लास्ट पैरा पढिये न, आप यूं क्या करते हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष: यह देखिये आपने संबोधित तो किया है सार्वजनिक निर्माण को। लास्ट में आपने कहा है, तीन वर्षों में कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा व कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं कोटा को उक्त उम्मेद क्लब के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें मिली। दो विभाग और ले लिए, तो इसका जवाब कैसे आता?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, मैंने ढाई महीने पहले दिया था यह सवाल। दो-ढाई महीने पहले दे दिया। आप चैक करा लेते। पहले काट देते इसको जब लिस्ट....

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री सुखराम विश्नोई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ इस तरह अन्याय मत करो। यह सरकार जब फंसती है...

श्री अध्यक्ष: नो-नो, अंकित नहीं हो। यह नहीं हो सकता। तीन विभागों का सवाल है। नो-नो, मिस्टर हनुमान, बैठिए। तीन विभागों का सवाल है, आप बैठिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा यह। गलत बात है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: किस दृष्टि से आप सवालों के जवाब चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को +++ के नाम से संबोधित कर रहे हैं। यह डिलीट कराएं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इस तरह की भाषा मत बोलिए, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। +++ शब्द ड्राप किया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, आप बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: तीन विभागों से संबंधित है। सवाल मैं अलाउ नहीं कर सकता, बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): प्रश्न संख्या 528.

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन कूप में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मतलब यही है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तीन विभागों से संबंधित है। जाइये आप। जाइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह अपमान है, सदन का अपमान है। क्वेश्चन पेपर को इस तरह फाड़ना, यह सदन का अपमान है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मतलब यही है कि यह विधायक, अनुशासनहीन विधायक है। एक साथ तीन विभागों का सवाल है और आप एक विभाग से जवाब चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर फाड़ कर फैंकना, प्रश्न पत्र फाड़कर फैंकना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ऐसे अनुशासनहीन विधायक का एक शब्द अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप जाइये। मैं आपसे कह रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं वार्निंग देता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनसे कहें कि क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करके वापिस लेकर जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: तीन-तीन विभागों का सवाल, कोई पूछ ले मुझे यहां, कि तीन विभागों का एक साथ जवाब आ सकता है क्या? पढ़कर कर दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इनका क्वेश्चन ढाई महीने पहले लगा हुआ था। उसमें मंजूर कर दिया, चैकिंग हो गई। क्वेश्चन आने के बाद में स्थगित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: भईया एक बात सुनो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कोई भी गलती, कभी भी, सुधारी जा सकती है चेयर से।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, डोटासराजी का प्रश्न स्थगित हो गया।

श्री अध्यक्ष: कोई भी गलती चेयर से कभी भी सुधारी जा सकती है, विराजिए। अगला सवाल, श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में स्वीकृत पेयजल परियोजनाएं

528. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जनवरी 2014 से जनवरी 2017 तक पेयजल की कौन-कौनसी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं में से वर्तमान में कौन-कौनसी परियोजना का कार्य चल रहा है व कितनी पूर्ण हो चुकी हैं तथा कितनी अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा सांचौर शहर को नर्मदा का शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के तात्कालिक समाधान के अंतर्गत माह जनवरी, 2014 से माह जनवरी, 2017 की अवधि में शहरी क्षेत्र, सांचौर एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश: 3 एवं 26, इस प्रकार कुल 29 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि रुपये 20.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई। स्वीकृत योजना/कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त समयावधि में क्षेत्र में सतही जल स्रोत आधारित वृहत् पेयजल परियोजना की कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

(2) उक्तानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्वीकृत क्रमश: 3 एवं 26 योजनाओं/कार्यों के विरुद्ध क्रमश: 2 एवं 24 योजनाएं/कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं। शहरी जल योजना, सांचौर की स्वीकृत जल योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यादेश जारी करने संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा ग्रामीण क्षेत्र की शेष 2 जल योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के दीर्घकालिक समाधान के तहत विधान सभा क्षेत्र, सांचौर के 65 ग्राम (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल 177 ग्राम) एवं सांचौर शहर सहित जालौर ज़िले के 441 ग्राम एवं 3 शहरों को नर्मदा नहर सतही जल स्रोत से लाभान्वित करने हेतु 6 वृहत् पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनमें से सिल्लू-जैसला-भाटकी परियोजना पूर्ण की जाकर सांचौर क्षेत्र के 22 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 5 परियोजनाओं के अंतर्गत सांचौर क्षेत्र के 43 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

सांचौर शहर को प्रगतिरत डी.आर. ढांचागत परियोजना के अंतर्गत दिनांक 25.03.2017 से लाभान्वित किया जाकर मांग अनुरूप 38 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति दिनांक 25.03.2017 से प्रारम्भ कर दी गई है। परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार सांचौर शहर की प्रगतिरत डी.आर. ढांचागत परियोजना के अंतर्गत दिनांक 25.03.2017 से लाभान्वित किया जाकर मांग अनुरूप 38 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति दिनांक 25.03.2017 से प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, एफ आर प्रोजेक्ट से, जुड़े विधान सभा क्षेत्र के 26 गांव, डीआर प्रोजेक्ट से जुड़े 17 गांव, ईआर प्रोजेक्ट से जुड़े कुल 162 गांव, कब तक पानी दिया जाएगा। इसके साथ ही सिल्लू भाटकी स्कीम के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए भी क्या उपाय है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महादेय, नर्मदा नहर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि नर्मदा एफआर इन्फ्रा का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सांचौर विधान सभा क्षेत्र के दो गांव झांब और बोरली को लाभान्वित कर दिया है यह है एफ आर इन्फ्रा के तहत। नर्मदा एफ आर क्लस्टर में कार्य आबंटित फर्म आईवी, आरसीएल द्वारा मात्र 12 प्रतिशत

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कार्य पूर्ण किया गया है। फर्म को नोटिस जारी कर 8.81 करोड़ की शास्ति लगाई गई है। योजना अप्रैल 2019 तक पूर्ण की जानी लक्षित है।

नर्मदा डीआर का आपने कहा है, इन्फ्रा और क्लस्टर का। माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर दूं नर्मदा डीआर इन्फ्रा का कार्य जून, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। क्लस्टर का कार्य फर्म आई वी आरसीएल को आबंटित है। फर्म को नोटिस जारी कर 5.20 करोड़ की शास्ति लगाई है। फर्म ने कार्य पुन: चालू कर दिया है। अप्रैल, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया सांचौर शहर को इस परियोजना से 25.03.2017 को जोड़ दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष: उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सॉरी, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि एफ आर क्लस्टर में करीब 26 गांव सांचौर के हैं और डीआर क्लस्टर में 18 गांव हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि 26 गांव, उनको पहले सबलैटिंग करके दूसरे ठेकेदार को दे दिया है और वह कार्य शुरू कर दिया है। उसमें भी जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिल्लू, जैसला-भाटकी योजना का कहा, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि 22 गांव को 2008 में लाभान्वित किया गया था। योजना के अंतिम छोर के गांवों में समस्या आने पर बीच में पड़ने वाले गांव से 110 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। निरन्तर मानीटरिंग की जा रही है। आपको अगर कहीं लगे कि और भी अवैध कनेक्शन हैं, उनको भी काट दिया जाएगा। टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा सवाल।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा दूसरा सवाल है त्वरित राहत प्रदान करने के लिए उस स्कीम में जलदाय विभाग के पास 20-25 पैड़िग पड़ी है दो-तीन साल से, वह कब तक स्वीकृत हो जाएगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांचौर के लिए 29 योजनाएं करीब 20.98 करोड़ की स्वीकृत की जा चुकी हैं। आर ओ प्लांट 22 स्वीकृत किए गए हैं, उनका कार्य प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। 14 सौलर आधारित पम्प स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 07 लग गए हैं। 22 में से 03 आर ओ लग चुके हैं, बाकी का कार्य चल रहा है। सांचौर क्षेत्र के नहर इलाके की 14 योजनाएं करीब 10.18 करोड़ की तैयार कर ली गई है जिन्हें तकनीकी विश्लेषण के पश्चात, वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृती दी जानी प्रस्तावित है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपने जो प्रपोजल दिए थे 14 योजनाओं के, उनका तकनीकी स्वीकृति के बाद इनकी भी गुण अवगुण के आधार वित्तीय ससांधन उपलब्धता अनुसार जल्दी से जल्दी स्वीकृतियां जारी की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री नारायणसिंह देवल। यह सांचौर से सम्बन्धित है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हां, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सांचौर व रानीवाड़ा में डी.आर. का पानी तो आ चुका है। जो क्लस्टर कम्पनी है, उसने एक साल से काम बंद कर रखा था। अब वह कम्पनी आ चुकी है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्लस्टर कम्पनी को, गर्मी को देखते हुए आप आदेश फरमाएं कि सांचौर और रानीवाड़ा के जितने भी गांव हैं, उनको जल्दी से जल्दी जोड़ा जाये। पानी खूब आ रहा है तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप आदेश फरमाएं कि जो डी.आर. मैन प्रोजैक्ट है और उसके आस-पास के जो गांव हैं, चूंकि कम्पनी अब आ चुकी है तो उसको जल्दी करवाएं, यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.आर. आधारभूत परियोजना में 90 प्रतिशत काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि मार्च तक, नहीं जून तक, सॉरी, जून तक पूरा हो जायेगा और डी.आर. क्लस्टर परियोजना में 16

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

प्रतिशत काम हुआ है। इसमें रानीवाड़ा के करीब 120 गांव हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अब उस ठेकेदार ने गति पकड़ ली है और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जब हम सांचौर शहर में गये थे तो वहां पानी की दिक्कत थी कि अभी पाइप लाइन नहीं बिछी है। तीन वर्षों से हम बारबार लिखित में दे रहे हैं, कब तक यह कार्य पूरा होगा और जो आसपास के बड़े गांव हैं, जो चार हजार की जनसंख्या पूरी करते हैं, वहां पर पेयजल की योजना पाइप लाइन समेत कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सांचौर विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सांचौर का ही पूछा है, साहब, मैंने।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): और सांचौर शहर को, जैसा मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, सांचौर शहर को पेयजल से डी.आर. परियोजना, क्लस्टर के तहत लाभान्वित कर दिया गया है। उनमें 38 लाख लीटर पेयजल रोज पहुंचाया जाता है। रहा सवाल, जैसा आपने कहा कि चार हजार के गांवों को कब लाभान्वित किया जायेगा। मैंने डिमाण्ड के दिन बजट घोषणा के अन्दर कहा था कि इस साल हम सौ गांव, जो चार हजार से ज्यादा की पापूलेशन के हैं, उन गांवों को पाइप लाइन स्कीम से जोड़ने का काम हाथ में लेंगे। जिसके ऊपर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च आएंगा। उसमें प्राथमिकता से जो भी गांव आएगे, अभी वैसे तो 482 गांव हैं, परन्तु उनमें प्रायोरिटी से 100 को पाइप लाइन स्कीम से लाभान्वित करने का कार्य हाथ में लेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न भी ऐसा है कि मैंने मेरे सचिवालय से कहा कि वह ठीक ढंग से एडिट किया करें। इस प्रश्न को आप ही पढ़ लें। निर्माण तो पूछा है सिंचाई मंत्री से और आगे का सारा प्रश्न आपका जल योजना के बारे

(श्री अध्यक्ष)

में है। इसको मैं स्थगित करता हूं। आप पढ़ लें इसको, दो विभाग हैं। निर्माण का तो पूछ लिया आपने राजस्थान नहर के लिये और फिर आगे पूरा सवाल ...(व्यवधान)...

प्रश्न संख्या 529

(स्थगित)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह नहर का निर्माण ही पेयजल के लिये है। वह आपने स्थगित किया, कोई बात नहीं, साहब, धन्यवाद आपका।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न स्थगित हो रहे हैं। यह चाहे किसी की गलती से हो, इस बार मेरे भी पांच प्रश्न स्थगित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: Noted for future. विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे 16 हो गये।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। Noted for future. अगली बार नहीं होंगे।

रामगंजमण्डी में पंजीकृत सहकारी समितियां

530. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में अनेक ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब से व क्या इसमें से कुछ समितियां वर्तमान में निष्क्रिय हैं? यदि हां, तो क्यों व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निष्क्रिय एवं अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों के निष्क्रिय व अवसायनाधीन होने के कारण उक्त क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज व ऋण सुविधा किन-किन समितियों के द्वारा दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) जी हां, रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में 25 ग्राम सेवा सहकारी समितियां, पंजीकृत हैं, जिनमें से कोई समिति वर्तमान में निष्क्रिय नहीं है, जबकि तीन समितियां अवसायनाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) किसी भी अवसायनाधीन सहकारी सोसायटी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु समिति के परिसमापक द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 81(11) के अंतर्गत सोसायटी के पुनर्जीवन के सफल होने के युक्तियुक्त अवसर पाये जाने पर समिति के पुनर्जीवन के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 61(2) के अंतर्गत निर्णय पारित कर सकता है।

(3) अवसायनाधीन समितियों के किसानों को क्षेत्र के पास की अन्य समितियों से खाद-बीज ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आपने फरमाया कि जो अवसायनाधीन समितियां हैं उनमें निकटवर्ती जो पंचायतें हैं वहां से उनको सुविधा दी जा रही है, ऋण दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि नौ से दस किलोमीटर की दूरी सम्बन्धित पंचायत की पड़ती है। इतनी दूर समिति पर उनको ऋण लेने के लिये इस तरह से आना पड़ता है। वर्तमान में, कल रात की भी स्थिति मैं आपको बताती हूं कि महिलाएं, जो किसान हैं, जो ऋण लेने के लिये लगातार समितियों में आ रही हैं, दिन को ढाई बजे तक वर्तमान में उनको ऋण उपलब्ध करवाने के लिये शुरूआत की जाती है और रात को ढाई-ढाई बजे तक वे महिलाएं आठ-आठ, नौ-नौ किलोमीटर दूरी पर जा रही हैं। तो, मेरा निवेदन है कि जब किसान ने अगर ऋण जमा करवा दिया तो उन्हें तुरन्त, उनको जो ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है, उसे समय पर दिलवाया जाये, और वर्तमान में स्थिति, जैसे कल पीपल्दा, भोलू की जो सहकारी समिति थी,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सुकेत की थी, यहां पर लगातार परेशानी आ रही थी। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से परिसीमन पंचायतों का किया गया उसी तरह से क्या सरकार, विभाग, प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर, अगर पंजीयन करवाने के बाद किसान मांग रख दे तो वहां पर भी सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जिस तरह उपभोक्ता के माध्यम से जो हमारे सुपर मार्केट खोले जाते हैं उसी तरह से किसानों को और ज्यादा फायदा देने के लिये, उन्हें मजबूत करने के लिये क्या हम लोग मार्केटिंग के माध्यम से सुपर मार्केट खोलने का विचार रखते हैं? दूसरा चने और गेहूं के वर्तमान में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक साथ ही पूछ लूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: एक साथ।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): चलो, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: कर लो, कर लो, आप एक साथ ही करना चाहती हैं तो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ठीक है, साहब, इसका जवाब दे दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्या ने पहला एक प्रश्न किया है कि यह जी.एस.एस. कहां पर, ग्राम सेवा सहकारी समिति का क्या कार्य क्षेत्र होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका कार्य क्षेत्र, वर्तमान में एक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली गई है। अभी भी हमारी मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलें। उसका कार्य क्षेत्र उस पूरी ग्राम पंचायत में आने वाले सभी गांव उसमें होंगे।

दूसरा जो आपने प्रश्न किया है, अवसायन से सम्बन्धित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी समिति जो लिक्विडेशन में आई क्यों, ऐसे क्या कारण हो गये कि उसके लिक्विडेशन में आने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगी कि क्या जिन व्यवस्थापकों ने गबन किया, जिनकी वजह से समितियों की यह हालत हुई, चाहे वह किसी भी तरह की जांच हो, आज तक उन समितियों में हम लोगों ने क्या जांच की, जिन व्यवस्थापकों ने गबन किया था उनके खिलाफ हम लोगों ने क्या जांच की। दूसरा, आज भी वर्तमान में प्रशासक लगे हुए हैं। सभी जगह, मैं मानती हूं, यह पूरे राजस्थान का मैटर है, क्या जहां पर प्रशासक लगे हुए हैं वहां पर हमने चुनाव करवाने का विचार आज तक किया। यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जो आपने प्रशासक लगने की बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2016 तक केवल 500 से कुछ ज्यादा ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव ड्यू थे। अब जाकर के ऐसी स्थिति बनी है कि अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ये चुनाव ड्यू हुए हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी घोषणा की थी कि कैबिनेट के, जो इसके बाय-लॉज बनाने हैं, उप नियम बनाने हैं, ज्योंही कैबिनेट से हमें अनुमति मिलेगी, उप नियम बना करके शीघ्र चुनाव करवाये जायेंगे। सरकार की मंशा यह है कि को-आपरेटिव सैक्टर में चुनाव एक साथ हों। जब थ्री-टियर सिस्टम है, टू-टियर सिस्टम है, जब तक बार-बार, आप अगर हर साल चुनाव कराओगे तो को-ऑपरेटिव मूवमेंट भी इससे आगे नहीं बढ़ पाता है। अभी आपने जांच की बात कही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो तीन आपकी समितियां अवसायन में हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहां की जो कोटा सी.सी.बी. बैंक है, उसके अन्दर उसकी काफी लेनदारी है। एक में एक लाख 24 हजार है, एक लाख 85 हजार है, तीन लाख 30 हजार है। इसके सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये तीन समितियां अवसायनाधीन चल रही हैं, इनका पंजीयन अभी तक रद्द नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वापस हम एक रिपोर्ट मंगवाते हैं, सर्वे रिपोर्ट, जो वहां पर प्रशासक लगाये हुए हैं, जो अवसायक हैं, कि क्यों नहीं इनको पुन: पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

(श्री अजय सिंह)

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार का किसी तरह का सोसाइटी में दखल नहीं है। इसके अंदर समिति का जो संचालक मंडल है, उनका यह कर्तव्य है कि वह विविध व्यवसाय करे और अपनी समिति को हर तरीके से लाभ में रखे। अपने जो भी सदस्य हैं उनके हितों को साधते हुए लाभ प्रदान करे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर प्रस्ताव आता है तो क्या सुपर मार्केट खोलने का ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न हो गये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्योंकि बहुत सारे हमारे कोटा जिले में जैसे सांगोद में नहीं है। सांगोद में मेडिकल स्टोर तक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका पर्याप्त जवाब आ चुका, विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जी। लास्ट में मेरा एक प्रश्न है कि क्या चने का और गेहूं का कांटा लगाने का आप विचार रखते हैं? क्योंकि पहले भी एक बार हमारे गेहूं का और चने का कांटा वहां पर लगा था।

श्री अध्यक्ष: यह नया प्रश्न है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह इसी से संबंधित है, साहब, मार्केटिंग के माध्यम से अगर आप विचार रखते हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ऐसा है कि यह जो आप बता रहे हैं, यह गेहूं के बारे में और चने के बारे में इसके बारे में अगर राजफैड का वहां पर विक्रय केन्द्र है तो इसके बारे में मैं इसको देख लूंगा वरना खाद्य विभाग से जो संबंधित है, गेहूं का जो भी, एफ.सी.आई. वहां पर क्रय कर रहा है या नैफेड के द्वारा या राजफैड के द्वारा, मैं इसको दिखवा कर दूंगा।

जहां तक सुपर मार्केट की बात आपने की है आप निश्चित रूप से प्रस्ताव भेजें। राजस्थान के अंदर हम इस वर्ष कुछ जिलों के अंदर लगभग पचास से ज्यादा सुपर मार्केट बना रहे हैं, आप भी हमें प्रस्ताव भेजें, उस पर भी विचार किया जाएगा।

(श्री अजय सिंह)

जहां तक आपने फसली ऋण की बात की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक 2017-18 के फसली ऋण के लिए आपके रामगंजमण्डी में चार हजार से अधिक लोगों को बीस करोड़ रुपये बांट दिये गये हैं और कोटा जिले की अगर हम बात करें तो 85 करोड़ रुपये से ज्यादा वहां के किसानों को बांट दिये गये हैं और किसानों को भी उतनी राशि दी जा रही है जितनी पहले दी गयी थी, किसी तरह की कटौती भी हम उसमें नहीं कर रहे हैं और पूरे राज्य को अगर हम देखें तो लगभग 900 करोड़ रुपये से ज्यादा फसली ऋण किसानों को दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी, आप करेंगे क्या?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर, हां, आप कीजिए पूरक प्रश्न। यह कहां, रामगंजमण्डी का है यह।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): हां रामगंजमण्डी।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो रामगंजमण्डी क्षेत्र है, आपकी कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक है, उसके अधीन आते हैं। इस बैंक के द्वारा जिन किसानों ने मार्च के पहले ही ऋण जमा कर दिये थे सहकारी समिति में, जी.एस.एस. में, उन्हें अभी तक भी भुगतान नहीं मिल रहा है और लोगों को वह पैसे की कमी बता रहे हैं कि पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है तो इसकी वजह से बहुत से किसान हमारे परेशान हो रहे हैं और इस समस्या का जल्दी ही समाधान किया जाए और जो किसान पहले से जिनके ऋण स्वीकृत है, मंत्री महोदय, उनको अभी भी ऋण नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि हम बराबर जितना दे रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं लेकिन बाकी जगह पर राजस्थान में नये किसानों को भी दिया जा रहा है लेकिन कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अधीन आने वाले नये किसानों का ऋण नहीं दिया जा रहा है। क्या उन स्वीकृत नये किसानों को भी ऋण दिये जाने का विचार रखते हैं, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राज्य में 15 हजार करोड़ के फसली ऋण बांटने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से खरीफ का 9 हजार करोड़ रुपये, हम खरीफ के अंदर फसली ऋण बांटेंगे और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोटा के अंदर लगातार, पूरे राजस्थान में लगातार फसली ऋण वितरण के जो शिविर हमारे चल रहे हैं और कोटा का मैंने आपको बताया कि कोटा जिले में 85 करोड़ से ज्यादा हम किसानों को ऋण दे चुके हैं। पहला हमारा प्रयास है कि जिन्होंने 31 मार्च को सही समय पर किसान ने चुकारा कर दिया उनको हम पहले भुगतान करें और उसके बाद में नए को भी हम देंगे। मैंने यह घोषणा की थी कि हम तीन लाख नए सदस्यों को भी इससे जोड़ेंगे और यह भी मैं घोषणा करता हूं, पहले भी मैंने घोषणा की थी कि जो सदियों से, कई वर्षों से जो सदस्य हैं गांव के, जो गांव के निवासी हैं, वह सदस्य बनना चाहते हैं लेकिन कई ऐसे कारणों से उनको ग्राम सेवा सहकारी समितियां सदस्य नहीं बनाती है इसके लिए भी तहसील लेवल पर अलग से शिविर लगाकर उनको भी सदस्य बनाया जाएगा और उनको भी कुछ राशि दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद करने के प्रकरण

531. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से कुल कितने व्यक्तियों को बुजुर्ग/विधवा व दिव्यांगता पेंशन मिल रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2017 को प्रदेश में कितने बुजुर्ग/विधवा व दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में जिंदा लोगों को मृत बताकर पेंशन बंद कर दी गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले में ऐसे प्रकरण अब तक सामने आये हैं एवं इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन में दिनांक 01.01.2014 को पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन में दिनांक 01.01.2017 को पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है।

(3) जी हां। सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत राज्य में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में पेंशन बन्द होने की शिकायत पर दिनांक 14.07.2016 को समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए गए जिन पेंशनरों की पेंशन विशेष रुप से मृत्यु, डुप्लीकेट या अन्य कारण अभिलिखित कर निरस्त की गई है, के समस्त प्रकरणों की पुन: जांच/सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति के अधीन पदस्थापित ग्राम सेवक पटवारी और वार्ड पंच की संयुक्त टीम तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय के अधिकारी वार्ड पार्षद की संयुक्त टीम द्वारा सत्यापन किया जावे तथा सत्यापन में अगर पेंशनर पात्र पाया जावे तो उसकी पेंशन एरियर के साथ प्रारंभ करें तथा गलत सूचना देने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने के आदेश दिए गए हैं। सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर पर चल रही है जो शीघ्र संपन्न कर ली जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन विशेष रूप से मृत्यु का कारण अभिलिखित कर स्टॉप की गई है उन पेंशन के समस्त प्रकरणों की पुन: जांच/ सत्यापन की रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालयों से चाही गई है। सत्यापन में पेंशनर के पात्र पाये जाने पर उसकी पेंशन को निरस्त किये जाने की दिनांक से पुन: आरम्भ किया जाने की कार्यवाही किये जाने तथा देय राशि का नियमानुसार भुगतान कराये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला कलक्टर्स को लिखा गया है। दोषी अधिकारियों/कार्मिको के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा विवरण दिया है। लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार के सत्यापन की कार्यवाही की गयी? कितने लोगों की पेंशन रोकी गयी? कितने प्रकरणों की पुन: जांच हो गयी और जांच होने के बाद में पेंशन प्रारंभ कर दी गयी? किस-किस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी और इसमें कितना भुगतान 2014 में करते थे और कितना भुगतान आज है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में कुल लाभार्थियों की संख्या थी 53 लाख 30 हजार 720 और उसके ऊपर जो कुल राशि व्यय हो रही थी 280 करोड़ 57 लाख रुपये और अभी 2016-2017 में 61 लाख 99 हजार 93 कुल लाभार्थी हैं, उसमें 38 लाख, 379 करोड़ 65 लाख रुपये इसके ऊपर हम व्यय कर रहे हैं और कुल जिनकी ऐसी अभी तक जो हमने पूरी लिस्ट निकाली है इसमें, सारे आंकड़े इसमें हैं, इसमें जो रोकी गयी थी, इसकी पूरी जांच करवायी हमने और जांच करवाने के बाद 17 जिलों की हमारे पास अब तक जांच की रिपोर्ट आ चुकी है और 17 जिलों की जांच रिपोर्ट में कुल निरस्त किये गये जो प्रकरण थे, उसमें 1 लाख 79 हजार 798 थे और इसमें दुबारा जब जांच करवायी तो जांच करवाने के बाद आया- गलत निरस्त प्रकरणों की संख्या, यह 8362, यह 4.65 परसेंट होते हैं और इनका तुरंत कहा है कि दुबारा उसी डेट से, जिस दिन से बंद की गयी थी उसी दिन से दुबारा उसको चालू करके एरियर के साथ देने का तय किया गया है। आपका कुछ और है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह था कि आपने एक लिखित प्रश्न के जवाब में मुझे यह कहा था कि 5 लाख 3 हजार 985 लोगों की पेंशन रोकी गयी। इन 5 लाख 3 हजार 985 लोगों में कितने लोगों की गलत रोकी गयी, कितने लोगों की वापस कर दी गयी? यह एक गरीब लोगों का काम है, विधवाओं का काम है, विकलांगों का काम है, बूढ़ों का काम है, इसमें जिन लोगों ने यह पेंशन रोक दी, उन लोगों पर आपने क्या एक्शन लिया? यह आपका ही जवाब है कि 5 लाख 3 हजार 985 लोगों की हमने राजस्थान में पेंशन रोकी तो यह जिनकी रोकी, वह रोक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ली सत्यापन के लिए आपने लेकिन जिनकी रोकी, अब उसमें एक साल हो गया, एक साल में आपने जिला कलक्टर को निर्देश दे दिया, पटवारियों को निर्देश दे दिया, पंचायत समिति को निर्देश दे दिया और टीम बना दी, उस टीम ने अब तक कितनी वापस प्रारंभ कर दी और कितने गलत पाये गये यह बता दें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात सही है कि कुछ लोगों का सत्यापन हुआ था पहले राउंड में, उनकी पेंशन रुकी थी, पांच लाख समथिंग जैसा कि आपने बताया, उसकी पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की, जैसा मैंने अपने जवाब में उसमें कहा है। अब तक 17 जिलों का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। 17 जिलों का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, क्या है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 17 जिलों का आंकड़ा है, जिसमें 17 जिलों में कुल जो निरस्त किये गये प्रकरण थे वह 1 लाख 79 हजार 798 थे, जिसमें जो सही वास्तव में जो निरस्त किये गये प्रकरण वह 8362 हैं। और उनको, जो गलत निरस्त किये गये थे प्रकरण वह 8362 हैं और इन 8362 को छोड़कर बाकी ऑल-रेडी सही पाये गये, इनको रिजेक्ट किया गया, बाकी ऐसे कैसेज सब चल रहे हैं। बाकी जिलों की प्रक्रिया जांच की चल रही है, जैसे ही पूरी जानकारी आएगी वह भी हम सदन में दे देंगे। तीसरी बात किन-किन कारणों से रोकी गयी? इसमें सत्यापन का कुछ कारण हमारे अलग हैं जिन-जिन कारणों से हमने जांच में लिया था। जो रोकी गयी, उसके मूल कारण हैं एक तो किसी का पता अपूर्ण व गलत पता था, तो उसको हमने चैक कराया, उसके बाद भी पता नहीं मिला तो उसको रोका। पेंशनर का माइग्रेशन, कहीं और चला गया, वह वहां रहता नहीं, उसको रोकने का एक कारण यह बना। पेंशनर की मृत्यु हो गयी, वह एक कारण है और बैंक डिटेल जिसकी गलत है, यह ऐसे कुछ कारण थे जो एक ही व्यक्ति के दो-दो, तीन-तीन जगह थे, डुप्लीकेट थे। इन कुछ कारणों के कारण उनकी पेंशन रोकने की प्रक्रिया हुई थी। जब प्रक्रिया आयी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

और उसमें कुछ शिकायतें ध्यान में आयीं तो कुछ प्रकरण ऐसे भी ध्यान में आये, जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी और उनको मृत्यु लिखकर रोक दी गयी थी। इसलिये पूरे उसके सत्यापन का मैंने बताया कि अलग-अलग ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर समितियां बनाकर जांच की कार्यवाही की। सरकार की मंशा है कि किसी भी रूप में जो पात्र व्यक्ति है, उसकी पेंशन ना रूके। इसको सुनिश्चित करने के लिये हमने जैसे 17 जिलों की आ चुकी है, उनको पुन: चालू कर दिया और उसमें एक निर्देश और निकाले हैं, जिसकी भी गलत कटी है, उस सबको जिस दिन से उसकी काटी गयी, एरियर सहित पूरा भुगतान किया जाये, यह भी हमने सुनिश्चित किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि पांच लाख लोगों की रोकी और आज 17 जिलों की जांच करायी। एक लाख लोगों की जांच की और उसमें 8 हजार ही फर्जी पाये गये। आपने 92 हजार लोगों को इतने दिनों तक क्यों दंडित किया? 92 हजार लोगों की पेंशन जिन अधिकारियों ने रोकी, इस प्रकार के अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की? अभी तो 4 लाख की जांच होना आपके बाकी है। इस प्रकार का काम करना, आप केन्द्रीय स्तर पर सामाजिक अधिकारिता के मंत्री रहे हो। अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत गलत है। सरकार को एक साथ आना चाहिये था कि इन एक लाख लोगों की रोकी, उनमें केवल 8 हजार गलत पाये गये तो इन 92 हजार लोगों की पेंशन जिन लोगों ने गलत ढंग से एक आर्डर से रोक दी, उसका आप क्या करोगे? दूसरा, आपने यहां पर कहा कि 8 लाख लोगों की पेंशन बंद। आर टी आई की सूचना में आपने कहा है कि 8 लाख लोगों की पेंशन बंद हो गयी। यह अखबारों में सब छप चुका है। दूसरा, तुम कागजों में मर चुके हो, तुम्हें कैसे दें, और वह सबके सब जिन्दा मिले हैं। 8 लाख का आपने, कौनसा अख़बार है, पत्रिका में, भास्कर में, हिन्दुस्तान टाइम्स में, सारे समाचार पत्रों में सरकार की आपने बेमतलब बदनामी करा दी। आपके एक आर्डर से 5 लाख लोगों की पेंशन रुक गयी। सरकार की सारे राजस्थान और हिन्दुस्तान भर में बदनामी करा दी और गरीब लोगों को पेंशन नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, और आज का जो इनका जवाब है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सवाल आएगा। आज का जो जवाब है वह इस प्रकार प्रकट करता है कि सरकार सबको पेंशन दे रही है। मैंने दो जवाब मिलाये, तब यह बात आयी है। देखिये, आज इन्होंने कहा कि 2014 में ओल्ड एज पेंशन 30 लाख को दे रहे थे, आज 41 लाख को दे रहे हैं। विधवा पेंशन 5 लाख को दे रहे थे, आज 7 लाख को दे रहे हैं। दिव्यांग पेंशन 2 लाख 83 हजार को दे रहे थे, आज हम 3 लाख 59 हजार को दे रहे हैं। अगर मैं पहले प्रश्न का आंकड़ा नहीं पूछता तो यह आंकड़ा कैसे आता? या तो सरकार की आप बदनामी करा रहे हो या उन अधिकारियों पर कार्यवाही करने में असमर्थ हो, जिन्होंने यह काम किया। इसलिये मंत्री महोदय उनके लिये जिम्मेदार कौन हैं? 4 लाख लोगों की अब तक जांच नहीं हुई, उसके लिये जिम्मेदार कौन हैं? आप अधिकारी हैं, या मंत्री खुद है या सरकार है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। या यह मजाक में काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो हमने पूरा जिस तरह से पेंशन शुरू हुई थी, 2013 में बिलकुल आपा-धापी में कोई किसी का नहीं था, उस तरह से हुई। उसकी पूरी जांच करायी, पूरा वैरीफिकेशन का एक अभियान चलाया, उस वैरीफिकेशन के अभियान में मैंने बताया कि इन छह-छह तरीकों से, जो अलग-अलग कारणों से थे, उनको हमने लेकर संख्या निकली, जो 8 लाख के आस-पास आप बताते हैं सारे। यह बात सही है कि जो पात्र नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति को पेंशन मिले, यह सरकार नहीं चाहती। जो पात्र व्यक्ति है, उस हर व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिये, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह जो आपने कहा, यह निकलकर आया है, मैंने बताया है मृत्यु के कारण जिनकी रूकी, वह 1 लाख 79 हजार 798 थे, जिसमें से सही निरस्त प्रकरणों की संख्या 1 लाख 71 हजार 430 थी, जो गलत निरस्त हुए हैं, वह केवल 8 हजार 362 हैं। फिर पूरे अगर मृत्यु, डुप्लीकेट व अन्य कारण, अगर सारे कारणों के कारण से

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

अगर लें तो कुल संख्या 4 लाख 18 हजार 333 आती हैं, यह 17 जिलों की हैं। इसमें से 3 लाख 80 हजार 326 की सही निरस्त किये गये हैं, यह पूरा वैरीफिकेशन के बाद आया और केवल 38 हजार 7 लोग ऐसे पाये गये, जिनकी गलत निरस्त हुई थी, उनकी पेंशन हमने दुबारा चालू करने के निर्देश दे दिये हैं। यह 17 जिलों का डाटा है। बाकी जिलों का जैसे होगा, वह बता दिया जाएगा। जहां तक कार्यवाही की बात है, हमने कलक्टर्स को बार-बार लिखा है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, इस पूरी पेंशन की जो प्रक्रिया है, उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ग्रामीण स्तर पर बी.डी.ओ. और उसकी टीम के आधार पर और शहरों में एस.डी.ओ. और एस डी एम और उस टीम के आधार पर ही हम सारे काम करते हैं। हमारा नेटवर्क अपना नहीं है, इसलिये हमने कलक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति इन चीजों में पाये गये, उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी, जवाब तो सीधा पड़ा है न चार लाख की अभी भी रूकी हुई है। उन 4 लाख के करते-करते, एक लाख की आपने तीन वर्ष में की, चार लाख की कितने समय में करेंगे? आपका नेटवर्क नहीं है तो आपका कलक्टर को लिखना रद्दी का टुकड़ा हो गया। आप आखिर इन गरीब आदमियों के साथ जब आपको एक लाख में से 8 हजार ही सही पाये गये और बाकी को फर्जी मृत घोषित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान पर्याप्त ढंग से दिला दिया, माननीय सदस्य।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। माननीय सदस्य बहुत सीनियर है, इसलिये मैं फिर दोहरा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप ने विस्तार से इनके पास जवाब भेज दीजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मृत्यु के कारण से जो पेंशन निरस्त की गयी थी 2016 में वह एक लाख 79 हजार 798 थी। उनमें से जांच के बाद जो 17 जिलों का आंकड़ा है, जो सही पाये गये। सही निरस्त प्रकरणों की संख्या 1 लाख 71 हजार 436 थी। गलत जो निरस्त हुई है, जो जीवित था, मृत्यु नहीं हुई ऐसे व्यक्ति को मृतक बताकर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

जिसको गलत बंद कर दी, वह 8 हजार 362 है। मृत्यु के अलावा, डुप्लीकेट व अन्य कारण, इनके कारण से जो हमने निरस्त की थी, 4 लाख 18 हजार 333, उसमें से वैरीफिकेशन का फिर कन्फर्म हो गया कि इनके सही कारण, जिनके कारण निरस्त हुई थी वह है 3 लाख 80 हजार 326, केवल 38 हजार 7 लोग ऐसे पाये गये, जिनको या तो पता गलत नहीं था, डुप्लीकेट नहीं था, केवल नीचे के स्टाफ ने गलती से काट दिये थे, ऐसे केवल 38 हजार लोग निकले हैं 4 लाख 18 हजार में से। उनको मैंने दुबारा चालू करने का निर्देश दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री घनश्याम मेहर। आप विराजिये, बहुत लम्बा हो गया। आप इनसे जवाब और ले लेना।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि करौली जिले में ज्यादा संख्या में पेंशन रोकने का काम सरकार ने किया है। जब हम गांवों में जाते हैं तो वह कहते हैं कि आप पेंशन तो मत दो, पर हमें मरा हुआ घोषित मत करो। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है और ज्यादातर इनमें एस.सी., एस.टी. के लोगों की पेंशन सरकार ने बंद की है। यह क्या कारण रहे? मंत्रीजी ने अभी तक एस.सी., एस.टी. के बच्चों की स्कॉलरशिप देने का भी काम नहीं किया है। वह भी चलाकर बंद कर रखी है। एक तरफ तो सरकार बाबा साहब के लिये कहती है कि आपने संविधान नहीं लिखा। इस तरह की बात जब आप करते हो तो आप गरीब, मजदूर, किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो, यह जनहित में नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि करौली जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही आपने चार हजार लोगों की रोकी है और इसमें भी नगरपालिका क्षेत्र में सात सौ लोगों की पेंशन रोकी है। हम वहां जाते हैं तो वह सात सौ लोग यह कहते हैं कि पेंशन तो मत दो, पर मरा हुआ हमको घोषित क्यों कर रहे हो, हमको मरा हुआ क्यों बता रहे हो? हम तो जिन्दा है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। अब रिपीटेशन हो रहा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप उनकी पेंशन चालू करायें और चालू करायें तो आपने पिछले दो साल से

(श्री घनश्याम)

क्यों लम्बित कर रखा है। इनकी आप जांच करायें और तुरन्त प्रभाव से उनकी पेंशन चालू करवायें।

श्री अध्यक्ष: मेहर साहब, स्थान ग्रहण कीजिये। जवाब आ रहा है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले सदस्य ने प्रश्न तो मूल था, उसके साथ कुछ विषय और जोड़ दिये। पहले तो एक आंकड़ा है उसको मैं दोहरा देता हूं 2013-14 में जब हम सरकार में आये थे, पेंशन जो थी, वह 53 लाख 30 हजार 720 लोगों की थीं और पेंशन किस तरह दी गयी थी, वह आपको पता है। केवल चुनाव में लाभ लेने के लिये, जो आया, सैल्फ वैरीफिकेशन करते हुए हमने सबको पेंशन कर दी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): वह 8 हजार ही निकले। गलत कहां हुआ?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब सुनने का तो माद्दा रखो।

श्री अध्यक्ष: मेहर साहब जवाब आने दीजिये। मिस्टर घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 2013 में जब सरकार ने किया। गलत आंकड़े दिये तो 8 हजार ही आये। आप सबको गलत कैसे बता रहे हो? और गलत है तो आप जांच कराओ। उनकी जांच कराकर निरस्त कर दो और सदन को बता दो कि इतने लोग गलत थे। आप वह भी नहीं बताना चाहते, जांच भी नहीं कराना चाहते और 2013 की बात करते हो कि सरकार ने गलत किये हैं। गलत किये हैं, तो बंद कर दो आप, कौन मना करता है।

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी विराजिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप न गलत बंद करते हो, न सही करते हो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अपनी जन्म-पत्री को सुनने के लिये भी तैयार रहिये। उसको भी सुनिये कम से कम। ...(व्यवधान)... आप सुनने का माद्दा रखो, आप बैठो जरा। यह बड़ी जोर-जोर से प्रचारित किया कि पिछली सरकार की योजनाओं को रोक दिया गया, पेंशन बंद कर दी। 53 लाख कुछ लोगों को आप पेंशन देते थे और सरकार अब पेंशन दे रही है 61 लाख लोगों को। उस समय खर्चा था। ..(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, आपने चार साल रिफाइनरी को नहीं रोका क्या? चार साल तक रिफाइनरी को रोके रखा। ...(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): रिफाइनरी पर बहस करना चाहते हो क्या? ...(व्यवधान)... नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप तय कर दें, रिफाइनरी पर बहस करना चाहते हैं तो बहस कर लेते हैं, आप समय तय कर दें रिफाइनरी पर। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, कराइये, कराइये। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, कर दीजिए न। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बिजली पर चर्चा नहीं करना चाहते, पानी पर नहीं कराना चाहते, रिफाइनरी पर नहीं कराना चाहते। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): रिफाइनरी पर बहस तय करो। अध्यक्ष महोदय, तय करो आप ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): रिफाइनरी पर बहस के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार भाग रही है ...(व्यवधान)... बिजली पर चर्चा कराइये, पानी पर चर्चा कराइये ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): रिफाइनरी पर बहस चाहते हैं तो बहस के लिए आधा घंटे का समय ...(व्यवधान)... रिफाइनरी पर बहस करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): विजय माल्या जैसे पैसा लेकर भाग गये, हजारों करोड़ रुपये को देश के लोग और खा गये, गरीबों की पेन्शन का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी ...(व्यवधान)...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बैठो, बैठो। ...(व्यवधान)... सुन लो जरा। बैठ कर सुन लो आपका चिट्ठा। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप विजय माल्या को पकड़ो, जो डाकू लोग हैं उनको पकड़ो।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो किसी का, एक शब्द अंकित नहीं हो। घनश्यामजी, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री अध्यक्ष: घनश्याम जी, बैठ जाइये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बैठ कर सुन लो।

2013-14 में कुल 280 करोड़ रुपये का व्यय था वो भी 2014 में सरकार ने आने के बाद, जब हमने उसमें बजट बढ़ाने का काम किया था। 2013-14 का जो आपने बजट रखा उसमें प्रोविजन भी नहीं किया था पेन्शन का और आज जब 2016-17 में अपन हैं उस समय 61 लाख 99 हजार, मतलब 62 लाख लोगों को पेन्शन दे रहे हैं, यह तो बंद करने की स्थिति है, जिसको आप कहते हो पेन्शन बंद कर दी। और उसमें 389 करोड़ 65 लाख रुपये पेन्शन के ऊपर व्यय कर रहे हैं।

बात सही है कि आपने तो केवल कहा कि पेन्शन बांटों और पेन्शन के आधार पर वोट ले लो ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक मिनट बैठ जाओ। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप दल के सचेतक हो, जरा सुनने का माद्दा रखो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह जी ...(व्यवधान)... यह तरीका ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)... यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप एक-एक चीज सुनो जरा, आप सुनो एक-एक चीज को।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप एक बार सुन लो।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

हमारी मंशा एक ही थी कि जिसको पेन्शन मिल रही है पूरी पेन्शन मिलनी चाहिए और समय पर मिलनी चाहिए। आज इसीलिए हमने किया, सब के बैंक अकाउंट खोले, भामाशाह के माध्यम से अकाउंट बनाये, अकाउंट खोले, वैरिफिकेशन किया। आज 90 परसेंट लोगों का हम बैंक अकाउंट खोल चुके हैं और बैंक अकाउंट के माध्यम से 7 तारीख को, जो महीने के आखिर में पेन्शन पहुंचती थी और पेन्शन प्राप्त करने वाला यह कहता था कि मुझे 500 रुपये में से ढाई सौ रुपये मिलते हैं, ढाई सौ रुपये डाकिया रख लेता है, अब उसके पास पूरी पेन्शन 7 तारीख को एक मनी ऑर्डर के माध्यम से एक क्लिक में सारी पेन्शन को पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं।

इसी तरह 125 करोड़ रुपये मनी-ऑर्डर का जो कमीशन सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट को देती थी वो 125 करोड़ रुपये भी सरकार ने इसके माध्यम से बचाने का काम किया है जो भामाशाह के माध्यम से कल जो बिल रखा भामाशाह का, उसमें जो चीजें गिनायी गयी थीं, उसमें यह चीज भी निकल कर के थी।

तीसरी बात, जो बात आप बारबार कह रहे हैं, इसकी सत्यता इसी से निकलती है, मेरे पास 17 जिलों का आंकड़ा है अभी तक जो वैरिफिकेशन हुआ है। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैंने कहा, फिर दोहरा देता हूं, आप कह रहे हैं कि 8362 की सही पायी गयी, 1 लाख 79 हजार में से केवल 8362 की गलत तरीके से निरस्त हुई थी, यह माना गया। इसलिए 1 लाख 80 में से केवल 4.65 परसेंट लोगों का गलत मिला और उनको एरियर के साथ लौटाया है। और इसी प्रकार मृत्यु, डुप्लिकेट, गलत पता, बैंक अकाउंट गलत, इन अलग-अलग कारणों से अगर उसका आंकड़ा लेते हैं सात जिलों का तो वो 4 लाख 18 हजार 333, उसमें से जो गलत निरस्त हुए हैं वो केवल 38 हजार हैं, जो पांच परसेंट से भी कम है। यह सरकार की मंशा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको सब मिले, पूरा पैसा मिलना चाहिए, वैरिफिकेशन जरूरी है और वैरिफिकेशन का क्लॉज सैक्शन 9 में है लेकिन हमने वैरिफिकेशन के कारण से एक की भी पेन्शन नहीं रोकी, सब को लगातार बढ़ाते रहे, समय पर बढ़ाते गये जब तक वैरिफिकेशन का काम पूरा नहीं होगा, रिवैरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक किसी की भी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

पेन्शन रोकने का सरकार का नहीं है। लगातार उसमें रिलैक्सेशन देते हुए उसको बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को मृत घोषित करने के उपरान्त उनकी पेन्शन रोक दी गयी थी परन्तु जब उन्होंने अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र दिया तो उनकी पेन्शन पुन: चालू कर दी गयी, तो जो बंद के दौरान उनकी पेन्शन राशि उन्हें नहीं मिल पायी तो बंद के दौरान जिस राशि से वो वंचित रह गये थे, उन्हें दिलाने का विचार रखती है?

साथ ही अभी वर्तमान में तीन विभागों से इस पेन्शन प्रक्रिया को गुजरना पड़ता है जिसमें नगर निगम, नगरपालिका, उसके बाद पंचायत समिति, एस.डी.ओ. फिर उसके बाद ट्रेजरी, इन सारी प्रक्रियाओं में जिनको पेन्शन देते हैं, ऐसे लोग जो निःशक्त हैं, वृद्ध हैं, विधवा हैं उनको काफी परेशानी होती है, क्या सिंगल विंडो पर पेन्शन प्रक्रिया को सारी की सारी एक विभाग द्वारा देकर इसको सरल और सहज बनाने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रश्न कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसमें तो मैंने अपने जवाब में ही कहा कि उनको, जितने भी लोगों का गलत कहीं रिजैक्ट हो गया, मृत्यु के कारण, किसी कारण से, उनको जिस दिन से रिजेक्शन हुआ उस दिन से एरियर सहित पूरा भुगतान हम करेंगे। उसका पहले ही प्रावधान कर दिया।

यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने जो कहा कि तीन-तीन एजेंसीज के माध्यम से निकाली, इसकी प्रक्रिया ऐसी है, ग्रामीण क्षेत्र में बी.डी.ओ. को और बी.डी.ओ. फिर जांच करा कर ग्राम सेवक, सब के माध्यम से फारवर्ड करता है ट्रेजरी ऑफिसर के पास और हमारे पास आती है तब हम सैंक्शन

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

करते हैं। इसी तरह शहर में एस.डी.ओ. और एस.डी.एम. और फिर वहां के वार्ड के पार्षद और उन सब से वैरिफिकेशन के बाद उस पर प्रोसेस होकर के निकलता है तब हमारे यहां सैंक्शन होती है। बात सही है लेकिन अभी तक हम इसको ऑन लाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं लेकिन इसमें अभी तक कोई चीज ऐसी निकले, कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा सिस्टम निकल जाए जिससे कि डाइरेक्ट आये क्योंकि डाइरेक्ट जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट अकेला है, हमारे पास फील्ड में स्टॉफ नहीं है, हमें सरकार की इन एजेंसीज के ऊपर निर्भर करना पड़ता है नगर निकाय के ऊपर और पंचायत के ऊपर। कहीं न कहीं उनको इन्वाल्व तो करना ही पड़ेगा जो वैरिफिकेशन का काम जिनके पास नीचे के आंकड़े रहते हैं। इसलिए उसको भी कैसे ईजी कर सकें, इसका कोई मैथड निकालने के हम प्रयास में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री जोगाराम पटेल। नहीं करेंगे?

अगला प्रश्न। श्री तरुण राय कागा।

बाड़मेर जिले में किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना का संचालन

532. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में कितने केन्द्रों का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है व योजना से कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना का क्रियान्वयन 24 जनवरी, 2011 से किया जा रहा है। योजना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) इस योजना का बाड़मेर जिले में 3363 आंगनबाड़ी केन्द्रों के

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

माध्यम से संचालन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत पोषाहार संबंधित गतिविधियां समेकित बाल विकास सेवाओं और गैर पोषाहार गतिविधियां महिला अधिकारिता के द्वारा संचालित की जाती हैं। गैर पोषाहार योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में सबला योजना के प्रारम्भ से मार्च, 2017 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से करवायी जाने वाली गतिविधियों से लाभान्वित बालिकाओं का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। परियोजना स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों से लाभान्वित बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

सबला योजनान्तर्गत माह मार्च, 2015 तक बाड़मेर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यावसायिक प्रशिक्षण में लिखा गया है कि इनको विभिन्न प्रकार के ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष जी को महोदया बोल दिया, महोदय बोलें। साहब, यह अच्छा नहीं लगता। पूरे सदन का अपमान है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, महोदया नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं दोनों सम्बोधन का पात्र हूं इसलिए आप बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य: होली के टाइम में दिवाली के गीत गाते हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के जो सचेतक महोदय हैं दिल्ली गये थे चुनाव में, अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ गारंटी लेकर गये थे कि मैं इसको जिताऊंगा और जब से एग्जिट पोल ने रिपोर्ट दी है और एग्जिट पोल के रिपोर्ट के कारण मानसिक संतुलन डोटासरा जी का खराब हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप कहां आ गये? बैठिये आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मानसिक संतुलन के लिए इनका चैकअप कराना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: हां, मिस्टर तरुण राय कागा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी पार्टी के सदस्य विजय गोयल ने मानसिक संतुलन खोया है, हमने नहीं खोया। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, वो वन मैन शो हैं, यहां पार्टी है।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। प्रशिक्षण के बारे में यह लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के इनको प्रशिक्षण दिये जायेंगे अलग-अलग ट्रेडों में।

इसमें लिखा है कि उनको रोजगार, स्व-रोजगार और वैतनिक रोजगार दिया जायेगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले और चाहे राजस्थान पूरे में ही कितनी किशोरी बालिकाओं को इस रोजगार से या वैतनिक रोजगार से जोड़ा गया है? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब आने दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गैर आई.सी.डी.एस. की जो योजनाए हैं उनमें हमने चार मोटिव तय किये हैं। एक तो एन.एच.ई. (पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा), परिवार कल्याण हेतु किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, इसी प्रकार जीवन कौशल की शिक्षा है, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के लिए एक्सपोजर्स विजिट्स हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो 16 से 18 साल तक की किशोरी बालिकाओं को व्यवसाय सम्बन्धी कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण के पश्चात् 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर सकें।

इसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स हैं और उन ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बालिकाएं कहती हैं उनमें लेकिन इस योजना के तहत यह निर्धारित कार्यक्रम थे कि ये निर्धारित कार्यक्रम आप कोई से भी कर सकते हैं।

इनमें से हमने 4 कार्यक्रम निर्धारित किए हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगी। एफए सप्लीमेंट आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स हैं वह हमने प्रदान की हैं। इसी प्रकार हैल्थ चैकअप और रेफरल सेवाएं प्रदान की गई हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

काउंसलिंग और गाइडेंस दी गई हैं न्युट्रीशियंस और हैल्थ के बारे में। फैमेली वेलफेयर और चाइल्ड केयर प्रेक्टिसेज के बारे में इनको ट्रेनिंग दी गई है। इस प्रकार से यह 4 ट्रेनिंग दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चौहटन के बारे में बताना चाहूंगी कि लगभग 27 ग्राम पंचायतों में 5725 किशोरी बालिकाओं को यह ट्रेनिंग दी गई है। इस साल भी हम इसमें ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। चौहटन में किशोरी बालिकाओं की जो संख्या है अलग-अलग वर्षों में वह मैं बताती हूं, 2011 में हमने 2308 बालिकाओं को ट्रेनिंग दी है। इसी प्रकार 2012 में 5793 बालिकाओं को ट्रेनिंग दी है। 2013 में 4891 और 2014 में 6650 को ट्रेनिंग दी है। जो प्रश्न आपने किया है उसका जो प्रथम उत्तर दिया है, उसी खंड में उसका उत्तर भी समाहित है। 2015 में 7201 बालिकाओं को ट्रेनिंग दी गई है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो इसमें लिखा गया है कि प्रशिक्षण के बाद इन किशोरियों को स्वरोजगार, वैतनिक रोजगार दिया जाएगा। मेरा पूछना यह है कि कितनी किशोरियों को वैतनिक या स्वरोजगार दिया गया है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्यक्रम है कि ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और उसके बाद में वह स्वरोजगार करना चाहती हैं तो उनको स्वरोजगार दिया जाएगा। लेकिन यदि वह स्वरोजगार नहीं करना चाहती हैं, अपने स्तर पर कार्य करना चाहती हैं तो अपने स्तर पर भी कार्य कर सकती हैं। लाभान्वितों की संख्या मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं। ट्रेनिंग की संख्या मैंने बताई है कि 328627 बालिकाओं को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी हैं ताकि अपने रोजगार को वह प्रारंभ कर सकें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उनको वैतनिक रोजगार दिया जाएगा। कितनी बच्चियों को वैतनिक रोजगार दिया गया?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। स्पष्टीकरण दे दिया। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला बाल विकास मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा गत विधान सभा में मुद्दा उठा था कि महिला दिवस के दिन 4 महिला कर्मचारी, जिन्होंने इतना कह दिया कि बासी खाना हमें क्यों खिलाया, उसकी वजह से उन चारों को नौकरी से हटा दिया। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उनको जोइन कराकर वापिस रख लेंगे।

उन महिलाओं का कसूर बस इतना ही है कि उन्होंने कह दिया कि हमें बासी खाना क्यों खिलाया। उनको नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने बहाना बनाया कि जयपुर में रैली थी, रैली के अंदर चारों आईं, वह कलक्टर को एप्लीकेशन देकर के आईं। यह 4 गरीब महिलाएं को सिर्फ इतना कहने से निकालना, यह अपने आपमें अन्याय है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा आप मंत्रीजी को निर्देश दें कि उन महिलाओं को वापिस तुरंत लगावें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन विधान सभा में आपने यह विषय उठाया था, उस दिन भी मैंने यह कहा था कि आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं उनको वापिस...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): संबंधित ही नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): नहीं, संबंधित तो नहीं है। कोई बात नहीं, संबंधित नहीं है इस सवाल से, फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगी। मैंने उस दिन भी विधान सभा में आश्वस्त किया था कि यदि यह गलत तरीके से हुआ है तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। उन महिलाओं के क्या-क्या नाम हैं, वह आप मुझे दे दीजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दे दिये न।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): एक सैकिण्ड, मैं मेरी पूरी बात कह लूं। अभी विधान सभा खतम होने के दौरान

(श्रीमती अनिता भदेल)

भी आपने मुझे फोन किया तो मैंने बोला कि आप चिट्ठी लिखकर के दे दें या नाम बता दें। अभी मेरा यह क्वेश्चन लगा है तो अभी-अभी इन्होंने विधान सभा में किसी के द्वारा मुझे यह कागज भेजा और फिर प्रश्न कर रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले ही यह कागज भेजा है।

श्री अध्यक्ष: अब आ गया न, इस पर कार्यवाही करवाइए।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): इस पर मैं आपको आश्वासन दे चुकी हूं फिर विषय रखने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्रीमती सुशील कंवर।

प्रदेश के बजरी लीजधारकों द्वारा किये जा रहे पर्यावरण संरक्षण के कार्य

533. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में गत तीन वर्षों में बजरी खनन की कुल कितनी लीज किन-किन को जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बजरी लीजधारकों को कब से कब तक लीज जारी की गई है?

(3) सरकार द्वारा कितने लीजधारकों को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में बजरी लीजधारकों द्वारा लीज नियमों के तहत पर्यावरण संरक्षण के क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) सरकार द्वारा प्रदेश में गत तीन वर्षों में खनिज बजरी के कुल 4 खनन पट्टे (लीज) जारी किये गये है, पट्टाधारी का नाम एवं खनन पट्टे की अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) बजरी लीजधारकों को जारी की गई लीज की अवधि का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में खनिज बजरी के 49 खनन पट्टों में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(4) प्रदेश में बजरी लीजधारकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु खनन क्षेत्रों के आस-पास कुल 3108 पौधे लगाये गये। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्रीमती सुशील कंवर।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): संतुष्ट हूं, अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं शहर के विकास हेतु बनाई गई योजना की डी.पी.आर.

534. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं शहर में विकास के लिए आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या तथा उक्त योजना के तहत क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है व योजना का बजट क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त योजना की डी.पी.आर. भी तैयार नहीं की गई है? यदि हां, तो डी.पी.आर. तैयार कर योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी, हां। चौमू शहर को आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण में सम्मिलित किया गया है। योजना में किये जाने वाले कार्यों का चयन अभी किया जाना शेष है। योजना का बजट भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर तय किया जाएगा।

(2) जी हां। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु नगर पालिका द्वारा कंसलटिंग फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया है। परियोजना में सम्मिलित किये जाने हेतु शहरों की प्राथमिकता तय की जा रही है। आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण की योजना अभी एडीबी के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्वीकृति उपरान्त योजना पर कार्य करने की समय सीमा तय की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो चतुर्थ फेज की योजना है, यह योजना कब से प्रारंभ होगी? इस योजना के तहत चौमूं नगरपालिका क्षेत्र को चतुर्थ फेज में आपने शामिल किया है, उसमें क्या-क्या कार्य आप कराओगे? इसमें सीवरेज का कार्य कराओगे या जो पुरानी पाइप लाइनें हैं उनको चेंज करने का काम करोगे? एक तो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसकी डीपीआर वगैरह तैयार हो गई हैं और इसमें सीवरेज का पूरा हमारा प्रावधान है। इसका पूरा कार्य इसमें कराया जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी, इसकी मैं तारीख भी इनको बता दूं 30.06.2017 को डेट ऑफ सब्मिशन, निश्चित रूप से मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो सीवरेज दूसरी जगह बनी हैं, उसी तरह की तैयार करके, उसमें हर प्रोविजन हमने लिया है, तैयार करके बना देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस योजना में आप कितनी राशि खर्च करोगे? यह कार्य आप कब तक प्रारंभ करा दोगे? अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हुई। आप कह रहे हो कि नगर पालिका से हमने कंसलटेंट तय किया है। नगर पालिका की बजाय आप डीएलबी से करो ताकि इस काम को गति भी मिल सके और यह काम जल्दी प्रारंभ हो सके। आप कब तक डीपीआर तैयार करके काम शुरू कब कर दोगे? कितनी राशि इस योजना पर खर्च होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि यह योजना अभी एडीबी के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नगर पालिका नहीं कर रही है या जिस कंसलटेंट को हमने कहा है, तो हम डीएलबी से भी बात कर लेंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना इस योजना को तैयार कराकर इसका काम करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: मनोजजी यह तो चौमूं से संबंधित हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उसी से ही है।

श्री अध्यक्ष: चौमूं से संबंधित ही पूछ रहे हैं? इधर-उधर नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह चौमूं की 8 मार्च, 2016 के बजट में घोषणा हुई थी। एक वर्ष, सवा वर्ष का समय बीत गया। सरकार की मानसिकता आज भी यह है कि अभी तक इनकी डीपीआर नहीं बनी। जिस कार्य को सरकार सवा वर्ष में नहीं कर पाई, ऐसे इस राजस्थान के 37 शहर हैं, उसमें मेरी नगर पालिका राजगढ़ भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष: ले आए आप ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इनकी आपने अब तक डीपीआर नहीं बनाई। मैं यह कह रहा हूं कि सरकार की मंशा ठीक है कि नहीं? यह आप जरूर बता दें। अध्यक्ष महोदय, इतना सा बता दें कि आप इस कार्य को करोगे कि नहीं करोगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अगर करने की मंशा है तो कब तक कर दोगे?

श्री अध्यक्ष: संबंधित नहीं है। आप देना चाहें तो दीजिए, बाकी जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जो भी राज्य सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बजट में घोषणा की, निश्चित रूप से इसी वर्ष में शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आप सीवरेज डालना चाहते हैं तो क्या उसके लिए पर्याप्त पानी के संसाधन हैं? इसके साथ-साथ जो डीपीआर बना रहे हो, इसमें पर्याप्त रूप से चौमूं को पानी मिले ताकि सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए। इसकी भी कोई प्लानिंग है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। रिलेवेंट सवाल है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: ठीक सवाल है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी चौमूं का एक क्वेश्चन आया था।

श्री अध्यक्ष: चौमूं तो चौमूं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पूरे दिन चौमूं पर ही चलता रहा।

(12.00 बजे)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप मुझे आप यह बताइए कि चौमूं, चौमूं कैसे है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चौमूं है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जयपुर को चौमूं सब्जियां सप्लाई करता है। दूध सप्लाई करता है, फिर भी चौमूं को आप चौमूं बता रहे हो?

श्री अध्यक्ष: रामलालजी, चौमूं नाम है न। माननीय मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय घनश्यामजी भी एमएलए रहे हुए हैं चौमूं से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, चौमूं से रहा हुआ हूं, वह पूछ रहे हैं कि चौमूं, चौमूं कैसे है? रामलालजी को तो देखकर ही लगता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): चौमूं?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं अब वह चौमूं नहीं है, अब रामलालजी वाला चौमूं है, अब समझदार हो गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। ...(व्यवधान)... अब आप शांत रहिए। ...(व्यवधान)... प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भयंकर अकाल से पशुओं के चारे पानी की स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भँवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में नवचयनित स्कूल व्याख्याताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गैर आबादी गांव ढाणियों में विद्युत कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल-फलासियां के मुख्यालय झाड़ौल के समीप आवरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित कमलनाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विशेष योजना के तहत विकसित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में संविदा के माध्यम से की जा रही भर्तियों में आरक्षित वर्ग को वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रमेश, सदस्य की ओर से सरस डेयरी में हो रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री हीरालाल दरांगी, श्री नन्दकिशोर महरिया एवं श्री रमेश को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से बानसूर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति एवं उसके परिवार के साथ दबंगों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से रिफाइनरी के साथ लग रहे पेट्रो कैमिकल्स हब को बाड़मेर जिला मुख्यालय के पास स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गौतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की उप तहसील गोलूवाला में केन्द्रीय बस अड्डा स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में महाराणा कुम्भा की स्मृति में उनकी जन्म भूमि मदारिया में राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने व जन्म शताब्दी मनाए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हनुमान बैनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रदूषण की वजह से दूषित हो रहे वातावरण तथा बंजर हो रही कृषि भूमि के सम्बन्ध में।

(7) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली में वाहनों की नम्बर प्लेटों के निर्माण में निजी फर्म द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में पशु शिविर चालू करने एवं पेयजल व्यवस्था को सुचारू किए जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में देहली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से ग्राम मूंडरू, तहसील श्रीमाधोपुर में अनुसूचित जाति रैगर परिवार की भूमि की खातेदारी राजपूत परिवार के नाम करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से जयपुर-अजमेर मार्ग पर स्थित टोल नाकों पर अव्यवस्था व जाम लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्षों पूर्व बनी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण एवं नई सड़कें बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को शून्य काल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	सरकार द्वारा खासा कोठी एवं आनन्द भवन को निजी हित में बेचे जाने का निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में
2.	श्री भागीरथ चौधरी	राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय, मदनगंज, किशनगढ़ में सिटी स्कैन मशीन लगाए जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री कैलाश चौधरी	बायतू में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4.	श्री दलीचन्द डांगी	मावली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर में गैर आबादी गांव/ढाणियों में विद्युत कनेक्शन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अंतर्गत बानसूर विधान सभा क्षेत्र में जिन ग्राम पंचायतों में गैर आबादी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

की जो गांव और ढाणियां हैं, सौ-ढाई सौ से अधिक की ढाणियां हैं वहां पर कनेक्शन देने के लिए जो कैम्प लगाए गए थे, लेकिन अभी तक वहां पर कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। गैर आबादी की ढाणियां जो अधिक जनसंख्या वाली हैं उनका कैम्प तो लगा दिया गया, वहां पर डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिए गए हैं लेकिन कनेक्शन आज तक नहीं दिए गए हैं। उन्हें ये कनेक्शन देकर राहत प्रदान की जाए। क्योंकि गर्मी है, और इतनी गर्मी होने के कारण वहां वह एक पंखा भी नहीं चला सकते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था लचर चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आप जल्दी से जल्दी एक्शन लें और जहां पर मीटर खराब हैं, कई बार मीटर खराब होने की शिकायत भी दर्ज करा दी जाती है, एप्लीकेशन भी दी जाती है पर पीछे से आ करके, फ्लाइंग आती है और वीसीआर भर देते हैं, अब कहां पर लाइन में कौनसा तार कहां टूट रहा है, काश्तकार वह जो उपभोक्ता है वह रोज-रोज उसको चैक नहीं कर पाता है, यह काम उसका नहीं है और उसकी वीसीआर फोटो खींच कर वीसीआर भर देते हैं। जिस आदमी का ट्रांसफार्मर खेत में रखा है, अगर उस ट्रांसफार्मर में से माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तार हट गया तो तार हटने के कारण भी उसके एप्लीकेशन देने के बाद भी उसको गाड़ी में लोड करके ले जाया जाता है। यह काश्तकार की, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है और वहां से ले जाकर ठीक करवाकर वापस उसको लाया जाता है। इस प्रक्रिया को बदलने का कष्ट करें जिससे कि ट्रांसफार्मर काश्तकार का वहीं, खेत पर ही ठीक हो सके या उसी जगह पर ठीक कर सके। लाइनमैन आए और वह अगर तार जोड़कर चला जाए, उसका छोटा सा काम है लेकिन उनको बहुत भारी दिक्कत उनको उठानी पड़ती है और जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, जहां पर बहुत बड़े-बड़े मेले लगते हैं चाहे शीतलनाथ हो, ताल वृक्ष हो, गढ़ी मामोड़ हो, गलताजी का है, उधर श्रीजी है, ऐसी जगहों पर भी कनेक्शन दें जिससे कि वहां की जो जनता है, वहां आए तो पानी पी सके और वहां थोड़ी बहुत देर रुके जिस दिन मेला हो तो वहां पर उनको बिजली की सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की चोरी का जो नियम है, वीसीआर भरने का, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें कोई न कोई सुधार किया जाना

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चाहिए। जो व्यक्ति एक बल्ब जलाता है, बिजली वीसीआर भरने वाली फ्लाइंग एकदम से घर के अंदर जाती है और यह गिनती है कि कितने बल्ब लगे हुए हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं, इसके छाछ बनाने की मथानी है या नहीं उस मथानी का, फ्रिज का बल्ब का, पंखे का, कूलर का इस तरह से मोटा चार्ज लगा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी आज की विडम्बना है। इसमें सुधार किया जाए, एक बार वार्निंग दे दें उनको और वार्निंग देने के बाद भी अगर कोई नहीं माने तो फिर वीसीआर भरने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपने ध्यान आकर्षण कर दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक सैकिंड।

श्री अध्यक्ष: एक सैकिंड हो गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमारे यहां चार जने, बंजारे मरे थे चार एक साथ, एक माची में सोहन और ताल भूरियावास में रामपुर में तो बंजारों का आधा मुआवजा दे दिया गया था, जयपुर से ही चीफ सेक्रेटरी गए थे और उन्होंने यह कहा था कि डेढ़ महीने में हम इनका पूरा दे देंगे मुआवजा तो वह आज तक नहीं मिला है, आधे लोगों की कागजी कार्यवाही पूरी करके भेज दी गई है। बानसूर में सबसे बड़ी समस्या और है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगी।

श्री अध्यक्ष: आपने स्थगन प्रस्ताव रखा, उसका हो गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बानसूर में तीन एईएन बैठने चाहिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वहां कम से कम तीन नहीं तो दो एईएन लगाए जाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगे माननीय मंत्रीजी?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्य ने जो बात की है, गैर आबादी में बानसूर में अभी हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 177 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन जारी किए हैं और लगभग 539 एपीएल कनेक्शन हमने जारी किए हैं। ट्वेल्थ प्लान के तहत अभी भी आपका काम शुरू है और

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हमारी कोशिश रहेगी कि सितम्बर से पहले-पहले ट्वेल्थ प्लान का काम आपके क्षेत्र में पूरा हो जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो गैर आबादी में लोग रह रहे हैं उनके लिए आपके विधान सभा क्षेत्र में 9 करोड़ 73 लाख रुपए हमने स्वीकृत किए हैं जिससे लगभग आपके 357 ढाणियां हम जोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमने टेंडर भी जारी कर दिए हैं, एलओआई भी दे दिया है, अभी आपका उसका इन्सपैक्शन होने के बाद हम इस काम को बहुत जल्दी शुरू कर लेंगे।

इसके अलावा आपने जो बात की गैर आबादी में, मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना हमने प्रारंभ की है, इसके तहत आपके यहां 436 ऐसे आवेदन आये हैं, 109 समूह हैं जिनमें 4 का ग्रुप होना चाहिए, उसमें 650 मीटर तक लाइट के पोल खींचकर किसान को जो गैर आबादी में रह रहा है, लगभग 50 समूह के, 12 समूह के हमने डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये हैं। दूसरा हम सर्वे करके तुरन्त प्रभाव से उनके भी डिमाण्ड जारी करके उनके कनेक्शन जल्दी कर लेंगे।

इसके अलावा अभी हमने एक और आदेश निकाला है कि 5 केवी के जो ट्रांसफार्मर हैं, उसमें लोगों ने कनेक्शन ले लिये, पर उसके आसपास लोग वंचित हैं, यदि 100 मीटर में ऐसे कोई लोग वंचित हैं तो 5 केवी के ट्रांसफार्मर का भार बढ़ाकर 5 से 10 करें या 16 करें और जितने भी लोग बाकी हैं उनके लिए नया ट्रांसफार्मर लगाकर उनके कनेक्शन जारी करने के आदेश दे दिये हैं। उसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो ट्रांसफार्मर के 100 मीटर दायरे में आती हैं उनको हम तुरन्त प्रभाव ट्रांसफार्मर से ऑगुमेंटेशन करके कनेक्शन जारी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, बहुत हो गया न।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने मीटर बंद की बात की है। अगर दो महीने के अंदर आपका मीटर नहीं बदला जाता है तो उसके लिए एवरेज बिल में 5 परसेंट की छूट दे रहे हैं।

(12.11 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसके अलावा आपने कहा कि किसान ट्रांसफार्मर खुद लेकर जाते हैं, खुद जमा करते हैं, उनका हम 300 रुपया बिल में समायोजित कर रहे हैं। जो नियम हैं उसके तहत 300 रुपये हम बिल में समायोजित करते हैं। दूसरा, आपने जो मंदिरों की बात की है शीतलनाथ, तालवृक्ष, गढ़ी मामोड़ और गलताजी मंदिर, ये तीनों मंदिर वन क्षेत्र में आते हैं। अगर आप फोरेस्ट की एनओसी दे देते हैं तो हम निश्चित रूप से डिमाण्ड भरते ही कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। फोरेस्ट की अगर आप एनओसी दे दें तो कनेक्शन हम जल्दी जारी कर देंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री हीरालाल दरांगी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पाइंट ऑफ इंफार्मेशन।

श्री सभापति: नहीं, बैठ जाएं। बैठ जाएं। अभी समय नहीं है। श्री हीरालाल दरांगी।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार।

श्री सभापति: आपको निरस्त स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है, स्थगन प्रस्ताव पर नहीं।

झाड़ोल के आवरगढ़ पहाड़ी स्थित कमलनाथ महादेव मंदिर का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): मेरा विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। मुख्यालय झाड़ोल के समीप आवरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित कमलनाथ महादेव मंदिर एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो कि इस विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय के इर्द-गिर्द लगभग 50-60 किलोमीटर के विभिन्न गांवों में जैसे ओगणा, पिला, घटाटिया, काडा, गेजवी, थंबुवाड़ा, देवास, नांदवेल, बागपुरा, मांदड़ी, गोराणा, खाखड़ व मगवास आदि गांवों की आदिवासी जनता की गहरी आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर की महत्ता क्षेत्र की आदिवासी जनता के लिए महाकुंभ हरिद्वार के समान है। वैशाख मास में प्रत्येक सोमवार व वैशाखी पूर्णिमा के दिन यहां हजारों की संख्या में

(श्री हीरा लाल दरांगी)

आदिवासी एकत्रित होते हैं तथा प्रात: जल्दी स्नान कर मंदिर में महादेव की पूर्जा, अर्चना कर समीप ही स्थित गंगा वेरी के पानी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित कर उनके मोक्ष की कामना करते हैं व पुण्य लाभ कमाते हैं।

महोदय, यहां प्राचीनकाल में महाबलि रावण ने भी तपस्या की थी तथा मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप भी कुछ समय यहां रहे थे। इस प्राकृतिक रमणीय स्थल पर पर्यटन की भी अपार संभावना है। अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आदिवासी आस्था के प्रतीक इस धार्मिक व पर्यटन स्थल को विशेष योजना के तहत विकसित कर मुझे तथा मेरे क्षेत्र की जनता को अनुगृहीत करावें, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नंदकिशोर महरिया।

प्रदेश में संविदा भर्तियों से वंचित आरक्षित वर्ग

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, नियम 50 के तहत आपने बोलने का मौका दिया। संविदाकर्मियों की भर्ती व अन्य नियमित भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विकलांग, विधवा, एक्स सर्विसमैन, जितने भी वर्ग या आरक्षित जातियां हैं उनको आज के दिन जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके तहत आरक्षण से वंचित किया जा रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में जहां नये आरक्षण की बातें उठ रही हैं वहीं पूर्व में दिये गये निर्धारित आरक्षण को भी बिलकुल खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संविदाकर्मियों के रूप में पद भरे जा रहे हैं। देखने में यह भी आया कि उक्त संविदाकर्मियों की भर्ती के समय आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होता और बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 का स्पष्ट उल्लंघन है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रदेश में हाल ही में 27635 ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती निकाली गयी है। इनका चयन हर ग्राम पंचायत स्तर पर होना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनें। माननीय सदस्य, ध्यान रखें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): इनके चयन में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। पूरे प्रदेश में नियुक्तियां की जा रही हैं या की जाएंगी, लेकिन इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, खिलाड़ी, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, जो विधायिका से पास या संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है उसका भी इसमें ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यह तो एक उदाहरण है, इसके अलावा पूर्व में भी कई भर्तियां निकाली गयी थीं जिनमें पहले संविदा पर लिया गया, बाद में उनको नियमित कर दिया गया। उन भर्तियों में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। यह सिर्फ अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री देने का एक तरीका सरकारों द्वारा अपना लिया गया है जिसको तुरन्त प्रभाव से बंद कराना अति आवश्यक है।

हाल ही में प्रदेश में सभी जिलों में ग्राम सेवकों की भर्तियां निकाली गयी थीं। सीकर जिले में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, 122 पद रखे गये थे। एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं था। इसी तरह सिर्फ रोजगार देने के जो वादे किये जा रहे हैं वह तो एक अलग कहानी है, लेकिन रोजगार दें भी तो उसमें कम से कम जो व्यवस्था है उसका खयाल रखा जाय। आरक्षित वर्ग को, आरक्षित जातियों को वंचित नहीं किया जाय। सरकार अगर इस तरह से बिना नियमों के भर्तियां निकालेगी तो निश्चित रूप से वे कोर्ट में जाकर अटकेंगी। जैसा बहाना चला आ रहा है कि कोर्ट ने रोक दी, रोजगार देना चाहते थे, वह चलता रहेगा। यह छलावा तुरन्त प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और नियमों के तहत ईमानदारी से सभी वर्गों को उनका आरक्षण मिलता रहे और उसके आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। आगे से चाहे संविदा की नौकरियां निकले या अन्य, हर बात का, हर नियम का, जो विधायिका या संविधान द्वारा दिया गया है उसका ध्यान रखा जाय।

केन्द्र सरकार ने 4800 ग्रेड-पे तक की नौकरियों में इंटरव्यू खतम कर दिया, लेकिन अपने यहां 3600 वाली ग्रेड-पे में भी इंटरव्यू चल रहे हैं। ये इंटरव्यू अगर खतम किये जायं तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर काफी लगाम लगेगी। यूपीएससी और एसएससी द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अंक सीमा प्रावधान नहीं है। राजस्थान में भी आरएएस जैसी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन छोटी नौकरियां, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक, स्टेनोग्राफर में आरपीएससी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों का प्रावधान कर रखा है। इसके तहत महिला, विधवा, विकलांग वर्ग हैं उनको वंचित किया जा रहा है। जब प्रदेश में 200 में से सिर्फ आधा अंक पाने वाली महिला आरएएस बन सकती है तो इनको आरपीएससी को लेने में क्या दिक्कत है, यह देखने लायक बात है।

भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बिलकुल नहीं बरती जा रही है। जिस तरह से एसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्तियों में सभी अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाता है, सबकी ओएमआर लिस्ट निकाली जाती है। उसको वेब पर डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन प्रदेश में किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। न ही ओएमआर लिस्ट वेबसाइट पर दी जाती है। यह सब कुछ लोगों को फायदा देने के लिए चल रहा है जिसको तुरन्त बंद किया जाना चाहिए।

प्रदेश में जब आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड जैसी संस्थाएं बनी हुई हैं तो फिर संविदा पर भर्ती लेने की जरूरत कहां पड़ गयी, यह समझ से बाहर है। सिर्फ बैकडोर एंट्री के लिए इस तरह की कार्यवाही हो रही है वह बंद की जाय। 1994 से 2014 तक के परिणाम अगर नियमानुसार री-शफल किये जायं तो सभी आरक्षित वर्गों की लगभग डेढ़ लाख नौकरी बनती है। डेढ़ लाख नौकरियां 1994 से लेकर 2014 तक आरक्षित वर्ग व आरक्षित जातियों की खायी गयी हैं। नियम विरुद्ध की जा रही इन भर्तियों पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस बाबत स्पष्ट घोषणा करें कि सभी जातियों व सभी वर्गों को उनका जो अधिकार है वह मिलेगा और उसके अनुसार आगे से नौकरियां दी जाएंगी, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रमेश। एक मिनट विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, विषय काफी गम्भीर और बहुत चिन्ताजनक था। यह बात सच है कि जब संविदा पर कई बार टीचर्स का जो सलेक्शन हुआ वो गांव के हिसाब से हुआ और वहां जिस विषय का अध्यापक नहीं था उसके लिए उनको छूट दी थी कि वहां वो अपना अध्यापक रख ले तो वो संविदा का अध्यापक हो गया। ऐसे ही कुछ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ग्रामीण क्षेत्र में जब रेगूलर स्टाफ नहीं मिला तो संविदा के आधार पर लोग लिये हैं और उस समय आरक्षण की पालना नहीं हुई है जो काफी ठीक बात आपने कही है, जो आपने विषय उठाया है लेकिन इस सरकार के आने के बाद इस पर भी व्यवस्था की है। प्रदेश में प्रशासनिक विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की गतिविधियों के संचालन के लिए निर्धारित समय के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.10.2015 के द्वारा निर्धारित किया गया है कि परियोजना आदि में जो नियत समय के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है उसमें नियमानुसार आरक्षण देय है तथा इस हेतु उक्त निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी संविदा के आधार पर ली गई सेवाओं में आरक्षण देय नहीं है। इसमें जो ऑर्डर है वो भी मैं पढ़ देता हूं। उसमें सरकार की मंशा है कि निश्चित रूप से इस प्रकार से संविदा पर जिनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति होती है उसमें इसका पालन किया जाना चाहिए। यह 12.10.2015 का ऑर्डर है। 'संविदा नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में। सेवा नियमों में संविदा नियुक्तियों का प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण देय होने अथवा न होने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कार्मिक विभाग की राय हेतु प्रकरण भिजवाये जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट्स में प्राय: बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर के पदों को संविदा नियुक्ति से भरने की सहमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णय के क्रम में, समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में भी खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जावे तथा ऐसी नियुक्तियों में भी लम्बवत तथा क्षैतिज सहित वे सभी आरक्षण प्रावधान लागू किये जाने चाहिए, जो नियमित पदों पर सीधी भर्ती के समय लागू होते हैं। चूंकि यह भर्ती नियत समय के लिए ही होती है तथा सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाना प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। अत: इसमें किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाता है।' जो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा या बाहरी किसी सहायता के द्वारा चलते हैं उनमें तो इसकी पालना हो रही है लेकिन कांट्रेक्टर के द्वारा जो संविदा पर लोग लिये जा रहे हैं उन पर इसकी पालना नहीं हो रही है और होना सम्भव भी नहीं है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सभापतिजी, सिर्फ एक लाइन। आप गत तीन वर्ष, पांच वर्ष की एक जांच करवा लें कि कितने लोग वंचित रह गये ताकि उससे सारी स्थिति सरकार के सामने आ जाएगी और आगे प्रक्रिया ठीक हो जाएगी।

श्री सभापति: श्री रमेश।

सरस डेयरी में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताएं

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, नियम 50 के तहत सरस डेयरी जयपुर और आर.सी.डी.एफ. में कुछ दिनों से अधिकारियों द्वारा पद से इस्तीफे दिये जा रहे हैं, डेयरी में अनियमितताएं हो रही हैं और भ्रष्टाचार के मामले भी ए.सी.बी. में दर्ज हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आर.सी.डी.एफ. की स्थिति यह है कि लम्बे समय से कोई स्थायी एम.डी. की नियुक्ति नहीं हुई है। आर.सी.डी.एफ. में 5 जी.एम. के पद हैं जिनमें से 3 जी.एम. में एक पद पर मैनेजर स्तर का अधिकारी लगा हुआ है, 2 जी.एम. लम्बे अवकाश पर चल रहे हैं और एक जी.एम. को निलम्बित कर दिया गया है और एक अभी जुलाई आ रही है उसमें रिटायर हो रहे हैं। सरस डेयरी में वरिष्ठता को दरकिनार करके कनिष्ठ और कम योग्य व्यक्ति को एम.डी. बना दिया जाता है तो यह कहां का न्याय है? डिप्टी मैनेजर के लेवल के अधिकारी को एम.डी. बना दें और असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर उसके अधीन, मातहत काम करें तो यह एक तरह से नियमों का खुला उल्लंघन है और किसी विशेष अधिकारी को लगाकर इस सिस्टम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

जयपुर डेयरी में जिस प्रकार जयपुर डेयरी के चेयरमैन और मंत्रियों के द्वारा अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलाना और जो पुराने ठेके

(श्री रमेश)

चल रहे हैं उनके अनुबन्ध को आगे बढ़ाना, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि यह ठेका हमारे पुराने ठेकेदार को मिलना चाहिए और यह काम फलां फर्म को मिलना चाहिए। चाहे पशु आहार के लिए माल खरीदने की बात हो तो अपने चहेतों से माल खरीदा जाए, चाहे पैकिंग का ठेका है वो अपने लोगों को दिया जाए और जो सरस पार्लर के बूथ हैं उनको भी अपने चहेतों को दिलवाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ अपने लोगों को मिले जिससे आज सरस डेयरी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि निजी जो डेयरियां हैं उनकी प्रतिस्पर्धा में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। सरस डेयरी प्रशासन 1 जुलाई, 2008 से बूथ संचालकों को मिलने वाले मार्जिन, जो 5 पैसे प्रति लीटर भूमि का किराया जो नगर निगम में जमा कराना था उसको स्वयं के पास रखना प्रारम्भ कर दिया किन्तु 15 माह पश्चात् बिना किसी आधार के, बिना बूथ संचालकों को विश्वास में लिये इस फण्ड को समाप्त कर दिया। इसके बाद बूथ संचालकों से 500 रुपये किराया वसूलना प्रारम्भ कर दिया। सरस दूध विक्रेता संघ न्यायालय में गया, वहां से जनवरी, 2017 में हाईकोर्ट ने इस प्रकरण का निस्तारण किया कि डेयरी प्रशासन 5 पैसे प्रति लीटर जो ले रहे हैं इसका समायोजन आपके उसके किरायें में करे और कितना पैसा कहां खर्च हुआ इसका विवरण न्यायालय को बताये। लेकिन आज तक डेयरी प्रशासन नहीं चाहता, चेयरमैन नहीं चाहता कि इसका खुलासा हो, यह पैसा कहां खर्च हुआ, इसको किसने हजम किया इसलिए अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसकी वजह से डेयरी प्रशासन बिलकुल दबाव में है, अधिकारी दबाव में है और इसी वजह से एक अधिकारी ने त्याग पत्र दे दिया है। क्योंकि डेयरी चेयरमैन न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करना चाहते और इन्हीं चेयरमैन के द्वारा पुराने ठेकेदारों को नये ठेके देने का दबाव, पुराने ठेकों के अनुबन्ध को आगे बढ़ाने का काम, पशु आहार प्लांट में चहेतों को माल देने का दबाव, अपने चहेतों को ठेका दिलवाना, इसी वजह से एम.डी. ने पद छोड़ना ही उचित समझा। लेकिन सरकार ने आज उसको ए.पी.ओ. कर दिया। सरकार नाक बचाने के लिए यह असफल कोशिश कर रही है। डेयरी के अधिकारी और डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से जमे

(श्री रमेश)

ठेकेदारों को नहीं हटने देना चाहते। डेयरी प्रशासन द्वारा दूध की जो पैकिंग की जा रही है वो बाहर की जा रही है क्योंकि बाहर से उनको कमीशन मिलता है। जो दूध की डेयरी के अन्दर पैकिंग की मशीनें हैं उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। इसके कारण से एक तरह से दूध में मिलावट हो रही है, दूध बाहर बिक रहा है, लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। तो इसमें मेरी सरकार से मांग है कि जो दूध चोरी हो रहा है, दूध में मिलावट हो रही है, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। जिस प्रकार जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के संचालक मण्डल की 164वीं बैठक में इन्दिरा बाजार की दुकान नम्बर 510 और 511 में जयपुर डेयरी द्वारा सरस पार्लर संचालित किया जा रहा है उसको पी.पी.पी. मॉड पर देने का प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें दुकान नम्बर 510 व 511 सरस पार्लर का संचालन ट्रायल के बतौर जनक फूड्स को देने का प्रस्ताव डेयरी चेयरमैन ने रखा। क्यों रखा? जिसकी प्रिंटिंग और विज्ञापन का खर्च भी यह सरस डेयरी करेगी। उसका कारण यह है कि जनक फूड्स स्वयं जयपुर डेयरी का एक डायरेक्टर है जो चेयरमैन के पारिवारिक सदस्य हैं। चेयरमैन के होटल में कार्यरत कार्मिक ही डायरेक्टर है। तो डेयरी चेयरमैन जिस प्रकार अनियमितताएं कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को, अपने नौकरों को डायरेक्टर बनाकर तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।...... और जयपुर जिला दूध उत्पादन संघ के अन्तर्गत छह दूध अवशीतन केन्द्र आते हैं, जहां पर जांच लैब भी है। उप प्रबन्धक लेवल का अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें मिलावट नहीं हो लेकिन मिलावट हो रही है। इसको कोई रोक नहीं पा रहा है और मिलावट पाई जाती है तो कहा जाता है कि भई, इस दूध को आइंदा नहीं लेंगे, लेकिन उस दूध को भी...

श्री सभापति: संक्षेप में करें। दो मिनट का समय था।

श्री रमेश (सपोटरा): ...रोका नहीं जा रहा है और जब एसीबी केस पकड़ लेती है तब पता लगता है कि दूध में मिलावट हो रही है तो एक ही फर्म को, एक ही एजेंसी को वर्ष 2000 से अब तक लगातार ठेका दिया जा रहा है, इसकी भी जांच हो। विजिलेंस टीम का लीडर एक सेवानिवृत्त उप प्रबन्धक है जो स्वयं दूध में मिलावट करते पकड़ा गया। उन्होंने सीधे तौर पर चेयरमैन का नाम लिया और बाद में वह बयान में पलट गया तो मेरा

(श्री रमेश)

निवेदन है कि ऐसे जो पकड़ा गया, इसकी जांच हो और ऐसे चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो और एक नया काम और कर दिया। वर्तमान जो चेयरमैन हैं, उसने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाकर, मण्डल की मीटिंग में एक निर्णय पारित करा दिया कि आरटीआई के तहत कोई सूचना मांगेगा, उसको सूचना नहीं दी जायेगी तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि डेयरी में कोई पोल नहीं खुले। भ्रष्टाचार है, वह बाहर नहीं जाये तो इस प्रकार के कृत्य इस डेयरी में हो रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं...

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): ..कि नियमानुसार सहकारी समिति का सदस्य उस पंचायत का निवासी एवं पशुपालक होना चाहिए, जबकि वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, जिस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, वह किसी अन्य ग्राम पंचायत में आती है, जबकि ये निवासी अन्य ग्राम पंचायत के हैं। राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही ये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होने की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसके जो नियम हैं, इसकी वोटर लिस्ट है। इसमें जिन्होंने आवेदन किया है, वह भिन्न है। किसी अन्य सहकारी समिति के सदस्य हैं तो ये उन नियमों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए इनको चेयरमैन पद से हटाया जाना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): और दूसरा मेरा निवेदन है कि...

श्री सभापति: बस, बहुत हो गया।

श्री रमेश (सपोटरा): बस बस, साहब एक मिनट। बड़ा संगीन विषय है कि वह पूरे राजस्थान...

श्री सभापति: संगीन है लेकिन आपने...

श्री रमेश (सपोटरा): ...और जयपुर सरस डेयरी में पूरा जयपुर शहर, जयपुर जिला जहर पी रहा है। इसी तरह बस्सी, जयपुर डेयरी में एक फ्रोजन सीमन प्लांट बनवा रहा है, जिसका निर्माण दिसम्बर, 2016 में पूरा होना था। वहां पर घटिया निर्माण हो रहा है और घटिया क्वालिटी का लौहा उपयोग में लिया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार मेरी बात सुनें। पहले विराजें, पहले मेरी बात सुनें। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर जो दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाता है, स्थगन प्रस्ताव एक ही विषय पर आता है और एक ही बात इसमें रखी जाती है। उसमें सम्पूर्ण विभाग का डिस्कशन नहीं किया जाता है...

श्री रमेश (सपोटरा): यह सम्पूर्ण विभाग है डेयरी।

श्री सभापति: नहीं, डेयरी सम्पूर्ण विभाग नहीं है। डेयरी में एक चीज जिसको आप रखना चाहते हैं, वह रखिये। आपने पांच-छह चीज रख दी है। मैं नियमों के पालना की बात करता हूं। मैं नियम के बाहर नहीं जाने दूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आरसीडीएफ और जयपुर डेयरी में जितने भी तीन साल के अंदर टेण्डर हुए हैं, उनमें अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तीन साल में विभिन्न प्रकार के विभिन्न फर्मों के द्वारा जो टेण्डरों में अनियमितताएं हुई हैं या पात्र व्यक्ति को टेण्डर नहीं मिला है। जो ब्लैकलिस्टेड फर्मों को काम दिया गया है और गलत पात्रता के आधार पर उसको टेण्डर मिला है और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन तीन सालों की जो टेण्डरों में अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और यहां पर माननीय सभापति महोदय, आप वरिष्ठ हैं और विद्वान भी हैं और संसदीय कार्य प्रणाली को आप अच्छी तरह समझते हैं कि जिन मंत्रियों के रिश्तेदार, परिवार के सदस्य चाहे सरकार में या सरकारी उपक्रम में कोई ठेकेदारी करते हैं तो लाभ के पद का फायदा उठा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी फर्म, जो सरकार के मंत्री के परिवार के सदस्य कर रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री सभापति: विराजिये। किसी को बोलना है? जी मंत्री महोदय, बोलिये।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी सरस डेयरी में भ्रष्टाचार के संबंध में अपने विचार रखे। सब चीजें रिकार्ड पर आ चुकी हैं। सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी चीज, जो भी बात आपने रिकार्ड पर रखी है, उनकी जांच करा ली जायेगी। आपके पास और भी

(श्री अजय सिंह)
अगर इस तरह के कोई भी कागजात हों, कोई भी सूचना हो, उसके भी सबूत हो तो आप मुझे अवश्य दे दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिसम्बर के लेखे अभी तक तो मैंने एसीबी को लिख दिया है कि उन सभी टेण्डरों को सूक्ष्म स्तर से जांच कर लें और नियमित, नियत समय में उनको कर लें ताकि कोई...

श्री सभापति: नहीं आप बैठिये। बैठिये बैठिये। नो, न। आप बैठ जायें।

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट सभापति महोदय, जांच तो पहले से ही विभाग में लम्बित है, आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, उसका भी जवाब दे दीजिये।

श्री सभापति: नहीं नहीं, रमेशजी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। आप इनको बोलने दीजिये मंत्रीजी को, फिर उसके बाद बोलिये, बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह मैंने पत्र लिख दिया है और इसके बारे में डोक्यूमेंट हम जो भी टेण्डर हुए हैं, उसको हम भेज रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को पहले बताना चाहूंगा कि हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से डेयरी कार्य करती है। आरसीडीएफ है, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन और जिला संघ है, वह अलग कार्य करते हैं। यह को-ऑपरेटिव संस्थाएं हैं। यह बाई-लॉज पर चलती हैं जोकि रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीकृत किया जाता है और जो मूल शक्ति है, वह संचालक मण्डल में और आम सभा में होती है।

आप टेण्डर की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसीडीएफ में जो भी टेण्डर्स होते हैं, वह एक सक्षम कमेटी बनी हुई है, एक जी.एम. स्तर पर कमेटी बनी हुई है, वह उसको एप्रूव करती है।

इसी तरह से अगर डेयरी की बात करें, जिला संघों की बात करें, तो वहां पर भी एक सक्षम कमेटी बनी हुई है और एम.डी. वहां पर है और वह मिलकर करते हैं। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि न तो किसी मंत्री का, न मेरे स्तर पर, न सरकार के स्तर पर कोई ऐसा प्रयास किया गया है कि उन टेण्डर्स को या कोई भी अधिकारी है, उसको प्रभावित किया जाये।

(श्री अजय सिंह)

माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया कि अभी कई अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, यह तो उसका अधिकार है। अगर कोई छह महीने बाद में रिटायर हो रहा है और उसने अगर अभी अपना रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है तो इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। मेरे भी संज्ञान में लाया गया है कि हमारे एक श्री महाजन हैं, जी.एम. हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया दबाव के कारण से। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर किसी के पास भी किसी तरह का सबूत है, उसकी एसीबी से जांच करवाई जा सकती है और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको भी यह कहना चाहूंगा, इस तरह के जो आरोप लगते हैं सदन से बाहर या कोई भी, तो आप चाहें तो जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है, उनको सदन में बुला लें या कोई कमेटी बनाकर के उसका आप कर लें...

श्री सभापति: कोई नहीं आ सकता सदन में। सदन में तो या तो वोट लेकर आ सकते हैं या फिर सदन चाहे तो एडवोकेट जनरल को बुला सकता है। इसके अलावा सदन में आने का कोई साधन नहीं है माननीय मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): लेकिन माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई राजनैतिक दबाव है किसी मंत्री का, किसी विधायक का तो उसकी जांच हो जाये। अगर इसके पीछे कोई दूसरा खेल चल रहा है, जान बूझकर कोई दबाव डालना चाहता है और यह कहना चाहता है कि उन्होंने किसी कारण से इस्तीफा दिया है। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की है। सभी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो भी आपने यहां पर प्रस्ताव रखा है, उसकी जांच करवा ली जायेगी।

मैं मोटे रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जांच हम इस तरीके से कराते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी शिकायत होती है तो उसकी सबसे पहले प्राथमिक जांच कराते हैं और उसमें यह देखते हैं कि जो भी नियम-बाईलॉज बने हुए हैं, उनकी अवहेलना तो नहीं की गई है या किसी तरह की वित्तीय अनियमितता तो नहीं की गई है। अगर ऐसा हमें कुछ लगता है तो जो हमारा सहकारिता अधिनियम है उसकी धारा-55 के तहत हम जांच करवाते

(श्री अजय सिंह)

हैं। वर्तमान में 27 जांचें अभी पैंडिंग हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा और इसमें से 17 जांचें ऐसी हैं जिनका निर्णय हो चुका है। धारा-55 के तहत उनको निर्णीत कर दिया गया है। धारा-57 के तहत उनकी लाइबिलिटी फिक्स की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नियमित समय के अन्दर इन जांचों को पूरा कराया जाएगा। कुछ जांचें हमारी एसीबी है वहां पर भी चल रही हैं, माननीय गृह मंत्रीजी से मैं आग्रह करूंगा कि इनको भी नियत समय में इनका कराया जाए।

अभी आपने कहा कि कई जूनियर अधिकारी भी लगे हुए हैं, एम.डी. लगे हुए हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब से माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा मुझे प्रभार दिया गया है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एसीबी गृह मंत्रीजी के अण्डर में नहीं है साहब, ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि गृह मंत्री के लिए। गृह मंत्रीजी खुद का नहीं हो रहा है...

श्री सभापति: सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...वह तो हो ही नहीं रहा है। एसीबी कहां से कर लेंगे?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह करूंगा कि नियत समय में सभी तरह की जांचें जो डेयरी में चल रही हैं, उनको करके वह कर देंगे।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी भी पर्याप्त हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, पर यहां जवाब देने का काम मेरा ही है।

श्री सभापति: आपके पास क्या है, वह सब जानते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उनको क्या है, क्या नहीं है, इसको जानकारी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दोनों से ज्यादा बेहतर जानते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आपके पास सबकी जन्मपत्री है गृह मंत्रीजी, आप सब जानते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वैसे, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से...

श्री सभापति: जन्मपत्री बनाने का काम मेरा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो परिवाद हमारे पास आये हैं विशेष कर के जयपुर डेयरी के संबंध में हमने उन सब पर परिवाद दर्ज किया है और कार्यवाही हो रही है। परिवाद संख्या-136/12 यह भी जयपुर डेयरी से ही संबंधित है इसकी जांच अभी तक चल रही है। परिवाद संख्या-146/13 विरुद्ध श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रभारी जयपुर डेयरी इसके खिलाफ भी केस चल रहा है। इसमें यह है कि लाखों रुपये की कोई हेराफेरी का आरोप इस पर लगा है। परिवाद संख्या-328/16 विरुद्ध श्री ओम प्रकाश पूनिया, चैयरमेन, जयपुर डेयरी, जयपुर दिनांक 16.01.14 को एक मल्टी जनरल स्टोर जयपुर डेयरी का 45 रुपये प्रति पीस वाला पनीर मात्र 33 रुपये में देने के आरोप की जांच एसीबी में चल रही है। परिवाद संख्या-329/16 विरुद्ध श्री रामसिंह, कर्मचारी और अन्य जयपुर डेयरी, जयपुर द्वारा सरस पार्लर-186, महावीर कैंसर होस्पिटल का अस्थायी टेण्डर 16.8 प्रतिशत की लीज के स्थान पर 12.14 प्रतिशत से अपने रिश्तेदारों को देकर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है इसकी जांच चल रही है। परिवाद संख्या-7/17 विरुद्ध श्री अजयवीर सिंह पूर्व संस्थागत विकास अधिकारी, को-ओपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड सुरेश चौधरी, कार्यकारी निरीक्षक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर संस्थाओं को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाने का आरोप, जिसकी जांच जयपुर शहर प्रथम कर रहा है। परिवाद संख्या-12/17 विरुद्ध एम.डी. चेयरमैन, जयपुर डेयरी व अन्य संदर्भ में अख़बार में शीर्षक डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा था चोरी का दूध पाउडर के संबंध में भी केस दर्ज करके कार्यवाही चल रही है तो हमने हर शिकायत जो हमारे ध्यान में आई, हमने उसके केस दर्ज किये हैं। उसकी जांच हो रही है। विलंब हो रहा है उसको जल्दी करने के लिए प्रयत्न करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद, मंत्री महोदय। नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: आप एक बार बैठ जाएं। एक समय अध्यक्ष महोदय ने तय कर रखा है पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के लिए 295 के बाद का। नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री पूरण मल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, 295 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने के लिए समय दिया...

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण नहीं विशेष उल्लेख होता है, प्राप्त सूचनाएं पढ़ी जाती हैं यहां।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): विशेष उल्लेख। विशेष उल्लेख प्रस्ताव के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन वो रखने से पहले मेरा एक निवेदन है, व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैठ जाएं आप, व्यवस्था का प्रश्न कभी भी जीरो ऑवर में नहीं आता है। फिर भी आप अपनी बात कहें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मेरा मन इसलिए बन पाया माननीय सभापति महोदय,..

श्री सभापति: कि मैं यहां पर बैठा हूं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): कि आप प्रक्रिया के नियमों के बारे में ठीक तरह से काफी बड़ा अनुभव रखते हैं।

श्री सभापति: इसलिए मैंने आपको जानकारी दी है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): और हमारे साथ जो माननीय सदस्यों के साथ, आप भी माननीय सदस्य के रूप में जब विराजमान थे...

श्री सभापति: हां-हां।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): तो देख ही रहे थे कि प्रश्न जो सूचीबद्ध हो गया उसमें भी यहां विधान सभा सचिवालय से, दूसरा हमारे जोगारामजी पटेल साहब का भी और तीसरा मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। माननीय सभापति महोदय, हमने इसमें पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोकते हुए स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के माध्यम से लगाया, कोई बात नहीं ज्यादा थे काटा जा सकता है इनके अधिकार में भी आता है, लेकिन...

श्री सभापति: सुनो, माननीय सदस्य, विराजिये। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सदन के सचिवालय के संबंध में सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। इस संबंध में आपको कोई भी बात कहनी है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म में पधारें और वहां पर अपनी बात कहें इस समय आप अपने नियम 295 के अन्तर्गत पढ़ें, बस।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): +++

(12.46 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय श्री मेवाराम जैन।

पैट्रो केमिकल्स हब की बाड़मेर जिला मुख्यालय के पास स्वीकृति

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत रिफाइनरी के साथ लग रहे पैट्रो केमिकल्स हब बाड़मेर जिला मुख्यालय के पास स्वीकृत करने के संबंध में विशेष उल्लेख।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था वर्तमान सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को तीन वर्ष से लटकाये रखा। आखिर जनता द्वारा लगातार संघर्ष करने के बाद सरकार को रिफाइनरी के लिए पहल करनी पड़ी।

महोदय, खैर जो भी हो देर आए दुरुस्त आए आखिर रिफाइनरी को लेकर उम्मीद बढ़ी है। बाड़मेर में ज्यादातर तेल...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इसको एज इट इज पढ़ें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एज इट इज ही पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति: आप वाला तो मेरे हाथ में हैं न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मेरे ख्याल से फर्क नहीं है। मैं देख कर ही पढ़ रहा हूं। बाड़मेर में ज्यादातर तेल के कुए मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर तथा बायतू एवं गुढ़ामालानी क्षेत्र में हैं। चूंकि रिफाइनरी पचपदरा के पास लग

(श्री मेवाराम जैन)

रही है जो कि जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर है। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा पैट्रो केमिकल्स हब की स्थापना की जा रही है जिसके अन्तर्गत पैट्रोलियम से संबंधित कई उत्पादों के कारखाने लगेंगे जिससे हजारों लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा।

चूंकि जिले में पूरा तेल क्षेत्र बाड़मेर जिला मुख्यालय के आस-पास है अत: आमजन की मांग है कि रिफाइनरी पचपदरा में लगाई जाए लेकिन रिफाइनरी के साथ-साथ जो इण्डस्ट्रियल जोन बनेगा जिसमें पैट्रोलियम से अनेक उत्पाद तैयार होंगे, उक्त जोन बाड़मेर जिला मुख्यालय के पास लगाये जाएं, ताकि यहां के लोगों को इसका फायदा मिले। चूंकि जिला मुख्यालय गुजरात सहित अन्य स्थानों से सीधे राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है।

अत: आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि आमजन की भावना को देखते हुए पैट्रोकेमिकल हब बाड़मेर जिला मुख्यालय के पास स्वीकृत करावें, ताकि यहां के लोगों को भी इससे रोजगार में सहूलियत मिल सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री गोतम कुमार। एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी की जो अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौगात है और इसके लिए मुख्यमंत्री वसुन्धराजी का हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा बार-बार इसके ऊपर प्रतिक्रिया की जाती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करवा ली जाए।

श्री सभापति: वो अध्यक्ष महोदय। बैठिये। माननीय सदस्य, श्री गोतम कुमार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता चाहते हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि रिफाइनरी के लिए वो विधान सभा में बहस करना चाहते हैं तो वैसे आसन को अधिकार है। आप अनुमति प्रदान कर दें तो कल आधे घंटे की चर्चा हो जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आपको मैंने निवेदन किया था पानी, बिजली और रिफाइनरी पर।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): इसकी चर्चा हो जानी चाहिए। आपको तकलीफ कहां है? चर्चा कर रहे हैं न। अभी कहा गया कि आपने तीन साल देरी कर दी।...(व्यवधान)... इस पर फैसला हो जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): रुको आप। मैंने आपसे निवेदन किया बिजली, पानी का।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): सभापति महोदय, आसन को अधिकार है इस पर बहस तो होनी चाहिए आधे घंटे की।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो कल भागना चाहते हो सदन छोड़ कर।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): जनता को गुमराह कर रहे हैं इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने निवेदन किया सभापति महोदय, रिफाइनरी, पानी और बिजली पर चर्चा कराओ न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप जनता को गुमराह करने का काम कर रह हो।

श्री सभापति: एक मिनट माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चर्चा कराओ न। निवेदन कर रहे हैं कि चर्चा कराओ।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हां चर्चा होनी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा रखवा दी जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो भागना चाहते हैं सदन छोड़ कर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, हम प्रतिपक्ष के नेता की बात कब टाल सकते हैं। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले हैं। प्रतिपक्ष के नेता की जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मांग है उसके अनुसार आप आधे घंटे की चर्चा नियत फरमा दें। आधे घंटे की चर्चा कल नियत फरमा दें आप। कल नियत फरमा दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इतनी गर्मी का समय है उसमें आपके पास संसाधन नहीं है कि ट्यूब वैल खराब पडा है, दो महीने तक तैयार नहीं होता। आज पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बताओ न कि रिफाइनरी की चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप रिफाइनरी पर चर्चा नहीं चाहते?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चर्चा चाहते हैं हम।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान)... सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि विपक्ष की बात मानते हुए रिफाइनरी पर चर्चा करनी चाहिये, आप अपनी बात से मुकर रहे हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... हम पानी और बिजली पर भी चर्चा चाहते हैं, पानी और बिजली पर करवाओ न। रिफाइनरी पर करवानी चाहिये, हमारी तो मांग है।

श्री सभापति: इस पर अभी थोडी देर में व्यवस्था दी जायेगी, दोनों पक्षों ने जो अपना विषय रखा है कि रिफाइनरी के विषय पर पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी बात कहना चाहते है इसलिए आधे घंटे की चर्चा इस सदन में कराई जाये, अभी थोडी देर बाद में इस पर व्यवस्था दी जायेगी, 295 खतम होने के बाद। गोतम जी। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री सभापति: बिना अनुमति के जो भी बोला है उसको अंकित नहीं करे। विराजें। गोतम कुमारजी।

बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत बड़ी सादड़ी क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों के संबंध में विशेष उल्लेख की सूचना।

(श्री गोतम कुमार)

सभापति महोदय, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों के क्रमोन्नत होने के पहले लगभग 60 प्रतिशत पद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पड़े थे। वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। विद्यालयों के क्रमोन्नत होने से लगभग व्याख्याताओं के 70 प्रतिशत और वरिष्ठ अध्यापकों के 60 प्रतिशत पद रिक्त हो गये हैं। जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। पिछले सत्र में भी मैंने प्रश्न लगाया था जिसमें विधान सभा क्षेत्र में केवल 20 प्रतिशत व्याख्याता कार्यरत थे फिर भी विद्यालयों में अभी तक भी व्याख्याताओं के 7 प्रतिशत और वरिष्ठ अध्यापकों के 60 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदयजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों के कारण छात्रों की पढ़ाई में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। चूंकि बिना अध्यापक के छात्र पढ़ेंगे तो परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं ला पायेंगे। जिससे सरकारी भर्तियों में भी हमारे क्षेत्र के छात्र पीछे रह जाते हैं, सरकारी नौकरियों में नहीं लग पाते हैं। जिससे हमारे क्षेत्र में शिक्षा एवं हर विभाग में अधिकतर पद रिक्त ही पड़े रहते हैं। इसका मुख्य कारण छात्रों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने का समय 12वीं कक्षा तक होता है जब अध्यापक रूपी मार्गदर्शक बच्चों को नहीं मिल पाता है और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है फिर बच्चे हर क्षेत्र में पीछे जाते हैं। इन सब का मुख्य कारण अध्यापकों के रिक्त पद हैं।

अत: माननीय सभापति महोदयजी के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदयजी को निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में भी कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में काफी पद रिक्त पड़े है, उन पदों को भरवाने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्या श्रीमती द्रोपती।

पीलीबंगा की उप तहसील गोलूवाला में केन्द्रीय बस अड्डे की स्वीकृति

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद। सभापति

(श्रीमती द्रोपती)

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील केन्द्र गोलूवाला में बस अड्डा नहीं होने के कारण आमजन को बहुत परेशानी होती है। उप तहसील गोलूवाला में दो ग्राम पंचायतें हैं, गोलूवाला सिहागान एवं गोलूवाला निवादान, जो आपस में मिली हुई है। उप तहसील केन्द्र पर पुलिस थाना, कृषि उपज मण्डी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाविद्यालय इत्यादि हैं। केन्द्रीय बस अड्डा नहीं होने की वजह से साधन सड़क पर खड़े रहते हैं जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है और जनता में भारी आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करती हूं कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील गोलूवाला में केन्द्रीय बस अड्डा स्वीकृत कर बस अड्डे का निर्माण करवाकर गोलूवाला के आमजन की समस्या का समाधान कर राहत प्रदान करने का श्रम करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, श्री हरिसिंह रावत।

मदारिया में महाराणा कुम्भा के राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत मेवाड़ निर्माता कीर्ति पुरुष महाराणा कुम्भा की पावन स्मृति में उनकी जन्म भूमि मदरिया में राष्ट्रीय स्मारक निर्माण एवं इनकी जन्म शताब्दी राज्य सरकार द्वारा मनाये जाने के संबंध में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि महाराणा कुम्भा का स्थान भारतीय इतिहास गगन में एक भव्य नक्षत्र की भांति है, जहां से वे दिव्य आभा बिखेर रहे हैं। महाराणा कुम्भा एक अप्रतिम योद्धा थे जिन्होंने 56 युद्ध लड़े व एक भी नहीं हारा। न केवल मेवाड़ अपितु अपनी विजयों से राजस्थान की वर्तमान सीमाओं का निर्धारण भी अपनी कृपाण से किया। महाराणा सच्चे अर्थों में मेवाड़ निर्माता थे, जिनके नेतृत्व में कुम्भलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, माण्डलगढ़ जैसे 32 दुर्गों एवं कीर्ति स्तम्भ, कुम्भ श्याम मंदिर एवं रणकपुर जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ। यहां तक कि चित्तौड़गढ़ की सातों पाले एवं मुख्य मार्गों का निर्माण भी कुम्भा ने ही करवाया। उनके शासन काल में कला साहित्य संगीत ने अत्यन्त उच्चता प्राप्त की। वस्तुत: कुम्भा का काल मेवाड़ का स्वर्णिम युग था।

(श्री हरिसिंह रावत)

पुरातत्व विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त महाराणा कुम्भा महल का अन्य ऐतिहासिक महलों की तरह पुन: जीर्णोद्धार कराया जावें एवं राज्य सरकार द्वारा महाराणा कुम्भा की जन्म शताब्दी वर्ष बनाने का निर्णय लिया जावे जिससे कि इस वीर पुरुष की यादें तरो ताजा होती रहे।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त मेवाड़ निर्माता कीर्ति पुरुष महाराणा कुम्भा की पावन स्मृति में उनकी जन्म भूमि मदरिया (देवगढ़) में राष्ट्रीय स्मारक बनाने एवं उनकी जन्म शताब्दी वर्ष बनाने की कृपा करावें, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, श्री हनुमान बेनीवाल।

प्रदूषण से वातावरण व भूमि पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों की लापरवाही से बिना नियम दी जा रही प्रदूषण अनापत्ति तथा प्रदेश में प्रदूषण की वजह से दूषित हो रहे वातावरण तथा बंजर हो रही कृषि भूमि के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश के राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों की लापरवाही से बिना नियम दी जा रही प्रदूषण अनापत्ति तथा प्रदेश में प्रदूषण की वजह से दूषित हो रहे वातावरण तथा बंजर हो रही कृषि भूमि के संबंध में सदन के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में बैठे अधिकारी बिना किसी भौतिक सत्यापन के उद्योगों, खनन कार्यों तथा फैक्ट्रियों को नियंत्रण मण्डल से लिया जाने वाला अनापत्ति पत्र जारी कर देते हैं। जिस वजह से आज प्रदूषण के लिये तय मानकों की पालना प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पर जोधपुर, पाली तथा बाड़मेर के बालोतरा व बगरू तथा सांगानेर सहित प्रदेश के कई उद्योग क्षेत्रों में निकल रहे धुएं तथा केमिकल युक्त पानी से वातावरण दूषित हो रहा है, जिस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और कृषि भूमि भी प्रदेश के कई इलाकों में इन फैक्ट्रियों की वजह से बंजर हो गई है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों द्वारा मोटी रकम ऐंठ कर राज्य के पर्यावरण हित को अनदेखा करते हुए पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ की ओर ध्यान नहीं देने की वजह से राज्य के कई क्षेत्रों में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वो मानव जीवन के साथ-साथ किसानों के हितों के साथ भी खिलवाड़ है।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पदाधिकारी 3 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने और उनका किसी और विभाग में तबादला होने के बाद भी इस मण्डल में बैठे हुए हैं जो सरकार द्वारा उन्हें मिल रहे संरक्षण को दर्शा रहा है। खनन कंपनियों सहित उद्योगों द्वारा उन्हें जिन शर्तों पर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उसका एक विशेष स्वतंत्र आयोग रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित करके जांच करते हुए पर्यावरण को दूषित कर रही इकाइयों को तत्काल बंद करने एवं मनमर्जी से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राज्य के पर्यावरण का संरक्षण करने तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों की संपत्ति की जांच करते हुए प्रदूषण फैला रही इकाइयों को तत्काल बंद कराया जाये और औद्योगिक इकाइयों को घना वृक्षारोपण करके उनका संरक्षण करने के लिये पाबंद किया जाए, धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री दर्शन सिंह।

करौली में वाहनों की नम्बर प्लेटों के निर्माण में निजी फर्म द्वारा अधिक राशि की वसूली

श्री दर्शन सिंह (करौली): प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में वाहनों के नम्बर प्लेटों के निर्माण का ठेका निजी फर्म को दिया हुआ है, जो कि खुले आम विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध रूप से वाहन

(श्री दर्शन सिंह)

मालिकों से निर्धारित दर से अधिक की वसूली की जा रही है, जिससे आम जन में भारी रोष व्याप्त है। इस संबंध में एस.डी.एम., करौली द्वारा भी जांच करवाई गई थी, जिसमें फर्म मालिक व विभागीय अधिकारियों को दोषी भी पाया गया, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि निजी फर्म द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाई जा सके।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंहजी।

जैसलमेर में पशु शिविर चालू व पेयजल की व्यवस्था

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): जैसलमेर जिले के मध्य नजर पशु शिविर चालू करने एवं पेयजल व्यवस्था को सुचारु करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जैसलमेर जिला इस वर्ष भीषण अकाल की चपेट में है, चूंकि पशु बाहुल जिला होने के कारण ज़िले में लाखों की संख्या में गोवंश, भेड़, बकरियां, ऊँट आदि सभी पशु चारे के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जिले के लगभग सभी गाँवों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय टीम भी लम्बे समय पूर्व इस जिले का दौरा कर हालात का जायजा ले चुकी है एवं उस टीम द्वारा भी भीषण अकाल की रिपोर्ट सौंपी गयी है। फसलें नहीं होने के कारण पशुधन विशेषकर गायों के सामने चारे-पानी का संकट है। अकाल की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुए 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, परन्तु अभी तक सरकार की ओर से पशु शिविर खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में सीमा क्षेत्र पर पशुओं के लिए हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। जिले में लंबे समय से पशुधन 'करा रोग' नामक बीमारी से जूझ रहा है। हज़ारों की संख्या में पशुधन इस रोग से मौत को प्राप्त हो चुका है। पशुपालन विभाग के पास इसका न तो कोई समाधान है, न ही इसे रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं। इस वर्ष इन्दिरा नहर में जैसलमेर जिले के लिए पानी बहुत ही कम प्राप्त हुआ था, जिससे नहरी क्षेत्र में भी फसलों की स्थिति कमजोर होने से चारा नहीं हो पाया था। वर्तमान में लंबे समय से नहर में क्लोजर होने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल

(श्री छोटू सिंह)

पा रहा है। कई क्षेत्रों में पशुधन के सामने पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। नहरी अधिकारियों के पास पेयजल व्यवस्था का न तो कोई समाधान है, न ही कोई स्पष्ट रूपरेखा। चारों ओर चारे एवं पानी का संकट उत्पन्न हो गया है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसलमेर जिले में अविलम्ब पशुशिविर खोले जाकर पशु एवं पशुपालकों को राहत प्रदान की जावे एवं नहरी अधिकारियों एवं जलदाय विभाग का संयुक्त तालमेल बैठाकर पशुधन एवं स्थानीय निवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धर्मपालजी चौधरी।

मुण्डावर में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं होना

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

मेरे विधान सभा क्षेत्र, मुण्डावर में देहली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में 42 गाँवों को इसके लिए रिजर्व रखा गया। यह कार्यवाही 2012 में शुरू की गई और उसी समय से भूमि बेचान और भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही बंद कर दी और रीको द्वारा 2015 तक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।

(13.04 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

लेकिन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गयी थी कि हम दो महीने में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वितरित कर देंगे। लेकिन एक साल से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में किसानों में रोष व्याप्त है और किसान किसी भी हद तक जाने की मंशा रखते हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन गाँवों में रजिस्ट्री खोलें व भूमि परिवर्तन की भी छूट दी जावे और अतिशीघ्र मुआवजा वितरण की कार्यवाही करें, जिससे वहां के किसानों को राहत मिल

(श्री धर्मपाल चौधरी)
सके और केंद्र एवं राज्य सरकार की देहली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर योजना को भी पूर्ण किया जा सके, जिससे राजस्थान का विकास हो सके और किसानों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इस मामले को दो साल हो गए और बहुत-से प्रश्न के माध्यम से इस सदन में उठाया और दो-दो मंत्रीजी बैठे हैं, पहले वाले उद्योग मंत्रीजी भी बैठे हैं और नए उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। कोई भी कार्यवाही, दो साल से पूर्ण हो जाए और मुआवजा नहीं मिले। किसान इसके लिए दर-दर भटकें। किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। किसान की अपनी जमीन जिसका बेचान बंद कर दिया। वह वहां पर भूमि का रूपान्तरण नहीं करा सकता। ऐसे में मंत्रीजी यहां पर सदन के अंदर विश्वास दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने जो लिखा हुआ दिया है, उसी को पढ़ें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बार-बार कहने के बाद भी, इस सदन में आश्वासन देने के बाद किसान को भूमि का मुआवजा नहीं मिले और वह किसान दर-दर भटके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया नियमों का पालन करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नियमों का तो पालन करके आ रहे हैं। दो साल हो गए। किसान को वहां पर मुआवजा नहीं मिल रहा। 42 के 42 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): जब मैं वहां जाता हूं तो लोग कहते हैं कि सरकार आपकी है और आप सरकार के माध्यम से मुआवजा नहीं दिला सकते। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय आज इस पवित्र सदन में इसका जवाब दें, जो कि पहले मंत्रीजी ने कहा था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप पुराने सदस्य हैं। आपसे यह उम्मीद की जाती है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साहब, दो साल हो गए।

श्री सभापति: आप इस मामले को अन्य माध्यम से उठाएं। कृपया 295 के नियम का पालन करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि 295 के तहत ही पढ़ना चाहिए। चूंकि सवाल उठाया गया है और माननीय सदस्य ने काफी वेदना प्रकट की है। इसलिए आपकी परमिशन हो तो दो शब्द मैं बोल दूं।

श्री सभापति: हां, बोलें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): यह सही है कि लैंड एक्वीजिशन के बाद में भी अभी तक मुआवजा या लैंड के बदले लैंड, माननीय सदस्य इस बात के लिए काफी चिंतित हैं। मैंने माननीय सदस्य से कल भी निवेदन किया था कि दो-तीन दिन में माननीय सदस्य के साथ बैठकर कि किस प्रकार से वहां पर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए और किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए लैंड के बदले लैंड देने के फार्मूले आधार पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो गढ़ जीत लिया, माननीय सदस्य। मंत्रीजी से 295 में जवाब दिलवा लिया। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता।

श्री सभापति: आप विराजें। श्री हीरालालजी।

मूंडरू ग्राम (श्रीमाधोपुर) में रैगर परिवार की खातेदारी राजपूत परिवार के नाम किया जाना

श्री हीरालाल (निवाई): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव - अनुसूचित जाति, रैगर परिवार की भूमि परस्पर दो खेतों के नये बने खसरों की अल्टा पल्टी के आसरे राजपूत परिवार को खातेदारी देने का मामला ग्राम मूंडरू तहसील, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

उपर्युक्त मामलों में कृपया अवलोकन करावें कि ग्राम मुंडरू के रैगर परिवार की खातेदारी जमीन खसरा नं. 1364/3220 जो कि नवीन पर्चा में 1457/2 रकबा 5.17 बीघा अर्से दराज से गफलत के अनुसार नारायण, कौम रैगर, निवासी- मुंडरू की खातेदारी में खसरा पत्रक/मिलान खसरे में समाहित चली आ रही है, उसे बिल आज्ञा निर्देशों के अपने मूल स्थान से हटाकर नाइक बडे कुडकी में रहे, खेत की जमीन पर उठाकर हेराफेरी की है, जो

(श्री हीरालाल)

अल्टा पल्टी के आसरे से भी सवर्ण जाति राजपूत शिव दयाल सिंह को खातेदारी 2076/रीडेट, दिनांक 03.10.2011 के तत्कालीन एस.डी.ओ. के साथ तहसीलदार एल.आर.के. क्रमांक 258 दिनांक 05.10.2011 के द्वारा बिना रजिस्ट्री के भूमि का अंतरण स्वीकारा है, जो संधारित खेत खसरा पत्रक/मिलान खसरा के व जिलाधीश महोदय, सीकर के क्रमांक/स्थापना/2013/4408 दिनांक 24.10.2013 व राज्य सरकार के नीति निर्देश व प.14(46)राजस्व/ग्रुप-2/07 दिनांक 25.06.2008 के विरूद्ध आदेश से खातेदारी सवर्ण जाति के पक्ष में कायम की है। जो कब्जे अहम् होने से निरस्त योग्य है। न्याय आपके द्वार में दिनांक 27.05.2015 व 18.05.2016 में प्रस्तुत अभ्यावेदन भी अनिर्णित चल रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री निर्मल कुमावत।

जयपुर-अजमेर मार्ग पर स्थित टोल नाकों पर अव्यवस्था व जाम की स्थिति

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर-अजमेर मार्ग पर स्थित टोल नाकों पर अव्यवस्था व जाम की स्थिति के संबंध में निवेदन है कि जयपुर से किशनगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें किशनगढ़ में और बगरू में दो टोल टैक्स नाके स्थित है। मैं बताना चाहूंगा कि शाम के समय तीन घंटे से पहले टोल टैक्स क्रोस नहीं कर सकते। अजमेर से जयपुर आने का समय दो घंटे लगता है जबकि टोल टैक्स क्रास करने का अकेला समय तीन घंटे हैं।

मैंने पूर्व में भी इस विषय को यहां विधान सभा में उठाया था और मुझे जवाब दिया गया था कि सामान्यत: बगरू टोल पर यातायात की जाम की स्थिति नहीं बनती है लेकिन कभी कभी व्यस्ततम यातायात के दबाव के कारण जाम की स्थिति बनती है तो तत्काल अतिरिक्त टोलकर्मी लगाकर जाम की स्थिति को यथासंभव दूर किया जाता है और हस्तचलित टोल मशीन, पूर्ण स्वचालित क्रेन सुविधा इत्यादि का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। यही नहीं आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस होती है या अति विशिष्ट लोग हो या कोई आवश्यक काम हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो तो इसमें कहा गया

(श्री निर्मल कुमावत)

था कि साढ़े चार मीटर चौड़ी लेन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त तत्समय एक लेन और नई बनाने एवं इस टोल नाके की समीक्षा करने की भी बात हुई थी परंतु स्थिति में आज दिन तक कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय मंत्रीजी पधारेंगे, माननीय सदस्य भी हो सकता है कि प्रोटोकोल से पधारेंगे तो हमें शायद व्यवस्था मिल जाएगी परन्तु आम व्यक्ति को कोई व्यवस्था नहीं मिलती और विशेष तौर से जो यात्री गाड़ियां हैं, रोडवेज की बसें हैं, महिलाएं उसमें आती है, बच्चे उसमें आते हैं। तीन-तीन घंटे तक वहां रूकना पड़ता है और न वहां कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, न कोई शौचालय की व्यवस्था है। गर्मी के मौसम में जाम के कारण यात्री धूप में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त टोल पर सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगारामजी पटेल।

लूणी में पुरानी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण तथा नयी सड़कों का निर्माण

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्षों पूर्व बनी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण करने तथा नई सड़कें बनाने के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में राज्य मार्ग, ओडीआर,वीआर की सड़कें जो अनेक वर्षों पूर्व में निर्मित हुई थी, यह सड़कें अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण है एवं पूर्णतया टूट चुकी है, जो पेचवर्क करने योग्य भी नहीं है। जगह-जगह खड्डे हो गए हैं, उस पर आमजन एवं वाहनों का चलना भी दुर्भर हो गया है। ओडीआर-69 सर-धुन्धाडा की सड़क के दोनों तरफ 8 से 10 इंच के खड्डे पड़ गए हैं। ओडीआर 67 बोरानाडा से चिचडली, वीआर धवा से परिहारों की ढाणी, उत्तेसर से भाचरना, सतलाना माधोपुरा से भाकरी, सालावास से शिकारपुरा, भाण्डू बडलिया से सिनली, धवा से दुन्दाडा तथा एआर केरू से सालोडी, एआर से कराणी एवं बनाड से उचियाडा एवं झंवर से मोकलावास अरणा झरणा, धुन्धाड़ा ओडियार

(श्री जोगाराम पटेल)

से उत्तेसर व धवा से मेहलबा मोडाथली, रूपावतों के बेरा से माणकलाव, धवा से राबडिया- लूणावास खारा तक उक्त सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढीकरण व नवीनीकरण करवाना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जोधपुर सालावास, सर, फींच, धुन्धाड़ा, घाणा, किशनगढ,जालौर के मध्य चलने वाले ओडीआर-769 को नया राज्य मार्ग घोषित करने एवं एमडीआर झालामण्ड-गुडा-लालकी को राज्य मार्ग में घोषित करवाना जरूरी है। मेरे क्षेत्र में ग्राम केरू से सालोडी, सिनली से रोहिचा खुर्द धवा से कालीजाज, चिचडली से परिहारों की ढाणी, कालीजाल से फींच, लूणी से धांधिया, सरेचा खेडा से शिकारपुरा, खाराबेरा भीमावता से कलाली सरहद, कडवड से उजलिया सरहद, डोली से देवल होते हुए बासनी सिलावटा, नारनाडी से नन्दवान, झंवर नई नाडी से खुडाला बाजाली, बेरू से महादेव नगर इत्यादि सड़कों का नव निर्माण जनहित में करवाना अति आवश्यक है।

इस अतिसंवेदनशील जनहित व तुरंत आवश्यकता व आमजन के हित के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान की गई उसके लिए आपका आभार। धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन। मैं सूचना देना चाहूंगा। अति आवश्यक घटनाक्रम है। आप अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति: अभी के पर्ची के माध्यम के बाद आप इसको उठाए तो बेहतर रहेगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मैं लगातार १२ बजे से प्रयास कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप कृपया विराजे। पर्ची पर जब चर्चा हो जाए उसके बाद आप इस मामले को उठा दीजिएगा।

पर्ची के माध्यम से, गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय....

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपात विषय है, मैं चाहूंगा....

श्री सभापति: आप कह दीजिए, क्या कह रहे हैं।

सूचना

झज्जू (कोलायत) की बलात्कार पीड़िता के परिजन को पुलिस द्वारा प्रताड़ना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, बीकानेर जिले के, मेरे विधान सभा क्षेत्र की +++ नाम की बालिका है, उसके साथ पिछलों दिनों पुखराज सेवक के द्वारा बलात्कार किया गया। उस बलात्कारी ने अपने आपको बचाने के लिए उस बालिका के पिता पर एक असत्य मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उस बालिका को न्याय देने के बजाय उसके पिता पर असत्य मुकदमा करके उसके पिता को थाने में बिठा लिया। जिससे आहत होकर बालिका +++ और उसकी मां, सुबह से मां और बेटी दोनों कोलायत थाना क्षेत्र के झज्जू गांव में टावर पर चढ़ी हुई हैं। करीब पाँच हजार लोग वहां सुबह से एकत्रित हो गए हैं।

(13.15 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का, गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तर के प्रशासन और पुलिस के अधिकारी है उनको वहां भेजकर मां और बलात्कार से पीड़ित बेटी है, बालिका +++ को न्याय दिलवाने के लिए तत्काल कार्यवाही करें

श्री सभापति: धन्यवाद। नालेज में, बात हो गई, धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): हजारों लोग वहां सुबह से खड़े हैं। जिला स्तर के प्रशासन, पुलिस के कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से करबद्ध अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करवाए। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य द्वारा जो विषय सदन की जानकारी में लाया गया है मैं कुछ ही समय में सारी रिपोर्ट लेकर सदन के सामने रख दूंगा।

कोटड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर तेजाब डालकर हमला

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इस संबंध में एक हमारी भी छोटी सी इन्फोरमेशन है। महत्वूर्ण है,महिला का मामला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की

(श्री धीरज गुर्जर)

कोटड़ी तहसील के अंदर एक आंगनबाड़ी कार्यकता पिंकी कवर है, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, वह 60 परसेंट तक झुलस गई है। करणी सेना और समाज ने एक ज्ञापन दिया था कल समय पूरा होने वाला है, एसपी का, पूरे जिले में आंदोलन हो इससे पहले हमारा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जो अपराधी है वह सामने आ जाए। अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई कि उसके ऊपर किसने तेजाब डाला। पिंकी कवर के ऊपर हमला हुआ है, वह 60 परसेंट झुलस गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। सरकार की जानकारी में आए। तत्काल कार्यवाही कराए।

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से उठाए गए विषय। माननीय सदस्य, गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस की जानकारी में है। मेरी बातचीत हो चुकी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): गृहमंत्रीजी, धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सरकार द्वारा खासा कोठी व आनन्द भवन का निजी हित में बेचान

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने इसी सत्र में एक क्वेश्चन लगाया था 665/277, जिसका जवाब सरकार की तरफ 22.03.2017 को आया। मेरा क्वेश्चन यह था कि क्या सरकार आरटीडीसी में, खासाकोठी और आनन्द भवन सहित, जो दोनो कॉरपोरेशन के अन्तर्गत है। होटल कॉरपोरेशन में और बाकी आरटीडीसी में, 72 ऐसी इकाइयां हैं, क्या इनको सरकार बेचने जा रही है । सरकार का जवाब आया था कि जी हां, हम घाटे का सौदा होने के कारण से खासाकोठी और आनन्द भवन उदयपुर को बेचने का, डिस्इन्वेस्टमेंट करने का, पीपीपी मोड पर देने का विचार रखते हैं और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिसम्पत्तियां कोई आज की नहीं है। खासाकोठी और आनन्द भवन हमारी हैरीटेज प्रोपर्टी है। खासाकोठी 150...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: गोविन्दजी, एक सैकिण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): सभापति महोदय, माननीय सदस्य खुद कह रहे हैं, इसी सत्र के अंदर उन्होंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सारी जानकारी चाही। आज पर्ची के माध्यम से उसी विषय को दुबारा उठा रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, नियमों के नियम 121/7 में लिखा है, ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने चूंकि खुद ही कह दिया ना कि तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार के सामने इन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने उत्तर दे दिया। अब उसी विषय पर दुबारा चर्चा अनुमत करना मैं समझता हूं कि एक अच्छी परम्परा नहीं होगी। मैं कोई टोकना नहीं चाहता हूं। सरकार जवाब देने के लिए सक्षम है। सरकार जवाब दे देगी। सभापति महोदय, पर यह नई परम्परा प्रारम्भ हो जाएगी। नियमों की अवहेलना हो जाएगी इसलिए मैंने आपके संज्ञान में सारी बात लाई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापतिजी, एक मिनट। माननीय सभापतिजी, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी का जवाब भली भांति दूंगा। चेयर को संतुष्ट करूंगा। संतुष्ट होंगे और अनुमति दोगे तो मैं रखूंगा।

मैंने जो क्वेश्चन लगाया था उसमें कहीं भी यह नहीं है कि हमने 02 मार्च, 2017 को इन दोनों को टेंडर कर दिया है। ई-टेंडरिंग के माध्यम से।

कहीं भी यह नहीं है कि यह बोली 12 अप्रैल को, जो दो कम्पनियां आयीं, उनका निरस्त कर दिया गया है। कहीं भी यह नहीं है कि चार कम्पनियों को, जो विदेशी कम्पनियां हैं, उनको बाला-बाला चिट्ठी लिख दी गई है। यह सारे तथ्य बाद के हैं और सरकार गुपचुप में डेढ सौ साल पुरानी हमारी खासा कोठी और सौ साल पुराने हमारे आनन्द भवन को प्राइवेट कम्पनियों को, विदेशी कम्पनियों को बेचना चाह रही है। यह मुद्दा पहले सदन में नहीं आया है और आज पहली बार आ रहा है। इसलिये मुझे अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, यह खासा कोठी डेढ सौ साल पुरानी है। साढे चौदह बीघा जमीन है और आज से 15 साल पहले एक बार इसकी बोली लगी थी तो एक हजार करोड़ रुपये की बोली एक फाइव स्टार चलाने वाले व्यक्ति ने लगाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दस हजार करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है और इतनी ही आनन्द भवन, उदयपुर की प्रॉपर्टी है।

माननीय सभापति महोदय, ये पांच परिसम्पत्तियां थीं। जयपुर की खासा कोठी, जोधपुर का सर्किट हाऊस, बीकानेर का सर्किट हाऊस, उदयपुर का आनन्द भवन और सिलीसेढ़, अलवर। ये पांचों, 1965 में होटल कॉरपोरेशन बना, उसको दे दी गयीं। लेकिन समय-समय पर तीन को तो सरकार ने वापस ले लिया, सामान्य प्रशासन विभाग में आ गयीं। लेकिन दो प्रॉपर्टीज, जो खासा कोठी हमारे जयपुर में अवस्थित है, हमारी हैरिटेज प्रॉपर्टी है और आनन्द भवन जो उदयपुर में है, उन दोनों को अभी तक होटल कॉरपोरेशन के तहत संचालित किया जा रहा है।

सरकार यह कह रही है, मैं निवेदन करूं, कि इसमें घाटा हो रहा है। आर.टी.डी.सी. के तहत 72 इकाइयां संचालित थीं, जिनमें से 34 घाटे में हैं। ये दोनों इतने घाटे में नहीं हैं। जितना ये घाटा बता रहे हैं, वे घाटे में नहीं हैं। केवल मात्र बाला-बाला लाभ पहुंचाने के लिये। इनके घाटे की स्थिति भी बता दूं। माननीय सभापति महोदय, 2011 में खासा कोठी 18.12 लाख रुपये के लाभ में थी। 2013-14 में 2.36 लाख रुपये हानि में गई थी। 2015-16 में कुल 23.66 लाख हानि में रही। यानी इससे ज्यादा नहीं रही। आनन्द भवन 2011-12 में 46 हजार रुपये हानि में थी। 2013-14 में 71.57 लाख रुपये हानि में रही और 2015-16 में प्रोविजनल भी 59.14 लाख रुपये की हानि में रही।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 2013-14 के बजट में खासा कोठी को घाटे से उबारने के लिये, ठीक करने के लिये दस करोड़ रुपये बजट घोषणा के माध्यम से खासा कोठी को दिये थे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होटल कॉरपोरेशन भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसके शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर, खासा कोठी और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आनन्द भवन की जो पॉपर्टी कम्पनी अधिनियम के तहत होटल निगम के पास में है, उसके महामहिम राज्यपाल महोदय शेयर होल्डर हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय जब शेयर होल्डर हैं तो सरकार उनको कैसे दे सकती है। सरकार की अनुमति भी नहीं है। क्या इन प्रॉपर्टीज को बेचने के लिये, डिस्इन्वेस्ट करने के लिये सरकार की अनुमति ली गई। क्या महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी कि इनको आप बेच दीजिये।

गुपचुप में इन्होंने क्या किया। माननीय सभापति महोदय, पहले 21 मार्च, 2017 को ई-टेंडरिंग की है। उसके साथ में एक चिट्ठी जारी की, ये कोई ओ.एम. राजोतिया हैं, कार्यकारी निदेशक, वित्त, प्रशासन हैं। इन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग के साथ-साथ में दो वेब-साइट्स पर और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार-पत्र, जिसकी न्यूनतम पचास हजार प्रतियां वितरित की जाती हों, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका को प्राथमिकता प्रदान करें। ये तीन पाइण्ट देकर इन्होंने कहा कि इनका विज्ञापन समाचार-पत्रों के माध्यम से भी करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने जो दिया है, वह दिया है, इनका देखिये आप, एक कंचन केसरी और समाचार जगत। दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन नहीं दिया। पचास हजार की कॉपी डेली जिस समाचार पत्र की बिकनी चाहिए, उल्टा यह हुआ कि चार कम्पनियों को, वेब-साइट पर यह लोड करने के बाद में, ई-टेंडरिंग के बाद में चार विदेशी कम्पनियों को बाला-बाला चिट्ठी लिखी गई कि आप आइये और आप इसको खरीदिये, डिस्इन्वेस्टमेंट कीजिये, पैसे लगाइये और प्रॉपर्टीज को ले लीजिये। कार्यकारी निदेशक ने साइन करने से मना कर दिया, ये ओ.एम. राजोतिया। इसको 06.04.2017 को वहां से हटा दिया। माननीय सभापति महोदय, इस विभाग में 13 आई.ए.एस. अधिकारियों को हटा दिया गया। अब जो वर्तमान में एन.सी. गोयल, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनके अलावा पहले 13 को हटा दिया। केवल मात्र इसलिये कि ये प्रॉपर्टीज विदेशी कम्पनियों को किस तरीके से दी जा सकें।

यह काफी दिन से चल रहा था, लेकिन अब सरकार की मंशा साफ आई है। 12 तारीख को जब टेंडर हो रहे थे तो केवल दो कम्पनियां इनके पास में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आई हैं। दो कम्पनियां आईं तो उन दो कम्पनियों को के.पी.एम.पी. और सी.बी.आर.ई. साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, चूंकि इनकी मनमाफिक कम्पनियां नहीं आईं, वे विदेशी कम्पनियां जो ये बुलाना चाह रहे थे, वे नहीं आईं इसलिये इन्होंने तकनीकी आधार पर इनकी बिड को निरस्त कर दिया, इनके टेंडर को निरस्त कर दिया।

अब दुबारा, आप एक नमूना देखिये, कितनी विजिलेंट है यह सरकार प्रॉपर्टीज बेचने में, हमारी हैरिटेज प्रॉपर्टी बेचने में। 12 तारीख को टेण्डर निरस्त होते हैं और 12 तारीख को ही, 12 अप्रैल, 2017 को ही दुबारा 28.04.2017 को दुबारा ई-टेण्डर खोलने के लिये उसी दिन दुबारा वेब-साइट पर लोड कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं। अगर यह सरकार इतनी विजिलेंट है, 12 तारीख को टेण्डर निरस्त होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने पहले से तय कर रखा था कि इन कम्पनियों को हमको नहीं देना है। 12 तारीख को इनके टेण्डर निरस्त करने हैं। 12 तारीख को ही दूसरे टेण्डर करने हैं। 12 तारीख को दुबारा टेण्डर करके 28 तारीख को अपनी वे चहेती कम्पनियां, जिनको इन्होंने अलग से चिट्ठियां भेजी हैं। चार कम्पनियां, उनके भी मैं नाम बताना चाहूंगा। एक तो न्यूयार्क की कम्पनी है डेलोइट, एक नीदरलैण्ड्स की कम्पनी है के.पी.एम.जी., एक न्यूयार्क की कम्पनी है प्राइसवाटरहाउसकूपर्स, एक लन्दन की कम्पनी है अर्नेस्ट एण्ड यंग कम्पनी।

आप बताइये, माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से कोई ज्यादा घाटे में नहीं रही। थोड़ी-थोड़ी तो सारी रही हैं। जब आर.टी.डी.सी. की होटल्स भी 72 में से 34 घाटे में हैं, 20 बंद हो गये तो खासा कोठी ने, आनन्द भवन, ऐसा क्या कर दिया। जो हमारा नाक है खासा कोठी, पूरे प्रदेश की और आनन्द भवन धरती के ऊपर स्वर्ग जैसा हमारा स्थान है, हमारी हैरिटेज प्रॉपर्टी है। उसको ये विदेशी कम्पनियों को, इतनी क्या आफत आ गई मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि ये क्यों इनको देना चाहते हैं। यह खासा कोठी वह है, ... (व्यवधान) ... नहीं, ऐसा नहीं, जब मैं पर्ची के माध्यम से बोल रहा हूं, मेरी बात, मेरा पूरा विषय रखूंगा।

राजमाता गायत्री देवी सबसे पहले शादी करके इसमें आयी थीं। राजस्थान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

का सबसे पहले टेलीफोन इसमें लगा था। ये राजाओं-महाराजाओं ने प्रॉपर्टी बनाई थी। आपने और हमने नहीं बनाई। ऐसी हैरिटेज प्रॉपर्टीज को ये जबरदस्ती बेचना चाहते हैं, देना चाहते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी, जो इनके खिलाफ बोले, जो ये कहें, वे साइन नहीं करें, उनको हटाये जा रहे हैं और सरकार इतनी विजिलेंट हो गई कि उसी दिन निरस्त हो रहे हैं। ये किसकी अनुमति से हो रहे हैं। आप मेरे को बताइये। किससे अनुमति ली? 12 तारीख को टेण्डर निरस्त हो रहे हैं और 12 तारीख को दुबारा बिड लग रही है। यह ऐसी विजिलेंट सरकार हमने तो जिन्दगी में कभी नहीं देखी। आप कैसे कर रहे हैं। 13-13 आई.ए.एस. अधिकारियों को हटा रहे हैं।

इसलिये ये हैरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, माननीय सभापति महोदय, सरकार को ये नहीं बेचनी चाहिए। इन्होंने एग्री किया है कि हां, हम डिस्इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप डिस्इन्वेस्टमेंट किस आधार पर कर रहे हो। जब महामहिम राज्यपाल महोदय शेयर होल्डर हैं, वे प्रॉपर्टी आपको कैसे, सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी। बाला-बाला टेलिफोनिक सिस्टम चल रहा है। सरकार की मूक जुबानी सहमति है। सरकार उन विदेशी कम्पनियों को, जिनसे सरकार का सौदा हो जायेगा, उनको इस खासा कोठी और आनन्द भवन को बेचना चाहती है, औने-पौने दामों में देना चाहती है।

आप खासा कोठी का महत्व समझ सकते हैं। वहां की कालीन कितनी शानदार थी। चोरी हो गई, कोई बात नहीं। अब हो गई, हो गई। नहीं पकड़ पाये, हम सब नहीं पकड़ पाये। इसका कोई इलाज नहीं है, चोरों का। लेकिन उसकी कालीन भी इतनी कीमती है कि चोर चुरा करके ले गये। तो आप समझ सकते हैं कि खासा कोठी हमारे लिये कितनी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इस प्रदेश की जनता के लिये। महाराजा रामसिंहजी ने इसको बनाया था।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खासा कोठी, आनन्द भवन, ये प्रॉपर्टीज हमारी हैरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, माननीय राठौड़ साहब, और आप तो राठौड़ हैं, आपको पता है।

श्री सभापति: इधर-इधर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हैरिटेज को तो आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन देने वाले हैं।

इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आज जवाब दे, सरकार यह कहे, यह कमिटमेंट करे कि नहीं, हम हमारे प्रदेश की हैरिटेज प्रॉपर्टीज खासा कोठी और आनन्द भवन, उदयपुर का डिस्इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप नहीं दे सकते माननीय सभापति महोदय, पी.पी.पी. मोड पर नहीं दे सकते, डिस्इंवेस्टमेंट नहीं कर सकते।

सरकार का जवाब देखिए, माननीय सभापति महोदय, कि यह घाटे का सौदा है इसलिए इसको एक बढ़िया व्यक्ति को बेच दी जाए तो वह होटल बढ़िया बना लेगा। यह जवाब है सरकार का। शर्म से डूब कर मरना चाहिए ऐसी सरकार को। क्या आप बिजनिस करने के लिए 163 और 160 का आपको जनादेश दिया था? आपको बिजनिस करने के लिए नहीं दिया। आपको प्रोपर्टी, आप ट्रस्टी हैं, सरकार हमेशा ट्रस्टी होती है। प्रदेश की जनता की जो गाड़ी कमाई और जो प्रोपर्टी हमारी सम्पदा है प्रदेश की, उसकी रखवाली के लिए बैठाया है। आप जेल भी बेच रहे हैं, यह भी बेच रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या बेच देंगे? यह चलने वाला नहीं है। आज चले या न चले, हम इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। 65 कर्मचारी हैं, कहां जाएंगे? कर्मचारियों ने आंदोलन किया, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।

मैं जवाब चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उन चार विदेशी कम्पनियों को चिट्ठी किसकी हैसियत से लिखी? किसने इसका निर्णय किया कि डिस्इंवेस्टमेंट किया जाएगा? कौन निर्णय करने वाली अथोरिटी है? इस कार्यकारी निदेशक को जब साइन मनमर्जी से नहीं किये तो इसको हटाया गया। इसका क्या दोष है? 13-13 आई.ए.एस. को इस विभाग में लगा दिया।

श्री सभापति: हो गया, हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और जब साइन नहीं किये और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बेचने पर, मनमर्जी कम्पनी को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको हटा दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब एन.सी. गोयल तैयार हो गये तो इनको तीनों, फोरेस्ट भी दे दिया, खान भी दे दिया और यह पर्यटन भी दे दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद-धन्यवाद, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतने महत्वपूर्ण विभाग किस बात के लिए दे दिये इसलिए आप मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और यह हमें, सदन को आश्वस्त कीजिए कि हम नहीं बेचेंगे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन की उदारता का लाभ लेकर ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको पता है क्या केन्द्र सरकार का है? क्या-क्या दे रखा है केन्द्र सरकार ने आपको? मंत्री पद तो चला गया और अब फिर बीच में बोल रहे हो।

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। बिना आसन की अनुमति से जो भी बोलता है, उसको रिकार्ड नहीं किया जाए और कृपया सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बैठे-बैठे एक दूसरे पर कमेंट्स नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन की उदारता का फायदा उठाकर लक्ष्मणगढ़ से आने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाले माननीय सदस्य ने नियमों के विपरीत पर्ची के माध्यम से एक विषय सदन में रखा है।

माननीय सभापति महोदय, बिना विषय के विषय को बनाना और फिर उसको हवा में उछाल देना और फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करना, मैं समझता हूं ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। माननीय सदस्य, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप बीच में नहीं बोले। नहीं वह अपनी बात कहेंगे, आपने अपनी बात कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सदन का समय जाया करने के अलावा कुछ नहीं है। माननीय सदस्य ने यहां पर इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न करने की कोशिश की कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की बहुमूल्य हेरिटेज होटल्स को बेच रही है। माननीय सभापति महोदय, सवाल के जवाब में सारी मंशा सरकार ने स्पष्टता से पहले कह दी। सवाल के जवाब में इनको स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया, बता दिया गया था कि जो हमारा राजस्थान होटल, राज्य होटल निगम है, जिसके अंदर आज के समय में दो होटल चल रहे हैं, खासा कोठी और आनंद भवन, दोनों के अंदर माननीय सभापति महोदय, अभी 2015-16 के अंदर जो घाटा है प्रोविजनल, वह है 915 लाख, 2014-15 में 856 लाख, 2013-14 में 730 लाख, 2012-13 में 658 और 2011-12 में जिसमें इन्होंने कहा कि बड़ा लाभ था, उसमें भी 567 लाख का घाटा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको दो बार रिक्वेस्ट की, आपका कोई रिकार्ड नहीं किया जाए। माननीय सदस्य, प्लीज आप विराजिए। आप विराजिए। ....(व्यवधान).... How do you asses it is 'Satya' or 'Asatya'? Please sit down. मैं पूरा रिजेक्ट कर दूंगा। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: बैठ जाइए। आप रखिए अपने पास रिकार्ड है तो। आप रिकार्ड अपने पास रखिए। बैठ जाइए। बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का होटल व्यवसाय प्राथमिकता नहीं हो सकती। समय बदला है, प्रतिस्पर्धाएं बदली हैं। होटल व्यवसाय में बड़ी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह होटल खासा कोठी और आनंद भवन, निश्चित तौर पर हेरिटेज होटल है और राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय भी कर रखा है कि इनका हेरिटेज स्वरूप बिलकुल बरकरार रहेगा। अब यह होटल किस प्रकार संचालित हो, इन होटलों में अधिक से अधिक लोग आकर उस हमारी परिसम्पदा में किस प्रकार उसको देखे, उसके इतिहास के बारे में जाने, यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसके लिए सिर्फ जो आपने कहा कि टेंडर कर दिया आपने, आपने अभी तारीख भी बताई कि आपने 21 मार्च, 2017 को टेंडर किया और फिर उसको कैंसिल किया। फिर 12.04.2017 को फिर टेंडर किया। यह टोटल टेंडर किये गये हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं पर कंसल्टेंसी के लिए किये गये हैं।

कंसल्टेंसी मतलब, माननीय सभापति महोदय, इन सम्पत्तियों का संचालन किस प्रकार हम जन सहभागिता के आधार पर पी.पी.पी. मोड पर करें, इन सम्पत्तियों पर पी.पी.पी. मोड के अलावा और कौन-कौनसे प्रस्ताव सरकार के सम्मुख विचारार्थ आए। सिर्फ इसीलिए कि इन्होंने जिन फर्म का नाम लिया, इन्होंने कहा कि चार फर्म ऐसी है, जो विदेश में है। इसमें से कोई भी फर्म ऐसी नहीं है जो विदेश में है। सबका मुख्यालय देहली में है। पर यह प्राइस वाटर हाउस कूपर्स आप नाम सुनते हो, के.पी.एम.एल. यह देहली में है, ई. एंड वाई. और पी.डब्ल्यू.सी., आज भारत सरकार की कंसल्टेंसी में यह कम्पनियां प्रमुखता से कंसल्टेंसी देती हैं। सिर्फ ई-मेल इनको भेजा गया, यह मैं स्वीकार करता हूं और ई-मेल इसलिए भेजा गया कि यह प्रमुख कम्पनियां इससे अनभिज्ञ नहीं रह जाए।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो अब जब तक, मैं सदन में यह उत्तर दे रहा हूं जिम्मेदारी से दे रहा हूं, किसी भी, दोनों सम्पत्ति में से किसी भी सम्पत्ति को बेचने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। सरकार वह सारे सुझाव और वह सारे रास्ते देखना चाहती है कि इन सम्पत्तियों का संचालन हम किस प्रकार करें। सिवाय कंसल्टेंसी के टेंडर का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई टेंडर हुआ नहीं। आप कहें तो माननीय सभापति महोदय, यह जो टेंडर हुआ है राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड नोटिस इन्वाइटिंग फॉर ई-टेंडर, ई-टेंडर के माध्यम से हुआ है, माननीय सभापति महोदय, और Request for proposal for selection of transaction advisor, ट्रांजेक्शन एडवाइजर, उसके सलेक्शन के लिए अगर सरकार कोई टेंडर करे और वह भी ई-टेंडर करे और उसके बाद माननीय सदस्य उसको इस प्रकार की बात करें कि हमने न जाने क्या कह दिया।

आपने कहा कि उस होटल को कुछ कारपोरेशन है, इस होटल को बेचने का, डिस्इंवेस्टमेंट करने का या कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं। कारपोरेशन है। सरकार, गवर्नमेंट ओन्ड कारपोरेशन है। इसके प्रक्योरमेंट और इसकी कंसल्टेंसी के टेंडर का और वह सब करने का अधिकार इसके सी.एम.डी. को है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं कहे जिस बात का कोई नतीजा नहीं हो और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को कि अब तब जो कुछ भी टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है निश्चित तौर पर इसमें भारत की ख्यातनाम कसल्टेंसी देने वाली उन कम्पनियों को भी हमने यह कहा है कि हमने ई-टेंडर डाला है। इतनी तारीख को डाला है। यह नहीं कि हमने उनको कह दिया कि आप आकर ले लो। ई-टेंडर तो ई-टेंडर है, कोई भी भाग ले सकता है। इस कंसल्टेंसी के बाद में किस प्रकार पी.पी.पी. मोड पर हम इन दोनों होटल को अच्छी तरह से संचालित कर पाये, सवाल इस बात का है और उसकी संभावना तलाश करने के लिए हमने यह कार्यवाही की है। न बेचने की बात है, न कोई और बात है और जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, मैं समझता हूं कि तथ्यों के विपरीत कहा।

आपने माननीय सभापति महोदय, इनको अनुमति दे दी। इन्होंने वह सारी बातें जो इन्होंने तारांकित प्रश्न किया था, जो 22 मार्च को लगा, उसकी बातें जो थीं उन बातों को तोड़-मरोड़कर, निश्चित तौर पर माननीय सभापति महोदय, जब कंसल्टेंसी हम ले रहे हैं तो कंसल्टेंसी वाला हमें यही कहेगा कि पी.पी.पी. मोड पर करो। पी.पी.पी. मोड पर फायदा नहीं होगा तो दूसरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुझाव भी देगा कि इस पर डिस्इंवेस्टमेंट की तरफ जाओ। दूसरे के अलावा तीसरा सुझाव भी दे सकता है। तो हम सुझाव आमंत्रित करने के लिए उन ख्यातनाम लोगों को ले रहे हैं।

इसलिए यह सारी बातें निराधार है। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये वह तथ्यहीन है। मैं इन सारी बातों का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भागीरथजी चौधरी। नो। इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ....(व्यवधान)....

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार दिया, एक मिनट आप विराजें। आप कह देना, मैंने नाम पुकार दिया। भागीरथजी के बाद। आप विराजिए न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

मदनगंज, किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं मंत्रीजी से कि मेरे राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय मदनगंज, किशनगढ़ में सिटी स्कैन मशीन की स्थापना हेतु सक्षम वित्तीय स्वीकृति हेतु लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राशि आगामी बजट सत्र 2017-18 में विभागीय कार्य योजना में जारी कराने बाबत निवेदन है।....(व्यवधान)....

सदन कूप में

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व शोरगुल)

माननीय सभापति महोदय, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं इसलिए यह सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पर्ची के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकती, यह व्यवस्था है। ....(व्यवधान)....

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, अब यह बौखला रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, यह खाली अख़बार में छपवाने के लिए इस प्रकार के प्रॉपेगेन्डा करते हैं। इनको अख़बार में छपने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। जनता से जुड़े हुए विषय पर कभी चर्चा नहीं करते विपक्ष के लोग। रिफाइनरी पर बात करने की बात कही तब तो आप लोग पीछे हट गये। ....(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पर्ची के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकती।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश को लूट लिया विपक्ष ने तो। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इन्होंने पर्ची के माध्यम से चर्चा की है। अभी आपने वाद-विवाद प्रारंभ करवाया है क्या? ....(व्यवधान)....

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शो-शराबा)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, प्रदेश को लूट लिया इन्होंने। ...(व्यवधान).... यह चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती से। ...(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इसी सत्र में व्यवस्था दी गयी थी कि पर्ची के माध्यम से वाद-विवाद नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे किशनगढ़ में ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, पूरे सदन को एक आदमी ने हाईजैक किया हुआ है। सदन में मंत्रीजी अपना जवाब देना चाहते हैं, और भी बात है। मतलब बिलकुल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तथ्यहीन बात करते हैं। चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना चाहते हो आप। ....(व्यवधान).... नहीं बोलेंगे यह। नो-नो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, इन्होंने प्रदेश को लूटा, इसलिये इनको यह चिन्ता है। ...(व्यवधान)... इन्होंने इस प्रदेश का भट्टा बिठा दिया और अब जबर्दस्ती चिल्ला रहे हैं। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शोर-शराबा)

श्री सभापति: भागीरथजी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। भागीरथजी, आप बोलें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इस प्रदेश की क्या स्थिति कर दी आपने। सभापति महोदय, कांग्रेसियों ने इस प्रदेश का और देश का भट्टा बिठा दिया और अब जबर्दस्ती से चिल्ला रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे यहां हास्पिटल में सी.टी.स्कैन की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि मेरे शहर की जनसंख्या 2 लाख से ऊपर है। अभी मंत्री महोदयजी से मैंने निवेदन किया था। इन्होंने कहा कि कई जिला मुख्यालयों पर सी.टी.स्कैन मशीनें नहीं है। परन्तु मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मेरे किशनगढ़ शहर की जनसंख्या 22 जिला मुख्यालयों से अधिक है और साढ़े पांच लाख की जनसंख्या मेरे उपखण्ड क्षेत्र में है। जो वहां यज्ञनारायण चिकित्सालय है, जहां पर 200 बैड उपलब्ध है, किशनगढ़ के आस-पास स्थित नागौर जिले के परबतसर उपखण्ड, जयपुर जिले के दूदू उपखण्ड एवं टोंक जिले के मालपुरा उपखण्ड के कई गांवों की आबादी को भी यह चिकित्सालय कई वर्षों से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां पर प्रतिदिन 1500 से 1700 ओ.पी.डी. एवं 70 से 75 इंडोर रोगी उपचार हेतु आते रहते हैं। इस चिकित्सालय में 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ ट्रोमा सेंटर, ब्लड बैंक सेवाएं, सोनोग्राफी, एक्स-रे मशीन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं और ओ.पी.डी. में लगभग 70 से 75 प्रकार की प्रयोगशाला और जांचें आमजन को उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शोर-शराबा)

(श्री भागीरथ चौधरी)

सभापति महोदय, मेरा किशनगढ़ औद्योगिक नगरी होने के कारण यह राज्य के मेनचेस्टर के रूप में जाना-पहचाना जा रहा है। यह मार्बल नगरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित है। यही से अहमदाबाद तक नवीन सिक्स लेन राजमार्ग हनुमानगढ़ तक मेगा हाइवे और किशनगढ़-ब्यावर सिक्स लेन होते हुए अहमदाबाद तक हाइवे मार्ग जाता है। यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बांदरसिंदरी ग्राम में स्थापित है। इस प्रकार किशनगढ़ के चारों तरफ राजमार्गों एवं राज्यमार्गों, ग्रामीण सड़कों पर दिन-प्रतिदिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सभापति महोदय, मेरे मार्बल एरिया में भी काफी दुर्घटनाओं के केसेज ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह सात आदमी हैं, प्रतिपक्ष के हालात देखो। मुझे तो दया आ रही है, प्रतिपक्ष के नेता। सात आदमी, सिर्फ सात आदमी। उत्तर प्रदेश में भी सात और यहां भी सात। ...(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के चुनाव से इन्होंने कोई नसीहत नहीं ली और धौलपुर में इनकी दुर्गति हुई है। अब तो शर्म करो। कहां तो 403 में से सात सीटें और अब की बार यही हिसाब रहा, तो यहां पर भी आप लोगों की जमानतें जब्त होंगी आप लोगों की। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप पांच ही आओगे। आप पांच ही आओगे फिर। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: भागीरथजी, अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। ...(व्यवधान)... जनता के हित की बात सदन में करते नहीं ह। बिना मुद्दे के, बिना तथ्यों के बात करते हो आप लोग। जनता ने आपको यहां चुनकर भेजा है, जनता उस बात के लिये बड़ी शर्मिन्दा है कि इन 21 लोगों को चुनकर क्यों भेजा हमने। कभी उनकी बात आप लोग सदन में नहीं करते। बिना तथ्य की बात करते रहते हो। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह हमारे राजस्थान का पूरा खजाना लूटकर चले गये इनकी नेता।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शोर-शराबा)

एक माननीय सदस्य: यहां वैल में कांग्रेस वाले सात हैं, अब की बात इनकी सात ही सीटें आयेंगी। ...(व्यवधान)....

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, यह लुटेरे हैं। इन्होंने हमारे इस जयपुर शहर से खजाना लूट-लूटकर चले गये यह दिल्ली। इनकी नेता थी, हमारे यहां से खजाना लूटकर लेकर गये हैं। मोती डूंगरी से पूरा खजाना लूटकर लेकर चले गये। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। पूरे प्रदेश को आपने लूट लिया।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में एक सी.टी.स्कैन मशीन की स्थापना की सक्षम स्वीकृति प्रदान करावें।

सभापति महोदय, यह लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। यह मोतीडूंगरी से पूरा खजाना लूटकर चले गये। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ में वर्तमान में 200 शय्याओंयुक्त राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय संचालित है। चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों, स्टॉफ और संसाधनों के माध्यम से मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उस चिकित्सालय में मरीजों के लिये आउट-डोर, इन-डोर, प्रसव, आपातकालीन सेवाएं, नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। उक्त चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर संचालित है, जिसके माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। ब्लड बैंक, एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। सी.टी.स्कैन मशीन अभी उपलब्ध नहीं है। उक्त चिकित्सालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कालेज, सम्बद्ध जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर में सी.टी.स्कैन मशीन उपलब्ध है।

आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय एवं मानव संसाधन की उपलब्धता होने पर उक्त चिकित्सालय में सी.टी.स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने हेतु विचार किया जाएगा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शोर-शराबा)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री कैलाशजी चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, यह मोतीडूंगरी से पूरा धन लूटकर ले गये, उसका हिसाब चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 403 सीटें उत्तर प्रदेश की, उसमें से सात आयी हैं, शर्म करो और +++ ...(व्यवधान)... धौलपुर में 40 हजार से हारे हो, और फिर अब लोकतंत्र की दुहाई देते हो। जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मोतीडूंगरी से खजाना लूटकर लेकर चले गये। मोतीडूंगरी का खजाना वापस लाओ। जो खजाना लेकर गये, वह वापस लाओ।

बायतू में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदयजी, आज पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

आज बाड़मेर जिले की सबसे महत्वपूर्ण मांग और जो हमेशा समस्या रही है, वह पानी की समस्या है। इसके लिये हमेशा बाड़मेर जिले में, जैसा ये कहते भी हैं कि पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और इसलिये उसको काले पानी की सज़ा भी कहते हैं और इसलिये यहां पर अब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस के लोगों को न तो किसानों की चिन्ता है और न गरीबों की चिन्ता है और यह इतने खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं पूरे देश के अंदर और अब यहां पर बोल रहे हैं। इनके पास अब मुद्दा कुछ बचा नहीं है। मुद्दा कुछ है नहीं और अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिये यह अख़बार में नाम आ जाये इसलिये हल्ला कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके हाथ में और कुछ है नहीं, ताली बजाते रहो। यही काम रह गया अब कांग्रेस पार्टी का। डूबती हुई कांग्रेस पार्टी को ताली बजा-बजाकर साफ करो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि

(श्री कैलाश चौधरी)

बाड़मेर जिले का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको प्रारम्भ किया गया। जब 2003 से लेकर 2008 के बीच में हमारी सरकार थी।

उस समय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक चिंता की कि अगर बाड़मेर जिले को वास्तव में पानी पहुंचाना है उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना कर उनके लिए व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने उस समय 2003 से 2008 के बीच में चिंता की।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

और में आपसे कहना चाहता हूं कि इन कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ हा-हुल्लड़ किया और उन्होंने कभी किसान की या गरीब की चिंता नहीं की और उन्होंने कभी बाड़मेर में मीठा पानी लाने के लिए प्रोजेक्ट की योजना भी नहीं बनायी। हमारे उस समय के लोग, माताएं-बहनें बीस-बीस किलोमीटर तक जाकर पानी लाया करती थीं। आज सिर्फ यह हुल्लड़ कर रहे हैं लेकिन उस समय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उन बहनों की चिंता की जो दूर-दराज से पानी लेकर आती थीं और उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना कर और मीठे पानी के लिए उन्होंने एक भागीरथी के रूप में काम किया और वहां पर एक योजना पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना योजना बनायी। इसी तरह बाड़मेर लिफ्ट परियोजना भी बनायी और उम्मेद सागर-धवा योजना प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे हमें एक उम्मीद हुई कि हमारे बाड़मेर जिले को अब पानी मिलेगा। उस समय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उद्घाटन भी किया और उद्घाटन करने के बाद वहां पर 300 करोड़ रुपये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर प्रावधान लेकर उसका काम भी प्रारम्भ कर दिया लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आयी और उन्होंने पांच साल तक उसके ऊपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे लोगों को प्यासा रहना पडा और उसकी वजह से हमारी माता-बहनों को आज भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। उनकी उनको चिंता नहीं थी। सिर्फ बेबुनियाद जिस तरह से आज भी सदन का समय जाया करते हैं, इसी तरह उस समय भी उन्होंने सिर्फ सदन का समय जाया किया, जनता का समय बर्बाद किया लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं की।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री कैलाश चौधरी)

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रारम्भ किया है और अब जब दोबारा हमारी सरकार आयी तो सरकार आने के बाद में उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बाद में जिस तरह से वहां पर अभी लगभग 1200 करोड़ के काम हो चुके हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती कमसा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): +++ अब तो यह स्पष्ट है। +++ क्यों रो रहे हो अपनी किस्मत को बजा-बजा कर तालियां? अपनी किस्मत को रो रहे हो बजा-बजा कर तालियां। +++ ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: +++ कांग्रेस भ्रष्ट है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप विराजो। अब आप बैठिये, बैठिये आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ये लुटेरे क्या कर रहे हैं? सभापति महोदय, ये मोती डूंगरी से खजाना लेकर गये थे, वो खजाना वापस ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, सौ-सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मोती डूंगरी से जो खजाना लूट कर लेकर गये वो खजाना वापस आना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कैलाश जी, एक मिनट ठहरें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा। सभापति महोदय, 1992 में कांग्रेस के शासन में मथुरादास कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पहली बार यह कहा था कि यह सारी की सारी जो सम्पत्ति है, आनन्द भवन और खासाकोठी, इसको डिसइन्वेस्ट किया जाए। यह मथुरादास कमेटी बनी थी कांग्रेस के समय में, उसकी रिपोर्ट 10 मई, 1993 में आयी। और इसी तरह 2001 में फिर इन्होंने बेचने की कोशिश की थी, राजसिंह निर्वाण कमेटी बनी थी, उसमें इन्होंने इसको डिस्इन्वेस्ट करने की बात कही थी, सभापति महोदय। आज ये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद ने कोशिश की। अपने शासन काल के अन्दर इस दोनों सम्पत्ति को बेचने की खुद ने कोशिश की, वो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। पर हम नहीं बेचेंगे इसको। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब मथुरा दास माथुर ने और अशोक गहलोत ने, दोनों ने यह निर्णय किया था कि खासाकोठी और आनन्द भवन को बेचना है तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया था? ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने खुद ने किया है ...(व्यवधान)... इसको बेचने का निर्णय करने वाले आप लोग हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इसलिए ये इस प्रकार की बात करना, ये मगरमच्छी आंसू मत बहाइये, आप गलत निर्णय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इनसे यह बात कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को भी एक बात आप याद दिलाएं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 121 के उसमें (12) में भी बहुत क्लियरकट लिखा हुआ है कि उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्तावना के समाधान के लिए नहीं पूछा जा सकता। यह बात बहुत क्लियर है और नेता प्रतिपक्ष को यह ध्यान में होना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हो, आप लोक सभा में भी रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि चर्चा के माध्यम से सदन में वाद-विवाद नहीं हो सकता और काल्पनिक विषय पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। आप किस आधार पर, किस अधिकार से, किस नियम के तहत यह प्रश्न पूछना चाहते थे? नेता प्रतिपक्ष हो, थोड़ी सदन की गरिमा का ख्याल रखो। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नहीं हो तो प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 121 का 12, यह आप निकाल कर के पढ़ लें। आप प्रश्न नहीं कर सकते, आप गलत प्रश्न कर रहे थे, आपको नहीं करना चाहिए था। सदन की गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए था, जो आपने नहीं रखा। यह निन्दनीय है, यह आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो वकील हो, आप तो कुछ समझते हो, कानून पढ़ तो लो। आप जिस बात को उठा रहे हो, वो कानून पढ़ तो लो। आप नियमों में तो देखो। विधान सभा की नियमावली के नियम को तो देख लो।

श्री सभापति: माननीय कैलाश जी, जारी रखें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, पानी के प्रोजेक्ट के अन्दर भी इन्होंने हमारे पांच साल बर्बाद किये और रिफाइनरी के अन्दर भी जिस तरह से यह कहते हैं, रिफाइनरी हमारी ...(व्यवधान)... मुख्यमंत्रीजी ने तय कर दी थी। ...(व्यवधान)... तो उस समय रिफाइनरी बन जाती लेकिन इन्होंने पांच साल उस समय हमारे खराब कर दिये, रिफाइनरी पांच साल पहले आ जाती।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय ...(व्यवधान)... लाखों बीघा जमीन खा गये, लाखों एकड़ जमीन खा गये इनके दामाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): यह सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, इनका काम सिर्फ हंगामा करना है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, अब तो इनको बैठाओ।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी की बात मैं कर रहा था, उसके अन्दर हमारा जो प्रोजेक्ट है पोकरण-फलसूंड-हीरे की ढाणी, ये दो संसदीय क्षेत्र और पांच विधान सभा क्षेत्र आते हैं। जो कि वहां की सबसे बड़ी मांग है ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): जमीन खा गये इनके दामाद।

श्री सभापति: कैलाशजी, कंटिन्यू करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने क्या किया है, 2001 में आपने क्या किया? आप बेचना चाह रहे थे, 1993 में बेचना चाह रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदयजी, मेरा निवेदन है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अन्दर 1200 करोड़ का काम पूरा हो चुका है

(श्री कैलाश चौधरी)
लेकिन मात्र 100 करोड़ का बीच का जो काम है वो पोकरण और फलसूंड के बीच में जो काम बाकी है उसके अन्दर जैसा आपकी मंशा साफ है, टेण्डर आपने कर दिया है, टेण्डर करने के बाद में अभी भी वहां के जो अधिकारी हैं संदीपजी वर्मा, जो प्रमुख शासन सचिव हैं, उसको डिले कर के और उसको रिटेण्डरिंग करवाना चाहते हैं। अगर यह रिटेण्डरिंग हो गया तो हमारे आगे छह महीने या सात महीने और आगे जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस टेण्डर को जैसा आपने किया है, इसी तरह कर के और इसको किसी तरह से, हमारी सिर्फ एक ही आवश्यकता है कि यह बाड़मेर की जनता और जो हमारे पांच विधान सभा क्षेत्र आते हैं उनकी मंशा है कि यह पानी तुरन्त प्रभाव से हमारे वहां पर पहुंचे ताकि वहां की जनता को मीठा पानी मिल सके क्योंकि हमारी वर्षों-वर्षों से मांग है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि अगर जानबूझकर कोई अधिकारी इसके अन्दर अड़ंगा डालने का प्रयास करता है तो उसको तुरन्त प्रभाव से हटा कर और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। नहीं तो क्योंकि हमारी जो पीड़ा है।

श्री सभापति: कैलाशजी, धन्यवाद।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपकी मंशा साफ है, मुख्य मंत्रीजी की मंशा साफ है निश्चित रूप से लेकिन जो अधिकारी जानबूझ कर इसके अन्दर अड़ंगा डाल कर और उस टेण्डर को रिटेण्डरिंग करवाना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके हमारे को मीठा पानी कब तक ...(व्यवधान)... और इस प्रक्रिया को किस तरह से आगे कर के इसके ऊपर आप चिंता कर के करें। क्योंकि वास्तव में मुख्य मंत्रीजी की भी इच्छा है, हम सब की मंशा है, हमारे पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बाड़मेर-पोकरण-फलसूंड और बाड़मेर लिफ्ट योजना और उम्मेद सागर-धवा योजना। इन योजनाओं को आप कब तक पूर्ण कर देंगे, यह मेरा निवेदन रहेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

से जो सवाल उठाया है, मैं उनके बारे में निवेदन कर दूं कि बाड़मेर जिले की बायतू विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पोकरण-फलसूंड योजना से 194 गांव, बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'अ' से 128 गांव, बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'ब' से 17 गांव और बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'स' से 03 गांवों को सतही पेयजल से लाभान्वित किया जाना है। उक्त में से बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'अ' से 66 गांवों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है एवं आगामी माह मई, 2017 में पार्ट 'ब' से पांच गांवों को लाभान्वित किया जायेगा। बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'अ' पर शेष 66 गांवों को लाभ प्रदान करने हेतु अनुबंधक को कार्य की गति देने हेतु नोटिस दिया गया है।

(14.00 बजे)

इस प्रकार बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'ब' से शेष 12 गांवों हेतु कार्य प्रगति पर है। बाड़मेर लिफ्ट पार्ट 'स' से लाभान्वित होने वाले 3 गांवों हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने पोकरण फलसूंड से बायतू के प्रस्तावित 194 गांवों के बारे में जिक्र किया। मैं इनसे निवेदन कर दूं कि 194 गांवों में से 192 गांवों के क्लस्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है। संपूर्ण योजना पर मार्च, 2017 तक कुल 1166 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

पैकेज 2ए के अंतर्गत प्रस्तावित 116 किलोमीटर ग्रेविटी पाइप में से शेष 40 किलोमीटर पाइप बिछाते ही एक साथ लाभ प्रदान किया जा सकेगा। पोकरण फलसूंड के पैकेज संख्या 2ए के अंतर्गत शेष बची 40 किलोमीटर ग्रेविटी पाइप लाइन हेतु पूर्व अनुबंधक मैसर्स एसपीएमएल के कार्य को 29.12.2016 को रिसाइंड कर दिया गया है। यह उनकी रिस्क और कॉस्ट पर कार्य करवाने हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। योजना के शेष बचे 99.99 करोड़ हेतु रिस्क एंड कॉस्ट पर प्राइस बिड 17.03.2016 को प्राप्त कर निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया पूरी कर जल्दी से जल्दी कार्यादेश देकर, समय पर काम पूरा कर लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दलीचन्द डांगी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मंत्री महोदयजी, जो प्रक्रियाधीन है, आप क्या उसको वापिस रखेंगे? क्योंकि अगर अभी जिस तरह से चल रहा है कि आप रीटेडरिंग करेंगे, अगर रीटेंडरिंग हुई तो आने वाले टाइम में हम जो लाभ लेना चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि इसी को रखा जाए।

मावली में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली की पंचायतों में, नगर पालिका में 15 पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी बहुत खराब और नीचा है। टयूबवैल कराते हैं तो उनमें पानी भी नहीं आता है। बहुत गहरा है। पिछले काफी वर्षों से मावली में टैंकरों से और रेल से पानी सप्लाई किया गया था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी पीने लायक नहीं है। वहां रीको इंडस्ट्रियल एरिया गुडली, सनवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, हिन्दुस्तान जिंक के पास में बीछेड़ी, गोवला, बेसराखुर्द, आला का गुढ़ा जहां कि झामरकोटड़ा का डैम है, जो हिन्दुस्तान जिंक का डैम बना रखा है उसमें बोरिंग कर रखे हैं। वहां बोरिंग से पानी आता है। मैंने अभी कई टयूबवैल खुदवाई हैं। वहां पानी खराब आया है। पीने लायक नहीं है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि उसको एक टीम भेजकर के, उसकी जांच कराकर के जो रीको इंडस्ट्रियल एरिया का केमिकल प्लांट है, जो कि गुडली में है, मैं वहां चैक कर के आया। वहां कई कैमिकल प्लांट हैं। वह टैंकरों को अंदर ही खाली कर देते हैं। जिससे जमीन में पानी खराब हो जाता है। पीला पानी आ रहा है। वह पीने लायक नहीं है। अभी आपने 17 सोलर सैंक्शन किये हैं, हमने वहां खोदा तो खराब पानी आया।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां 50-60 आरओ प्लांट की सैंक्शन दी जाए। बड़ी स्कीम बनाकर के देवास के 36 गांव इसमें लिए थे।

(श्री दलीचन्द डांगी)

मानसी वाकल का पानी पाइप लाइन के द्वारा मावली होकर के गुजरता है। वह 36 गांव नाबार्ड से लोन हुआ था, तब लिए थे। इससे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र भी जुड़ जाएगा और वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र भी जुड़ जाएगा। माही की बड़ी स्कीम बनाकर के मावली को पानी पिलाया जाए। मावली में एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, रीको इंडस्ट्रियल एरिया भी है। वहां बहुत सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं मांग करता हूं कि मावली के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए। आदरणीय मंत्रीजी ने अभी डीपीआर में घोषणा की है, धन्यवाद। एक बड़ी योजना मावली में दी जाए। धन्यवाद, आभार।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं तो यही मांग करता हूं कि हमारी व्यवस्था सुचारु रूप से चले। लोग मटके नहीं फोड़ें और साफ पानी पीवें। सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने योजना बनाने के बारे में सदन में जिक्र किया है। मैं माननीय सदस्य से प्रस्ताव ले लूंगा और उसको एग्जामिन करवा लूंगा। उसके बाद गुणावगुण के आधार पर और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 121 के अंतर्गत माननीय श्री सुरेन्द्रजी पारीक, ज्ञानदेवजी आहूजा, रामलाल जी शर्मा एवं निर्मल कुमारजी कुमावत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ध्यानाकर्षण करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान पिछले 2 वर्ष से इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए एक समिति की रिपोर्ट ना आने की वजह से लंबित रहने की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कालीचरणजी एक मिनट। ज्ञानदेवजी आप बोलें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, हम लोगों ने इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। उस संबंध में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं। इन 5-7 लोगों के +++ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपा करके माननीय चिकित्सा मंत्री बोल्डली जवाब दें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: निर्मलजी, निर्मलजी आपका कोई?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इनकी सरकार ने बेच दिया और विधायक को बेचा है। इनके विधायक को बेचा है इन्होंने। डालडा मिल की जमीन इनके विधायक को बेची गई 11 करोड़ में। जिसकी कीमत 756 करोड़ रुपए थी। शहर के बीच में थी ...(व्यवधान)... मेवाड़ मिल को आपने दादागीरी से 125 करोड़ में ले लिया। आपने दादीगीरी से खरीदा ...(व्यवधान)... आपके एमएलए ने खरीद ली उसको ...(व्यवधान)... शहर के बीच में जमीन थी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय पर ध्यानाकर्षित किया है, उसके तथ्य इस प्रकार से हैं, इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को राज्य में चिकित्सा कार्य को वैधानिकता प्रदान किए जाने के लिए गुणावगुण के आधार पर विचार-विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्तावों के लिए विभागीय आदेश क्रमांक प. 2 (15) आयु. 2005 दिनांक 7.04.2015 द्वारा प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा, कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

उक्त समिति को इलेक्ट्रोपैथी से संबंधित विभिन्न न्यायालय द्वारा जारी आदेशों, भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन, विचाराधीन प्रस्तावों एवं पूर्व में जारी आदेशों आदि समस्त तथ्यों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन समिति द्वारा आज दिनांक तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए समिति को दिनांक 31 मई, 2017 तक अपनी रिपोर्ट आवश्यक रूप से राज्य

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकार को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पहले भी 2 समिति आयुर्वेद विश्वविद्‌यालय के श्री राधेश्याम शर्मा और एडिशनल ए.जी. श्री गुरूचरण सिंह गिल के नेतृत्व में गठित की गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। अब माननीय चिकित्सा मंत्री पुन: 31 मई तक के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं तो हम इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं कि 31 मई तक इस रिपोर्ट के बाद इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता के लिए, चूंकि लंबी-चौड़ी पूरी फाइल वर्षों से चल रही है। इस कारण से इसको मान्यता के लिए आगे प्रेरित करें। हम आपसे यह अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

+++ पहले 21, 22 की संख्या, +++ 24 की संख्या तो लाओ। पहले अपनी पूरी संख्या तो लाओ। आपकी पूरी संख्या ही नहीं है। आपके विधायक आपका कहना नहीं मानते। यह 5-7 लोग बैठकर के क्या +++ नारे लगाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। डोटासराजी को शर्म आनी चाहिए। आपके कहने में आपके पूरे विधायक नहीं हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हमारे विधायक बैठे हैं। आपके पूरे विधायक नहीं हैं। सदन का समय खराब करते हो। सदन की व्यवस्था को बिगाड़ते हो। सदन की वैधानिकता को बिगाड़ते हो। सारे लोकतंत्र को बिगाड़ते हो। लोकतंत्र में आपको शर्म आनी चाहिए। +++ इस सदन में +++ पूरी संख्या तो लाओ। डूडी साहब को भी खड़ा करो। नेता, प्रतिपक्ष को भी खड़ा करो। सबको खड़ा करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात रखें।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना व नारे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कहां हैं प्रद्युम्न सिंह, कहां है, आपके विधायक, कहां है आपके एमएलए? कहां हैं कांग्रेसी? कहां है विधायक आपके? आप पूरे इक्कीस, बाइस, तेइस, चौबीस भी तो नहीं हो। ...(व्यवधान)... इतनी कम संख्या में आप हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ज्ञानदेवजी, आप अपनी बात रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ अभी तक आपको अक्ल नहीं आई है। पूरे देश में आपका सफाया हो गया फिर भी आपको अक्ल नहीं आई है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य निर्मलजी। ...(व्यवधान)...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा इसके माध्यम से इतना ही निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि राजस्थान प्रयोग करने में हमेशा अव्वल रहा है, निश्चित तौर पर इसको पहली बार पूरे देश में मान्यता अगर राजस्थान देता है तो राजस्थान का भी नाम होगा और एक नई पद्धति का जनता को लाभ होगा। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की निम्नांकित 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-127 दिनांक 30.3.2017 जिसके द्वारा प्रोपर्टी पर बीस वर्ष तक की अवधि के लाइसेंस और लाइसेंस समझौते पर पंजीयन शुल्क में कमी की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/2010-128 दिनांक 31.3.2017

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिसके द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़ द्वारा बसों के क्रय पर देय वैट में छूट प्रदान की गई है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-129 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के विकास के लिये मुद्रांक शुल्क पर 10 प्रतिशत सरचार्ज निर्धारित किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-130 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजनों के दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क पर 10 प्रतिशत सरचार्ज निर्धारित किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-131 दिनांक 31.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(95)वित्त/कर/2016-01 दिनांक 18.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(95)वित्त/कर/2016-02 दिनांक 18.4.2017 जिसके द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसी व्यवहारी द्वारा राजफेड को विक्रय किये गये सरसों पर छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(95)वित्त/कर/2016-03 दिनांक 18.4.2017 जिसके द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत राजफेड द्वारा नाफेड को विक्रय किये गये सरसों पर छूट प्रदान की गई है; एवं
9. अधिसूचना संख्या: एफ.24(6)वित्त/कर/2017-05 दिनांक 19.4.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' को मनोरंजन कर से शत-प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गई है।

श्री सभापति: विधायी कार्य।

माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017, राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017, राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रस्तुत करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सबको एक साथ कर दूं? ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अलग-अलग ले रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अलग-अलग ले रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हां, अलग-अलग ले रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप ही तो कह रहे हैं। ...(व्यवधान)... एक-एक का ले रहे हैं या सबका एक साथ पढ़ूं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक-एक ले लेते हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, शुभकरणजी चौधरी (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य, मानसिंहजी (अनुपस्थित)।

(प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा डायस पर चढ़ने का प्रयास व सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास)

माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर जाएं। पहले आप अपने स्थान पर जाएं। फिर अपनी बात करें। पहले आप अपने स्थान पर जाएं।

माननीय सदस्य, शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यहां आपकी बात नहीं हो सकती, आप अपने स्थान पर जाकर बात करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य शंकर सिंहजी राजपुरोहित। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप अपने स्थान पर जाकर बात करें। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता, आसन को यह कैसे कह सकते हैं? आप नीचे उतरिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रहलादजी गुंजल।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप नीचे उतरिए। ...(व्यवधान)... नीचे उतरो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप नीचे उतरें पहले। ...(व्यवधान)... आप नीचे उतरें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नीचे उतरो आप। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह तो दादागीरी कर रहे हो आप।

श्री सभापति: आप नीचे उतर कर अपनी बात करो। ...(व्यवधान)... इनको नीचे उतारो। ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, बाहर निकालो इनको। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इनको बाहर निकालो। ...(व्यवधान)... क्या तरीका है यह, बाहर निकालो इनको। ...(व्यवधान)... हाइजैक कर लिया पूरे सदन को। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बाहर निकालो इनको। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)... पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)... आप अपनी सीट पर जाएं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये अपनी सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)... इनको शर्म आनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)

(श्री सभापति)

विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खंड 2 व 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड संख्या 2 व 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकार)

खंड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

(प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017, प्रभारी मंत्री, श्रीचन्दजी कृपलानी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया गया। ...(व्यवधान)...

खंडश: विचार

खंड 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(14:18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, जब तक आपके सम्माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर नहीं पधारेंगे, आप एक बार अपने-अपने स्थान पर पधार जाएं, फिर अगर कोई बात होगी तो आसन जरूर आपकी तरफ ध्यान देगा। ...(व्यवधान)... आसन की बगैर अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.19 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(15.19 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो एक सैकिण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो गतिरोध इससे पहले हुआ था वह इस बात पर हुआ था कि मैंने खासाकोठी और आनंद भवन, उदयपुर को डिसइन्वेस्ट करने का, बेचने का मुद्दा उठाया था कि सरकार बाला-बाला बेच रही है। मैंने मेरी बात रख दी, मंत्रीजी ने अपनी बात कह दी, दोनों चीजें पटल पर आ गयीं। सिर्फ नेता महोदय अपनी बात उस विषय में दो मिनट कहना चाह रहे थे जो सभापति महोदय ने अनुमति नहीं दी। इसलिए आपसे आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष और सदन की नेता, यह परम्परा रही है हमेशा से कि वे जब भी बोलें तो उनको समय दिया जाता है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर प्रदान करें, वे दो मिनट में अपनी बात कहें, फिर जो आदेश आसन का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विषय उठाया और उस विषय पर सरकार की तरफ से मैंने उत्तर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ सनसनी फैलाना ही अगर हमारा कर्तव्य रहे, इस सदन के माध्यम से अख़बार की सुर्खियों में छाना ही अगर हम चाहें और नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की बात करें तो ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने पर्ची पर डिबेट अलाऊ कर दी, श्रीमान् ने आसन से फरमाया था कि इस पर्ची के सिस्टम के लिए भी कोई न कोई नियम बनने चाहिए क्योंकि कांकरेंट, तात्कालिक कोई विषय होना चाहिए। कब की बात, कहां की लेकर आये, कब कोई मार्च में टेंडर कर लिया उसकी बात करके लाये, कंसल्टेंसी को आपने बेचना कर दिया। इन्होंने खुद ने 1992 में मथुरादास माथुर कमेटी ने डिस-इन्वेस्टमेंट की बात की थी इन खासाकोठी और आनन्द भवन की, इन्होंने ही 2001 में राजसिंह निर्वाण कमेटी के माध्यम से डिस-इन्वेस्टमेंट की बात की है तो ये किस मुंह से यह बात कर रहे हैं और किस परम्परा को यहां पर डालना चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पर्ची पर आपने डिबेट अलाऊ कर दी, आसन की कई बार व्यवस्था है, अनेकों बार आपने डिस-अलाऊ किया है कि पर्ची पर सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। नियमों में कहीं पर्ची का उल्लेख नहीं है। हमारे जितने भी नियम बने हुए हैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं इनमें कहीं उल्लेख नहीं है पर फिर भी परम्परा रही है तो उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नाते मेरा निवेदन है कि यह नई परम्परा नहीं हो और मैं तो यह चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता और किसी माध्यम से, कल और किसी माध्यम से आ जाएं, हम और जवाब दे देंगे अगर आप संतुष्ट नहीं हों तो। पर हर मामले में, प्रतिपक्ष के नेता, आपके माननीय सदस्य आपके नियंत्रण में नहीं हैं, ये आपकी गरिमा को, इस पद की गरिमा को कम करना चाहते हैं, ये आपके साथ षड़्यंत्र करते रहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी जो छवि राजस्थान में बन रही है वो छवि नहीं बने। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये चाहे जैसे थोड़े ही बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। Let him conclude.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चिंता इस बात की है कि पक्ष और प्रतिपक्ष, ये इस लोकतंत्र के दो मजबूत पहिये हैं पर प्रतिपक्ष के अन्दर अगर कहीं प्रतिपक्ष के नेता और उसकी उभरती हुई छवि को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अन्दर लाकर और यहां इनके बंटे हुए विधायक दल के अन्दर, उसका शिकार होकर सदन में गतिरोध पैदा करें, यह बिलकुल उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल उचित नहीं है इसलिए बिलकुल अलाऊ नहीं करें और मैं तो इनको कहूंगा कि नहीं बोलना चाहिए इनको। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, बैठ जाइये आप। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, गतिरोध उत्पन्न हुआ, गोविन्द सिंहजी ने कोई बात कही उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने दिया। ठीक है गरमा-गरमी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हो गया लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक परम्परा भी रही है कि सदन की नेता प्रथम और उनके बाद प्रतिपक्ष के नेता अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आप एग्री करें या नहीं करें यह तो आपकी मर्जी है और ये कुछ कहें उसका आप उत्तर दे सकते हैं लेकिन इस पद की गरिमा के अनुरूप अगर दो मिनट आपकी अनुमति हो तो गतिरोध खतम हो जाएगा। कुछ कहेंगे उसका आप जवाब दे दीजिये, बात खतम हो जाएगी। यह पर्ची का माध्यम नहीं है, पर्ची के माध्यम पर तो हो गया लेकिन सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता कुछ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कहना चाहें तो मेरी समझ में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ताकि गतिरोध यहीं खतम हो जाएगा। आपने अपनी बात कह दी, आपने मथुरादास माथुर कमेटी की रिपोर्ट दे दी। मथुरादास माथुर की कमेटी, उस वक्त मुख्य मंत्री शेखावत साहब थे, उन्होंने मथुरादास माथुर कमेटी बनाई थी जिसका मुझे भी ध्यान है। तो यह बात सही है लेकिन आपने अपना उत्तर दे दिया बाकी सदन तय करेगा, राजस्थान की जनता तय करेगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ पर उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिपक्ष के नेता दो मिनट अपनी बात कह देंगे तो Heavens are not going to fall. यही मेरा आपसे निवेदन है। कृपया इस पर विचार करके आप अपनी जो भी रूलिंग हो वो देने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ही कई व्यवस्थाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि तीन दिन पहले जब यह बात चली थी तब आप ही ने व्यवस्था दी थी और इससे पहले आपने यह निर्देश भी दिये थे कि नियम समिति में जाकर हम पर्ची के माध्यम से उठने वाले विषयों के ऊपर भी कि वो कांकरेंट, उसी समय के समसामयिक हो, उसी विषय पर अलाउ करें, इस तरह की आपने व्यवस्था दी थी। अब उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में, मैं प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान करता हूं, सवाल इस बात का नहीं है कि प्रतिपक्ष का नेता क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, सवाल इस बात का है कि क्या आप आज आसन से व्यवस्था देकर पर्ची पर डिबेट अलाउ कर रहे हैं, इस सदन के अन्दर एक नई बात कर रहे हैं। आसन कर सकता है, सर्वोपरि है आसन और आसन की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, यह फैसला आप फरमा दें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे भी करना है। उपाध्यक्ष महोदय, जब लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री से बड़े हैं क्या आप?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने पूछा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पूछा है?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं परमिशन लेकर बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो परमिशन दी ही नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): दे दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं दी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह आप थोड़े ही तय करेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जैसे मुझे दी है वैसे ही आपको दी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हां, आप विराजो। आप तय नहीं करेंगे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब इसी सदन में जिस विषय पर इन्होंने प्रश्न लगाया 665 नम्बर और उसका उत्तर भी इनको मिल गया। मैं बोल तो रहा हूं। मैं बोल रहा हूं न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस पर व्यवस्था आसीन सभापति द्वारा दी जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री ने आब्जैक्शन किया, उन्होंने अनुमति दी, मैंने मेरी बात रख दी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, what is wrong with you. Let him conclude. Let him also come forward.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको नॉलेज नहीं है तो मैं किस-किस को सिखाऊंगा। जब इतना ही नॉलेज नहीं है कि जब आपके सभापति ने व्यवस्था दे दी....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप विराजो तो कहूं। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, आपके सभापति ने व्यवस्था दे दी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप दोनों ही विराज जाएं। उप सचेतक महोदय, आप फरमाओ, आप क्या फरमाना चाहते थे? अब आप थोड़ा-सा शांति से।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक तो यह है कि जो विषय इन्होंने, इन्हीं लक्ष्मणगढ़ के माननीय सदस्य ने तारांकित प्रश्न किया उसी विषय को आज पर्ची के माध्यम से फिर लाये, एक बात। इसमें प्रावधान है, 121 (7) में यह क्लियर है।

(श्री मदन राठौड़)

दूसरा, माननीय नेता प्रतिपक्ष उस पर चर्चा करना चाहते थे तो आपने व्यवस्था दी वो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने बता दिया, आब्जैक्शन कर लिया कि वो डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, वाद-विवाद नहीं हो सकता।

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि 121 (12) में बहुत क्लियर है, जो नेता, प्रतिपक्ष महोदय उठाना चाहते थे, (12) में यह है कि 'उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा।' यह इसमें क्लियर है कि काल्पनिक समाधान के लिए पूछा जाएगा और वो पूछना चाहते थे इसलिए मेरा एतराज है। यह मेरा निवेदन है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सवाल तो इतना ही है कि नेता, प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे और बोलने से पहले ही, ये अन्तर्यामी हैं क्या कि क्या बोलेंगे? नेता, प्रतिपक्ष तो बोले ही नहीं उससे पहले ही ये खड़े हो गये थे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं बहुत सम्मान के साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस पूरे वर्तमान सैशन का, प्रजेंट डे सैशन का, आज के सैशन के हम किस प्रोग्रेसिव एंगल पर हैं। यह डैडलॉक था जब आप जीरो ऑवर में थे। इसके बाद में आसन ने विधायी कार्य लेना चालू कर दिया। सर, मैं इसको रिवाइंड नहीं कर सकता। 'Aasan' can not take the situation back to the zero hour. You are on a stage of passing and discussing the Bills which you have already passed two Bills and you are on the third Bill. How do you expect me to create a different set of rule which is in total violation of the proceedings and conventions of this House. If at all this is a very important issue and you all feel that this is important then there is still a day left. You can find rule which will, probably, accommodate this issue and you can come to the Floor of the House. विधायी कार्य के तीसरे बिल पर हैं हम। मैं इस प्रकार की नई परम्परा स्थापित नहीं होने दूंगा and if you still feel, अगर आप लोग सब, अगर सदन सहमत है, प्रतिपक्ष के नेता, आपका आदर करता हूं, अगर आप फिर भी इस बात

(श्री उपाध्यक्ष)

पर चर्चा करना चाह रहे हैं तो मैं इसको, सदन को आधा घंटा, एक घंटे के लिए स्थगित कर देता हूं, Let us go back to the Chamber of the Speaker and discuss it with them.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ठीक है, सहमत हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं and I invite the Leader of the Opposition.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, कृपया न करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदैव के लिए तय हो जाए। आपने सही फरमाया। आप एक सर्वदलीय या दोनों पक्षों की मीटिंग बुलाइये और बुलाकर हमें हमारे मापदण्ड और हमारी मर्यादाओं की रेखा खींचो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। This is not to make anyone...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चाहे कोई कुछ भी कहे, इस सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। हमारा मन रोता है जब.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। आप यह कह रहे हैं कि इस पर हम डिबेट चाह रहे थे। मैं सिर्फ उस वक्त खड़ा होकर माननीय राठौड़ साहब से यह पूछना चाह रहा था, इन्होंने यह कहा था कि हम इसका डिस्इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाह रहा था कि आप इसका डिस्इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे? उसके अलावा तो कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा था। उससे पहले ही इनकी तरफ से सारों ने हल्ला कर दिया। आज हम पूछ नहीं सकते हैं। नियम-कानून बने हुए हैं। हम नियम-कानून को जानते हैं। यहां बैठे हैं

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

सदन के अंदर। जनता से चुनकर आये हैं। हम हमारी कोई बात आपसे पूछना चाहें, आपको कहना चाहे, सरकार को कहना चाहे, नहीं कर सकते क्या? (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): उस समय क्यों +++ रहे थे? जानते हो, तभी कुर्सियों पर खड़े थे आप लोग।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाओ। बैठ जाओ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...बात कर रहे हो। इसको बड़ा इश्यू बना लिया आपने। इतना बड़ा क्या इश्यू हो गया? आज कोई भी बात हो, डिबेट चल रही थी पर्ची पर, पर्ची पर जब बात हुई, आज डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई। आप राजस्थान प्रदेश को बेचना चाह रहे हो, यह नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह फिर बहस नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर ये बहस कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का कोई इश्यू नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट का कोई इश्यू नहीं था। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह आप फिर उसी विषय पर आ रहे हैं। आप गम्भीर हैं। नेता प्रतिपक्ष, आपका सम्मान करते हैं हम। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हम होने नहीं देंगे। (व्यवधान) यह सब आपकी तरफ से है। (व्यवधान) यह कहा गया कि कांग्रेस ने डिसइन्वेस्टमेंट किया था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि इस विषय पर फाइनल निर्णय, मैं एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं, स्पीकर साहब के चैम्बर में आप पधारें और इस विषय को Once and for all हम कनक्लूड कर देते हैं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.31 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(16:31 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: नमस्कार।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची के सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से निवेदन है कि ये डैडलोक इसी बात को लेकर के हुआ था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात पर्ची के माध्यम से शून्य काल में जब मैं बोल रहा था तो उस विषय पर रखनी चाही थी। आज तक इस सदन की परम्परा रही है कि किसी भी विषय पर चाहे प्रश्न पर हो, चाहे पर्ची पर हो, चाहे शून्य काल के और किसी विषय पर हो, चाहे पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन से हो, कोई भी माननीय सदस्य यहां तक कि कोई भी माननीय सदस्य भी बोलता है तो चेयर अनुमति देती है, लेकिन इस सदन की परम्परा रही है कि जब सदन की नेताखड़ी होकर के कोई बात कहना चाहे या नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर के अगर अपनी कोई बात कहना चाहे तो हमेशा यह परम्परा रही है कि आसन उनकी बात को अनुमति देकर के आराम से सुनता है आज भी हम यही चाह रहे थे। यहां से जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो उन्होंने कोई अपनी बात कही ही नहीं उससे पहले सभापतिजी ने कह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दिया कि आप नहीं बोलोगे और नेता प्रतिपक्ष के बजाय एक माननीय सदस्य को जो पांच मिनट बाद में भी बुलवा सकते थे, यह मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है, नेता प्रतिपक्ष का या केवल प्रतिपक्ष का नहीं है। प्रतिपक्ष संख्या में कम हो सकता है, लेकिन वो ही अधिकार उस माननीय सदस्य को और सबको है जो इस सदन में चुन कर आया है। चाहे आज वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्य मंत्री हो, चाहे सदन के नेता हो इसलिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए वो अपनी बात रखेंगें, गरिमा में रखेंगें, लेकिन अगर यह व्यवस्था हो गयी कि नहीं जब हम कहेंगे तब ही बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष खड़े ही नहीं हो सकते तो फिर मैं समझता हूं कि यह गलत परम्परा पड़ जाएगी जो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है अपने सदन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कल को निश्चित रूप से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको इधर आना है और हमको उधर जाना है। आप स्वयं रहेंगे इस सदन में। आप स्वयं इस सदन में रहेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है तो यह व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कल को हम राठौड़ साहब को या किसी को बोलने ही नहीं दें तो ये परम्परा भी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अनुभवी हैं...।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेज जो है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का यह सदन प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम जो आर्टिकल 208 के तहत बने इसके अन्तर्गत चलता है। इसके साथ-साथ यह परम्पराओं पर भी चलता है और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं पर भी चलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप एक इंस्टांस बता दें इस राजस्थान की विधान सभा में कि जहां शून्य काल हुआ, शून्य काल में गतिरोध हुआ। गतिरोध के बाद हाउस दो बार एडजोर्न हुआ, एडजोर्न होने के बाद हाउस वापस असेम्बल हुआ और उसके बाद नगरपालिका से संबंधित दो बिलों का पारण हो गया विचारार्थ लेकर और तीसरा बिल प्रस्तुत करने के लिए आसन ने पुकार लिया और अब वापस उसी बात को लो जो शून्य काल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में बात हुई उस बात को लेकर प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय चाहते हैं कि सदन नहीं चले इसलिए उस बात को लेकर सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। हम प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान करते हैं पर प्रतिपक्ष के नेता के सम्मान के साथ-साथ हम उन परम्पराओं का भी सम्मान करते हैं जो इस पूरे देश में इस गौरवशाली सदन के बारे में दूसरी विधान सभाओं में उदाहरण देकर के लोग कहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अवसर पर जब इन्होंने पर्ची के माध्यम से कुछ बोलते हुए कुछ बातें कहीं, इन्होंने जो कुछ अनर्गल बोलना था, अनर्गल बोल दिया। इन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि जो काम इनके कार्यकाल में हुआ उसी तरह का टेण्डर हमने आगे बढ़ाया पर चलो कोई बात नहीं। अब उस बात को लेकर लगातार दूसरी बार यह एडजोर्न हुआ है हाउस और ये चाहते हैं कि इस आज की कार्यवाही में माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं वो भाग नहीं लें।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आप जिस सदन में जब शून्य काल की बात शून्य काल में समाप्त हो गई, एडजोर्न हो गया और आपने बहुत ही कृपापूर्वक बड़े आदर के साथ इसी आसन से हमें यह कहा था कि आप अध्यक्ष महोदय के वैश्म में आयें। मुझे समझ में नहीं आता कि आज आसन सर्वोपरि है, मतलब इतना क्या गुमान हो गया कि प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्ष महोदय के वैश्म में नहीं आये और सचेतक महोदय अकेले आ जाएं और अकेले इन प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने पूरे प्रतिपक्ष का कोई अधिकार थोड़े ले लिया। मतलब हम सब लोग बैठे रहे इंतजार करते रहे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के वैश्म में और ये आकर बात करना ही नहीं चाहें। गतिरोध पैदा करने के लिए जो काम आज हो रहा है प्रतिपक्ष उसके लिए जिम्मेदार है यह षड्यंत्र हैं। ये चाहते हैं कि राजस्थान की विधान सभा में जो अच्छे बिल आ रहे हैं उनके बारे में राजस्थान के आवाम को मालूम नहीं पड़े इसलिए मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आप माननीय मंत्री महोदय को पुकारें और इस कार्यवाही को आगे बढ़ायें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय स्वयं यह चाहते हैं कि सरकार की हेठी हो, इसकी बदनामी हो और एक ऐसी परम्परा डालना चाहते हैं जो कभी भी नहीं रही

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और आपने कहा संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कि ऐसे उदाहरण बता दीजिये तो एक नहीं सौ उदाहरण हैं आप मौका दीजिये। हम लाकर के पेश करेंगें कि जब भी सदन में जब कभी भी किसी भी बात पर नेता प्रतिपक्ष या सदन की नेता खड़ी हुई हों तो आज तक किसी ने नहीं टोका। यह परम्परा गलत राठौड़ साहब मत डलवाइये और मैं, आपने मुझे बुलाया मैं गया। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय या माननीय उपाध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष को बाइज्जत बुलायेंगे तो वो चर्चा में भाग लेंगें, लेकिन इन परम्पराओं के साथ खिलवाड़, प्रतिपक्ष चाहे संख्या में कम हो, नहीं होने देंगें, नहीं होंने देंगें। इस चैयर का सम्मान करना हमारा दायित्व है अध्यक्ष की चैयर का, उपाध्यक्ष की चैयर का और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करना हम सबका दायित्व है और हमारी नेता का सम्मान करना भी पूरे सदन का दायित्व है इसलिए ऐसा नहीं है कि आप संख्या में ज्यादा हो गये राठौड़ साहब, इसका मतलब आप जो कर लो वो तो ठीक है और नेता प्रतिपक्ष अगर हम संख्या में कम हैं तो नेता प्रतिपक्ष बोल ही नहीं सकता। पता नहीं क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, किस विषय पर बोलें, लेकिन आप अगर आसन से व्यवस्था दे दो कि नहीं बोल सकते और संसदीय कार्य मंत्री जैसा वरिष्ठ गरिमामय पद होता है, मंत्री होता है वो अगर डिमाण्ड करे चैयर से कि नहीं नेता प्रतिपक्ष को अब किसी विषय पर इस विषय पर बोलने नहीं दिया जाए, यह मैं समझता हूं कि परम्पराओं का उल्लंघन है इस सदन की हमेशा यह परम्परा रही है कि सम्मान दिया जाता है। हम देते हैं न आपको संसदीय कार्य मंत्रीजी, वरना आपने हमारा कौन सा काम कर दिया। एक पैसे का भी किया हो तो बता दो। लेकिन चूंकि आप सरकार के संसदीय कार्य मंत्री हैं इसलिए हम सम्मान देते हैं। हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मांग करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की गरिमा...। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किस तरह का आरोप लगाया है इन्होंने मेरे ऊपर। ये पैसे का इन्होंने कैसे कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पैसे का काम चाहिए आपको। क्या मतलब पैसे का काम चाहिए आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक पैसे का क्या मतलब हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मतलब ये किस तरह का आरोप लगा रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप मांग क्या रहे हो थोड़ा ये तो ध्यान रखो। पैसे का काम और सदन के अन्दर पैसे की मांग करते हो आप। पैसे का काम चाहिए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि आप जैसा विद्वान चैयर पर बैठा हो तो सरकार की हेठी इनके चाहने से भी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि सरकार तो सबकी है। हमारी भी है इनकी भी है। बीजेपी कांग्रेस हो सकती है लेकिन सरकार सबकी है प्रदेश की सवा सात करोड़ जनता की सबकी है इसलिए यह नहीं है ये हेठी करना चाहते हैं सरकार की। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इनको वैश्म में बुलाया था। आपने आसन से व्यवस्था की थी और आपने पुकारा और हम चले गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने चला कर के झगड़ा कराया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि सदन चले। मेरी प्रार्थना एक ही है कि जब आपने आसन से व्यवस्था देकर हमें निर्देश दिया था कि प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के सचेतक और मैं और मुख्य सचेतक अध्यक्ष महोदय के वैश्म में आयें। ये नहीं आये, मैं फिर कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये रोज-रोज की बात है आप हमें गरिमा की लक्ष्मण रेखा में बाध दें हम बंधने के लिए तैयार हैं। हम सत्ता पक्ष की तरफ से अगर आसन की कोई अवहेलना हो तो आप बतायें। सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन चले। आप एक बार फिर इनको कह दो। ये फिर नहीं आयेंगें। किस दंभ भरी आवाज में बोल रहे हैं। हम चाहेंगे पहले प्रतिपक्ष के नेता बोलें उसके बाद सदन चलेगा। यह दंभ देखो इनका। आप एक बार फिर बुला लो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के वैश्म में। हम आ जाते हैं आप लक्ष्मण रेखा खींच

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दीजिये। सदन चले हम चाहते हैं। एक बार फिर एडजोर्न कर दो क्या दिक्कत की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: उप सचेतक महोदय, आप भी कुछ फरमाना चाह रहे थे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आसन ने कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सचेतक तो फिर और क्या सम्मान चाहिये। जब आपने कह दिया इससे ज्यादा सम्मान और किससे चाहिये इनको। कोई इनका सम्मान कम करना चाहता है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं वो का वो रिपीट कर रहे हो। अब यह चैयर तय करे ...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, जब आसन से व्यवस्था दी, चाहे सभापति जी ने दी, चाहे उपाध्यक्ष महोदय ने दी, चाहे अध्यक्ष महोदय ने दी, वह आसन की व्यवस्था होती है। आसन ने जब व्यवस्था दे दी और उसके बाद जब सदन चला तो उस पर आपको एतराज करना ही नहीं चाहिये, उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहिये। आपने आज गरिमा और घटाई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां कहां चढ़े। ऊपर चढे, वैल में भी आये और ऊपर चढे। बिलकुल सैक्रेटरी के पास में चढ़े, एक माननीय सदस्य भंवर सिंह जी तो इस कुर्सी के ऊपर खड़े हुए। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... वैल में जाना हमारा अधिकार है। हमारा दल आपको चुनौती देता है कि आपके पास जो हथियार है वह अपना ले, यह हमारा अधिकार है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... विधान सभा के कर्मचारियों के लिये कुर्सी है, इस कुर्सी पर बाकायदा यूं खड़े हुए। कितनी गरिमा इन्होंने घटाई है, यह बड़ी शर्मनाक बात है, थोड़ा विचार कीजिए। सदन की गरिमा आपने घटाई है और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिये था, सदन की गरिमा को रखना चाहिये था। आप यदि ऊपर आ जाओ और बांहें ऊपर करके आसन पर हमला करने के लिये तैयार हो जाओ, यह बात ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था। आज इन्होंने निंदनीय कृत्य किया है, निश्चित रूप से इनकी निंदा की जानी चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... किसकी निंदा कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... निंदा इसलिए कि आपने गरिमा गिराई है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... आपने नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया, इस सदन की गरिमा गिराई है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति के कोई बोल रहा है तो अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सचेतक महोदय, इसको ठीक मानते हो क्या आप। कुर्सी पर खडे होकर बोलने को आप ठीक मानते हैं क्या? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... हमला करना, आसन पर आक्रामक रुख रखना, यह सही बात नहीं है, गरिमा के खिलाफ हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक निवेदन करुं इसमें +++ अकेले केवल डोटासराजी हैं। सदन आराम से शांति से चलता, केवल एक व्यक्ति पूरे सदन का ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... अमर्यादित शब्दों का ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर हैं, यह किस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं बड़े आदर से संपूर्ण सदन को कहना चाहता हूं आसन भी कृत संकल्प है, आज के विधायी कार्य पूरे करेगा। मध्य रात्रि तक अगर आपको बैठना है तो आपको बिठाकर आपसे यह कार्य पूरे कराये जायेंगे। आपको जितनी विवेचना करनी है, आरोप प्रत्यारोप करने हैं, आप करे जाएं, लेकिन आसन भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ससम्मान आपसे अनुरोध कर रहा है कि संसदीय प्रणाली को, इस प्रजातंत्र की प्रणाली का सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग न करें।

मैं पुन: बड़े आदर के साथ नेता प्रतिपक्ष से निवेदन कर रहा हूं एक घंटे के लिये मैं स्थगित करता हूं, स्पीकर साहब के चैम्बर में पधारें और जो डैडलॉक है उसको पूरा करें, उसके बाद में हम विधायी कार्य पूरा करेंगे, धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.44 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(17.44 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: नमस्कार। विराजें।

अगर सदन की अनुमति हो तो आपसे कुछ निवेदन करूं।

मैं आप सब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का इस सदन ने हर वक्त निर्वाह किया है। सदन की नेता हों या सदन के प्रतिपक्ष के नेता हों। जब भी उन्होंने अपनी बात, अपना वक्तव्य, अपनी अभिव्यक्ति कहने की चेष्टा की है, सम्पूर्ण सदन ने उसका सम्मान किया है। आसन भी इस परम्परा से बंधा हुआ है और आसन भी इस बात की कद्र करता है। न तो आसन कभी इस बात की चेष्टा करता है कि किसी माननीय सदस्य का तिरस्कार हो या ऐसी कोई बात हो जिससे उसके

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन इस सदन की मर्यादा को और इस सदन को अनुशासित रूप में चलाने का दायित्व भी आप और हम सब का सामूहिक रूप से है। आसन को भी कुछ अधिकार हैं जो अधिकार इस सदन के दिए हुए हैं। उन अधिकारों का उपयोग भी सदन को अनुशासित रूप से मर्यादित स्वरूप में चलाने की चेष्टा करता है और इस्तेमाल करता है। आसन बहुत आदर के साथ प्रतिपक्ष को यह निवेदन करना चाहता है कि न तो सरकार की तरफ से, न सत्तापक्ष की तरफ से और न ही आसन की तरफ से कभी भी इस बात की संभावना नहीं रही है कि आपका अनादर हो। आपका पूरा आदर है। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते जो आपका सम्मान है, आसन भी उस बात को स्वीकार करता है और आसन आपसे यह निवेदन करता है।

शून्य काल से लगाकर शाम के छह बजने जा रहे हैं। इस राजस्थान की जनता के लिए कुछ-न-कुछ ऐसे कार्य हैं, जो आज आपको सम्पूर्ण करने हैं। इन लोकहित के कार्यों के लिए आप सब अपने-अपने कर्तव्य का और अपने-अपने दायित्व का निर्वाह करें। आसन सम्मान के साथ निवेदन करता है कि आपका आदर और आपके सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं होगी, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आसन की या ट्रैजरी बैंचेज की आपके प्रति बेरुखी हो।

तो निवेदन करता हूं कि आज का विधायी कार्य हम चालू करें। इसमें आपके सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। यही आसन आपसे निवेदन करना चाहता है। नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में गतिरोध हुआ। अभी आपकी मध्यस्थता में अध्यक्षजी, संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ साहब, उप मुख्य सचेतक मदन जी राठौड़ साहब और अध्यक्ष जी एवं उपाध्यक्षजी के बीच में बैठकर गतिरोध के बारे में बात हुई। आपने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। सदन की नेता और सदन के प्रतिपक्ष के बोलने पर सम्मान करने का कर्तव्य पूरे सदन का है। हम सदन की नेता का सम्मान करते आए हैं। सदन के नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते आए हैं। मैं आपका सम्मान करते हुए सत्तापक्ष के सभी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय सदस्यों का और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री का बहुत ही सम्मान करते हुए कि अपन ने सदन की परम्परा को कायम रखा। ईश्यू पर बोलना और नहीं बोलना, वह अलग बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से गतिरोध हुआ, उसमें सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है और उसी बात को लेकर आपकी मध्यस्थता में गतिरोध खतम हुआ। सदन की जो परम्परा है उसको कायम रखते हुए, इस सदन को चलाएं, सदन की गरिमा रखें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पुस्तिका हमें दी है, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों की। इसमें जो पहला अध्याय है, उसमें परिभाषाएँ दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, परिभाषा में जहां सदन की नेता की परिभाषा अंकित की गई है, वहां सदन के प्रतिपक्ष के नेता की भी की गई है।

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि प्रतिपक्ष का नेता इस सदन का एक अहम हिस्सा है। उनके बिना इस लोकतंत्र में इस सदन की परिभाषा पूरी नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना-सा निवेदन था कि ये जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अंतर्गत आपका अधिकार है। आप कभी भी बोल सकते हैं। आज गतिरोध सिर्फ इस बात का था कि पर्ची के माध्यम से बोलते हुए उसमें डिबेट की बात थी। फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। इसी प्रतिपक्ष के नेता से भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे व्यक्तित्व ने इस देश के उप राष्ट्रपति पद को नवाजा था।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी गोवा के अंदर सचेतक और संसदीय कार्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था,जिसमें प्रतिपक्ष के सचेतक भी थे। उस समय भैरोसिंहजी की संसदीय प्रणाली के अंदर उनके योगदान का लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें याद किया था। उनके साथ ही राजस्थान विधान सभा की संसदीय परम्पराओं को याद किया था।

इसलिए मैं चाहूंगा, पक्ष और प्रतिपक्ष, हम कोशिश करेंगे, हमारी जो संसदीय परम्पराएं शानदार है, उनका शानदार इतिहास है, वह शानदार इतिहास आगे भी रहे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान नगर पालिका(चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 श्री श्रीचंद कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका संशोधन अधिनियम चतुर्थ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं।

आज हमारे प्रदेश में नगरपालिकाओं की जो स्थिति है वह इतनी दयनीय है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। कहने को तो वह शहर कहलाते हैं लेकिन वहां पर इतनी गंदगी अटी पड़ी है, सफाई कर्मचारी वहां नहीं होते हैं। एक-एक बाबू के भरोसे नगर पालिका चल रही है। मंत्री जी, अगर आप कहे तो मैं उदाहरण गिना सकता हूं कि पूरी एक नगर पालिका को एक बाबू चला रहा है। ई.ओ. हमारे पास है नहीं, बाबू हमारे पास नहीं है, बजट हमारी नगरपालिकाओं के पास है नहीं, सफाई कर्मचारी पूरे हमारे पास नहीं है। हमने जो यूआईटी बनाई थी वह यूआईटी आगे फंक्शन करे, काम करें, उसके लिए उनके पास स्टाफ नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज साढ़े तीन साल बाद अब जाकर सीकर यूआईटी को एक सैक्रेटरी मिला है, लेकिन सैक्रेटरी के साथ वहां पर एक बाबू काम कर रहा है। न एक्सईएन है, न एईएन है, न एटीपी है, न बजट है और हम उम्मीद करते हैं कि वह शहरों को वह विकास करेंगे। इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर जब सरकारें आती है तो पट्टे देने का भी अभियान चलाते हैं, स्वच्छ रखने का भी अभियान चलाते हैं। लेकिन आज हम सबको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि नगरपालिकाओं की इतनी दयनीय हालत है, जो सरकार के पास टैक्स आता है उसका कुछ न कुछ हिस्सा,नियम कानून बने हुए हैं कि वह नगरपालिकाओं को मिलने चाहिए लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा जितना भी वहां उनको नहीं मिलता है। पट्टे देने की जब बात आती है, जिससे राजस्व कलेक्शन भी होता है और एक व्यक्ति

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को टाइटल भी मिलता है कि उसके पास उसको मकान बनाने के लिए, जो प्लाट है उसका उसके पास स्वामित्व है, वह स्वामित्व भी मैं समझता हूं कि यह जो टाउन प्लानिंग है, यह टाउन प्लानिंग क्या है भगवान जाने इस डिपार्टमेंट का। लेकिन इतने उलझाने वाले नियम रखते हैं, इतने नेगेटिव एप्रोच के लोग वहां काम करते हैं, पता नहीं उनको जब ट्रेनिंग सलेक्शन के साथ देते हैं तो यही देते हैं क्या कि इनको अटकाते रहो, अटकाते रहो। हालात यह बन गए कि जो प्लान है न तो वह एप्रूव्ड हो रहे हैं। हमने भी लगाए थे, हमारी सरकार के समय हमने भी कैम्प लगाए। आपने भी, सरकार ने कल परसों कैम्प लगाने की बात कही है, लेकिन वह इसलिए रूक गया कि बीच में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया। हाई कोर्ट ने इतनी इतनी बातें कहीं कि आप मास्टर प्लान को चेंज नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते। सरकार का प्लान पट्टे देने का था, पैसे कलेक्शन करने का, जिसके आधार पर राजस्व आता तो शहर में विकास के काम होते, वह सारे ठप हो गए। मंत्री महोदय, सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाई, उस रास्ते को आपको निकालना पड़ेगा। जो लोग बस गए हैं, 50-50 परसेंट कालोनियों में मकान बन गए। सड़कें, पानी, बिजली नहीं है। बिजली वालों ने एक अलग ही नियम लगा दिए कि अगर नगर पालिका, नगर परिषद या जेडीए ने वह कालोनी नहीं काटी है, सरकार ने नहीं काटी, तो उसका पट्टा लोगे तो चार्जेज तो सारे लेंगे लेकिन वहां 200 रुपये वर्गगज के अगर एक व्यक्ति देगा तब जाकर उसको घरेलू कनेक्शन मिलेगा।

मंत्रीजी, आपके 17 बिल पास कराए हैं, मेरी भी थोड़ी सुन लो। हमने कल शांति से 17 बिल पास कराए आपके। कितने थे 12 या 13. अब आप हमारी बात ही नहीं सुनो तो क्या करें बताओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सुन रहे है न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): मंत्रीजी को सुनना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उनको सुनने नहीं दे रही है ना मैडम। मेरा सिक्वेंस तोड़ देते हो, यही तो बात है ना। इतना ही तो अल्पबुद्धि का आदमी हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप उधर देखते ही क्यों हो, आप उधर देखो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देखो यह तो मन है, जहां लग जाता है वहां लग जाता है। जब मंत्रीजी अच्छा काम कर रहे हैं तो इनकी तरफ क्यों नहीं देखूं, बताओ आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपका ही लगे, श्रीचंदजी का नहीं लगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि..

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आपको आसन की तरफ देखकर ही बोलना अनिवार्य है, अन्यथा आसन आपको बिठा भी सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब मैं तो वैसे भी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पर उपाध्यक्ष महोदय, यह उधर देख रहे हैं जिधर आसन देख रहा है। देखने वाले की नजर देख रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो जिंदगी में पहली बार गलती की और उसी को पकड़ लिया, मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। मेरा बिलकुल स्पष्ट इरादा नगर पालिका अधिनियम पर चर्चा का है, उसके अलावा कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पट्टे हैं, पट्टों की इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी। मैं एक उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस बात को सुनना और समझना। आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको किस तरह से फैल करने में लगी हुई है इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा।

मैं मेरे सीकर नगरपालिका का किस्सा बताता हूं। मंत्री महोदय लिख लेना और मुझे जवाब दे देना, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 20.11.2012 को नगरीय विकास की तरफ से सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर को एक चिट्ठी गई। उस चिट्ठी में कोई मार्ग दर्शन था। 5-6 मार्ग दर्शन अलग-अलग नगरपालिकाओं ने मांगे थे। आर.के. पारीक है, उप शासन सचिव द्वितीय, उन्होंने उनके जवाब बनाए और यह सारी नगरपालिका और नगर परिषद को चले गए। यह स्थिति है नगरपालिका और नगर परिषदों की। आज की वर्तमान स्थिति है उसको बता रहा हूं। इसमें पैरा नम्बर 5 है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अगले ने यह पूछा था कि 17.06.99 के पश्चात अनुसूचित जाति, जनजाति की कृषि भूमि का हस्तांतरण सामान्य वर्ग को होने पर हस्तांतरण मान्य होगा या नहीं होगा। यह टिनेंसी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर भूमि एससी, एसटी की है तो वह सामान्य वर्ग के हस्तांतरित नहीं होगी। इसका इस विषय से, कोई नगर पालिका, नगर परिषदों से संबंध नहीं था। एससी का व्यक्ति कालोनी काट गया, आपके नगर परिषद, टाउन प्लानर ने पास करके उसके नक्शा पास कर दिया, राजस्व अधिकारियों ने 90 (ए) और (बी) कर दी। नगर परिषद सीकर ने उन कालोनियों में पट्टे दे दिए। यह सीकर का तो है और बाकी जगह भी है। लेकिन इस चिट्ठी की आड़ में तीन साल पहले आगे पट्टे देने से रोक लगा दी। मुंह जबानी यह कहते रहे कि साहब, यह आ गया, 1999 के बाद एससी के व्यक्ति ने जमीन काटी है इसलिए चाहे यह टाउन प्लानर ने पास कर दिया हो, चाहे 90 (ए) हो गई हो, लेकिन हम इसका पट्टा नहीं देंगे। हमने नगर परिषद, सीकर को, प्रभारी मंत्री को, मीटिंग में यह बात उठाई। बात उठाने के बाद मंजीत सिंह जी, हमारे सैक्रेटरी हैं, बहुत विद्वान है। बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाले अफसर है। यह खुद हमारे सीकर के सैक्रेटरी। हमने इनसे निवेदन किया कि महाराज हमारी एक समस्या का समाधान आप कर दो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्पराओं के विपरीत है कि माननीय जो अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं उनकी मुख पर प्रशंसा करो सदन के अंदर, यह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रशंसा कब कर रहा हूं? आगे सुनो तो सही, आप जो चाह रहे हो, वही कर दूंगा, लेकिन फिर आपके काम रूक जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष 2013 से, आपकी सरकार ने, मंत्री महोदय, जब से चार्ज लिया, मुख्यमंत्रीजी ने जब से शपथ ली, मैं बार-बार डीएलबी में जा रहा हूं, बार-बार सैक्रेटरी साहब को कह रहा हूं, आज की तारीख तक इसका मार्गदर्शन मांगा, आज तक यह मार्ग दर्शन नहीं भिजवाया कि क्या जो कालोनी एससी के व्यक्ति ने काट दी, अगर उस व्यक्ति ने नक्शा पास करा लिया, 90 (ए) हो गई और उस कालोनी में पट्टे भी जारी हो गए, उसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बावजूद बाकी के शेष लोगों को पट्टे दिए जाए या नहीं दिए जाएं, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी के हाल हैं।

(18.00 बजे)

अब मैं यू.डी.एच. में निवेदन करना चाहूंगा। यू.डी.एच. में बाकायदा राजस्थान अरबन एरिया परमीशन रूल, 2012 बने हुए हैं। उसमे सैक्शन तीन है पेज संख्या 29 के ऊपर और पेज संख्या 35 के ऊपर सैक्शन 19 भी है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से, माननीय मंत्री महोदय, यू.डी.एच. डिपार्टमेंट में जब 90-ए हो गई, उसके बाद में वह चाहे एस.सी. की हो, किसी की हो, सरकार की भूमि हो गई, नक्शा पास हो गया, उसके पट्टे बाकायदा आज की तारीख तक जारी हो रहे हैं। लेकिन पता नहीं इस ब्यूरोक्रेसी को क्या हो गया, कोई पेन चलाना चाहता नहीं है। आप एक बात बताइये कि एक मार्गदर्शन मांगा, वह मार्गदर्शन बिलकुल सही था कि एग्रीकल्चर लैण्ड एस.सी., एस.टी. की जनरल को नहीं जा सकती। लेकिन इसकी आड़ में जो कालोनियां पास हो गयीं, जो 90-ए हो गयीं, जिनके टाऊन प्लान से नक्शे पास हो गये, जिनके आपने पट्टे दे दिये, उसके बावजूद उन कालोनियों को रोक कर बैठे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। परसों भी हमारे सैक्रेटरी साहब गये थे, हमारे प्रभारी मंत्रीजी गये थे। मैंने यह चिट्ठी दी थी कि 2014 से यह चिट्ठी घूम रही है। आप 'हां' कह दो, 'ना' कह दो, जो आपकी मर्जी आये, कह दो। मैं आज चाहूंगा, आप विद्वान हैं, नये-नये मंत्री बने हैं। आपको लोकसभा का भी अनुभव है। आप अधिकारियों से जांच करा लें और जब इस बिल के ऊपर जवाब दें तो मुझे बता दें कि क्या उस कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों को, एप्रूव्ड कॉलोनी में, 90-ए हो चुका, यू.डी.एच. में दिया जा रहा है, क्या आप नगर-पालिका, नगर परिषदों में ऐसे व्यक्तियों को पट्टे देंगे या नहीं देंगे। अभियान चलाने से क्या फायदा।

दूसरा, एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां बस डिपो नहीं था। हमने बस डिपो के लिये जमीन कटवाई। बस डिपो से जमीन कटवाने के बाद में वन विभाग से हमने जमीन ली। अलाट हो गई, उसकी कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, कायदे की बात है। डायवर्जन होकर जमीन मिल गई। पांच करोड़ रुपये लगा कर एक भामाशाह ने वहां पर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपके डिपार्टमेंट से नक्शा पास करवा कर वहां पर भवन बना दिया, फर्स्ट क्लास, वातानुकूलित, आपके राजस्थान में कहीं भी ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद वहां पर जो चार-पांच दुकानें थीं, जिसको हम रेंट पर देना चाहते हैं, नगर पालिका, उसके ऊपर उससे आय हो जाये तो नगरपालिका का वह बस डिपो चल जाये। यह गम्भीर बात है। आज तक वह चिट्ठी, जो नगर पालिका ने डी.एल.बी. को भेजी, वह डी.एल.बी. में चक्कर काट रही है, फिर कलक्टर के चली जाती है। वे कह रहे हैं, साहब, आप तो इनको 99 साल की लीज पर दो। इनके डिपार्टमेंट की चिट्ठी है, डी.एल.बी. की। ये 99 साल इसलिये नहीं दे सकते, कलक्टर यह कह रहा है कि 99 साल के लिये नहीं दोगे, क्योंकि यह वन विभाग से जमीन आई है और वन विभाग ने शर्त लगा रखी है कि आप इसको बेचेंगे नहीं। इसका जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन नहीं करोगे। मंत्री महोदय, मुझे यह बताइये, 99 साल देने का मतलब वह कहते हैं, हम तो बेचना मानते हैं। डी.एल.बी. तो कह रहा है, 99 साल की लीज दो, आप किराये पर नहीं दे सकते। जबकि कलक्टर यह कह रहा है कि आप 99 साल के लिये नहीं दे सकते। वन विभाग यह कह रहा है कि आप 99 साल के लिये नहीं दे सकते, आप इसको किराये पर दे दो। आज डेढ साल से वे 4-5 दुकानें पड़ी हैं। वहां पर सारे दिन आवारा पशु घूम रहे हैं। हम क्या इलाज करें। बताओ, पांच करोड़ रुपये उस भामाशाह ने लगाये। आपकी नगर पालिका की आप हालत देखिये। आखिर आपकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

ये बिल ला रहे हैं। चार ले आये, एक बिल में भी सब कुछ ला सकते थे। लेकिन यह ब्यूरोक्रेसी की नाकामी है। इस नाकामी को हम यहां चर्चा करके खतम कर देंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारी जनता के हित में नहीं, जिसके लिये हम यहां आये हैं। हमें इनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। इनकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। बिल तो लाये थे न, हमारी सरकार में पारदर्शिता, समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, समय सीमा निर्धारित की कि इतने समय में यह होना चाहिये। चार साल से तो यह चिट्ठी लिये मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूं। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे जैसे सीधे आदमी की तो कैसे सुनेंगे, बताओ।

अनेक माननीय सदस्य: वाह-वाह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिये मैं तो सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ज्ञानवर्द्धन की बातें हैं। किसी के नहीं समझ में आये तो चुप रह जाये, समझ में आये तो ग्रहण कर ले। क्योंकि इस नगर पालिका को ठीक करना है। इसकी व्यवस्था को ठीक करना है। आज हमारी यू.आई.टी. है, दो कॉलोनियां, सरकार में भेजा, तीन साल पहले, यह चारागाह लैण्ड है साहब और इसकी हम कॉलोनी काटना चाहते हैं। उस कॉलोनी काटने के चक्कर में उन्होंने प्लाटों के आवेदन ले लिये कि साहब हम आबंटित करेंगे, आप पैसे दे दीजिये। मैं समझता हूं, आठ या दस करोड़ रुपये आज से तीन साल के लगभग सीकर की यू.आई.टी. में जमा हैं। आज की तारीख तक सीकर यू.आई.टी. की उन दोनों कॉलोनियों का चारागाह से लैण्ड चेंज जो होता है, वह आज की तारीख तक आपकी सरकार नहीं कर पाई। अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं, आपने किस बात के लिये आठ करोड़ रुपये ले लिये, यह तो मेरे को समझाइये। उस कॉलोनी के पैसे से, जनता के उस पैसे से उसको प्लाट तो दे नहीं रहे हो, वापस लेता है कोई तो उसको बिना ब्याज आप देते हो। तीन साल तक उनके पैसे आप इकट्ठे करके रख रहे हो और उसके बाद में उनको दें नहीं। आपको तत्काल, जब चारागाह से आपकी लैण्ड कन्वर्ट नहीं हुई, आप नहीं कर सकते तो आपको तत्काल उनको पैसे लौटाने चाहिए। अब कह रहे हैं, वह आठ करोड़ रुपये जो जनता के हैं उससे हम सीकर में मिनी सैक्रेटेरियट बनाएंगे। यह बाबाजी का माल थोड़े ही है। कैसे बनाएंगे। वह पैसा जनता का है। अगर आप उन प्लाटों को सैल करते, अलाट करते, उससे जो पैसा आता, वह उसके डवलपमेंट में आप खर्च करते और उसके बाद में अगर बचता तो आप चाहे हमारे भले से मिनी सैक्रेटेरियट बनाओ, चाहे सिनेमा हाल बनाओ, जो आपकी मर्जी आये, सो बनाओ। उसमें लेवलिंग हो गई। करोड़ों रुपये लग गये, एक करोड़ के लगभग पैसे लग गये। अभी तक वह जमीन कन्वर्ट नहीं है। आप मुझे बताइये, वह पैसे कैसे खर्च किये। चारागाह भूमि है, जब सरकार लैण्ड कन्वर्ट नहीं कर रही है, तो उस में यू.आई.टी. ने कैसे पैसे खर्च कर दिये, कैसे जनता से आबंटन के आवेदन आमंत्रित कर लिये, कैसे आपने जमा ले लिये। यह मैं नमूने बता रहा हूं, जो मेरे जिले के मेरी नॉलेज में हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बाकी हाल कैथून नगर पालिका का देखो। मैं कहना नहीं चाहता। वहां पर 25 वार्ड हैं। वहां आपकी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने ढाई-तीन साल से ई.ओ. नहीं लगने दिया। एक बाबू के सहारे काम चल रहा है। वहां की चैयरमेन को कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। आप बताइये, अगर इस अथोरिटी को आप और हम सब खतम करना चाहते हैं, अगर राजनीतिक द्वेषता से हम यह चाहते हैं कि नगर पालिका, जहां पर हमारा चैयरमेन नहीं है, वह चले ही नहीं तो यह गलत परम्परा पड़ जाएगी। उस शहर के लोगों ने क्या अन्याय कर दिया। उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए अपना जन-प्रतिनिधि चुना, अपना चैयरमेन चुना और उसके बाद में अगर यह हाल हो गये तो मैं समझता हूं कि भगवान के ही भरोसे है।

इसलिये मंत्रीजी आप में माद्दा भी है, आप में शक्ति भी है। मुझे तो केवल एक बात बता दीजिये कि यह जो दोनों-तीनों मुद्दे मैंने केवल मेरे जिले के, मैं ज्यादा-लम्बा चौड़ा नहीं जाता, आज काफी समय भी हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिये और कहना नहीं पड़े। ...(व्यवधान)... एक और बोलूं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, बोलो-बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी मेरे पास में एक बिल आया है, नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, ये कितने आयेंगे, आप बता दो, कोई पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम्, माफ करना मैं थोड़ी संस्कृत जानता कम हूं, ये कितने आयेंगे। रोजाना जैसे कोई अण्डा पैदा हो रहा है न मुर्गी के, वैसे आपके बिल पैदा हो रहे हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी का आप हाल देखिये। ये रोजाना के रोजाना नये-नये, एक लाइन याद आ गई रात को सोते-सोते।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसमें वही लिखा हुआ है, जो अभी आप बोल रहे थे। वही लिखा हुआ है, इसमें वही लिखा हुआ है जो अभी आप बोल रहे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय गुरुदेव, हम आपकी इज्जत करते हैं। आपको केवल उच्च शिक्षा पर बोलना है। नगरपालिका का आपको क्या लेना-देना।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 'पंचम' आ गया। कल सुबह 'षष्टम्' आयेगा। फिर 'सप्तम्' आयेगा। इतने में आपका राज चला जायेगा। यह गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने बिल पारित कराये, वह बिल पारित हो गये। 12-13 बिल, 12-13 लाइनें, कितनी एक्सरसाइज, बोले तो वही, एक ही बिल पर बोले हम तो। इसलिये उनको कनक्लूड करके एक भी तो कर सकते थे। इस नगरपालिका वाले बिल में तो सबको पता था, क्या-क्या, एक-एक लाइन का लाना है, एक दिन आ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस बात की व्यवस्था दें कि भविष्य में जो अधिकारी इस तरह की नेग्लिजेंस बरतता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। वरना ये एक-एक लाइन का लाएंगे कि 'क' का 'की' करना था। 'क' लिखा गया इसलिये इसको 'की' पढ़ा जाये, इसका बिल आयेगा। फिर दूसरा बिल आयेगा। फिर तीसरा बिल आयेगा। ऐसे तो मजाक बना दिया।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आज की स्थिति है, वह बड़ी भयावह है, नगरपालिकाओं को जो वित्त आयोग से, वित्त कमीशन से जो उनके हिस्से का पैसा मिलता है, वह पैसा उनको दिलाया जाये। आज सीवरेज का काम हमारी सरकार ने 34 जगह पास किया था। आपने साढ़े तीन साल तक लेट कर दिया। अब यह राजपालजी चले गये, वह कह रहे थे कि हम ऐसी वह मैकेनिज्म अपना रहे हैं कि वह जो सीवरेज बनेगी न वह हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनी, ऐसी बनेगी इसलिए हमने तीन साल का समय ले लिया। हमने सोचा कि भाई, ठीक है, अगर ऐसा कोई बंदा है जो अमरीका में है, वह सिस्टम अगर मेरे लक्ष्मणगढ़ में लग रहा है तो मैं तीन साल वेट कर लूंगा लेकिन हालात यह है कि जो सीवरेज चल रहा है, खोद कर जा रहे हैं, पूरी सड़कों को तोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले हमारे समय में हमने पानी के लिए पाइप लाइन के 11 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाये तो पहले तो वह पानी वाले तोड़कर चले गये, हम चिल्लाते ही रह गये, हमारे कहने से कोई ठीक ही नहीं हुआ क्योंकि वह तो ठेकेदार है। अब ठेकेदारों का क्या करो? उनको ज्यादा कहो तो कहेंगे कि इसको कमीशन चाहिए इसलिए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हालात यह है कि हम न तो ठेकेदारों को कह सकते हैं और न हम अधिकारियों को कह सकते हैं। अधिकारी के कान में जूँ नहीं रेंगती तो फिर हमारे यहां चिल्लाना क्या फायदा है, आप बताइये। आपका मंत्री बनने का क्या फायदा है अगर आप हमारी एक समस्या का समाधान नहीं करवा पाते।

तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार तरह-तरह के बिल आ रहे हैं, यह नहीं हो।

अभी हमने आज पढ़ा है कि हमारे प्रधान मंत्रीजी यह करने जा रहे हैं कि कोई पूर्व सांसद और कोई भी विधायक किसी अधिकारी के कार्यालय में, किसी कार्यालय में नहीं जाएगा। अगर यह हो गया न तो यह 200 की सीट खाली रह जाएगी, यहां कोई आने वाला नहीं मिलेगा और जनता को उन कार्यालयों में जूते मारकर निकालेंगे यह अधिकारी, उनको घुसने नहीं देंगे। जब एम.एल.ए. को आप बाहर कर रहे हो, अगर यह कर रहे हो कि एम.एल.ए. कार्यालय में ही नहीं जा सकता, पूर्व सांसद नहीं जा सकता और अगर सांसद या एम.एल.ए. मंत्री के पास भी जाएंगे, आपके पास भी अगर हम आएंगे तो अगर यह आर्डर आ गया, ऐसा निर्देश आ गया क्योंकि लाल-बत्ती ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसे क्लॉज में लिखा है कि एम.एल.ए. और सांसद नहीं जा सकता?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह उस क्लॉज में लिखा है जिससे पांच दिन पहले आपकी बत्ती उतरी थी, उसी क्लॉज में लिखा हुआ है। जो गाड़ी के बत्ती उतरी थी न, उसी क्लॉज में लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सरकार आम की सरकार है, खास की सरकार नहीं। इसलिए हम आम बनकर रहना चाहते हैं। हमने सहर्ष बत्तियां उतारी हैं। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके मन से पूछो। राठौड़ साहब, मन से पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम सादगी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से जीना चाहते हैं। हमारे नेता एक चाय बेचते-बेचते प्रधान मंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। आपके नेता की तरह छुट्टी मनाने के लिए विदेश में गायब नहीं होते हैं कि आज कहां चले राहुल बाबा? अच्छा, छुट्टी पर गये हैं। कहां चले गये? पता नहीं। कोई यह थोड़े ही होता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब मैं चूंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कुर्सी पर विराजमान हैं और मैं इतनी संसदीय भाषा का उपयोग करता हूं और प्रधान मंत्री हमारे सबके हैं इसलिए मैं प्रधान मंत्री की डिगनिटी को चैलेंज नहीं करता।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी यह भाषा है कि कान पर जूँ रेंगना। जूँ आपके रेंगे, अधिकारियों पर क्यों रेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो बैठ जाओ न। आप तो कालूलालजी को फेल करने में लगे हो। यह तो वैसे ही फेल हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जूँ बड़ा खतरनाक प्राणी है। जूँ कोई छोटा प्राणी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काटता है तो कई जगह चकत्ते हो जाते हैं। यह जूँ क्यों रेंगे? हम कहीं जूँ रेंगने भी नहीं देंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनके जूँ है ही नहीं तो रेंगेगी कैसे? आपकी तरह जूं यह सब पड़ने नहीं देते है, सब सफाई रखते हैं। हां, जुएं तो आपके पास रहेंगी तो उनके रेंगेगी कैसे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही ऐसी बात कहकर समाप्त करता हूं। राठौड़ साहब ने बात कही। जब राठौड़ साहब ने यह बात ही चला दी तो आपकी अनुमति से केवल एक मिनट की एक बात कहना चाहूंगा, आधी मिनट ही लगेगी।

कल परसों हमारे एक कोई आई.ए.एस. है, वहां सीकर में वह कोई भोजन का निमंत्रण था, सारे नेता गये हुए थे, वह भी थे, एस.पी. भी थे, आपके मंत्री भी थे, बाजौर साहब भी थे, मैं भी था, सब ही गये लेकिन हमारे तो वैसे ही बत्ती नहीं थी, उनके बत्तियां थीं। तो पहले दिन रात को ही वह क्रिया-कर्म हुआ था बत्तियों वाला, तो वह सारी की सारी गाड़ियां बाहर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खड़ी थीं और बाहर खड़ी तो सारी गाड़ियों के गेट के पास में उनका गन-मेन बंदूक लिए खड़ा था, तो मैं आया तो मैंने कहा कि साहब, क्या बात है, ऐसे कैसे कोई आज आनंद पाल की सूचना आ गयी? तो बोले कि नहीं साहब, अब तो हमें भी यह है कि आपकी गाड़ी ही नहीं, हमारी भी कोई चोर ले जाएगा। पहले लाल बत्ती देखकर छोड़ तो देता था न। इसलिए हम तो, कलक्टर और एस.पी. ने कहा कि गाड़ी का ध्यान रखना बेटा, वह बत्ती अपनी चली गयी है। मोदीजी ने छीन ली है इसलिए गाड़ी चोरी हो गयी तो अपनी नाक कट जाएगी।

इसलिए चिंता मत करो, धीरे-धीरे आ रहा है, यह आदेश भी आएगा जो मैं कह रहा हूं। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूं।

अगर ऐसी बातें होने लग गयीं तो आज की तारीख में जब हम जाकर बात कर सकते हैं वह भी अगर हमारा अधिकार जन-प्रतिनिधियों का ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: किसी भी हाइपोथेटिकल चीज को आप अपनी इमेजीनेशन से कल्टीवेट करना चाहें, वह यथार्थ कैसे हो सकती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो हुक्म, होगा।

श्री उपाध्यक्ष: जब चीज यथार्थ हो जाए तो आप अपना पुरुषार्थ दिखा देना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह तो हम तो क्या है, वैसे ही बिना बत्ती वाले लोग हैं लेकिन जिनकी बत्ती उतरी है न, वह एक मंत्रीजी से मेरी बात हुई, नाम नहीं बताऊंगा साहब, नाम नहीं बताऊंगा, ईमानदारी से नाम नहीं, मैं ऐसा आदमी हूं जो बात कर लेता हूं, उस पर रहता हूं। नहीं-नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: जब आप पूरा वृत्तांत बताएंगे तो वह कितना असहाय हो जाएगा? आप या तो बताओ ही मत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने यह कहा कि डोटासराजी, ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका कद बता दीजिए तो भी हमें कोई आभास हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत बड़ा कद है साहब, बहुत बड़ा कद है और मेरे जिले से होकर जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं नहीं हूं। वह मैं नहीं हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा पद और होकर मैं नहीं हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: वह तो प्रतिपक्ष के सचेतक के वृत्तांत के उपरांत ही पता लगेगा कि वह किसका कितना कद था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पर मैं नहीं हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो मैं क्या करूं, साहब? बाकी सवाल, उन्होंने यह कहा कि गन-मेन को बताना पड़ता है, कहीं जाते हैं तो वह कहे साहब, मंत्रीजी आ रहे हैं, खड़े तो हो। मंत्रीजी कहां? मंत्रीजी तो नहीं हैं, बत्ती वाली गाड़ी तो नहीं है, वह बत्ती तो छिन गयी। मंत्रीजी आ रहे हैं। तो वह गन मेन इस काम में लग गया। दूसरा काम हमारी सुरक्षा का था, वह भूल गया। यह हालात हो गये। इस पर हमें सोचना चाहिए। मैं कोई बत्ती का पक्षधर नहीं हूं, जो हालात आपके हुए हैं न, उसकी वह बात है।....(व्यवधान)....

अब मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और हम सबका यह दायित्व है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जन-प्रतिनिधि हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, हम सबका यह दायित्व है कि हम किस प्रकार से इस व्यवस्था को सुधार करके जिस जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, उस जनता के फायदे के लिए, उसकी बहबूदी के लिए, उसके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वह करें और आज चूंकि नगरपालिका का बिल है इसलिए नगरपालिका, नगर-परिषद, यू.आई.टी. में ....(व्यवधान)....

श्री शैतानसिंह (पोकरण): पवित्रता से जीवन को विकसित करके, धर्म को ध्यान में रखकर कर्म करें, इसलिए जनता ने अपने को भेजा है। लाल-बत्ती के लिए नहीं भेजा है। इसलिए लाल-बत्ती की यह गलतफहमियां छोड़ दें तो अच्छी रहेगी। लाल-बत्ती नहीं, जब नोट बंदी हुई थी तब भी आप लोग यही कह रहे थे। आज अपन ने देखा न कि क्या परिणाम सामने आया है। इसलिए जो मोदीजी कर रहे हैं वह सब अच्छा हो रहा है। भारत का प्रधान मंत्री जो निर्णय ले रहा है, वह जन हित का निर्णय होगा। यह ध्यान रखना, साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बात, अब इनको थोड़ा सा, जय श्रीराम।

एक बात और कहूंगा कि एक सबसे बड़ी हमारे नगरपालिका, नगर-परिषद और यू.आई.टी. में सबमें, दोनों में प्राब्लम आ रही है। वह प्राब्लम यह है कि कई शहरों में ही नहीं, करीब-करीब सभी शहरों में राजाओं के पट्टे दिये हुए हैं। अब राजाओं के पट्टे दिये हुए हैं, पट्टा था दो बीघा का, पांच बीघा का, दस बीघा का, दस आदमियों को दे दिया, दो को दे दिया, एक को दे दिया। उन लोगों ने प्लाट बनाकर आज से पचास साल, चालीस साल, तीस साल पहले मकान बनाकर बस गये। उनको अगर कोई बैंक में जाएंगे, कहीं टाइटल के लिए जाएंगे, लोन लेने के लिए जाएंगे तो उनका नामांकन मांगते हैं अलग से। उस नामांकन बनाने का, मंत्री महोदय तो भाग गये लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो डेढ़ साल और सहन करना है यही व्यवस्था। नहीं, यही हैं, सॉरी, यही हैं। इसीलिए उन राजाओं के पट्टे के नामांकन करने के आज की तारीख तक नियम नहीं बने। चाहे शासन हमारा रहा, चाहे शासन पहले 2003 तक आपका रहा, चाहे आज वर्तमान में ....(व्यवधान)....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मंत्री महोदय भग गये, यह आपने कैसे कहा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, मैंने सॉरी मांग ली न। दिखे नहीं आप। मैंने माफी मांग ली।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरे जैसा आदमी ही नहीं दिखा तो क्या दिखता है फिर आपको? साढ़े छह फुट वाला ही नहीं दिखा तो फिर क्या देख रहे हो आप? ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैंने माफी मांग ली। आप मेरी समस्या के समाधान के लिए गये थे इसलिए मैंने माफी मांग ली, आप विराज जाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ठीक है, माफ कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह राजाओं वाला काम भी आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मैं समझता हूं कि मेरी बात पर गौर फरमा कर यह निर्देश भी देंगे कि इनकी तीनों-चारों समस्याएं वाजिब है। यह सबके लिए है, मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। मेरे तो कोई पट्टा लेना भी नहीं है, जो है वह ठीक है। न राजाओं का पट्टा है लेकिन राजाओं के पट्टे पर नामांकन करने का आज की तारीख तक कोई नियम, उप नियम नहीं बने हुए हैं। इसलिए अगर कोई नगरपालिका का ई.ओ. अगर व्यवहार ज्यादा जानता है तो वह ले-देकर सैटिंग करके उसको नामांकन खोल देगा, अगर कोई ईमानदारी से चलना चाहता है तो वह नहीं करेगा। हमारे जन-प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक ई.ओ. आया, राम नाम जप किया, नामांकन कर दिया। दूसरा ई.ओ. आया, थोड़ा ठीक आया, उसने कहा कि नियम में नहीं है, आप नियम बता दीजिए, हम भी कह सकते, भाई, नियम ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो हालात यह हो गये कि वहां पर जन-प्रतिनिधियों की इतनी ज्यादा दुर्गति हो रखी है, जो पार्षद बनते हैं, जो एम.एल.ए. हैं, चाहे चैयरमेन हैं, वह कहते हैं कि साहब, दो साल पहले हो रहा था, छह महीने पहले हो रहा था, यह ई.ओ. तो कर रहा था, यह ई.ओ. नहीं कर रहा है।

तो यह जो कुछ समस्याएं हैं, एक और समस्या रह गयी कि नगरपालिका के क्षेत्र में कुछ भूमि वन भूमि भी रह गयी। उस वन भूमि के बाद में वहां पर सड़कें बन गयीं, लाइट लग गयी, मकान बन गये। तीस-तीस साल, चालीस-चालीस साल हो गयी। उनको पट्टा नहीं मिल रहा है और पट्टा इसलिये नहीं मिल रहा है कि कोई 300 वर्गगज में बसा हुआ है, कोई 400 वर्गगज में बसा हुआ है। सरकार यह कहती है कि 200 वर्गगज से ज्यादा नहीं देंगे और आज की रेट का पैसा लेंगे और वह सक्षम नहीं है जो गरीब लोग हैं, वह आकर बसे थे। उन कालोनियों का भी नियमन आप किस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तरीके से अभी जो आप यह अभियान चलायेंगे, उसमें किस तरीके से ले रहे हैं, इस बात को भी देखिये। हाई कोर्ट का जो फैसला है,जिसमें राइडर दे दिया आपने। उसमें पता नहीं कितनी बिल्डिंग, आप नियमन ही नहीं कर पायेंगे, मास्टर प्लान में चेंज ही नहीं कर पायेंगे। मास्टर प्लान ऐसा बन गया कि 70 परसेंट में मकान बने हुए हैं और वहां सुविधा दिखा दी, खेल मैदान दिखा दिया, बस डिपो दिखा दिया। अगर सरकार चेंज नहीं कर सकती तो फिर सरकार किस बात की है? क्या हाई कोर्ट चलायेगा, क्या शासन हाई कोर्ट करेगा? इस हाई कोर्ट को अपन ने इतनी ज्यादा छूट दे दी कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया, यह कहकर मंत्री, संतरी, एम.एल.ए., अधिकारी, एक वह चारागाह वाला फैसला आ गया, रोजाना ही नियम बदलते हैं। कभी तो कहते हैं सोसायटी को नहीं दे सकते, कभी कहते हैं बिजली बोर्ड को नहीं दे सकते, कभी कहते हैं कब्रिस्तान को नहीं दे सकते, कभी कहते हैं इसको नहीं दे सकते। सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने अपना किया होगा। लेकिन सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कानून लाने की जरूरत है तो आप कानून लाइये न। नियमन के नियम बने हुए हैं कि साहब, नियमन करेंगे। एक भी नगर पालिका, नगर परिषद में अगर कोई जिसने बिना इजाजत के मकान बना लिया, अगर उसका आपने नियमन किया हो तो बताइये। नियमन के रूल्स के लिये कहते हैं कि नगर पालिका बनायेगी, नगर परिषद बनायेगी। नगर पालिका और नगर परिषद में इतने विधि विशेषज्ञ होते नहीं हैं, वह बनाती नहीं। मेरी आपसे मांग है कि उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाइये और सारे राजस्थान में नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के लिये नियम बनाइये कि जो बन गये, सो बन गये। 50-50 साल से चार-पांच मंजिलें बिल्डिंगें बन गयीं, क्या आप उसको तोड़ सकते हैं। आप तो कच्ची बस्ती में से एक झोंपड़ा नहीं हटा सकते तो सात मंजिल की बिल्डिंग को तोड़ सकते हो क्या? लेकिन उसको किस प्रकार नियमित किया जाये, किस प्रकार रेगूलराइज किया जाये, इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

इसलिये यह सारी चीजें कन्क्लूड करते हुए, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारें, हम आपके साथ में हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के निर्देश के पश्चात् भी एक ही अधिनियम में संशोधनों हेतु भिन्न-भिन्न विधेयकों का जारी किया जाना अनुचित

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मसले को आपके सामने उठाना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आज जिस भावना के साथ स्वर्गीय श्रीमान् भैरोसिंहजी शेखावत का संसदीय परम्पराओं के प्रति जो उल्लेख किया, उस उल्लेख को ध्यान में रखते हुए मुझे आज पुन: यह प्रश्न उठाने के लिये बाध्य होना पडा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल जो मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था और उस पर स्वायत्त शासन मंत्री, सरकार ने भी और आसन ने जो निर्देश दिये थे, वह निर्देश हमने इसलिये माने, मानना भी चाहिये क्योंकि वह एक तरह से सरकार को संरक्षण देने वाले थे। कल हमने जिस प्रकार से बिल पारित किये, विश्वविद्यालयों के जिस प्रकार से संशोधन आये, वह संसदीय लोकतंत्र में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको किया और कल साथ-साथ आपने यह भी पूछा था कि दूसरा यह जो नगर पालिका के बिल आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। एक, दो, तीन, चार बिल आ गये हैं, सरकार को फिर आपने निर्देश दिया कि आइन्दा इसका रिपीटेशन नहीं होगा और संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि नहीं होगा। लेकिन आज, उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह पांचवां संशोधन बिल यहां फिर वितरित किया गया है। और यह बिल वितरित आपके निर्देश के बाद किया गया है। आप हमारी बात को नहीं माने, सदन की परम्पराओं को नहीं माने, लेकिन आसन के निर्देश के खुलेआम उसी दिन अवहेलना करना, अगर यह मामला बैठता है तो यह मेरे लिये नहीं, सत्ता पक्ष के लिये नहीं, विपक्ष के लिये नहीं, इस सम्पूर्ण सदन के लिये ही नहीं, जो राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उस सदन का अपमान है और उस सदन का अपमान करने की इजाजत, उपाध्यक्ष महोदय, यहां नहीं दी जा सकती। इसलिये इतनी सी अक्ल भी अगर ब्यूरोक्रेसी में नहीं है और विभाग में नहीं है कि चार-चार लाइन के दो-दो, एक पट्टा देने का, एक सम्पत्ति के विरूपण करने का, एक उप-विभाजन करने का और एक जब अध्यक्ष पर अविश्वास का किया था, वह चेंज किया डायरेक्ट का हटाकर, उसका जो साथ होने वाला था, वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आया। तो इतनी-सी अक्ल तो होनी चाहिये थी कि आज अगर पांचवां पेश करना था तो उस पांचवें में इन चारों को समायोजित कर देते। यह न करके भी यह काम करना और इस नियम की भी अवहेलना करना, जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने पहले निर्णय कर दिया था कि यह कैसे अज्यूम करते हैं आप कि आपने जो पेश कर दिया, उसको सदन पास भी कर देगा और गवर्नर के हस्ताक्षर भी हो गये और उसी एक्ट में फिर आप अमैंडमेंट लेकर आये हो।

यह पूर्णतया लोकतंत्र का मजाक है, यहां की परम्पराओं का मजाक है और मैं समझता हूं, कल हमने सब बातें स्वीकार कर ली थीं और निर्देश के बाद आज आया, इसका मतलब है कि यह हठधर्मिता है। हम जिस प्रकार चाहेंगे, उस प्रकार सारे नियम-मर्यादाओं को ताक पर रखेंगे और इस सदन को कठपुतली की तरह से प्रयोग करके हम इन सारी चीजों को पास करायेंगे, यह उचित नहीं है, शोभादायक नहीं है। यह आसन के निर्देशों की अवहेलना है और संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है।

मैं नहीं बोलता, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्कोर करने के लिये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कल जो बात हुई थी और सरकार ने कहा था और इन्होंने कहा था, उसका सीधा इस प्रकार से उल्लंघन करना, इससे जन-प्रतिनिधि सभा का अवमूल्यन होगा, जो उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निश्चित तौर पर कल यह विषय आया था और मैंने ही सरकार की तरफ से आश्वस्त किया था, इस बार अगर एक बिल में अमैंडमेंट आयेंगे तो समाविष्ट करके एक ही काम्प्रीहैन्सिव बिल लेकर आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले से पाइप लाइन में था और चूंकि सदन अब अपने अंतिम पायदान पर है, इसलिये आपके निर्देशों की पालना हम निश्चित तौर पर करेंगे, हम निर्देश भी जारी करेंगे और मैं समझता हूं कि इन सारे बिलों को एक बिल में सम्मिलित किया जा सकता था और इस बारे में तो मैं ज्यादा तो क्या कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, पर संसदीय कार्य विभाग सभी विभागों को निर्देश देगा कि भविष्य के अंदर अगर एक प्रिंसिपल एक्ट में अमैंडमेंट है तो एक ही प्रिंसिपल एक्ट के सारे अमैंडमेंट एक साथ लाये जायें ताकि बिल को अलग अलग पारित नहीं किया जाये। परन्तु मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि कई

(राजेन्द्र राठौड़)

बार पहले भी ऐसा हुआ है कि एक ही तरह के संशोधन को अलग-अलग बिलों के माध्यम से लाया गया है, परन्तु मैं यह नहीं कहता कि हम इसको आगे भी लगातार करेंगे, भविष्य में इसको सुधारेंगे, यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप यह कह सकते थे कि एक और पाइप लाइन में है। आपको इस पाइप लाइन का पता था क्या? आपको पता नहीं था। नहीं, माफ करिये यहां यथार्थ की बात है, आपको पता नहीं था और आपको बचाव करने के लिये यह कहना जरूरी था, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब यह पता ही नहीं था और आपको विभाग ने बताया ही नहीं कि चार पेश किये, पांचवां पाइप लाइन में था, तो न तो कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में तय हुआ, न किसी और में तय हुआ, फिर यह पांचवां लाइन में कैसे आ गया? ..(व्यवधान).. मंत्रिमण्डल का मुझे पता नहीं है, मैं मंत्रिमण्डल का मैम्बर भी नहीं हूं।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत गंभीर विषय है और मैं कोई इस बिल के विरोध में नहीं हूं, मैं केवल परम्पराओं को आपके श्रीमुख से मैंने श्रीमान् भैरोसिंहजी शेखावत के बारे में सुनी, उनकी ही डाली हुई परम्पराएं हैं और उनका उल्लंघन इस प्रकार होते हुए देखना उचित नहीं है, मैं इतना ही ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।

व्यवस्था

एक ही अधिनियम में संशोधन हेतु भिन्न-भिन्न विधेयक जारी किये जाने की परम्परा उचित नहीं

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि किसी भी विधायी कार्य में जो नियम हैं, जो हमारी परम्पराएं हैं, कई बार समय की नजाकत से कुछ परम्पराओं को दरकिनार करके इस प्रकार की बिल की परम्परा पड़ गयी थी। लेकिन इसको प्रीसीडेंट के रूप में इस्तेमाल करना और जहां यह व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है, उसका उदाहरण देकर उसको

(श्री उपाध्यक्ष)

इस्तेमाल करना आसन आपसे, और संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करता है इस प्रकार का कृत्य दुबारा न हो, इसको आप सुनिश्चित करें और इस चीज पर आसन यह भी निवेदन करता है अगर कोई बहुत अनिवार्य हो और कोई महत्वपूर्ण चीज हो तो उस वक्त इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं, उस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं But as a precedent, it will never be quoted.

श्री प्रहलाद गुंजल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 विचार के लिये लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में नगरपालिका से सम्बन्धित तीन विधेयक विचार के लिए लिये गये और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि नगरपालिका का सम्बन्ध आम आदमी के साथ सुबह-शाम का विधायिका से ज्यादा होता है। इंसान अगर सवेरे उठता है तो घर के बाहर की साफ-सफाई का प्रबन्ध ठीक कैसे हो, यह जिम्मेदारी नगरपालिका की रोज उसको याद रहती है। अगर वो रात को लौट कर घर जाता है और उसकी गली के मोड़ पर अगर कोई ट्यूबलाइट बंद है तो नगरपालिका से उसका काम पड़ता है। उसके घर में बच्चा पैदा होता है या उसके घर में कोई मौत होती है तो जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का काम भी नगरपालिका करती है। उस नगरपालिका का सरोकार आम आदमी के साथ 24 घंटे बना हो, उस नगरपालिका सम्बन्धी विधेयकों पर चर्चा हो, मैं समझता हूं कि राजस्थान का दुर्भाग्य होगा कि दो-दो विधेयक बिना किसी चर्चा के प्रतिपक्ष के हंगामे के बीच पास करने पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, यह श्रेष्ठ परम्पराएं नहीं हैं।

वो नगरपालिका है और उसका विधेयक, हम यहां कानून बनाते हैं, उस कानून के तहत सुबह से शाम तक नगरपालिका काम करती है, पार्षद काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, वो कैसे बेहतर होने चाहिए, उनमें किस प्रकार का मौलिक सुधार होना चाहिए, जो अमैंडमेंट लाये जा रहे हैं वो व्यावहारिक हैं या नहीं हैं, यह पक्ष इस सदन में राजस्थान की जनता के सामने जाकर अगर उसमें आवश्यक परिवर्तनों की गुंजाइश है तो उस पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन माजरा जो बना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान शर्मसार हुआ होगा। इस विधायिका के अन्दर सुबह उसके घर के सामने का सफाई का काम, नाली की सफाई का काम, शाम को रोड़ लाइट का काम और इतने महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा और सदन में राजस्थान की जनता जिन से उम्मीद लगा कर टकटकी लगा कर झांकती है, सात करोड़ लोगों के हितों की रक्षा, उनके पक्ष में बनने वाले कानून कितने व्यावहारिक होंगे, आज इस दृश्य को देख कर राजस्थान का मन विचलित हुआ होगा।

आज भाषण कर रहे हैं प्रतिपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक, लाल बत्ती, मोदीजी ने लाल बत्ती गुल कर दी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाय बेचने वाले का बेटा देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करे। हमने केवल किताबों में पढ़ा था, यह परम्परा अमेरिका में है, एक लकड़हारा अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गया। एक बार चुनाव, दो बार चुनाव, तीसरी बार चुनाव, यह आदर्श परम्पराएं भारत के लोकतंत्र में अब मोदीजी के रूप में सामने आने लगी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जिस लाल बत्ती की बात आज प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक कर रहे हैं, जिस लाल बत्ती की पीड़ा बता रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किताबों में पढ़ा है ब्रिटेन के राष्ट्रपति टोनी ब्लेयर अपने पद से रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद दोनों पति-पत्नी साधारण ट्रेन से अपने घर को लौट कर चले गये। यह परम्परा है, जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खास नहीं आम बन कर कैसे जी सकता है। आज अगर मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी स्लिप ऑफ टंग उस राष्ट्र का नाम हो रहा है, मैंने पढ़ा है, एक दल को बहुमत मिल गया, दल का नेता चुन लिया गया, शपथ से पहले शाम को उस राष्ट्र की परम्पराओं में दो प्रकार के ए.टी.एम. कार्ड इश्यू होते हैं, एक निजी कार्ड एक सरकारी कार्ड, बाजार में कोई सामान खरीदते समय गलती से सरकारी कार्ड का इस्तेमाल हो गया, मीडिया में एक लाइन छप गयी और नेता उस देश की नेता की शपथ लेने से वंचित हो गया। यह श्रेष्ठ परम्परा इस देश में भी डालने का जो क्रम प्रारम्भ हुआ है नरेन्द्र मोदीजी के आहवान पर, इसलिए लाल बत्ती हटा कर आम और खास का अन्तर समाप्त करने का प्रयास किया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इन परम्पराओं से कांग्रेस का सरोकार नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अभी पिछले दिनों सदन में ...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गुंजल साहब, वो तो गये।

(18.36 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों सदन में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, घनश्यामजी तिवाड़ी ने कहा कि सदन में बैठा हुआ एक-एक व्यक्ति जनता का सेवक है, हम जनता के ट्रस्टी हैं, जनता के मालिक नहीं। हम सदन में किस प्रकार की परम्पराएं डालना चाहते हैं? एक तरफ तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, राजाओं की जागीर प्रथा का भैरोंसिंहजी ने विरोध किया, इंदिराजी ने प्रीवि पर्स का, उनकी पेन्शन का बिल लाकर समाप्त किया और दूसरी तरफ इसी सदन में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की सुविधा देने सम्बन्धी कानून पास करवाया। यह जो ग्लेमर का सिस्टम राजस्थान की राजनीति में और हिन्दुस्तान की राजनीति में स्थापित किया है और उससे लोकतंत्र में उलटी परम्पराएं पड़ गयीं। इस लोकतंत्र की आत्मा का केन्द्र आम आदमी है, संविधान की आत्मा का केन्द्र आम आदमी है। अगर हम पवित्र मन्दिर में खड़े होकर भाषण करें कि भारत की पार्लियामेंट ही लोकतंत्र का मन्दिर है, राजस्थान की विधान सभा लोकतंत्र का मन्दिर है तो इस मन्दिर का देवता प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री नहीं इस मन्दिर का देवता वो साधारण व्यक्ति है जिसके लिए यह लोकतंत्र बना है, जिसके लिए संविधान बना है, मुख्य मंत्री और प्रधानमंत्री उसके मुख्य पुजारी और प्रधानमंत्री प्रधान पुजारी हैं, हम सब लोग उसके सेवक हैं, ट्रस्टी हैं, पुजारी हैं।

कैसी परम्पराएं डालना चाहते हैं? आज पुजारी मालिक बना बैठा है, आज भगवान हमारे सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होने की मुद्रा में आ गया है। यह जो आजादी के 70 साल बाद कांग्रेस के 50 साल की कुनीतियों के कारण जो गलत परम्पराएं इस देश में हो गयी, लोकतंत्र का ऐसा वीभत्स और विकृत चेहरा बना दिया जिसमें से आम आदमी गौण हो गया और हम समझना नहीं चाहते। हम महत्व के विषयों पर बिल पास करने के लिए चर्चा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करने के लिए सदन में खड़े हों और सदन में खड़े होकर किस प्रकार से हंगामा कर के कल सुबह के अखबारों की सुर्खियों का हिस्सा बन सकते हैं, ये परम्पराएं, माननीय सभापति महोदय, इस सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है, ये लोकतंत्र की श्रेष्ठ परम्पराओं के खिलाफ है। हम कभी दुहाई देते हैं भैरोंसिंहजी शेखावत की, आदरणीय सुखाड़िया साहब, हरिदेवजी जोशी की, अगर ये परम्पराएं हम इस सदन से गौण नहीं कर सके तो इस प्रकार की परम्पराओं का उदाहरण देने का हक-अधिकार नैतिक रूप से हम लोगों को नहीं है।

इसलिए आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जब बिलों पर चर्चा हो, मैंने कई बार बिलों पर बोलते हुए कहा है, माननीय सभापति महोदय, आप कानूनविद् हैं कि जब बिल पर हम चर्चा करें तो हमें राजस्थान के उस व्यावहारिक पक्ष के ऊपर गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि यह सदन जो बिल बना रहा है ये बिल इस राजस्थान में जब तक उस बिल का अस्तित्व रहेगा, सैंकड़ों हजारों सालों तक कानून के रूप में काम करेगा और जब वो कानून के रूप में काम करेगा और उस बिल का असर राजस्थान के आम जन जीवन पर अगर उसके हक-अधिकार पर विपरीत पड़ता है, कहीं न कहीं जाकर उसका दुरुपयोग होता है, कहीं मिस-कंडक्ट होता है तो इस सदन का वो सदस्य जिसने बिल के पक्ष में होने को हाथ खड़ा किया है वो अपराध का भागीदार बन जायेगा। इसलिए बिल जब पारित हो, दलीय परम्पराओं और सीमाओं से उठ कर उस पर चर्चा होनी चाहिए। सारी मर्यादाओं को तोड़ कर, प्लीज ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सुनें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, एक मिनट। आप थोड़ा-सा धीरे बोलिये, मंजीत सिंह तो भाग गये आपसे डर कर।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैंने मंजीत सिंहजी को नहीं डराया है और मैं किसी को डराना भी नहीं चाहता। हमारी व्यवस्था में डर नाम का शब्द नहीं है।

कालूलालजी साहब, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, हाउस को थोड़ा सा...। मुख्य सचेतक जी को निर्देश दे दें। आपकी आवाज मेरे कान में आ रही है। आप कल विधायक दल की बैठक करा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जारी रखें। रिक्वैस्ट करूंगा कि माननीय सदस्य को कृपया गंभीरता से सुनें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बिल आज सदन में चर्चा के लिए लाया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जब उद्‌बोधन फरमाओगे तो मैं हाजिर मिलूंगा। पानी पी आऊं आपकी अनुमति हो तो?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि गंभीरता से सुनें। माननीय सदस्य अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, दो बिल पारित हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। मैं उसकी चर्चा बाद में करुंगा। लेकिन जो चतुर्थ संशोधन बिल आया है इस बिल का उद्‌देश्य साफ लिखा हुआ है कि नगरपालिकाओं के जो कृत्य हैं, उसमें कुछ दायित्वों का इजाफा करना है। उनके और कर्तव्य बढ़ाने हैं। उन कर्तव्यों को बढ़ाने के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 45 है, उस मूल धारा के विद्‌यमान खंड 'द' और 'ध' को संशोधित रूप में नए सिरे से स्थापित किया है। पहले 'द' में लिखा था जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवारों के मानकों को बढ़ावा देना और अब 'द' में कर दिया छोटे परिवारों के मानकों, महिला कल्याण एवं बाल विकास को बढ़ावा देना।

सभापति महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी हर स्तर पर महिला कल्याण की सोच लेकर के चलती हैं। सरकार की व्यवस्था के अंदर काम करने वाले तमाम महकमें, उनके एजेंडे में किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण हो और इस लिहाज से नगरपालिकाओं की भूमिका को भी बढ़ाने के लिहाज से इसमें संशोधित धारा को स्थापित किया गया है।

सभापति महोदय, धारा 'ध' आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और धारा 'ध' को संशोधित रूप से आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, गंदी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने की योजनाएं तैयार करना। यह जो धारा 45 की उपधारा 1 का 'ध' है, गंदी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करना।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, भारत के प्रधानमंत्रीजी का महत्वाकांक्षी सपना है कि हम इस भारत को स्लम मुक्त भारत बनाएं। इस भारत को कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाएंगे और 2022 तक इस मुल्क के एक-एक गंदी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति के पास, इस हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति के पास स्वयं का आवास हो। इस बारे में भारत सरकार सकारात्मक दिशा में प्रयास कर रही है।

राजस्थान की सरकार ने प्रधानमंत्रीजी की मंशा के अनुरूप और स्वयं मुख्य मंत्रीजी मुख्य मंत्री जन आवास योजना इस राजस्थान में संचालित करते हुए, इस राजस्थान की एक-एक गंदी बस्ती के पुनर्वास और उसके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? नारकीय जीवन जीने वाली गंदी बस्तियों को आजादी के 70 साल बाद किस प्रकार से विकास की अनुभूति कराई जाए? यह केवल सरकार का सोच नहीं है। यह केवल नजरिया नहीं है। इस नजरिये को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय कानून के अंदर समाहित करना, मैं समझता हूं कि सरकार की योजना का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कदम है।

सभापति महोदय, इसी के साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, मैं जब बजट पर भाषण कर रहा था तब इसकी चर्चा की थी। यह राजस्थान गौरवशाली परंपराओं का प्रदेश है। यहां स्वाभिमान और आत्म सम्मान की जिंदगी जीना व्यक्ति जानते हैं। लेकिन आर्थिक विषमताओं के चलते हुए इस मुल्क में अभी फिक्की के आंकड़े आए कि 4 प्रतिशत लोग इलाज के कारण बीपीएल हो गए। वह 4 प्रतिशत लोगों का इलाज कराते-कराते मकान बिक गया, खुद बिक गए। कई अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि पैसे के अभाव में इलाज से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। यह सारा व्यवस्था के माथे पर कलंक के रूप में छपता है।

सभापति महोदय, जिस रोज अख़बार में छपता है कि भूख से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। स्वाभिमानी व्यक्ति मंदिरों में, धर्मादे की तरफ नहीं झांकता। रोजगार के लिए व्यक्ति गांव से शहर की ओर पलायन करता है। लेकिन रोजगार नहीं मिलता। लेकिन वह भूखे सो जाता है और भीख नहीं मांगता। कम पैसे में उसको किस तरीके से, उसकी भूख का प्रबंध किया जाए? कम पैसे में उसको खाना खिलाकर किस तरीके से स्वाभिमान की जिंदगी जीने में उसके लिए मददगार बना जाए?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू कर दी। लगातार राजस्थान के कई जिलों में मुख्य मंत्री अन्नपूर्णा योजना 5 रुपये में नाश्ता, 8 रुपए में खाना, वह राजस्थान का गरीब आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जिसके पास खरीदकर अन्न, आटा लाकर के परिवार को खाना खिलाने की स्थितियां नहीं हैं, जिसकी जेब परमिट नहीं करती, लेकिन सुबह से शाम की मजदूरी उसको इस बात की परमिट करती है कि 5 रुपए का नाश्ता और 8 रुपए की रोटी खा ले, आत्म सम्मान के साथ सरकार ने उसके सामने यह अवसर उपस्थित कर दिया। आज एक संशोधन के माध्यम से कानूनी रूप से इसको समाहित कर दिया कि सरकार की तमाम एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से हम ऐसे व्यक्ति को, जरूरतमंद को 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाने का प्रबंध करें। यह कानूनी तौर पर संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। मैं समझता हूं कि यह साधारण संशोधन विधेयक नहीं, यह एक क्रांतिकारी कदम है। यह क्रांतिकारी पहल है। जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आज इस अवसर पर विपक्ष के लोग किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं? इसकी मुझे बहुत तकलीफ है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं बिल पर चर्चा कर रहा हूं तो दोनों पर चर्चा कर रहा हूं। हम गंदी बस्ती सुधार की बात कर रहे हैं। हम लोगों को भोजन की बात कर रहे हैं। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार से नगरपालिकाओं की भूमिका बने इसकी चर्चा कर रहे हैं।

मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नगरपालिकाओं की जो भूमिका पिछली सरकार ने बनाई, राजीव गांधी आवास योजना में पात्रता होगी तो फूड सिक्योरिटी के उस बिल के दायरे में आएगा। मैं जब इस विधान सभा में दूसरी बार जीतकर आया तो इसी जगह से खड़े होकर के कहा था कि राजीव गांधी आवास योजना की पात्रता के आधार की जांच होनी चाहिए। उसमें राजस्थान में हर जिले में कांग्रेस के कम से कम 5-5 हजार कार्यकर्ताओं को शामिल करके मुफ्त का गेहूँ खाने के लिए सरकार ने इजाजत दे दी थी।

सभापति महोदय, यह जो जनता के हक और अधिकार पर किस तरीके से, कानूनी तरीके से पिछले दरवाजे से डाका डाला जाए, जिस गेहूँ पर गरीब

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आदमी का हक है, जिस गेहूँ पर उस आदमी का हक है जिसके पास रोजगार का प्रबंध नहीं है और समुचित तरीके से बाजार से खरीदकर वह अपना परिवार नहीं पाल सकता है। उस पर भी राजीव गांधी आवास योजना की सर्वे सूची में हजारों कांग्रेस के लोगों का नाम लिखकर उन हजारों पात्र लोगों को अपात्रता की ओर धकेल दिया और उस अपराध का दंड राजस्थान के गरीब को दिया। इनको उसी अपराध का दंड राजस्थान की जनता ने दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। सरकारें काम करके अहसान नहीं करती जनता पर, सरकारों को काम करने का दायित्व दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले राज में क्या दृश्य हुआ?

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पट्टा अभियान चलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताएं कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जाने से पहले पट्टा अभियान चलाया और उस पट्टा अभियान के नाम पर कितना भेदभाव हुआ? मैंने तब भी खड़े होकर कहा था कि आप कच्ची बस्तियों को जिस प्रकार के पट्टे दे रहे हैं, पुराने शहर की बस्तियों को जिस प्रकार के पट्टे दे रहे हो और उन पट्टों में जो शर्त संख्या 4 जोड़ रहे हो, आज एक बिल तो ला रहे हैं मंत्रीजी फ्री होल्ड का, हम 100 साल की, 99 साल की लीज पर नहीं देंगे, आगे बिल पारित हो गया सदन में, जो पट्टा लेगा, जो मालिक होगा, जो फ्री होल्ड होगा। मैं आज मंत्री महोदय, सवाल करना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों ने जो कच्ची बस्तियों को पट्टा दिया, शर्त संख्या 4 जोड़ दी, न आप बेच सकते, न आपको सेल परमिशन मिल सकती है। इस आधार पर वह केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह गया, किसी गरीब आदमी ने 35-35 गज के प्लाटों का पट्टा लिया, अगर उसके बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, एक कमरा बनाने के लिए, लोन लेना पडा तो पट्टे की शर्त संख्या 4 के हिसाब से उसे विभाग न एनओसी देगा, न सेल परमिशन देगा और वह कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। वह कागज के टुकड़ों को लेकर, उन पट्टों को लेकर आज राजस्थान का तमाम कच्ची बस्ती का वाशिंदा अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आज इस सदन में मांग कर रहा हूं कि आप भी पट्टा अभियान चलाने वाले हो, जिस दो गज जमीन पर आदमी सिर रखने का, छप्पर रखकर इज्जत के साथ रहना चाहता है, वह माथे पर फिर कोई एक तलवार नहीं चाहता, अगर आप फ्री होल्ड कानून अपने बेचने वाले भूखंडों पर लाना चाहते हो, एग्रीकल्चर पर लाना चाहते हो तो स्लम को शिफ्ट करो या स्लम को पट्टे दो, उन तमाम को आपको फ्री होल्ड के दायरे में लाना पड़ेगा, तब लगेगा कि हमारी छत सिर ढकने का छप्पर बनाने का हक, अधिकार के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार हमारे प्रति जिम्मेदार है, सरकार हमारे वास्तविक हकों की रक्षा करने वाली है। बहुत दावे किए कांग्रेस के लोगों ने कि हमने इतने लाख पट्टे जारी कर दिए लेकिन वह पट्टे केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह गए, शर्त संख्या 4 के कारण और इसलिए आपको भी ऐसे ही उड़ाया जैसे कागज की पतंग हवा में उड़ती है।

इसीलिए हम जब कानून बना रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, हम कानून बना रहे हैं तो हमारे पास वह पुराने सारे अनुभव होने चाहिए, वह सारे के सारे अनुभव हमें चाहिए कि जिन अनुभवों को हम नए कानून बनाते समय उस नजरिये को समाहित करें। अगर हमने उस नजरिये की अनदेखी कर दी तो फिर गम्भीर परिणामों की चुनौती कभी हमारे सामने भी आकर खड़ी हो जाए, इस कल्पना से परे हमको नहीं जाना चाहिए। हमने परिणाम देखें हैं कांग्रेस के, सत्ता में बैठे हुए जनता के धन को लुटा रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, पट्टे बांट रहे हैं लेकिन वह नीतियां कांग्रेस को अपने अनुकूल लग रही होगी। लेकिन वह राजस्थान की जनता के अनुकूल नहीं थी और इसलिए हमारा एक-एक वचन, एक-एक एजेंडा, एक-एक निर्णय, कानून की एक-एक पंक्ति, उस एक-एक पंक्ति का सार इस समूचे राजस्थान के जीवन में मौलिक बदलाव लाने वाला और उसको कानूनी और व्यावहारिक अधिकार सम्पूर्ण रूप से, सम्पूर्ण रूप से जिसको हमने यह फ्री होल्ड कह दिया, एक-एक आदमी का हक, अधिकार होना चाहिए, जिसके पास पैसा है, जो आपकी नीलामी में पाँच करोड़ का भूखंड खरीद सकता है, जो प्राइवेट डवलपर पर पचास लाख, एक करोड़ का फ्लैट खरीद सकता है वह फ्री होल्ड बन सकता है तो फिर हमको उस व्यक्ति के बारे में जिसको हम कच्ची बस्ती कहते हैं, जिसको हम गंदी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बस्ती सुधार, आज कानून में समाहित कर रहे हैं। जिसको हम गंदी बस्ती कहते हैं और जिस गरीब के बारे में गणेश मानकर पूजा करना लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं, उस गरीब को भी हम किसी प्रकार से जहां रह रहा है, फ्री होल्ड राइट्स की व्यवस्था करें, यह गम्भीर चिंतन इस सदन में होना चाहिए और फिर इसके लिए भले आप चौथे के बाद पांचवाँ लेकर आ गए, भगवान के लिए छठा भी लेकर आ जाओगे, यह राजस्थान का गरीब आपको साधुवाद देगा, धन्यवाद देगा, हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करेगा कि कांग्रेस ने हमको कागज का टुकड़ा पकड़ाया था और कृपलानीजी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको वह पट्टा दिया है जो पट्टा हमें कानूनी अधिकार देता है कि मजबूरी में कहीं पलायन यदि परिवार का अगर जिले से बाहर, स्टेट से बाहर होता है तो मैं उस भूमि का मालिक होकर बेच सकता हूं या मुझे उसके विस्तार की, निर्माण की जरूरत है तो बैंक में गिरवी रखकर मैं लोन ले सकता हूं। इस बारे में भी आपको इस पट्टा अभियान चलाने से पहले-पहले यदि कोई अधिसूचना है, सर्कूलर या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से लाना चाहिए और इस अध्यादेश के बगैर आपने कच्ची बस्ती को उसी शर्त 4 को रखते हुए पट्टा अभियान चलाया तो राजस्थान के गरीबों के साथ बेइमानी होगी, नाइंसाफी होगी, वह केवल घिसे-पिटे पैटर्न पर चलने की, एक परम्परा बन जाएगी और इसलिए आज मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमको इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गंदी बस्ती सुधार, आपने लोगों के भोजन का प्रबंध और कानूनी रूप से यह करके सरकार और आपकी मंशा को इस राजस्थान ही नहीं, पूरे मुल्क के सामने स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में से स्लम को खतम करना चाहती है। इस मुल्क का वह व्यक्ति जो स्लम की जिंदगी 70 साल आजादी के बाद जी कर इस देश और व्यवस्था के माथे पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, हम जिम्मेदारीपूर्वक उसके जीवन में मौलिक सुधार लाएंगे, हम कानून सम्मत तरीके से हम उसके सहभागी बनेंगे। यह आपका नजरिया इस कानून में आया है, मैं इस कानून के पक्ष में अपनी बात रखते हुए, मंत्रीजी, आपको साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन जब आप फैसले करें

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और जब आप आगे बढ़े पट्टों के लिए तो मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, गम्भीरतापूर्वक आपको इन सारे विषयों पर विचार करना पड़ेगा।

आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप समितियां बना दें। समितियों में संख्या भी बढ़ा दें, समितियों में संख्या बढ़ा रहे हैं, मैम्बरों की संख्या के आधार पर, वार्ड पार्षदों की संख्या के आधार पर समितियों की संख्या भी बढ़ा दें लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, बढ़ाओ आप समिति, लेकिन समितियों के अधिकारों के बारे में आपका क्या कहना है? समितियों को किस प्रकार से आप अधिकार देंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले राज में मैंने कोटा की महापौर को रोते हुए देखा, नगर निगम का सीईओ वहां बोर्ड की बात नहीं मानता था, अपने अधिकारों को लेकर कोटा के स्वायत्त शासन मंत्री और मैंने राजस्थान पत्रिका में वह लेख भी पढ़ा, महापौर, उसकी आत्मा शुद्ध पवित्र गाय की तरह लेकिन सरकारी कानूनों का शिकंजा महापौर को अधिकारों से वंचित करके जिस भाव से कोटा की जनता ने चुना उसके काम पर ब्रेक लगाना है। यह सरकार का जो चेहरा था, पिछली सरकार का, महापौर के अधिकारों को ब्रेक करने का, आज आपको समितियों का विस्तार, समितियों के साथ-साथ समितियों के अधिकार, महापौर, अध्यक्ष और नगर पालिका के, नगर परिषद के सभापतियों के अधिकारों के बारे में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि जिस भाव से उनको लोग चुनते हैं, जिस विचार से उनको समर्थन देते हैं, उस ताकत के साथ उन्हें काम करने का अवसर कैसे मिले? वह ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे से कैसे बाहर निकले? निर्वाचित बोर्ड के फैसलों का पालन अनुशासनात्मक तरीके से सरकारी अधिकारी किस प्रकार से करे, इसके लिए कानून में सशक्त उपबंध करने की अगर आवश्यकता पड़े तो इस बारे में भी विचार करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से नगर पालिका को साउंड करना चाहते हैं तो इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

चुनौतियां बहुत है माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, राजस्थान में नगर पालिकाओं में पद खाली है माननीय मंत्रीजी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है माननीय सभापति महोदय, पिछले राज

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई तो इस आधार पर भर्तियों की जांच हुई कि मंत्री महोदय ने चुनाव के समय एक-एक पार्षद को कह दिया....

(19.00 बजे)

5-5 लोगों की नौकरी लगाओ और चुनाव का खर्चा वसूल कर लो। उस रोज आत्मा रोयी होगी। जिसके मन में गरीब के प्रति हमदर्दी नहीं है, उन लोगों से पैसा वसूली की, जिन्हें राजस्थान की नगरपालिकाओं में मैला ढोने की, मैला उठाने की नौकरी दी, सफाई की नौकरी। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सफाई कर्मियों की भर्ती लार्ज लेवल पर, पारदर्शी तरीके से स्टेडियम में लॉटरी निकालकर की जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। आज यह भी कहना चाहता हूं मौजूदा नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारों के हवाले सौंप रखा है और ठेकेदारों के हवाले से उन सफाई कर्मचारियों की क्या दुर्गति हो रही है? ठेकेदार उसके हक का पैसा खा रहा है। कई जगह पार्षदों पर ये चार्ज लग रहे हैं और इसीलिए जितने सफाई कर्मचारी ठेके पर लगे हैं, चैक के माध्यम से जब तक भर्तियां नहीं हो उनका एक-एक पैसे का भुगतान हो, इस बारे में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि नगरपालिकाओं की माली हालत कैसे सुधरे। जब तक इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलने वाला है।

मुझे याद है कोटा नगर निगम में आज भी जो कर्मचारी रिटायर होता है एक-एक, दो-दो साल तक उसको पीएफ और पेंशन के लिए वेटिंग में रहना पड़ता है। पहले 2015 के व्यक्ति की पेंशन और पीएफ क्लीयर करेंगे उसके बाद 2017 का नम्बर आएगा। रिटायरमेंट के बाद सारी जिंदगी भर सेवा के परिलाभ जिसे रिटायरमेंट के दूसरे दिन मिल जाने चाहिए थे उसके लिए जब आदमी 5-5 साल प्रतीक्षा करता है नगरपालिकाओं की माली हालत के कारण तो उसकी मन:स्थिति का क्या हाल होता होगा, कभी गंभीरतापूर्वक इस विषय में प्रयास करके आपको यह देखने की आवश्यकता है माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। यह सब करने के बाद कानूनसम्मत तरीके से इच्छा शक्ति व्यक्त करने के बाद कठोर पालना कानून के उपबंधों से कैसे हो, पालिकाओं की माली हालत को कैसे सुधारा जाय इस दिशा में बहुत गंभीरता से कमेटियां बना दीं, आपने संशोधन कर दिये, कर्तव्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया, यह बहुत जरूरी है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कोटा में चम्बल सड़ रही है। रिवर फ्रंट डवलपमेंट के बारे में आपको विचार करना चाहिए। कानूनों से नहीं। एक 30 एमएलडी का एसटीपी बनाया था। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं आप जांच करें उस 30 एमएलडी के एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की। साजीदेड़ा में बनाया प्लांट, भट जी का खांट, जिसका लेवल 50 फीट नीचे टेप करके उलटा पानी ले जाएंगे और जिस महत्वाकांक्षी योजना के आधार पर उसे बनाया था 30 प्रतिशत लाभ आज कोटा की जनता को नहीं मिल रहा। उसकी ड्राइंग, डिजाइन किसने बनायी है, इंजीनियरों पर जांच होकर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो काम संभव नहीं है, ड्राइंग, डिजाइन बनाकर उसको टेक्निकली फिजिबल बताकर 160 करोड़ रुपये का पलीता लगाने का काम जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं, मैं जब पहली बार इस हाउस में चुनकर आया था, मैंने नगरपालिकाओं पर बोलते हुए कहा था कि नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है? सन् 52 का व्यक्ति एमएलए, सन् 52 का सांसद चुनाव लड़ने गया होगा तो नाली की समस्या बतायी होगी। 52 का एमएलए, एमपी जिंदा है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन 52 की नाली की समस्या आज भी जिंदा है। हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम पर सवाल उठता है। हमने 52 से लेकर आज तक उस नाली और सड़क के निर्माण पर इतना पैसा खर्च कर दिया होगा कि राजस्थान के दुगुने शहरों में नई नालियों और सड़कों का निर्माण हो गया होता। यह इंजीनियरिंग सिस्टम, जो हमारा डिफॉल्ट है, बेईमान है, इस पर गंभीरतापूर्वक तरीके से विचार करके एक नई नीति ईजाद करनी चाहिए।

आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी संशोधन। आपने कराधान की अपीलों के संदर्भ में कलक्टर से छीनकर नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारियों को पावर दे दिया। माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से आपका ध्यान चाहूंगा आज की तारीख में नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम में मच्छर मारने से लेकर महल गिराने का निर्णय सीईओ के अलावा कोई दूसरा अधिकारी नहीं ले सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। जब कर निर्धारण जैसा मामला सीईओ की जानकारी से तय होगा, आयुक्त की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जानकारी से तय होगा और जब कलक्टर के पास अपील होती थी, कलक्टर एक स्वतंत्र निकाय होने के कारण उसमें गुंजाइश होती थी उसमें न्याय मिलेगा। नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम से उसका कोई प्रत्यक्ष एफिलिएशन नहीं है, नगरपालिका का निर्णय बायस्ड हो सकता है, कलक्टर को उस पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की जो पहले शक्तियां थीं, मैं समझता हूं एक स्वतंत्र निकाय के नाते एक स्वतंत्र अपील अधिकारी कलक्टर था। अब आपने संशोधन कर दिया जो दण्ड लगाएगा वही अपील सुनेगा। दण्डाधिकारी जो बायस्ड होकर काम करेगा, अपील का फैसला भी वही करेगा। यह कौनसा कानून बना रहे हैं? क्या मायने हैं इस संशोधन के? अगर आयुक्त की जगह अच्छा होता आप कलक्टर से ज्यादा शक्तिशाली संभागीय आयुक्त लिखते कि संभागीय आयुक्त इसकी अपील को सुनेगा तो हमको लगता कि हम जनता को बड़े शक्तिशाली अपीलीय अधिकारी की व्यवस्था देकर और अधिक अच्छी मंशा व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन ड्राफ्ट कर दिया अधिकारियों ने। हमारे पास ही अधिकार रहना चाहिए। हम नगर निगम के सीईओ हैं, ईओ हैं, हम ताकतवर कैसे बने रहें। इसीलिए जो अधिकारियों की मंशा की ड्राफ्टिंग हैं, भगवान के लिए हम आज हाथ खड़े करेंगे, लेकिन अगर वह ड्राफ्टिंग गलत है तो उसके पक्ष में हाथ खड़े करने का पाप मत कराओ। इसलिए आज कह रहा हूं कलक्टर से छीनने के कोई विधिसंगत कारण क्या हैं, ये सदन को बताएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपीलीय अथॉरिटी विभाग से अलग होनी चाहिए क्योंकि फिर इसमें अपील की कोई अपील ही नहीं है। फर्स्ट अपील इज फाइनल। नो रेमेडी। कोई छूट नहीं है। फिर जिसने दण्ड दिया वही जाकर रोओ। फिर वो मारे या छोड़े उसकी मर्जी। इसलिए इस विसंगति को कभी आप आवश्यक समझें तो निश्चित रूप से लाएंगे। दोनों-तीनों बिलों पर, चूंकि यह जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, बोलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने सदन का समय जाया किया है, राजस्थान इस अपराध के लिए उनको माफ नहीं करेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले आपसे इस बात की परमिशन लेंगे कि आप रूल में रिलैक्सेशन करिए। उसके बिना नहीं कर सकते। पहले आपको रूल्स में रिलैक्सेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप रूल को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, जो दोनों बिल अभी सर्कुलेट हुए हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नियमों में प्रावधान भी है, आसन रूल्स में रिलैक्सेशन कर सकता है, रूल में रिलैक्स करके माननीय प्रभारी मंत्रीगणों का नाम पुकारें ताकि वे पुर:स्थापित करें।

श्री सभापति: आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रिलैक्सेशन दिया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले इनसे पूछिए कि प्रक्रिया का कौनसा रूल है जिसके अंतर्गत ये प्रार्थना करेंगे? आप बता दें साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, रूल 306 है। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। 306 के अंदर आपको रेजीड्युअल पावर है। "नियमों का निलम्बन।" "कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित किया जा सकेगा।"

इसके अलावा रूल 307 में अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसमें रेजीड्युअल शक्तियां हैं। सदन सर्वोपरि है, इन दोनों नियमों में साफ है। ये कहते हैं, इसलिए आप रिलैक्स कर सकते हैं।

श्री सभापति: नियम और प्रक्रिया हाउस को चलाने के लिए है, इसकी व्यवस्था के लिए है, इसमें सुधार के लिए है। टेक्नीकली रूप में पर्टीकुलर नियम 307 है या 107 है या 207 है, यह पढ़ना जरूरी नहीं है। यह अण्डरस्टुड मानते हुए कि जिसमें रेजीड्युअल पावर चैयरमैन, स्पीकर को है उसके तहत ही रिलैक्सेशन दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ठीक है साहब अब तो।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य मनोज कुमारजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 पर आपने बोलने की अनुमति दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये बीच में बिल ब्या रहे हैं क्या जो रोका है? मैंने सोचा कि मंत्री जी जवाब देने लग गये इसलिए भगकर आया मैं तो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, इस चतुर्थ संशोधन विधेयक में 3 धाराओं में विशेषकर संशोधन किया गया है, धारा ४५ में, धारा 55 में और धारा 121 में। धारा 45 में जो संशोधन किया गया है इसका मूल उद्देश्य (ध) में जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जरूरतमंद व्यक्तियों को जो भोजन की व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मामला है यह एक गम्भीर विषय है। क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आती है तो इसमें खाद्य सुरक्षा की जरूर चर्चा होती है लेकिन गंभीर विषय है कि गरीब लोग जो इस शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको कानून के माध्यम से 53 प्रतिशत के दायरे में बाँध दिया गया। 53 प्रतिशत में कोई व्यक्ति चाहे वो पात्र हो या अपात्र हो लेकिन 53 प्रतिशत के बाद भी अगर कोई पात्र व्यक्ति इस दायरे में आता है तो भी कानून या नगरपालिका, नगर निगम उनको अनुमति नहीं देती क्योंकि 53 प्रतिशत से आप अधिक हो गये। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए और जो व्यक्ति पात्र है उसको शामिल किया जाए, उसको किसी भी सूरत में इस मामले में नहीं रोका जाए।

सरकार और नगरपालिका ने धारा 55 में समितियों के गठन की, 2 नई समितियां और गठित करने की बात की है और इस विधेयक में संशोधन लेकर आये हैं उसमें कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार ने, आपने जितनी समितियां नगरपालिका और नगर निगम में हैं उन समितियों का ही आज तक गठन नहीं कर पाये। उन समितियों के पास क्या-क्या शक्तियां हैं, अगर किसी भी नगरपालिका में, किसी भी नगर निगम

(श्री मनोज कुमार)

में अगर वो समितियां शक्तियों का पालन करती हों, उन समितियों को जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का कतई उपयोग नहीं किया जाता। जो कार्य नगरपालिका के ई.ओ. या आयुक्त जो करते हैं, मण्डल की बैठक में जो होता है वो ही होता है और समितियों के किसी भी निर्णय को लागू नहीं किया जाता है इसलिए समितियों को जो शक्ति दी जाए, जो पावर उनको दी जाए, उस शक्ति का इस्तेमाल समितियों को करने के लिए आप नगरपालिका, नगर निगम को बाध्य करें कि आप उन समितियों के किसी भी निर्णय के बिना अपने मण्डल में या किसी भी कार्य को उनकी सहमति के बिना न किया जाए वरना इन समितियों का गठन करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जब सरकार अब तक साढ़े तीन वर्ष में अपनी समितियों का गठन करके उनको शक्ति नहीं दे पाई तो और नई समिति गठित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

माननीय सभापति महोदय, धारा 121 में कराधान से सम्बन्धित अपील का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें क्षेत्रीय उप निदेशक का किया है जो सम्भाग स्तर से कम कहीं पर नहीं बैठता है। एक नगरपालिका क्षेत्र में अगर कराधान में छोटी भी त्रुटि हो गई, अगर मण्डल के द्वारा उनको हजार, दो हजार, पांच हजार रुपये का भी मामला है तो उसको सम्भाग स्तर पर यदि अपनी अपील करने के लिए उस व्यक्ति को जाना पड़ता है तो यह बहुत गम्भीर विषय है। यदि वह दो, पाँच हजार रुपये के लिए अगर सम्भाग स्तर पर जाएगा तो उसके आने-जाने में खर्च हो जाएगा तो उससे अच्छा तो वो यह महसूस करेगा कि हमारे साथ जो गलत हो गया उसको हम सहन करने के लिए तैयार हैं लेकिन उस अपील के माध्यम में वो नहीं जा पायेंगे। इसलिए सैक्शन 121 में जो आपने कलेक्टर्स के पावर छीनकर क्षेत्रीय उप निदेशक को दिये हैं ये सरासर गलत हैं, इसमें आप वापस गंभीरता से विचार करें, संशोधन करें कि यह अपील का प्रावधान माननीय कलेक्टर के पास ही रहे जो कि एक नजदीक जिला हैड क्वार्टर पर एक व्यक्ति अपनी सामान्य सी एप्रोच के माध्यम से वहां तक जा सके वरना यह गरीब लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा और वो क्षेत्रीय उप निदेशक के कार्यालय में अपील के लिए नहीं जा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका, नगर निगम हो इनका क्षेत्र में

(श्री मनोज कुमार)

जो प्रचार है और इन लोगों की जो भावना क्षेत्र में बनी हुई है वो आप सब लोग जानते हैं और सभापति महोदय, आप एक विधिवेता हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी नगरपालिका और नगर निगम में अगर आपके पास पैसा और धन देने के लिए नहीं है तो आप किसी भी कार्य को वहां नहीं करा सकते। यह इतना गंभीर विषय है और मैं कहता हूं कि धारा 245 का नोटिस देते हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि चाहे पूरे राजस्थान में इस विषय पर जांच करा लें, 245 का नोटिस देने के बाद आपके नगरपालिका के ई.ओ. को या वहां के बैठे हुए किसी भी कर्मचारी, अधिकारी को आप अगर धनराशि देकर आ गये तो उसका निस्तारण नहीं करते। कितने वर्षों से 245 के नोटिस की कार्यवाही अंतिम छोर में है और आपने क्या निर्णय किया और क्या 245 का नोटिस देने के बाद आपने जिस उद्देश्य से नोटिस दिया, क्या उन खामियों की पूर्ति कर दी गई? कोई भी नहीं करता लेकिन उस 245 के नोटिस के नाम से एक डर दिखाकर उस व्यक्ति से पैसे ऐंठने के अलावा नगरपालिका दूसरा कोई काम नहीं करती।

माननीय सभापति महोदय, स्वच्छता अभियान के नाम से पिछले सत्र में एक संशोधन लिया था कि व्यापारियों से 150-350-450 और घरेलू लोगों से 40 रुपये घर-घर कचरा संग्रहण के नाम से आप किसी भी संस्था और एन.जी.ओ. को टेंडर देकर उन लोगों से राशि वसूलने का काम कर रहे थे। जिन एन.जी.ओ. के द्वारा जो राशि ली जा रही थी उसमें कंडीशन थी कि कोई भी एन.जी.ओ. और संस्था अगर कचरा संग्रहण करेगी तो सिर्फ आप उनकी सहयोग राशि ले सकते हैं और सहयोग राशि के नाम से धारा 374 तथा 377 के नोटिस देकर नगरपालिका ने उन एन.जी.ओ. को पैसा लुटाने के लिए लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कर दिये। मैं मेरे राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की विशेष बात बताना चाहता हूं कि विधायिका कानून बनाने का काम करती है और 150 और 40 रुपये की राशि हमारे सदन से पास हुई परन्तु उसके बाद भी नगरपालिका अपने मण्डल में प्रस्ताव लेकर 150 रुपये को 75 रुपये और 40 रुपये को 20 रुपये करने का प्रस्ताव लेती है तो इससे बड़ी अनियमितता और कोई नहीं हो सकती। इस सदन में कानून पास करने के बाद किसी भी सदन को शक्ति नहीं है कि वो उसमें कोई संशोधन करे पर उस संशोधन के नाम से एक एन.जी.ओ., समर्पित सेवा संस्थान को टेंडर दिया और उस एन.जी.ओ. को

(श्री मनोज कुमार)

32 लाख रुपये नगरपालिका भुगतान करने के लिए तैयार हो गई कि यह 75 और 20 रुपये की राशि हमने प्रस्ताव लेकर छूट की है इसका भुगतान नगरपालिका करे। उसमें, संशोधन में लिखा है कि संस्था को नगरपालिका किसी भी तरीके का भुगतान नहीं करेगी, उनको कोई योगदान नहीं करेगी परन्तु उसके बाद भी मेरे यहां राजगढ़ नगरपालिका 32 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हो रखी है और आपके यहां डी.एल.बी. में परमिशन देने के लिए प्रस्ताव भी आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इस विषय पर गंभीरता से विचार करें कि 32-32 लाख रुपये इस नगरपालिका का एक एन.जी.ओ. को अगर आप भुगतान कराएंगे तो यह लूट का अड्डा और ज्यादा बढ़ जाएगा और यह संशोधन, प्रस्ताव लिया है तो उस ई.ओ. के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए कि विधायिका के कानून पास करने के बाद उस प्रस्ताव को वो कैसे ले सकते हैं इस पर आप विचार करें। मैंने सदन में भी कहा था, मैंने नगरपालिका मण्डल में कहा कि आपके पास यह शक्ति नहीं है पर उसके बाद भी प्रस्ताव लिया और आज 32 लाख का भुगतान करेंगे। यह वीडियो वायरल हुआ है हमारे राजगढ़ नगरपालिका में जिसमें एक ई.ओ. को चेयरमैन धमका रहा है कि यह 32 लाख रुपये के चैक पर साइन करो और ई.ओ. कहता है कि साहब, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं नहीं कर सकता, किस मद में करूं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसकी गम्भीरता से जांच कराएं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें प्रदेश सरकार ने लोडिंग टैक्सी... साहब, थोड़ा-सा समय तो दो।

श्री सभापति: हां करो, थोड़ा जितना जल्दी हो सके।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ...प्रदेश सरकार ने कचरा संग्रहण के नाम से लोडिंग टैक्सी, पूरे प्रदेश में वितरित की और उसका भुगतान, आपने नगरपालिका क्षेत्र से पैसे लिये तो टेण्डर फिर आपने प्रदेश लेवल से क्यों किये? क्योंकि इसमें बू आ रही है कि आपके प्रशासनिक तंत्र ने जिस कम्पनी की लोडिंग टैक्सी खरीदी हैं, उसमें कहीं न कहीं इनका कमीशन का खेल हुआ है, नहीं तो नगरपालिका पैसे भुगतान कर रही है। ये लोडिंग टैक्सी क्यों खरीद रहे हैं? लोडिंग टैक्सी के लिए नगरपालिका अपना भुगतान कर रही है। वह तय करे। वह उस मण्डल के माध्यम से तय करके खरीदे। इसके माध्यम से, अगर यहां से खरीदकर भेजी गई हैं तो इस पर भी आप गम्भीरता से विचार करके इनकी जांच करें।

(श्री मनोज कुमार)

वित्तीय अनियमितता की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिका मण्डल में किसी भी वित्तीय वर्ष के सम्पन्न होने के बाद, अगर आप मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष के समापन के बाद उसकी स्वीकृति लेते हैं तो वह कतई कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। ऐसा निर्णय 2013-2014 की मण्डल बैठक में 2016 में मेरे राजगढ़ नगरपालिका ने लिया। मण्डल की बैठक में कार्यों की स्वीकृति नहीं ली। दो वर्ष बीतने के बाद जब उनको कानून के बारे में यह महसूस हुआ कि हम गलत कर रहे हैं तो दो साल बाद मण्डल की बैठक में लेकर उसको स्वीकृति प्रदान की। और किस मद में पैसा खर्च किया? वार्षिक प्लान में जो कार्य नहीं हो, उन कार्यों को किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। इतनी वित्तीय अनियमितता उस नगरपालिका में चल रही है माननीय मंत्री महोदय और इसी में मैं कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय अनियमितता की जांच भी हमने कराई। लोकायुक्त ने आपके अधिकारियों को दोषी माना। आपके क्षेत्रीय उप निदेशक ने जिन-जिन दोषी अधिकारियों की सूची लोकायुक्त को भेजी कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक आपकी डीएलबी के द्वारा या आपके क्षेत्रीय उप निदेशक के द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि आप लोग सब सरकार के दंभ में है या अपने बल के कारण यह महसूस करते हो कि सरकार चाहे कितना ही भ्रष्टाचार करे, उन सबको हम बर्दाश्त करेंगे। जब आपको लोकायुक्त जैसी संस्था दोषी मान लेती है, उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो इससे ज्यादा और गम्भीर विषय कोई और हो नहीं सकता।

निविदा के मामले में माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष की किसी भी नगरपालिका के ओपन टेण्डर के बारे में अगर नगरपालिका की आय का सवाल है, वहां किसी भी निविदा को एक वर्ष से आगे नहीं बढ़ा सकते। इसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राजगढ़ नगरपालिका में बस स्टैण्ड का एक टेण्डर होता है और बस स्टैण्ड के उस टेण्डर में कम से कम 12 से 15 लाख रुपये हर वर्ष ओपन में बोली छूटती है लेकिन पिछले दो वर्ष से नगरपालिका उसको एक्सटेंड कर रही है जोकि अधिकतम तीन माह से ज्यादा किसी भी सूरत में एक्सटेंड नहीं कर सकती। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस विषय पर जांच करायें। आज भी नगरपालिका ने उसे एक्सटेंड करके, उसी ठेकेदार को आज भी उस बस

(श्री मनोज कुमार)

स्टैण्ड की, उस पर्ची को काटने का मौका दे रखा है। इसलिए कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका की आय के ऊपर यह कुठाराघात नगरपालिका के ई.ओ. और चेयरमैन के माध्यम से मिलीभगत करके किया जा रहा है इसलिए इसकी भी जांच की जाए और जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं लोक सेवक होते हुए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। इसविषय की आप जांच करायें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से मुझे... दो मिनट। इस बात पर लगता है कि आप लोग भी अगर शिकायतें करने के बाद भी, आपके प्रमुख शासन सचिव, आपके वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव और आपके निदेशक, उप निदेशक, सबको हमने चिट्ठी लिखी है कि अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन आपका एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी हमारे जन प्रतिनिधियों के पत्र की चिंता नहीं करता कि किस उद्देश्य से आपके खिलाफ जो लिखा है, उसकी जांच का हमने क्या किया? जांच करने के बाद हमें किसी भी प्रकार का यह लिखा नहीं जाता कि हमने इसकी जांच की। इस जांच में हमने यह पाया है तो आपसे यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, जन प्रतिनिधियों की चिट्ठी जिस विषय पर आती है, उनकी जांच भी की जाये और उनकी रेस्पोंसिबिलिटी भी आप तय करें कि वह उनका जवाब भी दें और उस कार्रवाई के लिए अवगत भी करायें।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में जो कार्य किये जाते हैं, 20 से 30 प्रतिशत बिलो रेट पर टेण्डर छूटते हैं और 10-20 परसेंट कमीशन के होते हैं और 10-5 परसेंट टैक्स के हो जाते हैं। 50 प्रतिशत में काम होते हैं जिनकी गुणवत्ता के बारे में आप विचार कर सकते हैं माननीय मंत्री महोदय, यह सरासर घटिया स्तर के काम होते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, पिछले दो वर्ष के बारे में मेरे राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की मांग करता हूं कि जिन-जिन कार्यों में अनियमितता की गई हैं, जो-जो कार्य घटिया स्तर के किये गये हैं, उन कार्यों की जांच की जाये और जो कार्य समयबद्ध, पहले निर्माण हो गया और उनका निर्धारित समय होने से पहले उसी स्थान पर अगर दुबारा निर्माण कर दिया गया तो उसकी भी जांच करवाई जाये क्योंकि इस तरीके से उनकी व्यवस्था इतनी गम्भीर हो गई कि वह जो चाहे, मर्जी से करते रहते हैं।

(श्री मनोज कुमार)

तीसरा मेरा यह निवेदन था कि बजट, जो आपने कहा कि खाने की गरीब लोगों की व्यवस्था के लिए नगरपालिका क्षेत्र को हम शक्ति देने जा रहे हैं लेकिन आपने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। नगरपालिकाओं की कई जगह हालात बहुत गम्भीर हैं। उनके पास व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में उनकी व्यवस्था भी नहीं चल पा रही है। उनको आप बजट का इसमें प्रावधान करें और जिस कम्पनी को आप ठेका दे रहे हैं इस भोजन और नाश्ते का, उन कम्पनियों को जो भुगतान कर रहे हैं, उस कम्पनी की भी जांच कराई जाये क्योंकि एक पर्टिकूलर कम्पनी को आप 27 से 23 रुपये उनको भुगतान कर रहे हैं, उन भुगतान का एक ही कम्पनी को दे रहे हैं, इसलिए इस पर भी दुबारा विचार करें।

एक मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, तहसील मुख्यालय पर, उपखण्ड कार्यालय है मेरा राजगढ़, वहां अग्निशमन वाहन नहीं है और गम्भीर आगजनी खूब बार हुई हैं। इस पर भी आप माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत बड़ा गम्भीर विषय है कि तहसील कार्यालय पर, उपखण्ड कार्यालय पर आगजनी हो जाये तो हमें चूरू जिला हैडक्वार्टर से या पिलानी से अग्निशमन वाहन मंगाना पड़ता है। इसलिए इस पर आप विचार करें।

एक मैं और कहना चाहता हूं कि मेरे राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में ग्रीन लैण्ड है नेहरू पार्क गांधी पार्क के नाम से, नगरपालिका एक टाउनहाल के नाम से उस ग्रीन बैल्ट को परिवर्तित करने जा रहा है। उस नेहरू पार्क को, गांधी पार्क को स्वरूप चेंज करने जा रहा है। उसमें एक टाउनहाल का निर्माण कर रहा है इसलिए माननीय मंत्री महोदय, उसको रोका जाये क्योंकि हमारा वह पार्क रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक है और उसका अगर स्वरूप चेंज हो जायेगा तो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पायेगा।

एक सफाई कर्मचारियों की बात है। उनके साथ बहुत बड़ा गम्भीर अन्याय हो रहा है साहब।

श्री सभापति: मेरा यह कहना है, यह डिमांड नहीं है। थोड़ा-सा जल्दी करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, सफाई कर्मचारियों की बात है। सफाई कर्मचारियों को अस्थाई रूप से ठेकेदारों के माध्यम से लेकर के, उनको

(श्री मनोज कुमार)

20-20 साल से आप लगा रहे हो, उनको 200 रुपये से ज्यादा नहीं दिये जा रहे है और वह दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों की स्थाई भर्ती करके, उन लोगों को भी रोजगार दिया जाये जो सफाई और गंदगी में पूरे दिन काम करते हैं लेकिन 100-200 रुपये में उनसे काम कराया जाता है, ठेकेदार उनसे पैसे वसूल करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 8 मार्च, 2016 को माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में घोषणा की थी और 30 मार्च, 2016 में माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने उसमें संशोधन भी किया था और यह आरयूआईडीपी के नाम से शहरी आधारभूत सुविधा के विकास के लिए ड्रेनेज योजना की घोषणा की थी लेकिन सवा वर्ष का समय बीतने के बाद भी सरकार एक कदम नहीं चली। अगर बजट में कोई चीज लेकर आ गये तो फिर आप जवाब दे रहे हो कि लोन लेने के लिए फाइल गई है तो लोन जब तक आपका स्वीकृत नहीं होगा तो इस बजट में लाने की जरूरत नहीं थी। या तो सरकार इस कार्य को करना नहीं चाहती है और करना चाहती है तो सरकार जल्द से जल्द इस कार्य को करें...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ...जिससे मेरी राजगढ़ नगरपालिका को उसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य सुखराम जी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 इसमें तीन धाराओं में संशोधन किये जा रहे हैं। धारा-45 में (क) से (थ), जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना, उसको आगे बढ़ाते हुए महिला कल्याण और बाल विकास को बढ़ावा देना। साथ ही (ध) में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। उसे आगे बढ़ाते हुए गरीबी उन्मूलन, गरीबों की स्थिति में सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था कराने के लिए भोजन तैयार करना।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सैक्शन (55) के अंदर समितियों के बनाने की बात है। पहले नगरपालिका में सैक्शन-25 के तहत सात कमेटीज ही थीं और एक और बना सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं। नगरपरिषद छह बना सकती है, नगरपालिका बोर्ड चार, तो आलरेडी पहले ही सात कमेटी बनी हुई हैं और आठवीं उनको बनाने का फोर्थ हाउस, नगरपरिषद, नगरपालिकाओं को है तो ऐसे में सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां है। यह जो पहले कमेटी बनी हुई है

गंदी बस्ती सुधार समिति इसमें लिया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरी कमेटी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति उसमें इसको सम्मिलित किया जा सकता था। एक दूसरी कमेटी बनाई गई है महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था और तीसरी सैक्शन-121 के अन्दर नगर निगम के पॉवर आयुक्त को दिये गये हैं नगर परिषद के नगरपालिका बोर्ड के क्षेत्रीय उप निदेशक को दिये गये हैं अपील के पॉवर जो पहले जिलाधीश के पास थे। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि जहां तक ये कराधान के संबंध में अपीलों का मामला है जैसे मेरे सांचौर नगरपालिका है वहां कलेक्ट्रेट सवा सौ किलोमीटर दूर है और ये जो उप निदेशक बैठता है जोधपुर वो तीन सौ किलोमीटर दूर है। कलेक्टर एक निष्पक्ष है नगरपालिका के लिए और वहां उप निदेशक कार्यालय में क्या हालात हैं, खुद एक आदमी जाकर के फाइल सैंक्शन करा कर ले आता है। कोई काम अपने-आप बात कराके लेकर आ जाता है तो एक जो पारदर्शिता जो न्याय कलेक्टर के पास मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा। क्या पता किस हिसाब से इस धारा को अमेंड किया गया है। रही बात सैक्शन-45 की तो उसमें ऑलरेडी जो कमेटियां बनी हुई हैं उन के तहत ही कार्य कराया जा सकता था परंतु ये जो खाने की जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराने की योजना है, माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में एक ही कंपनी को नाश्ते और खाने के टेण्डर दिये गये हैं। मेरा आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्थाएं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हां, आप बोलें। अभी ठीक कराते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वहां जो स्थानीय नगरपालिका स्तर है

(श्री सुखराम विश्नोई)

नगरपालिका पर इसका बोझ डाला गया है। नगरपालिका स्तर पर टेण्डर हो और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो ही नाश्ते और खाने की व्यवस्था करेंगें तभी जाकर के उसमें पारदर्शिता होगी और खाने की जो गुणवत्ता है, खाने का जो एक तरीका है खाने के लिए उठने-बैठने का, किस जगह खाना दिया जाए, टिफिन में दिया जाए या इस तरह से कोई रैन बसेरा टाइप बनाया जाए, मेरा आपसे निवेदन है कि एक कंपनी को न दिया जा कर के, एक एनजीओ को न दिया जा कर के क्षेत्रीय स्तर पर जहां जो नगरपालिका है नगरपालिका नगर बोर्ड है, नगर परिषद है उन्हीं को दिया जाए वह अपने स्तर पर ही व्यवस्था करे तभी जाकर के इसमें सुधार हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि पिछले नगरपालिका चुनाव में पांच साल तक कमेटियां नहीं बनी। अब जो नये चुनाव नगरपालिका के हुए उसमें दो साल तक अभी जाकर दो महीने पहले कमेटियां बनी हैं। जब जो पहले कमेटियां सात चल रही हैं उन कमेटियों का माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि कोई कमेटियों की मीटिंग नहीं हो रही है। जिस कमेटी का अध्यक्ष नगरपालिका चैयरमेन है वित्त कमेटी का उस कमेटी की भी मीटिंग कभी महीने भर नहीं होती है। मीटिंग्स होती ही नहीं। आम मीटिंग ही मुश्किल से चार-पांच महीने में होती है तो कम से कम जो सात-आठ कमेटियां पहले ऑलरेडी बनी हुई हैं आप यह पहले सुनिश्चित कर दें कि उन कमेटियों की प्रत्येक महीने मीटिंग होगी और मीटिंग में क्या निकल कर आएगा, मीटिंग में क्या निर्णय होंगे उन निर्णयों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है जब तक उन मीटिंगों की पालना नहीं हो रही है उन कमेटियों की मीटिंग नहीं हो रही है उन मीटिंगों का रिजल्ट नहीं निकला है तो ऑलरेडी आप दो-तीन कमेटियां बना कर के क्या फतह करना चाहते हो यह समझने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नगरपालिका में कामकाज का मामला है नगरपालिका में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। चाहे एनओसी लो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति लो या दूसरा छोटा-मोटा खांचा भूमि का पट्टा लो या दूसरा किसी तरह का पट्टा लो केवल मात्र ले-दे कर सब काम होते हैं तो मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि कम से कम नगरपालिका के अन्दर इस तरह का एक स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन दिया जाए ताकि लोग महसूस करें।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): यह परिपाटी कब से पड़ी?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके राज में नहीं पड़ी क्या? आपके कोई राजा हरिश्चन्द्र है क्या आपके राज में। आपके राज की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो हो रहा है मामला। मैं आज की बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि ये जो नगरपालिका के अन्दर पारदर्शिता लाने का मामला है यह जब तक नहीं होगा तब तक चाहे कितनी ही आप कमेटियां बना लो, कितने ही अमैंडमेंट कर लो, कितने ही कठोर कानून पास कर दो, जब तक कठोर प्रशासन नहीं होगा जब तक जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगी तब तक जो नगरपालिका के हालात बने हुए हैं वो हालात बड़े खराब हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चाहे सफाई का मामला हो, सफाई पूरी सिटी में होती नहीं है। वहां से टेलीफोन करते हैं, नगर सेवक टेलीफोन करते हैं, प्रधान टेलीफोन करते हैं कभी-कभी हमारे पास लोग आते हैं हम भी टेलीफोन करते हैं महीने-महीने भर वो कचरा वहां पड़ा रहता है कोई उठाने वाला नहीं है और जो कचरा उठाता है वो नगरपालिका के पास ठोस कचरा डालने के लिए अवशिष्ट डालने के लिए न तो कोई स्थान है, कभी शहर के पूर्व की तरफ डाल दिया, कभी पश्चिम की तरफ डाल दिया कई ऐसे सिटी हैं जहां अवशिष्ट डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगा मंत्री जी को कि कम से कम मेरी नगरपालिका सांचौर में एक मेला का मैदान है उस मेले के मैदान में अवशिष्ट डालते हैं। जब तहसीलदार ने मना किया तो दूसरा उसके लिए स्थान नहीं है। कभी किसी आबादी के पास डाल रहे हैं तो कम से कम नगरपालिका के अन्दर गंदगी डालने के लिए उसका स्थान निश्चित किया जाए और जो कचरा है एक तरफ कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत बना रहे हैं, तो स्वच्छ भारत जब बना रहे हो तो उस अवशिष्ट से कोई बिजली तैयार हो सकती है या कोई दूसरा यूरिया खाद तैयार हो सकती है तो कम से कम जो अवशिष्ट कोई सब्जी के हैं या दूसरे हैं उनका अलग-अलग बंटवारा किया जाकर के उनको उस हिसाब से काम में लिया जाए उस तरीके से कोई उद्योग डाला जाए प्रत्येक जिले में, ताकि चार-पाँच नगरपालिका उस क्षेत्र की हैं उनके काम आ जाए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि कच्ची बस्ती की बात कर रहे थे मेरे कोटा से आने वाले साथी कि कांग्रेस राज में ऐसा एक टुकड़ा दे दिया कागज का, माननीय सभापति महोदय, वो टुकड़ा नहीं है वो उसका पट्टा है केवल पांच रुपये, सात रुपये वर्ग फुट में दिया गया है और उसमें शर्त लगायी गयी है कि वो आगे बेच नहीं सकता है। अगर मान लो बेचने की छूट होती तो वाकई में जो गरीब लोग हैं उनसे भूमाफिया खरीद कर के सिटी से बाहर निकाल देते। टेनेंसी एक्ट जब लागू हुआ था तो उसमें यह कानून बना था कि एससी/एसटी जमीन नहीं बेच सकते, तभी तो जमीन उनके पास है। उनको छूट होती तो आज एससी/एसटी के पास राजस्थान में कोई जमीन नहीं होती, भूमाफिया के पास होती। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि जो कृषि उनका जो कन्वर्जन होता है उसमें जो एनओसी नगरपालिका देती है वो पहले ले-दे कर दे देती है, न तो वहां रोड बनती है, न वहां पाइप सिस्टम होता है, न लाइटिंग की व्यवस्था होती है और जब अलॉट हो जाती है मकान बनाये जाते हैं फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे एमएलए फंड से पैसा दो, हम रोड बनायेंगे, लाइट के पैसे दो, लाइट लगायेंगे। मेरा आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन है कि कॉलोनी जो भी बने और जो कॉलोनी बनी हुई है उन कॉलोनीज में जो कॉलोनी जिन्होंने काटी है उनमें लाइट की व्यवस्था नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है या सीवरेज की व्यवस्था नहीं है या सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है तो वापस आपके नगपालिका में टैक्स जमा कराया है आपने एनओसी दी है तो या तो आप बना कर दें या जिसने कॉलोनी काटी है उसे पाबंद किया जाए। उन कॉलोनियों में वाकई में यह व्यवस्था की जाए, ताकि वहां जो आबादी रह रही है वो निश्चित रूप से रह सके। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि जो एनओसी दी जाती है भवन निर्माण की एनओसी ले ली और एनओसी लेने के बाद न तो ई.ओ. और न संबंधित कर्मचारी उस बिल्डिंग का मुआयना करते हैं। नक्शे के अनुसार बिल्डिंग बनी या नहीं बनी है। एनओसी ले ली, भवन निर्माण की स्वीकृति ले ली और लेने के बाद में उसमें टांका बनाया या नहीं बनाया उसमें दूसरी व्यवस्था की कि नहीं की। कोई व्यवस्था नहीं है तो माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भवन निर्माण की एनओसी मिलती है उस एनओसी मिलने के बाद में

(श्री सुखराम विश्नोई)

उसका बाकायदा नगरपालिका के ई.ओ. द्वारा और वहां के कर्मचारियों द्वारा उसका निरीक्षण किया जाए। नक्शे के अनुरूप वो बिल्डिंग बनी या नहीं बनी है। नहीं बनी है तो उसे पाबंद किया जाए। उसे पैनेलाइज किया जाए, ताकि जाकर व्यवस्थित तरीके से वो बिल्डिंग बन सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि नगरपालिका में जो भी आज की तारीख में व्यवस्था है चाहे नाले की व्यवस्था है, नालियां ठेकेदार ने बनाई हैं वो इतनी कच्ची नाली हैं कि पैर रखो तो नाली टूट जाती है और नालियां जो बनी है वो नाली इतनी ऊटपटाँग बनी है कि पानी जाना किधर है जा किधर रहा है। मतलब नाली भरी हुई पड़ी है लेकिन उसका ढलान किस तरफ होना चाहिए उसका न तो ध्यान दिया गया है और न ही उसकी क्वालिटी का ध्यान दिया गया है। रोड जो बनी है उसकी व्यवस्था गड़बड़ है और माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो नयी लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हो उसमें जो पुरानी लाइट्स ठेकेदार उतार रहे हैं वो बड़ी कीमती लाइट्स हैं वो लाइट्स कहां रख रहे हैं, कौन ले जा रहा है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ये विधायी कार्य में जिस बिल के बारे में आप वक्तव्य दे रहे हैं उस पर केन्द्रित करें अपना ध्यान।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे से पहले वक्ता बिना बिल के दूसरी बातें बोले। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री धीरज जी गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, इस सरकार ने अपने तमके लगाने के लिये बिल पर बिल, बिल पर बिल लाने का काम कर रहे हैं। कल भी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सारे बिल एक साथ में आ जाते तो आपको इस तरह बार बार विधान सभा को एडजोर्न करा कर बिल पास कराने की नौबत नहीं आती। लेकिन आप बिल लेकर आये चतुर्थ संशोधन और इस संशोधन में आप कह रहे हैं कि हम समितियां बनायेंगे। आपने पहले जो समितियां बना रखी हैं उन समितियों का राजस्थान में गठन तो करवा दिया क्या? आज पूरे राजस्थान में मोटे मोटे लगभग दो साल

(श्री धीरज गुर्जर)

नगर पालिका और नगर निगम के चुनावों को हो चुके हैं और जो समितियां बननी चाहिये, 6 महीने का अधिकतम समय होता है, आज तक राजस्थान में चाहे वहां कांग्रेस का बोर्ड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो, आज तक उन समितियों का गठन नहीं हो पाया है और आप नई समितियां बनाने की बात और कर रहे हैं, मतलब एक बिल और आपके सामने अधिकारियों ने रख दिया, उस बिल की पालना आपको और करनी है।

अभी एक माननीय सदस्य सुखराम जी के विषय में बोल रहे थे कि हमारे समय पर ही, भय, भूख, भ्रष्टाचार और भाजपा, इसका सीधा सा उदाहरण है कि सरकार आपकी थी और आपको भय फैलाकर वोट लेना था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से अगर चुनाव होते तो जनता आपको वोट नहीं देती। पिछली बार जैसे आपके चेयरमैन कम बन कर आये थे। भय फैलाने के लिये और अपनी सत्ता का दबाव दिखाकर आपने वोट लेने के लिये राजस्थान में भ्रष्टाचार को बढावा दिया और अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों के माध्यम से आपने नगर पालिका और नगर निगमों में चेयरमैन बनाने का काम किया और जहां जहां पर आपका बहुमत नहीं आया, वहां वहां पर भी आपने भय और भ्रष्टाचार करके राजस्थान में नगर पालिकाओं में अपने चेयरमैन बिठाने का काम किया। उसी का दुष्परिणाम है कि राजस्थान में जिस तरह से नगरपालिकाएं आज नरक पालिकाओं का रूप ले चुकी है। छोटे छोटे काम के लिये भी रिश्वत के बिना आदमी नगरपालिका में जाकर अपना काम नहीं करवा पा रहा है, इसके लिये राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज जो हालात हैं ...(व्यवधान)... यूपी में हमारी 7 सीट है, पंजाब में आपकी 2 सीट है, बराबर है।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य दें, आप आसन की तरफ संबोधित करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 2018 में इनको जनता रोक देगी। जब कौरवों को लग रहा था कि हमारा राज आने वाला है, हमारा राज बरकरार रहेगा तब पांच पांडवों ने उनके राज को ध्वस्त कर दिया था। इसी तरह से इस विधान सभा में आपको लग रहा है कि हम 160 से कम ही नहीं होंगे और एक धौलपुर के उप चुनाव पर आप बहुत खुश हो रहे हैं, तो राजस्थान में सरकार बनने के बाद पांच सीटों पर चुनाव हुए हैं और पांच में से तीन

(श्री धीरज गुर्जर)

पर हम जीते हैं, दो पर आप जीते हो, एक आप पीछे हो। मैं यह कह रहा था कि नगरपालिकाओं में जिस तरह से आज राजस्थान में स्थिति बनी हुई है कभी सीएफएल के नाम पर लूट हो रही है। कहीं पट्टे देने के नाम पर लूट हो रही है। वर्क आर्डर के नाम पर लूट हो रही है और राजस्थान की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह नये बिल बनाने की जगह जो पुराने बिल हैं उनको ही प्रभावी रूप से लागू कर दें। महिलाओं की सुरक्षा के लिये, कर लगाने के लिये, रोशनी करने के लिये जो आपके चुने हुए पार्षद हैं अगर पुरानी कमेटियों को ही आप लोग सही तरीके से फोर्म करा देंगे तो आपको नई कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं पडेगी।

साथ ही मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि नगरपालिकाओं में जो स्थिति है वह तो आपसे छिपी हुई है नहीं। आज जहाजपुर की मैं बात करूं, यह मंत्रीजी तो नये बने हैं लेकिन इनसे पहले जो मंत्री थे, इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर के दिखाया कि आज जिस आदमी को लोगों ने वोट देकर भेजा, कांग्रेस का चेयरमैन जहाजपुर नगर पालिका में बन गया, उस चेयरमैन से पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन थी, उसने टेंडर निकाला, उसने काम पास करवाया और उसने वर्क आर्डर जारी किया, उसके समय में काम पूरा हो गया, उसके समय में बिल बन गये, लेकिन कुछ +++ तरीके के अधिकारी राजस्थान में मुख्य मंत्री के इशारे पर काम करने वाले बैठे हुए थे उस समय नगर पालिका में, हमने बार बार उनको मेमोरेंडम दिया...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह इस तरह नाम नहीं ले सकते।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बिलकुल नाम लेंगे हम, भ्रष्ट अधिकारियों का नाम लेंगे।

श्री सभापति: एकमिनट, किसी भी अधिकारी का नाम, माननीय सदस्य नहीं, कोई नाम अंकित नहीं करना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इस बारे में पहले चर्चा हो चुकी है कि कोई राजस्थान के वातावरण को अपने भ्रष्टाचार से गंदा करता है तो हम उसका नाम लेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नाम अंकित नहीं हुआ है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जो आदमी चुन कर आया, जिसको लोगों ने वोट दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह आप बिल पर बोल रहे हो क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बिल पर ही बोल रहे हैं। जिसको लोगों ने वोट दिया, उसको आपने हटा दिया, बिल पर बोले क्या आपके सामने। आपका तो बस चलता नहीं वरना हमको भी यहां से हटा दो, लेकिन राजस्थान की जनता आपके इशारों पर नहीं चलती है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपके चेयरमैन के समय टेंडर हो गये, वर्क आर्डर हो गये, उसके समय में बिल पास हो गये, लेकिन उसके बाद में उस चेयरमैन की कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती यह थी कि वह हाथ के पंजे के निशान पर जीत पर आया था। न केवल आपने न्यायिक जांच के नाम पर उसको पद से हटा दिया, बल्कि आपने उस चेयरमैन को पार्षद के पद से भी हटा दिया। ऐसे काम अगर आप राजस्थान में करोगे तो आपके राज का डेढ साल और बच रहा हैं, उसके बाद जो आपके चेयरमैन जीते हुए हैं उनको हमारे राज में एक साल निकालना पडेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान में इस तरह की दोहरी राजनीति करना, आपने गांव के गरीब आदमी जो शहरों में रहते हैं, उन गरीब लोगों को थोडा बहुत खाद्यान्न खाद्य आपूर्ति के माध्यम से मिल जाता था, उनके नाम आपने काट दिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोले।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): गेहूं नगरपालिकाओं में ही मिल रहा था न? ...(व्यवधान)... सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे रखी है न आपने, आप उसको सुदृढ कर रहे हो न, लोगों के नाम काट दिये जिनको गेहूं मिल रहा था। उनको आप सुदृढ कर रहे हो। जिंदा लोगों को मरा मरा बता कर, एक तरफ आप बात करते हैं नई समितियां बनायेंगे। हमने राजस्थान को सुदृढ बनाने के लिये पढ़े लिखे आदमियों को पार्षद बनाया। अगर आपने पढे लिखे आदमियों को पार्षद बनाया तो जिस आदमी को वोट डालने का अधिकार है उसको चेयरमैन और पार्षद बनने का अधिकार भी है, आपने पूरे राजस्थान में दसवीं फेल आदमियों को पार्षद नोमिनेट किया है, जो मनोनीत पार्षद बनते हैं उसमें आपने दसवीं फेल आदमियों को क्यों पार्षद मनोनीत किया, इस बात का आज तक आपका डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे पाया है। ...(व्यवधान)...

श्री रामचन्द्र (डग): कोई व्यक्ति नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपको नाम बता रहा हूं। हमारे जहाजपुर में नजीर सरवाडी है जो पहले कांग्रेस का पार्षद था।

श्री रामचन्द्र (डग): वह दसवीं पास का सर्टिफिकेट ले आया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं लाया दसवीं पास का।

श्री रामचन्द्र (डग): ले आया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं ले कर आया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोले।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मुझे पता है बाहर तो आप लोग खुश हो जाओगे कि बढ़िया किया एमएलए साहब मजा आ गया, लेकिन मजा इसलिए आ गया क्योंकि आपकी भी पूरी नहीं मानी, कहीं सांसद की मान ली, कहीं मंत्री की मान ली, किसी एमएलए की नहीं मानी, हम तो फ्री हैं, हम तो कह देंगे कि हमारा राज ही नहीं है, हम किसको बनवाये, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ आपने दोहरा काम किया है। एक तरफ तो आपने दसवीं पास का नियम लागू कर दिया और दूसरी ओर पूरे राजस्थान में जो पार्षद मनोनीत होने थे, उसमें दसवीं फेल, मंत्रीजी कृपलानी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं यह आपके पहले बन गये थे। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूंगा कि राजस्थान में जब नियम लागू किया है तो दसवीं पास पार्षद ही होने चाहिये। यह जो बिल आप लेकर आये हो, इन बिलों का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि जो आपकी पुरानी समितियां हैं, उन समितियों का आप गठन नहीं कर देते हैं। अगर आप में ताकत है तो जहां जहां समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां वहां पर आप कार्यवाही कीजिए और उसके बाद बिल लाइए। सिर्फ थोथी लोकप्रियता हासिल करने के लिये यहां बिल पर बिल लाकर अपना स्कोर मत बढाइये। मैं अपनी बात पर अडिग हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को लागू करने से पहले जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हनुमान जी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 नगर इकाई से संबंधित सरकार विधेयक पर विधेयक ला रही है। सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी मुझे लग

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रहा है जिस तरह उच्च शिक्षा मंत्रीजी लगातार 15 विधेयक तो ले आये इसमें और यह भी ऐसा कम्पीटिशन कर रहे हैं कि कम से कम जब 2018 का चुनाव आये और बात चले कि सबसे ज्यादा विधेयक कौन लेकर आया तो अखबार में मंत्रीजी का नाम छपे। हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि जब सुराज संकल्प यात्रा में जब आप लोग जनता के बीच गये थे तब आपने कहा था कि जितने भी फालतू के कानून हैं उनको हम खत्म करेंगे और कम से कम विधेयक हम राजस्थान की विधान सभा में लायेंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं एक एक दिन में चार, पांच, छह, कल तेरह, आज दो तीन और ले आये, आप एक दो दिन और बढ़ा दोगे, लगातार विधेयक पर विधेयक ला रहे हो लेकिन राजस्थान की जनता आज तकलीफ में है, उस तकलीफ को मिटाने के बजाय आप राजस्थान की जनता पर इन विधेयकों का बोझ जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। सभापति महोदय, आज नगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार सबसे पहले तो इसकी जांच सही तरीके से ...(व्यवधान)... डेढ़ घंटे बोले हैं गुंजल साहब, हमने उनको भी झेला है। सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि नगर पालिकाओं को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। आज नगरपालिकाओं में बातें तो हम बड़ी-बड़ी करें, प्रधान मंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान, मुख्य मंत्रीजी हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रही हैं, प्रधान मंत्रीजी हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं।

लेकिन देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की टांय-टांय फिस्स हो गई है। प्रदेश के अंदर आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग जो गाँवों में रोजगार के अभाव में शहरों के अंदर आकर रहता है। वह गांव से पलायन करके शहर में रोजगार के लिए आता है और शहर की बाहरी बस्तियों में गांव का आदमी बसता है। सभापति महोदय, उन बाहरी बस्तियों में जहां गांव का आदमी ज्यादा आकर रहता है, उनकी अगर स्थिति देख लें। हमारे जो दूसरे दलित मौहल्ले हैं या दूसरे जो ग़रीबों के मौहल्ले हैं, वहां जाकर देखें तो न तो कोई रोशनी की व्यवस्था है और न कोई कचरा संग्रहण की व्यवस्था है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और मुझे स्थिति में लग रहा है कि नगरपालिकाओं के संशोधन विधेयक अपन एक पर एक लाए हैं और नगरपालिकाएं मजबूत हो जाएं तो मंत्रीजी मुझे नहीं लगता कि संशोधन विधेयक से आप राजस्थान की जनता का, नगरपालिकाओं और पंचायतों का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भला कर दोगे। आप बिल लाए हैं कि आप दो समितियों का गठन करोगे। चुनाव को दो साल हो गए। पहले जितनी भी समितियां थी, मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान के अंदर पूरी समितियां आज भी बनी होंगी। पहले आप उन समितियों को मजबूत करते, उनका गठन करते और उसके बाद दो नई समितियां लाते तो इसका एक अच्छा मैसेज जाता।

सभापति महोदय, दूसरी बात, इस विधेयक के उद्देश्यों व कारणों के कथन में सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी तथा महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन संबंधी बात कही है। सभापति महोदय, यह कहने व सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कौनसी रोशनी? मैं कह रहा हूं कि अगर एक रोड़ लाइट खराब हो जाए। गांव के गरीब का सी.एफ.एल, जिसमें नगरपालिकाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। अगर उसको चैंज करानी हो तो उसमें एक-एक महीना लग जाता है। कोई रोड़ लाइट चैंज करने वाला नहीं है, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। दूसरा आपने लिखा है कि 'विद्यमान उपबंध के अनुसार धारा 121 के अधीन कर निर्धारण या इसमें परिवर्तन व मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील कलेक्टर की बजाय संबंधित इकाई के आयुक्त या क्षेत्रीय उप निदेशक को होगी'। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात कही थी। सभापति महोदय, कलक्टर तो जिला मुख्यालयों पर मिलते हैं। जिले में तो आदमी कलक्टर के यहां अपील कर सकता है, लेकिन कर निर्धारण के लिए संभागीय मुख्यालयों पर या जयपुर राजधानी में आकर वह अपील करेगा, वह वकील भी करेगा तो आजकल हजार, बीस हजार से कम तो वकील की फीस नहीं होती और संभागीय मुख्यालयों पर जो वकील हैं, उनकी तो फीस बड़ी होती है। तो यह गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है। इसलिए इसकी मेरे हिसाब से वापिस कलेक्टर के पास पॉवर रखते तो ज्यादा बढ़िया था।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करुंगा कि उद्देश्यों व कारणों के कथन में उल्लिखित कृत्य संपादित करने के प्रयोजन से नई समितियों के गठन की बात कही है, मगर क्या समितियों के गठन से गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा? क्या इससे सभी जरूरतमंदों को भोजन मिल जाएगा? (व्यवधान) दो मिनट करने दो न साहब। आप कैबिनेट मंत्री

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हो, ऐसे टोकते हुए अच्छा थोड़े ही लगता है। नगरपालिका क्षेत्रों में आज भी सार्वजनिक मार्गों में रोशनी की व्यवस्था नहीं है। आज भी कच्ची बस्तियों में लोग बीमारी व गरीबी से जूझ रहे हैं। सभापति महोदय, सरकार विधेयक तो इस तरह ला रही है जैसे नगरपालिकाओं में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। मगर सरकार आम ज़रूरतों के लिए उपलब्ध संशोधनों को सशक्त क्यों नहीं कर रही है? सभापति महोदय, आज आपने इस विधेयक में कर निर्धारण या परिवर्तन के विरुद्ध अपील..।

सभापति महोदय, मेरा तो यह सुझाव है कि नगरपालिका क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन व कच्ची बस्तियों के सुधार हेतु सरकार गंभीरता से कार्य करे, नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में कार्य करे। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि नए विधेयकों के चक्कर में नगरपालिका में गरीबों का कोई नुकसान नहीं हो। सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर बार-बार गरीबों को नगरपालिका क्षेत्रों में तंग किया जाता है। अब्दुल रहमान का 2004 में जो फैसला आया था, उससे पहले ज्यादातर नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर आगोर और गोचर भूमि के अंदर पट्टे जारी किए थे और जो पट्टे अब्दुल रहमान के फैसले से पहले के हैं, उसकी आड़ में भी प्रशासनिक अधिकारी गरीबों के घर उजाड़ते हुए कई कालानियों के अंदर जाते हैं और गरीब का घर उजाड़ देते हैं। सभापति महोदय, इस मामले में भी सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए। जैसे, मेरा नागौर नगरपालिका क्षेत्र है, वहां का तीन-चौथाई भाग तो कलेक्ट्रेट, कलेक्टर और एस.पी. का बँगला और एस.पी. का कार्यालय खुद आगोर भूमि के अंदर बसा हुआ है। सभापति महोदय, कैसे संभव होगा कि आप 1947 से पहले की स्थिति राजस्थान के अंदर ले आओगे। मेरा इसके अंदर यह कहना था कि इस मामले में भी स्पष्ट नीति सरकार की होनी चाहिए।

आप पट्टे के जो अभियान चलाते हो, जो अतिक्रमी है। 1991, 2001 और उसके बाद आप नई बात कह रहे हो कि जो गरीब नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। अगर उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है तो कच्ची बस्ती नियमन के नाम पर आप शिविर चलाते हो और उनको पट्टे देते हो। तो उसमें भू-माफिया कच्ची बस्ती के नाम से गलत आधार कार्ड और वोटर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लिस्ट पेश करके जमीन पर कब्जे कर लेते हैं।

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि नगरपालिका कोई पट्टा जारी करती है और कलक्टर जो 80(2) की अपील सुनता है, उसमें पट्टे को निरस्त कर देता है। आपकी डी.एल.बी. डायरेक्ट हस्तक्षेप करके उन फाइलों को मँगा लेती है और यहां पांच-पांच, दस-दस साल तक डी.एल.बी. के अंदर इंतजार करते हैं कि भई किस तरह माल उससे ऐंठा जाए। उस माफिया की मदद की जाए। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता जहाजपुर से आने वाले विधायक ने जो आरोप लगाए थे। मैं दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में भी एल.एस.जी. के प्रिंसीपल सैक्रेटरी +++ थे और भारतीय जनता पार्टी के राज में भी +++ हैं। ऐसा क्या है? अगर सबसे भारी भ्रष्ट अधिकारी राजस्थान के अंदर है तो +++ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नो। नाम अंकित नहीं किया जावे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर, बिना उसको नोटिस दिए। जो सदन का मैम्बर नहीं हैं उनका नाम लेकर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? इसलिए इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हर बार अधिकारी का नाम लेते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पद का ले लेते हैं। एल.एस.जी. के प्रिंसीपल सैक्रेटरी पर इसी राजस्थान की विधान सभा में जब मैं पिछली बार गलती से इस साइड में आपके साथ था, तब आरोप लगे थे। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और लगातार छह साल से इसी व्यक्ति को आपने..। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, कम-से-कम यह तो रूकवाओ। मतलब सदन की गरिमा भी कोई गरिमा है। अनर्गल कुछ बात कहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, आरोप लगे थे, वही कह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? यह आपको भी शोभा नहीं देता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सारी गंदगी यहीं भरी हुई है साहब।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने बिल पढ़ा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह व्यक्तिगत रंजिश का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। सदन के कुछ नियम भी हैं। यह बिल पर बोलते-बोलते कितनी दूर तक चले गए। किस का अधिकारी का नाम ले रहे हैं।

श्री सभापति: इसका कोई औचित्य नहीं है। कृपया आप इसे कनक्लूड करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सदन में पहले बात हो चुकी है कि नाम ले सकते हैं। फिर आप लोग राहुल गांधी का नाम कैसे लेते हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कुंठा निकालने के लिए दूसरों के नाम ले रहे हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप भी यही बात कह रहे थे, वह भी यही बात कह रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राहुल गांधी का नाम आप कैसे लेते हो सदन के अंदर? सोनिया गांधी का नाम कैसे लेते हो सदन के अंदर? जो सदन के मैम्बर नहीं हैं, उनका नाम ले सकते हैं। किसने कहा कि नहीं ले सकते हैं? इस बारे में पहले ही बहस हो चुकी है।

श्री सभापति: आप बैठ जाए। यह व्यवस्था आपको नहीं देनी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आसन से पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह गलत बात है। यह सही नहीं है जो आप कह रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, ये राहुल गांधी की तुलना +++ जी से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कोई भी आएगा आप उसको सैट कर लेना, इससे क्या करना है? जो भी आएगा सैट हो जाएगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, इस वर्तमान स्थिति में आज नगरपालिकाएं व नगर निगमों में भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या सरकार इन्हें कोई अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करेगी? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। (व्यवधान) अब बिल पर ही तो बोल रहा हूं और किस पर बोल रहा हूं?

श्री सभापति: आप सुनो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पिछली टाइम पर राठौड़ साहब ने आरोप लगाए थे। मुझे पहले वाले याद आ गए थे। क्या सरकार इन्हें कोई अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करेगी? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जहां नगर पालिकाएँ सफाई व अन्य मदों के खर्च भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा योजना के तहत भोजन व्यवस्था का समायोजन उचित नहीं है। किसी भी प्रकार के वित्त भार का उल्लेख इस बिल में नहीं है, जबकि रोशनी, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व भोजन व्यवस्था से संबंधित संपादित करने का उद्देश्य इस बिल के अंदर किया गया है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से फिर मंत्री जी से निवेदन है कि इस एक्ट में आप पांचवां संशोधन ला रहे हो। इसको आप जल्दबाजी में नहीं लाएं। एक बार जनमत जानने हेतु इसको तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, एक मिनट, मैंने जो आरोप लगाए हैं। मैंने कोई हवा के अंदर आरोप नहीं लगाए हैं। ये आरोप पिछली बार आप सब लोगों ने लगाए थे और मैं भी आपके साथ था। अगर मेरे आरोप गलत हो तो जगतपुरा के अंदर +++ का जो फॉर्म हाउस है।

श्री सभापति: नो, नो। कोई नोट नहीं करना है। विराजें धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री रामहेत सिंह जी यादव। माननीय सदस्य, डॉ. फूलचन्द जी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी। राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा चल हरी है और जितना अधिनियम पर बोला जाना चाहिए था।

(20.00 बजे)

जितना अधिनियम पर बोला जाना चाहिए था उसकी तुलना नहीं, उसकी बाउण्ड्री पर, क्योंकि आजकल पैराफेरी का मामला है नगरपालिकाओं में, तो पैराफेरी पर ज्यादा बोला जा रहा है। अभी एक माननीय सदस्य ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान पर टिप्पणी की, वह खुद एलएलबी है,उनसे जानना चाहता हूं कि संविधान में तीन अनुसूची है एक केन्द्रीय सूची, एक राज्य सूची है एक समवर्ती सूची है। स्वच्छता तो स्थानीय स्वशासन की सूची में है। प्रधानमंत्री आउट आफ वे जाकर इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए जो कर रहे हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इतना ही नहीं करोड़ों-करोड़ों रूपये सीधे दिल्ली के खजाने से दिए जा रहे है। प्रत्येक गांव में दिए जा रहे हैं। 27 करोड़ परिवारों को दिए जा रहे हैं, उस पर टिप्पणी करना कहां तक उचित है, मैं यह सोच नहीं पा रहा हूं। स्वच्छता के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी और वह भी गांधी जी के 150 वर्ष पर। गांधी जी ने कभी कल्पना की थी 150 वर्ष के होंगे तब तक यह देश में हो जाएगा और लगातार हो रहा है। इस कारण से अच्छा नहीं लगता। यही नहीं, यह हमारी सोच है। राज्य सूची में सड़कें होती है, शिक्षा होती है। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो वह चीजें भी हमने की है जो केन्द्रीय सूची में नहीं थी, राज्य सूची में थी उसको भी हमने करके दिखाया है। आज इंडिया के सभी गांव 250 की आबादी तक ट्रायबल में और 500 की आबादी तक, पूरा देश जुड़ गया, उसकी भी आप ऐसे ही टिप्पणी करते थे। थोड़ा बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए। सदन का समय इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गुरूजी मैं आपसे बाद में आकर सीख लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस बात पर आपसे सीख लूंगा मैं। आज भगवा शर्ट नहीं पहना आपने।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह आपकी तरफ खिसका रहा हूं मैं। अब समझ में आ गया, भगवा क्या है। यूपी के कारण से सबके समझ में आ गया, इसलिए मैंने कम किया है। पहले समझ में नहीं आता था। अगली बार मैं एक कुर्ता ऐसा लेकर आऊंगा जो इधर से शाइनिंग अलग है, इधर से शाइनिंग अलग है, क्योंकि लोग रोज बदलते हैं।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित कर अपना वक्तव्य दें बस।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ठीक है। सभापति जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत की संसद ने 1994 में संविधान संशोधन किए। पंचायती राज के लिए भी किए, नगरपालिकाओं के लिए भी किए। 18 वर्ष तक तो हमने सोचा ही नहीं कि मेयर के क्या पावर होंगे, कमेटियों के क्या पावर होंगे। ऐसा भी इस देश में हुआ, इस राजस्थान में हुआ, उसकी चिंता पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। 1994 में एक्ट पास हुआ था। आज नये-नये नवाचार है, वेलफेयर स्टेट हैं, वेलफेयर स्टेट में नये-नये सब्जैक्ट जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की आवश्यकता बढ़ रही है उनको सम्मिलित करते हुए नई कमेटियां बनाने का पावर दिया जा रहा है उस पर मेरे अंदाज से कोई गुजांइश नहीं है बहस करने की।

इसी प्रकार से कलेक्टर के पास, 80 से ज्यादा समितियों का चेयरमैन है। जिला स्तर की समितियों का चेयरमैन है। सभी प्रकार से अगर उसको गुणी माना जाता है तो अभी अधिकारों पर क्यों टिप्पणी की जा रही है। इस कारण से यह सोचकर, जिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वह निश्चित तौर से ज्यादा अनुभवी होते हैं। उसी स्तर के लोगों को, उप निदेशक स्तर है, आपके स्तर को, यह पावर दिए जा रहे हैं, इसमें मैं कहीं यह नहीं मानता कि कोई ऐसी स्थिति है।

दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। आजकल सभी कार्य ठेकेदारी प्रणाली से हो रहे हैं। नगरपालिका स्तर पर भी गरीबों का शोषण होता है। निविदा पर कर्मचारी रखे जाते हैं उनको मिनिमम वेज भी नहीं दिया जाता है, इस स्थिति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नियंत्रण की बात भी आई है। चेयरमैन को पावर देना या मेयर को पावर देना यह बुरी बात नहीं है, पावर मिलना चाहिए। वह भी हमारे समकक्ष

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
है। वह अपने निकाय में है, हम राजस्थान में या विधान सभा में है लेकिन नियंत्रण के पावर बढ़ाना आवश्यक था। अपीलें भी आवश्यक थी।

मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि छोटी नगरपालिका जो 'द' श्रेणी की नगरपालिकाएं है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। भले ही कुछ ऐसी स्कीम हैं जो गांव को मिलती है। मैं सदन को आग्रह करना चाहूंगा कि नगर पंचायत के नाम से छोटी नगरपालिकाओं के लिए नया कांसेप्ट लाया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र को भी लाभ मिल सके, जैसे नरेगा का लाभ मिल सके और नगरों की स्थिति के हिसाब से भी मिल सके।

इसी प्रकार से एक विषय यह आता है कि जब नगरपालिका के आस पास के गांव होते हैं उनमें पैराफेरी के नाम पर उनको कुछ असुविधाएं दी जाती है। वह रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो कहेगा कि पैराफेरी के कारण से नगरपालिका की डीएलसी लगेगी, और लगती भी है। अब तो पिछली सरकार ने यह कर दिया कि नगरपालिकाओं की पैराफेरी की जमीनें थी, पंचायतों की, एक ही आदेश से नगरपालिकाओं को मालिक बना दिया। जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं। जेडीए में भी ऐसा कर दिया गया, नगरपालिकाओं की पैराफेरी में भी ऐसा कर दिया गया। उसके कारण से जो गांव वर्षों से उस जमीन को बचाए हुए थे, उन जमीनों का अधिकार नगरपालिकाओं को दे दिया और उनको बाद में परेशानी आती है। डीएलसी दर से जब पंजीयन की मजबूरी है, जब वह अधिग्रहण होता है तो गांव की डीएलसी का भुगतान किसान को होता है। जबकि पैराफेरी में जब वह रजिस्ट्रेशन कराता है तब उसको नगर पालिका की रेट देनी पड़ती है, इस प्रकार का संशोधन भी भविष्य में लाया जाना चाहिए। इस कारण से नगरपालिकाएँ भी मजबूत होगी। नगरपालिकओं के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको भी असुविधा नहीं होगी।

इसी प्रकार जो बेसिक काम है, रोशनी, सफाई, नाली, यह छोटी-छोटी चीजें लगती है लेकिन इनके बारे में, छोटी नगरपालिकाएँ हैं उनमें दुविधा है। गांव को नगरपालिका बनाया गया, उसके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में अधिकांश छोटी नगरपालिकाओं में ढ़ाणियां है। वहां ना कोई सुविधा है, ना सड़क पहुंची है, ना रोशनी पहुंची है। इस कारण से विशेष ग्रांट देकर उन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

नगरपालिकाओं को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

यह अधिनियम है इसमें मैंने जनमत जानने के लिए निवेदन किया था, मैं उसको वापिस लेता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री मानिक चंद जी सुराना। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (चतुर्थ संशोधन), 2017

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सब पर एक साथ ही बोल दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सर, सब पर एक साथ ही बोल रहा हूं मैं। पहले वाले तो सब पारित हो गए। पहले तो हो गए न सभी। ...(व्यवधान)... धारा 45, 55 व 121 में संशोधन प्रस्तावित किए गए जो निम्न प्रकार है।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा यह बात महसूस की गई कि राजस्थान की नगरपालिकाएँ हैं और इनको जो अधिकार दिए गए हैं उसमें सामाजिक कल्याण, ग़रीबों के पुनरुत्थान के कार्यों की सहभागिता और बढ़नी चाहिए। उस सहभागिता को बढ़ाने के लिए ही यह संशोधन हम लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि धारा 45 (आर) व 45 (एस) पर जो संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण एवं छोटे परिवार कल्याण की अवधारणा का विकसित करना नगरपालिका के कार्यों में शामिल है। इस संशोधन द्वारा महिलाओं के कल्याण व बाल विकास के कार्यों को भी नगरपालिका के प्राथमिक कार्यों में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के दौरान नगरपालिकाओं को महिला कल्याण व बाल विकास के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सशक्त बनाने का प्रयास इस बिल के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से हम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में धारा 45 (एस) है उसके अनुसार आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं का सजृन किया जाना

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

नगरपालिका के कार्यों में शामिल है। इसमें संशोधन करके गरीबी, उन्मूलन, गंदी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना भी नगरपालिका के प्राथमिक कृत्यों में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय वसुधंराजी ने गरीबों व जरूरतमंद लोगों के प्रति करूणावश, संवेदनशीलता व उनकी भावना के अनुरूप स्थानीय निकायों में, कल्याणकारी योजनाओं के लिए संशोधन प्रस्तावित किया है। जिस भोजन की मैं बात कर रहा हूं पिछले दिनों मुख्य मंत्री द्वारा अन्नपूर्णा योजना चलाई गई।

हम चाह रहे हैं कि राजस्थान के वह गरीब, जिनके बारे में शायद विपक्ष को, अभी आप बोल रहे थे लेकिन किसी ने इसकी सराहना नहीं की। जबकि सराहना करनी चाहिए कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी संवेदनशील मुख्य मंत्री ने पांच रुपये का नाश्ता और आठ रुपये में भोजन की व्यवस्था की। हालांकि सभी ने भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगाये। मैं आज इस बात की घोषणा भी कर रहा हूं कि आने वाले छह महीनों में राजस्थान के हर शहर में मुख्य मंत्री अन्नपूर्णा योजना की वैन पहुंच जायेगी और सब जगह गरीबों के लिये नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। मैं सोचता हूं, इससे बड़ी योजना हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। पिछले दिनों हरियाणा के मंत्री खुद इस योजना को देखने के लिये आये। राजस्थान की योजना को देखकर हिन्दुस्तान के कई राज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा सबको करनी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'अन्नपूर्णा' किसका नाम है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 'अन्नपूर्णा' माताजी का नाम है। 'अन्नपूर्णा' हमारी मां है। उनके नाम पर हम भोजन दे रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सब बात समझ रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'अन्नपूर्णा' किस देवी का नाम है?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वे कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के घर में नहीं जन्मा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं आपको एक बात बताऊं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बताओ, दो बताओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप तो पंडित हैं। मैं तो सिन्धी हूं, और आप कहो तो वसुन्धराजी के नाम पर रख दें योजना को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, वह नहीं। 'अन्नपूर्णा' वसुन्धराजी का नाम नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नहीं, नहीं है। वसुन्धरा तो धरती का नाम है। धरती मां का नाम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां। 'अन्नपूर्णा' पार्वती का नाम है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 'अन्नपूर्णा' पार्वती का नाम है। लेकिन हम जो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राणवल्लभि।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): धन्यवाद। आपने इसकी जानकारी दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं पंडित नहीं हूं। आप पंडित हैं, तो आप ही जानकारी दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, धारा 55 में जो ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जितनी भी हमारी स्ट्रीट लाइट्स थीं, पूरे राजस्थान में, हमने 190 नगरपालिकाओं में एल.ई.डी. लाइट्स की व्यवस्था कर दीं और एल.इ.डी. लाइट्स लग गयीं। सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो एल.ई.डी. लाइट्स लगी हैं, हिन्दुस्तान में राजस्थान नम्बर-वन आया है। हमको उसका पुरस्कार भी वहां पर मिला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 50 प्रतिशत एल.ई.डी. लाइट्स खराब पड़ी हैं। उसकी व्यवस्था कराओ। वह ठेकेदार काम नहीं कर रहा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इसी बात की है कि डोटासराजी, जब आप यहां पर बिल पर बोल रहे थे, आपने कई चीजें यहां पर कहीं, समस्याएं भी रखीं, कई बातें आपने कहीं। लेकिन एक के बारे में भी, मेरे को मंत्री बने हुए चार महीने हो गये, आपने कभी आज तक नहीं कहा। आपने कभी कहा क्या आज तक?

श्री सभापति: आप आसन को देखकर अपना वक्तव्य दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): लाइट्स तो खराब होती रहती हैं, ठीक होती रहती हैं। यह तो प्रक्रिया है। इस कार्य के महत्व को देखते हुए धारा 55 की उपधारा 03 में सब-क्लॉज 2-ए जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सब-क्लॉज 2-ए द्वारा सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और इमारतों पर रोशनी की व्यवस्था के लिये स्थाई समिति का प्रावधान किया जाना इसमें प्रस्तावित है। नगरपालिका में 50 वार्ड होने तक एक स्थाई समिति, 50 से 75 वार्ड होने पर दो स्थाई समितियों का गठन कर रोशनी की व्यवस्था किया जाना इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है ताकि वह व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह धारा 121 में संशोधन हम करने जा रहे हैं। वर्तमान में नगरपालिका द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत निकाली गई मांग राशियां, संशोधित मांग राशि के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार, जो जिला कलेक्टर को प्राप्त है, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको जिला कलेक्टर के पास रहने दो, लेकिन हमने इसमें थोड़ी गरीबों के लिये व्यवस्था करते हुए उसकी, जिला कलक्टर के कानून-व्यवस्था तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की मानिटरिंग, और इतना कार्य बढ़ गया कि जिला कलेक्टर को इतना समय नहीं मिलता है, इसलिये हमने इसमें संशोधन किया कि आमजन को सुविधा व अपील का त्वरित निस्तारण हो सके। इसलिये हमने इसको प्रस्तावित किया है कि नगरनिगम के मामलों में मांग राशि सम्बन्धी अपील की सुनवाई का अधिकार आयुक्त को तथा नगरपालिका व नगर परिषद के मामलों में यह अधिकार क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को दिया जाना इस

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

संशोधन के माध्यम से हमने प्रस्तावित किया है।

कानूनों का लगातार परीक्षण करना, आमजन की तकलीफों का पूर्ण ध्यान रखना व इसके अनुसार कानूनों में समय-समय पर संशोधन कर उसे गतिशील बनाये रखने से राज्य में न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, इससे आमजन का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। अत: इस भावना से नगरपालिका अधिनियम, 2009 में चार संशोधन विधेयक आज हमने प्रस्तुत किये, और यह जो लास्ट बिल हो रहा है, ये विधान सभा में प्रस्तुत किये गये।

सभापति महोदय, मैं कुछ कहूं, उसके पहले अगर आप आज्ञा दें तो कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है, उनका जवाब भी मैं दे दूं।

डोटासराजी, आप सुन नहीं रहे हैं, आप पहले तो बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे। आपने कहा कि नगरपालिकाओं में रिक्त पद पड़े हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा। आपका भी राज तीन साल पहले पांच साल रहा। आपने एक पद पर भी किसी की भर्ती नहीं की। अभी हमने इन तीन सालों के अन्दर 1945 पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति अभी इन तीन महीनों में दी है। हमने 35 नगरपालिकाओं को फायर स्टेशन दिये हैं। फायर ब्रिगेड की भी यहां पर बात की गई। हमने 50 नगरपालिकाओं को फायर ब्रिगेड हेतु 67.3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सीकर नगर परिषद, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन शीघ्र नगरपालिका को दे दिया जायेगा और सभापतिजी, जो हमारा पांचवां संशोधन विधेयक आ रहा है। आप यहां बार-बार बात कर रहे हैं कि सभापति को अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चार साल से सब्र टूट रहा है।

श्री सभापति: आप आसन को कहें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी। आपका शायद कल भी एक बिल है ना, तो आप अधिकारियों को निर्देश दें कि कल इसके बारे में जो कुछ करना है कर दो, जो अच्छा करना है, बुरा करना है, जो करना है उसको कर दो।

श्री सभापति: सही करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हम बुरा करते ही नहीं हैं, अच्छा ही करते हैं। इतना अच्छा करेंगे कि चुनाव में आपका बुरा हो जायेगा, इतना अच्छा कर देंगे।

सभापति महोदय, माननीय डोटासराजी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा 90-ए के तहत भूमि समर्पण किये जाने के बाद सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भूखण्ड के पट्टे दिये जाने की बात की। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि उसकी हमने व्यवस्था कर दी और पट्टे दिये जा सकते हैं। उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पहले भी प्रावधान है। एक आपने सीकर, यह तो हो गया आपका। ...(व्यवधान)... यू.आई.टी. और सबके लिये है यह।

घनश्यामजी भाई साहब ने जो बात कही, उसका जवाब देने की मैं सोचता हूं कि वह तो जवाब हमारे माननीय संसदीय मंत्रीजी ने दे दिया कि भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे।

एक हमारे प्रहलादजी गुंजल को मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने काफी पोजिटिव बात की, लेकिन एक बात, प्रहलादजी, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने कहा कि कच्ची बस्ती के जो पट्टे हम दे रहे हैं उन कच्ची बस्ती के पट्टों की भी रजिस्ट्री या बेचने का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिये। आपको ध्यान होगा कि गई बार भी सदन में एक बिल आया था, जिस पर अपन ने एक मामला कहा था, शायद वह आई.टी. का बिल था, किसका था, जिसमें यह बात कही थी कि कोटा में जो हजारों-लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का भी वहां रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने उस दिन भी आपको एक बात निवेदन की थी कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ वे फोन पर करा सकते हैं, उसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोटा में जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों बच्चों के साथ हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, ताकि प्रशासन भी जागरूक रहे। इस मामले में भी, मैं कच्ची बस्ती के मामले में भी आपको कह रहा हूं कि कच्ची बस्ती के पट्टे में अगर हमने बेचने का अधिकार उनको दे दिया तो वह गरीब, जिन गरीबों को हम गरीब मान कर पट्टे दे रहे हैं, फिर गरीबों के हाथ में वह जमीन नहीं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

रहेगी। फिर वह भू-माफिया और जमीन के दलाल खरीद लेंगे और गरीब फिर उसमें रह नहीं पायेंगे। फिर यह धंधा प्रारम्भ हो जायेगा। ...(व्यवधान)... सही है या गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, मेरा कहना यह है कि आप पट्टे में क्लॉज डाल दीजिये कि बेचान पर इसकी रजिस्ट्री पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन इस पर लोन इत्यादि के उपयोग के लिये पट्टा जारी करने वाला निकाय उस पर एन.ओ.सी. जारी करेगा, परमीशन जारी करेगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इसमें एक और दिक्कत है। बैंक लोन उसमें देते ही नहीं हैं। क्योंकि बैंकों को पता है कि यदि ये लोन नहीं चुकायेगा तो इसको हम कब्जे में लेकर इसको नीलाम नहीं कर सकते।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप कानून बना दीजिये न, एक्ट में कर दीजिये कि अगर लोन के समय, बैंक या सरकारी एजेंसी उसको बेचेगी तो उसको अधिग्रहीत कर सकती है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अधिग्रहीत करने के बाद में भी बेचने का राइट उसे नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य: जब तक असेसी नहीं होगा तो उसको लोन ही नहीं मिलेगा ना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपने जो सुझाव दिये हैं ...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मेरा निवेदन है कि यह बहुत गम्भीर विषय है। हम कच्ची बस्ती के आदमी को यह कह कर कि भू-माफिया खरीद लेगा या उसकी वृत्ति है कि, मैं आज आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कच्ची बस्ती में जाकर रहने का साहस वही करता है जिसका सामर्थ्य नहीं है। आज छोटे से छोटा व्यक्ति लग्जरी जीवन जीने का आदि बन गया है। नारकीय जिन्दगी जीने के लिये, और हम उस पर ये शंकाएं चंद अफसरों के कहने से करके कि वह फिर बेच जायेगा। उसके लिये कानून का गम्भीरता से परीक्षण करायें और उनको न्याय दिलायें। बस मेरा यह विनम्र आग्रह है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या गरीब को आवश्यकतानुसार मकान बेचने का अधिकार नहीं है क्या। इसलिये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मिलना चाहिये, उनको मिलना चाहिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, मेरा इसमें दूसरा वर्जन है, माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान का एक शहर बता दें जो पट्टों पर या किसी प्रशासनिक व्यवस्था से बसा हो। जयपुर के बारे में बारबार जरूर, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने कोटा जैसे शहर को, बूंदी जैसे शहर को और बारां जैसे शहर को 1984 में झाड़कटी के पट्टे देते हुए देखा है।

जब यह शहर डवलप हुए तो सरकारी जमीनों पर डवलप हुए, कोई पट्टों पर डवलप नहीं हुए। 500 साल पुराने इस शहर की, बीच शहर की आबादी को झाड़कटी में मैंने 1984, 1990 और आज भी हम उनको झाड़कटी में पट्टे दे रहे हैं। आज भी हम ग्रांटेड के पट्टे दे रहे हैं उन लोगों को। वह भी पांच सौ साल पहले ऐसे ही बसे थे जैसे कच्ची बस्ती बसी हो। आज हम गरीब के प्रति इस डवलप, अपने आपको अत्यधिक विकसित मान कर और ब्यूरोक्रेसी के नजरिये के आधार पर हम उसके प्रति अपना दृष्टिकोण ऐसा बना लें कि वह तो कब्जा करेगा या फिर भू-माफिया को बेच देगा, इसका गंभीरता से परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण करके इस बारे में नियमों में अगर संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए वरना ग्रांटेड में आप क्यों परमिशन दे रहे हो? वह भी कब्जा करके ही बसे थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): जयपुर में ब्रह्मपुरी में किसने पट्टा लेकर मकान बनाया, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य? किसी ने नहीं बनाया तो फिर आप उसको क्यों सेल परमिशन दे रहे हो? इसलिए इस पर गंभीरतापूर्वक परीक्षण करना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह बहुत जरूरी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

का विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो भावना है कि जिस गरीब व्यक्ति को हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी पट्टा दे रहे हैं, अभी हम पट्टा देने का अभियान फिर शुरू कर रहे हैं, दे रहे हैं। कम से कम वह वहां पर रहे। यह बात ठीक है कि उसमें किस तरह हम सुधार कर सकते हैं, उसको लोन किस तरह दिलवा सकते हैं, इसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे और परीक्षण करवाएंगे ताकि उसको अच्छा मकान उपलब्ध हो और आप देखिए मुख्य मंत्री जन आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, यह हमारी सरकार ने बनाई। आज लाखों लोगों को, राजस्थान की हमारी लोक प्रिय मुख्य मंत्री जो यह योजना बनाकर दे रही हैं आने वाले समय में राजस्थान में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जिसके पास खुद का मकान नहीं होगा, खुद का फ्लैट नहीं होगा, यह व्यवस्था राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उसकी भी सराहना आपको करनी चाहिए।

अब मनोज कुमारजी, आपने सादुलपुर शहर की जो 32 लाख रुपये की अनियमितता भुगतान के संबंध में आपने कहा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इसकी शीघ्र जांच करवाएंगे और अगर कोई गलत हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसकी कार्यवाही की जाएगी।

सुखरामजी विश्नाई साहब, आपने अन्नपूर्णा वैन द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए आपने कोई बात कही। तो आपने भोजन किया कहीं जाकर? किया क्या किसी वैन पर जाकर? ....(व्यवधान)....

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपने बुलाया ही नहीं।

श्री सभापति: मनोजजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इतना बढ़िया भोजन, मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर भी नहीं बनता होगा। पांच रुपये में नाश्ता और आठ रुपये में जो भोजन हमारी वैन दे रही है न, आपके घर पर भी वह नहीं बनता होगा इतना हाइजीनिक ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट, मंत्री महोदय, जो पांच रुपये में आप नाश्ता दे रहे हैं, आठ रुपये में खाना दे रहे हैं उसकी कीमत सरकार, नगर निकाय कितने रुपये दे

(श्री रमेश)

रही है? 21 रुपये 70 पैसे तो नाश्ते के दे रही है, 23 रुपये 70 पैसे उसके खाने के दे रही है तो यह डिफरेंस का पैसा नगर निकाय पर एक बर्डन, एक बोझ है और जिस पार्टी को आपने टेंडर दिया है ....(व्यवधान)....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नगर निकाय से वह थोड़े ही ले रहे हैं? ले ही नहीं रहे नगर निकाय से ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): वह मिलीभगत से दिया है। एक ही पार्टी को टेंडर दिया है आपने। कोटा की ....(व्यवधान)....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): शायद आपको जानकारी नहीं है, नगर निकाय से पैसा नहीं ले रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप विराजिए। आप आसन को सम्बोधित करके माननीय मंत्री महोदय, अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनको ध्यान ही नहीं है कि हम नगर निकाय से कोई पैसा नहीं ले रहे इसके लिए। यह राजस्थान की हमारी मुख्य मंत्रीजी पैसा दे रही हैं। सब्सिडी सरकार दे रही है। नगर निकाय से नहीं ले रहे हैं। इन्होंने भोजन की गुणवत्ता का सवाल उठाया था इसलिए मैं कह रहा हूं और मैं एक दिन आप सबको इन्वाइट करूंगा, सबको ले चलूंगा वैन पर।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, आपको जानकारी नहीं है तो पता कर लेना, कोटा की कम्पनी ने यह काम लिया है। नगर निकाय के आठ-नौ शहरों का लिया है और पूरे राजस्थान के नगर निकायों का काम एक ही कम्पनी के पास है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): वह अलग मैटर है। आपने कहा कि नगर निकाय से पैसा लिया जा रहा है सब्सिडी का, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। किसी भी नगरपालिका, नगर निकाय से सब्सिडी का पैसा नहीं लिया जा रहा है और वह तो टेंडर में आये हैं। ....(व्यवधान)....

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अभी माननीय धीरज जी गुर्जर ने जो शैक्षणिक योग्यता वाली बात कही, उसकी भी हम जांच करवा लेंगे और ऐसा कोई पार्षद होगा तो निश्चित रूप से उसकी भी कार्यवाही करेंगे, जांच करवा लेंगे।

हनुमानजी बेनीवाल तो चले गये, उनका मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई विषय था नहीं।

और, मैं अंत में आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी संशोधन बिल है, जो भी हम लेकर आए हैं, निश्चित रूप से हमारी भावना बिलकुल शुद्ध है। हमारी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी चाहती हैं कि नगरपालिका के तहत और हमारे देश के लोक प्रिय प्रधान मंत्री माननीय मोदीजी जो स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, इस देश के विकास को एक नई गति दे रहे हैं। राजस्थान के चार बड़े शहर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, 29 सिटी अमृत सिटी बन रहे हैं और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दिनों जो नगरपालिकाओं के माध्यम से इस राजस्थान को खूबसूरत राजस्थान बनाने का प्रयास किया है। स्मार्ट राजस्थान बनाने का प्रयास किया है, उसके तहत ही यह संशोधन करने का हमने छोटा सा प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खंडश: विचार

खंड-2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे? हो गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाएं?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

माननीय मंत्री महोदय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगी कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, पहले यह ले लिया जाए।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं विचार।

श्री कालू लाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 34)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को सायं 7.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने 33वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2017- (1) राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017;
(2) राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017; एवं
(3) बीकानेरतकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017
- पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

माननीय मंत्री महोदया।

विधेयक पर विचार

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है यह बोलने और नहीं बोलने की बात नहीं है, बिलों के लिए कानून पारित करने के लिए विधान सभा है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो यह मैसेज जाएगा कि इनको तो कानून से तो मतलब नहीं है, जो अधिकारी लिखकर दे देते हैं वही यह आगे मेज थपथपा देते हैं तो हमारा मैसेज ठीक नहीं जाएगा इसलिए मैं ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: हमने आपको रोका नहीं, हमने तो आपका नाम पुकारा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, आप तो महान हो। सुबह भी नहीं रोका, अब भी नहीं रोक रहे हो आप। कल भी नहीं रोका। रोकने का तो ....(व्यवधान)....

यह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 आज लेकर आए हैं। माननीय सभापति महोदय, रोजाना लाते हैं, प्राइवेट भी लाते हैं, सरकारी भी लाते हैं, तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर का अभी विधेयक लेकर आए हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि ठीक तरीके से उच्च शिक्षा को किस प्रकार से और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण हमारे प्रदेश के बच्चों को दी जाए।

जिससे उनका कौशल विकास हो सके, वह आगे चलकर अच्छे तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। आज भी माननीय सभापति महोदय, हमारी जनसंख्या के अनुपात में आज हमारी जितनी आवश्यकता है, उसमें बहुत कम विश्वविद्यालय हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय जब भी लेकर आते हैं तो उसमें ज्यादा लूटखसौट होती है लेकिन जब

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकारी विश्वविद्यालय आता है तो निश्चित रूप से हम सबके लिये अच्छी बात है, प्रदेश के लिये अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो यह विश्वविद्यालय हम चाहे कोई से भी लेकर आयें, पहले भी दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय आया, भरतपुर में आया, तकनीकी विश्वविद्यालय आ रहा है, यह प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आ रहा है, लेकिन यह केवल पन्ने छपाई से कुछ नहीं होगा माननीय सभापति महोदय। मंत्री महोदय, इनके लिये बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बजट कहां से ला रहे हो? इतने विश्वविद्यालय आप ठोक-ठोककर हर आधे घंटे में, आज तो हम देख रहे थे, मतलब हमें पानी पीने की भी फुर्सत नहीं थी, हर तीन मिनट के बाद में एक बिल आ रहा है और मैं समझता हूं शायद और भी एक-दो आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो साढ़े आठ ही बजे हैं। सवाल यह है कि इनका बजट कहां से आयेगा? जब आप शेखावाटी विश्वविद्यालय को साढ़े तीन साल हो गये, एक रुपया नहीं दे पाये, अब की बार 10 करोड़ की पांच विश्वविद्यालयों के लिये घोषणा की है, तो यह विश्वविद्यालयों का केवल मात्र हमारा जो स्टेट्स है, उसको घटाने का ही काम करेंगे। मैं समझता हूं विश्वविद्यालय का बिल लाना, विश्वविद्यालय खोलना, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिये हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और सब चीजें अगर होंगी, तो निश्चित रूप से आज के समय में जितना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का महत्व है, उतना अन्य विश्वविद्यालयों का नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति स्किल्ड होगा, जब दक्ष होगा किसी भी चीज में, तो उसको नौकरी भी ठीक मिलेगी, उसको मारा-मारा नहीं फिरना पड़ेगा। सिम्पली बी.ए. कर लिया, बी.कॉम कर लिया, बी.एस.सी. कर लिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूं इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे और ज्यादा स्किल्ड स्टूडेंट आयेंगे, वह और ज्यादा हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, दूसरी जगह भी जायेंगे, लेकिन एक बात इसमें शायद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह जो आई.टी.आई. हैं, वह मंत्री महोदय मैं जहां तक समझता हूं, हो सकता है यह फिर इसके अधीन हो जायेंगी। आई.टी.आई. नहीं होंगी? नहीं कर रहे हो। यह प्राइवेट लेकर आये हो?

एक माननीय सदस्य: हां।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को तो पीछे से दिया है कि एक बिल आ गया और आपका नाम आ गया। सही बात है कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि इतने आनन-फानन में सुबह से परेशान हूं कि हर तीसरे मिनट में पीछे से एक बिल फेंक रहे हैं, पीछे से एक बिल आ रहा है। डोटासरा जी, एक बिल और आ गया। अब डोटासरा बेचारा एक अकेला क्या करे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बताओ, आपके पीछे कौन हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे पीछे तो धीरज गुर्जर जी हैं, सारे लोग हैं तो यह सारे देख रहे हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हो ...(व्यवधान)... नहीं देखो सत्य स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने इस बिल को नहीं देखा कि यह प्राइवेट है या सरकारी है, लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं डोटासरा जी की इस बात पर प्रशंसा करूंगा बड़ी साफगोई से इन्होंने सारी बात कह दी। पर आप फिर भी हिम्मत देखो न बिल का पता, न बिल पढ़ा, भाषण दे रहे हैं। आप क्षमा करें हमें। हे प्रभु, आप क्षमा करें हमें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि मैंने बिल को नहीं पढ़ा, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी को यह पता नहीं है कि यह उठकर बाहर जायेंगे उससे पहले कौनसा बिल आ पड़ेगा इनकी टेबल के ऊपर पेश करने के लिये, यह भी दुर्भाग्य है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि साहब, हम नहीं बोलेंगे तो हमारा मैसेज सही नहीं जाएगा, इसलिये बोल रहे हैं। बिल से कोई लेना-देना नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बिलकुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे यह लगा कि यह सदन का अपमान है, हम हमारे अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। सत्ता पक्ष आनन-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

फानन में बिल पारित कराकर एक प्राइवेट व्यक्ति को हमारे स्टूडेंट्स को ठगने का ठेका दे रहा है और हम बोलने के लिये ही तैयार नहीं हैं। सारों के मुंह सिल गये, ऐसी क्या नौबत आ गयी। अब ठीक है नहीं देखा कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट का ही तो नहीं देखा, बाकी तो प्राद्योगिकी क्या है, यह तो मैं जानता ही हूं न। इतना तो पढ़ा-लिखा हूं ही न मैं। बिल प्राइवेट ला रहे हो, मैंने सोचा आप किरण माहेश्वरी जी, माननीय मंत्री महोदया इतनी राज़ी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ला रही हैं, यह तो प्राइवेट ला रही हैं इसलिये राज़ी हैं। मैंने सोचा गवर्नमेंट वाले पर राज़ी कैसे हुईं? प्राइवेट वाले पर तो मंत्री का राज़ी होना लाजिमी है, लेकिन गवर्नमेंट वाले पर कैसे हो गये?

श्री रामचन्द्र (डग): आप 40 नम्बर पेज को पढ़ लो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात को मान ली, उसके बाद में आपके विधायक ने तो बाबा साहब के लिये अपमानजनक टिप्पणी करके माफी भी नहीं मांगी। मैंने तो सदन में माना है न। आप बात को समझो। ...(व्यवधान)....

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप धीरज जी को क्यों नहीं बोलने दे रहे हो?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, मैं बोलूंगा। मेरा नाम है इसमें। मैंने तैयारी कर रखी थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की तरह वहां मुंह पर सिलकर नहीं आये हैं। बिलों पर बोलना चाहिये, सबको बोलना चाहिये। आज नहीं, कल एक दिन और बढ़ा लो, क्या आफत आ रही है साहब? कौनसी मुख्य मंत्री हट रही हैं, ये ही मुख्य मंत्री रह रही हैं, ये ही मंत्रिमण्डल रह रहा है, ये ही सदन रह रहा है, इसलिये क्यों नहीं अपन दो दिन और बढ़ा ले इस सदन को। और यही कल तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर वाले में होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी एक पीछे से आकर पड़ा है, रात को आप कब छोड़ोगे, कब जायेंगे, कब पढ़ेंगे, सुबह फिर वही आफत आयेगी कि क्या देखा, क्या नहीं। ये तो हमने मजाक बना दिया। इसीलिये ब्यूरोक्रेसी हावी हो गयी माननीय सभापति महोदय। अब आप

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय अभी दस मिनट पहले बिल लाये हैं, अभी एक और आ रहा बताते हैं, कह रहे हैं गेट के बाहर ही पड़ा है, अभी अंदर घुसने ही वाला है तो अब बताओ क्या तो पढ़ें? ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप सदन का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? कुछ पढ़ा नहीं, कुछ कहना नहीं, आपको ध्यान नहीं, आपने पढ़ा नहीं तो सदन का टाइम क्यों खराब कर रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो इस प्रौद्योगिकी को शुद्ध रूप से पढ़कर बता दो, आपको ईनाम दूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो प्रौद्योगिकी को खूब पढ़ चुका हूं, आपसे सौ बार ज्यादा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या, दुबारा बोलो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): प्रौद्योगिकी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है, हमारा यही सौभाग्य है कि आप जैसे ...(व्यवधान)... कोई बात नहीं फिर ज्यादा ठीक नहीं है। माननीय राठौड़ साहब...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनको संस्कृत के श्लोक बहुत याद हैं, आप कभी सुनना साथ में बैठकर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, थोड़ा होना चाहिये पूरे दिन से थके हारे हैं, तो बात तो होनी ही चाहिये। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि स्किल्ड बच्चे पैदा हों, स्किल्ड बच्चे अपना अध्ययन करें यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, आज हमारे इंजीनियरिंग का, हमारे आई.आई.टीयंस का ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, बच्चे पैदा होते तो हमने सुना है, पर बच्चे भी स्किल्ड बच्चे पैदा हों, यह तकनीक नई लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूं सभापति महोदय, अगर हमारे ज्ञान-चक्षु खोल दें। सदन यह जानना चाहता है कि स्किल्ड बच्चे पैदा होने का तरीका क्या है?

श्री सभापति: आप इनकी भावनाओं को समझें, इनके शब्दों पर नहीं जायें। इनकी भावनाओं को समझें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): विदेशों में ऐसी तकनीक आ चुकी है मंत्री महोदय, स्किल्ड बच्चे पैदा करने के लिये। ...(व्यवधान)...

श्री गोरधन (धोद): डोटासरा जी यदि हाथ जोड़कर कह दें कि मेरे से इतना ही बोला जाएगा तो छोड़ सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्किल्ड बच्चे पैदा का मतलब हम स्किल्ड बनायेंगे।

श्री सभापति: मैंने कह दिया भावना समझें, शब्दों पर नहीं जावे। वह आपकी भावना कह दी मैंने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह अनाड़ी है, इनको भी तो समझाना पड़ेगा न आपको और हमको कि बच्चे पैदा करने से मतलब जन्मने से थोड़े है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): कितने महीने में पैदा होगा, यह भी बता दो थोड़ा।

एक माननीय सदस्य: नौ महीने से बारह महीने लगायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो आपके मंत्री महोदय को ही पता नहीं है कि कब होगा, क्या नहीं होगा। जब मंत्री ही नहीं बता सकता यूनिवर्सिटी में स्किल्ड बच्चे कब पैदा होंगे तो अदना-सा एम एल ए कैसे बता सकते हैं, आप बताइये। आप समझो बात को। अब इसको कनक्लूड करके खत्म तो करूं, मजाक में थोड़े ही करना है।

श्री सभापति: चलो धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कनक्लूड करके खतम तो करूं न। यह तो नहीं बोलेंगे, इनको तो नालेज ही नहीं है।

श्री सभापति: आप बिल पर आकर खत्म करो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप क्या कनक्लूड करोगे, यह भी बता दो।

श्री सभापति: इनके नालेज का नहीं, आप तो बिल पर बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या शुरू किया और क्या कनक्लूड करोगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो सबकी भावना है कि जब स्किल्ड बच्चा पैदा ही हो गया ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)... बोलें ही नहीं, आप कहो तो बैठ जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 विचार के लिये लिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी जब लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रख रहे थे, बिल नहीं पढ़ा होना एक कारण हो सकता है लेकिन इस बिल का नाम भी भ्रम में डालता है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सही बात है, बहुत बड़ी बात है यह।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कई बार इस सदन में इस विषय पर विचार हुआ है कि निजी क्षेत्र में अगर कोई विश्वविद्यालय खुलते हैं, ऐसा नाम प्रयुक्त करने का अधिकार उनको नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें राज्य या राज्य के किसी शहर का उल्लेख हो और ऐसा लगे कि यह कोई सरकारी संस्थान है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान से बाहर का कोई व्यक्ति आयेगा और 'प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर', इस नाम को पढ़ेगा तो वो यह महसूस करेगा कि राजस्थान सरकार का कोई शैक्षणिक उपक्रम है और इसीलिए इस सदन में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि निजी क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय का विधेयक पारित हो तो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 'जयपुर' लगाना बहुत आवश्यक है तो ब्रैकिट में निजी लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह प्रौद्योगिकी का विश्वविद्यालय अपने आप में राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय होगा।

और प्रौद्योगिकी क्या है, हिन्दी में इसको पढ़ कर बता दें, अंग्रेजी में इसको पढ़ कर बता दें, ये भी चर्चा हुई लेकिन, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में प्रौद्योगिकी का इतिहास बहुत पुराना है और प्रारम्भिक तौर पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जब इसको उल्लेखित किया गया तो यह सुखद बात है कि प्रौद्योगिकी को हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, संचार प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं और तमाम क्षेत्रों में जितने नवाचार हुए कृषि से लेकर, हमने उनको प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा लेकिन इन सब का आधार एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी रहा और इस शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्भव की बात जब आती है तो भारत में रॉक की गुफाओं की दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी थी, इस बात का प्रमाण प्रारम्भिक रूप से पाया जाता है, ये उन्नीस सौ शताब्दी के पहले। उन्नीस सौ, आजादी के पहले, आजादी से भी पहले की शताब्दी से पहले। यानी शैक्षिक दृष्टि से हमारे यहां नवाचार कितने थे, प्रौद्योगिकी शिक्षा में कितनी जबरदस्त थी, ये शताब्दियों पहले भारत में मौजूद था, इस बात के प्रमाण हमें निश्चित रूप से मिलते हैं और आज हम इस प्रौद्योगिकी को, जो भारत ने स्थापित की चित्रकला से लेकर, विज्ञान से लेकर, तत्व ज्ञान से लेकर, जिस पर कई बार इस सदन में चर्चा हुई, उस प्रौद्योगिकी का पराक्रमी स्वरूप, कभी कल्पना करते थे 'भारत एक खोज', अब दुनिया में भारत को किसने खोजा, मेरे ये समझ में नहीं आती, दुनिया का सबसे प्रभुता सम्पन्न और शैक्षणिक दृष्टि से विश्व गुरु कहलाने वाला देश लेकिन दुनिया अज्ञानता के कारण इसलिए कहती थी कि वो ज्ञान-विज्ञान, वो प्रौद्योगिकी दुनिया के पास नहीं थी जिससे दुनिया के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित कर सके और जब भारत ने प्रौद्योगिकी को दुनिया को दिया और दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ी तो उसका पराक्रमी स्वरूप इस दुनिया में प्रकट हुआ 1980 के दशक में।

माननीय सभापति महोदय, 1980 के दशक में दुनिया में प्रौद्योगिकी का असर इतना भयंकर आया कि दुनिया एक राष्ट्र की शक्ल में आ गयी, भूमण्डलीकरण के नाम से जिसको कह कर, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जिसको कह कर प्रभावित किया गया, वो दुनिया में प्रौद्योगिकी का पराक्रम था। इस लेवल पर चला गया और उसके बाद प्रौद्योगिकी के साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा में नवाचार और शिक्षा में किस प्रकार से इसको समाहित कर के ठीक तरीके से कैसे हम आम आदमी तक इसके प्रचार-प्रसार को पहुंचा सकते हैं, एक चुनौती बन गयी। भूमण्डलीकरण के दौर के बाद सारे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

शैक्षिक पैटर्न बदल गये, सारी परम्पराएं बदल गयीं और हमारे किताबी ज्ञान के जो परम्परागत तौर-तरीके थे उनमें भी बदलाव आ गया और दुनिया उस दिशा में बढ़ने लगी जहां पर घर बैठा हुआ व्यक्ति सारे विश्व को जानने की कल्पना और इच्छा शक्ति रखने लगा और इसमें भारत कामयाब हुआ, दुनिया कामयाब हुई।

मैं इस अवसर पर प्रौद्योगिकी की बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी परिभाषा तो नहीं करना चाहता लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी इस विश्वविद्यालय के रूप से धरातल पर ला रहे हैं, कि हम नये आयाम स्थापित करेंगे, नये नवाचार स्थापित करेंगे। प्रौद्योगिकी का मतलब सीमित नहीं है, दुनिया में तमाम क्षेत्रों में होने वाले नवाचार, जिसको अंग्रेजी में टैक्नोलोजी कहते हैं और हिन्दी में अभी मुझे बताया कि उसको शिल्प कहते हैं। हमारी शुद्ध-विशुद्ध हिन्दी में वो शिल्प कला, प्रौद्योगिकी, टैक्नोलोजी सारी दुनिया का बेस बन गयी। उस समय हमारा नागरिक, हमारा स्टूडेंट, हमारा आने वाला कल का भविष्य, हमारा बच्चा शैक्षणिक मानकों में दुनिया के लेवल का कैसे बन कर खड़ा हो, इस दृष्टि से गम्भीरता पूर्वक विचार कर के सरकार इस निजी विश्वविद्यालय को परमिशन दे रही है।

पर, माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को लेकर दो-तीन बात करूंगा। सरकार ने विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची दो में उल्लेखित किये हैं और धारा- 7 में विश्वविद्यालय को किसी अन्य महाविद्यालय को संबद्ध करने की ताकत नहीं दी, स्वागत योग्य कदम है। अगर निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय को संबद्धता के पावर हमने दे दिये तो शिक्षा की एक दुकानें पूरे राजस्थान में खुलना प्रारम्भ हो जायेंगी। लेकिन धारा- 5 के खण्ड (ञ) अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों के लिए विद्यालयों, मेरा मानना है, सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अगर अपना केन्द्र स्थापित करेगा तो वो महाविद्यालय के रूप में होगा, विद्यालय के रूप में नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि संबद्धता के पावर तो नहीं दे रहे लेकिन केन्द्र खोलने के नाम पर वो टैक्नोलोजी उपलब्ध कराने के नाम पर दक्षता शिक्षा में राजस्थान के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विद्यार्थियों को देने के नाम पर राजस्थान के कौन-कौने में कहीं इस प्रकार की दुकानें नहीं खोल दे जिसका काम एन.जी.ओ. कर रहे हैं और आज देश में एन.जी.ओ. की स्थिति क्या है? कहीं हम इस विश्वविद्यालय को केन्द्र खोलने के नाम पर एक एन.जी.ओ. के स्वरूप में इस राजस्थान में स्थापित नहीं कर दें कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के राजस्थान में शैक्षणिक दक्षता व शैक्षणिक शिल्पकार कैसे तैयार हों, उसकी जगह हम उसका स्तर गिरा दें, उसका स्वरूप ही बिगाड़ दें, एन.जी.ओ. की तरह एक दुकान बन जाए। इसलिए इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि परिसर के अतिरिक्त, पत्राचार का दिया समझ में आता है कि अगर वहां पर कोर्सेज में कोई नवाचार है, अनुसंधान है और कोई दूरस्थ शिक्षा पत्राचार के माध्यम से लेना चाहता तो ले, हम ब्रेक नहीं करना चाहते शिक्षा के किसी भी प्रकार के तौर-तरीकों को लेकिन केन्द्र खोलने के बारे में नियम-परिनियम बनाते समय सरकार का चैक पाइंट होना चाहिए। इस पर गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

सामान्य विश्वविद्यालय का जो एक्ट बनता है वो एक्ट है, सरकार को पावर भी होगी, सब कुछ होगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह दक्षता के लिए, शिल्पकार तैयार करने के लिए, टैक्नोलोजी, उद्यम बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय खोला जा रहा है।

हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। एमसीआई वाले जब निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो हम इधर-उधर के अस्पतालों से मैनेज करके शर्तों की खानापूर्ति करते हैं। हमारी एजुकेशन में आज भी कई प्रकार की खामियां हैं। सारी सरकारें यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। पेपर लीक हो रहे हैं।

सभापति महोदय, अनुसूची 2 में जो उनके दायित्व बताए हैं, यह इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलेंगे। आयुर्विज्ञान, मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। चिकित्सा औषधि निर्माण विज्ञान भी खोलेंगे। यह एमबीए कॉलेज भी खोलेंगे। होटल प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेंगे। पर्यटन के कोर्सेज चलाएंगे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(20.50 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अनुप्रयुक्त विज्ञान, कम्प्युटर अनुप्रयोग यानी सारे कोर्सेज विधि स्नातक से लेकर के शिक्षा, अब शिक्षा आ गया, शिक्षा के सारे विश्वविद्यालय में चलने वाले तमाम कोर्सेज, डिफाइन करें आखिर शिक्षा का मतलब, शिक्षा का मतलब ग्रेजुएशन होता है, शिक्षा का मतलब पी.जी. होता है। शिक्षा का मतलब आर्ट, कॉमर्स, साइंस और नाना प्रकार की फैकल्टीज एग्रीकल्चर, होम साइंस दुनिया भर की फैकल्टीज होती हैं।

इसका जो अनुसूची 2 में स्वरूप दिया है वह इतना वाइड, इतना विस्तृत है, इतना बड़ा स्कोप है, नैनो प्रोद्योगिकी से लेकर के जीव विज्ञान, विदेशी भाषा से लेकर शब्दावली अध्ययन, यानी आज तक जो काम इस राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय शब्दावली अध्ययन और भाषा अध्ययन का नहीं कर पा रहा है, वह यह करेंगे। भाषाएं सिखाएंगे। कोई निजी आदमी कर रहा होगा कि कोई आदमी रूस जा रहा है, चाइना जा रहा है तो वह भाषा ज्ञान कोई एन.जी.ओ. करा रहे होंगे। लेकिन यह विश्वविद्यालय वह ज्ञान भी कराएगा। आज मारवाड़ की भाषा को हाड़ौती नहीं समझता और हाड़ौती की भाषा को मारवाड़ नहीं समझता है। इस अनुसूची 2 को इतना बड़ा स्कोप और इतना विस्तृत बना दिया कि यह राजस्थान में जहां चाहे मनमर्जी से जो करना चाहे वह कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि फिर तो यह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर विश्वविद्यालय खोलने वाला व्यक्ति राजस्थान का जितना बड़ा शिक्षा का बजट होगा, उतना बड़ा बजट लेकर के आया होगा। हमें इस पर चैक पाइंट लगाना चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटी का इसी विधान सभा ने बिल पास किया। डिग्रियां बांटकर भाग रहे हैं। कर्मचारियों ने वहां ताले लगा दिए। क्या गारंटी है? हम उसको इतना बड़ा स्कोप दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र में वह चाहे कदम उठा सकता है। मर्जी पड़े जिस क्षेत्र में, स्थापत्य कला, डिजाइन से लेकर के खेलकूद, बीपीएड से लेकर के सीपीएड, नैनो टेक्नॉलाजी से लेकर जीव विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, वेद-विज्ञान, वह सब खोलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सनातन कालीन शिक्षा पद्धति से पाश्चात्य

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पिछलग्गू होकर के दूर चले गए लेकिन अब यह धर्म, वेद-विज्ञान की शिक्षा को भी पढ़ाएगा। प्रौद्योगिकी में जन संचार, मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक थैरेपी, यह सब काम यह करेंगे। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग सशक्त तरीके से बनाकर, एक-एक कोर्स संचालित करने के पहले इस प्रकार के तमाम निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग से परमिशन लें, वैरीफाई करें और यह सदन उसको अनुमोदित करे। उसके बाद ही वह राजस्थान में कोई नया कोर्स स्थापित कर पाएं। मैं समझता हूं कि तभी हमारा यह मकसद पूरा होगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रोद्योगिकी जो दुनिया में सबसे पहले भारत में स्थापत्य कला, चित्रकला के रूप में आई थी, हम फिर से दुनिया के तमाम नवाचारों में, टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम क्षेत्रों में, कृषि, विज्ञान, भौतिकी, रसायन सभी में दुनिया का नेतृत्व करें। मकसद पवित्र है लेकिन चैक पाइंट जरूरी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2017 जो लेकर के आए हैं, उस पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्राइवेट विश्वविद्यालय खूब सारे संचालित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले कौशल विकास और आज एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से विधेयक आया है। इन विश्वविद्यालयों का जब नाम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस राजस्थान में एक नई क्रांति आ जाएगी। राजस्थान में हर व्यक्ति स्व पोषित, स्वयं का काम करके या अपने आपको स्किल्ड करके अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी धारा 41, इसमें दिया गया है निरीक्षण का समय, इसको आप निर्धारित करें। धारा 41 में आपने निरीक्षण का तो लिखा है, लेकिन निरीक्षण कब-कब किया इसका नहीं है। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आज तक जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय राजस्थान में संचालित हैं, आपकी किस टीम ने कब-कब निरीक्षण किया और निरीक्षण में क्या-क्या

(श्री मनोज कुमार)

अनियमितताएं पाई? किस तरीके से वह विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं? इसमें जब आपने यह प्रावधान किया है तो आप इसमें यह जरूर बताएं कि सरकार का इस तरह का कोई निरीक्षण हुआ है क्या?

उपाध्यक्ष महोदय, निरीक्षण के बाद में, आपने अंतिम लाइन लिखी कि राज्य सरकार निरीक्षण के बाद निर्देश देगी। अनियमितता पाई गई और उसके बाद भी आप उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए नहीं लिख रहे हैं, इसलिए आप इस धारा में संशोधन करें और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ धारा 43 में आपने कहा है कि प्रायोजक निकाय जब चाहे इसका विघटन कर ले, यह कोई बात नहीं। लेकिन धारा 44 में आपने लिखा है कि कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां जिससे इनका विघटन राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन आपने इसी की उप धारा 9 में आपने लिखा है कि 'उप धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्ति पर राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी कर सकती है'। लेकिन आपने धारा 44 के मूल में लिखा है कि 'यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या एतदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है', जब आपने कानून बनाया है कि उल्लंघन किया जाता है यह मानते हैं तो इसके बाद इसकी संपत्ति, विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां एवं दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगी। मैं इसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार के कब्जे में हों। सरकार इनकी सारी शक्तियों को जब्त करे। जब वह कानून का उल्लंघन करते हैं और कानून की पालना नहीं करते हैं तो उनकी सारी संपत्ति सरकार जब्त करे। वह लाखों लोगों को फर्जी डिग्रियां बांट जाएंगे और लूटकर के चले जाएंगे और उसके बाद संपत्तियां भी हम उनको सौंप दें, ऐसा राज्य सरकार नहीं करे। धारा 44 की उप धारा 9 में यह प्रावधान करे कि सरकार यह संपत्ति जब्त करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ कहना चाहता हूं कि यह प्राइवेट विश्वविद्यालय जितने भी हैं, यह अपने एडमिशन तक तो बहुत चिंतित रहते

(श्री मनोज कुमार)

हैं। प्रवेश लेते हैं लेकिन उसके बाद अनुपस्थित रहने के भी पैसे लिए जाते हैं। स्टाफ नहीं होता, पढ़ाना नहीं पड़ता। जितनी भी डिग्रियां दी जाती हैं, यह सिर्फ डिग्रियां बांटने का काम करते हैं। अनुपस्थिति की फीस अलग है और आपके एडमिशन की फीस अलग है। दो तरीके की फीस ली जाती है। जितने भी प्राइवेट महाविद्यालय हों या विश्वविद्यालय हों, स्टाफ नहीं रखते, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद भी हम उन विश्वविद्यालयों पर विश्वास करते हैं। बार-बार हम इन विश्वविद्यालयों के लिए एक्ट पास कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाए कि इनके पास स्टाफ है कि नहीं है। इनके पास प्रवेश लेने वाले छात्र उपस्थित हैं या नहीं हैं। इस बात पर भी विचार किया जाए। इसके साथ ही इनके यहां पर जो स्टाफ रखा जाता है, वह कई-कई विश्वविद्यालयों में एक ही होता है। एक विश्वविद्यालय में भी उनके नाम मिल जाएंगे तो दूसरे विश्वविद्यालय में भी उन्हीं के नाम मिल जाएंगे। वह स्टाफ वहां मौके पर नहीं होता है। सिर्फ उसके दस्तावेज और कागज वहां पर रखे जाते हैं कि हमारे पास इस विषय का यह-यह स्टाफ रखा गया है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि यह जो निरीक्षण का विषय है, इसमें समय निर्धारित करें कि हम मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक में इनका निरीक्षण जरूर करेंगे। जिससे कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

इन विश्वविद्यालयों में किसी भी कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो, ऐसा इस एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं किया गया है। जो कर्मचारी, अधिकारी रखे जाएं, उन सभी का भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। विश्वविद्यालय की मनमर्जी से उनको नहीं निकाला जाए। अगर कोई कर्मचारी सही कार्य नहीं कर रहा है तो भी सदन के संज्ञान में लाया जाए कि हमने इन-इन कर्मचारियों को इस विश्वविद्यालय में रखा, यह कार्य नहीं कर रहे हैं। उनका भी भविष्य सुरक्षित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने जो अनुसूची 2 की बात कही, आपने इसका नाम तो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शुरूआत में लिखा।

(21.00 बजे)

(श्री मनोज कुमार)

लेकिन इसके अंदर आप अनुसूची 2 में जिस तरीके से विधि की शिक्षा देने का कह रहे हैं, विधि की शिक्षा तो दूसरे विश्वविद्यालयों में भी चल रही है, महाविद्यालयों में भी चल रही है, शिक्षा, शिक्षा का क्या विस्तार है? शिक्षा तो जितनी भी हम पहली क्लास से लेकर अंतिम उच्च स्तर तक जितनी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वह सारी शिक्षाएं हैं तो क्या ये सभी शिक्षाएं चलाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे जनरल विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेज और स्कूल में चल रही हैं उन सबको इससे बाहर किया जाए और उनको सिर्फ प्रौद्योगिकी जो विषय है, हमारे छात्र स्किल्ड हों, तो पर्टिकूलर ध्यान उसी पर केन्द्र बिन्दु रहे जिससे इनको प्रशिक्षित किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा कि यह प्राइवेट विश्वविद्यालय हमारे लूट के अड्डे होते जा रहे हैं इसलिए इन सब पर नियंत्रण राज्य सरकार रखे और जो धारा 44 की उप धारा 9 है उस पर आप विशेष गम्भीरता से विचार करें और मैं तो कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के विधेयक को जनमत जानने हेतु तीन माह के लिए परिचालित किया जाए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखरामजी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, इसकी अनुसूची 2 है, यहां से शुरूआत की जाए। वैसे मेरे कोटा से आने वाले साथी ने बताया है, कुल 22 विषय हैं, टेक्नोलॉजी बात अलग है, मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, विदेशी भाषा पढ़ाएंगे, दूर संचार पढ़ाएंगे, विधि पढ़ाएंगे, कुल 22 तरह की शिक्षाएं वहां ग्रहण की जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है भौतिक रूप से, उसके प्रशासनिक खंड में कुल 36 भवन हैं और 1633 वर्ग मीटर में है। शैक्षणिक खंड कुल 71 है, 12,141 वर्ग मीटर में है। निवासीय खंड कुल 6 है और उसमें 1,538 वर्ग मीटर क्षेत्र है। इसके साथ ही कुल 64 संकाय हैं। शैक्षणिक सुविधाएं, पुस्तकालय, यह अलग-अलग है, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, औषध निर्माण विज्ञान, अनप्रयुक्त विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, विधि, शिक्षा, कुल 1,654 शीर्षक हैं जिनकी 7,824 किताबें हैं। इसकी प्रयोगशाला में डिजिटल इलैक्ट्रोनिक्स

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्रयोगशाला, ड्राइंग हाल, इलैक्टोनिक्स अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, वैद्युत प्रयोगशाला, वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक्स कार्यशाला, मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी जो जांच की गई है। जांच करने वाली कमेटी 5 सदस्यीय, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, निदेशक, पोद्दार प्रबंधन संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर और संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल एक और सरकारी विधेयक आया है, तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, पिछले सत्र में, इस सत्र में एक और विश्वविद्यालय का विधेयक पास हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जब कॉलेज पूरे प्रदेश में बने हुए हैं उन कॉलेजों में केवल मात्र बिल्डिंग बनी हुई है, न तो वहां टीचर है, न वहां लेक्चरर है, न वहां प्रोफेसर है, न वहां कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है, न वहां कोई नियमित क्लासेज लगती हैं। ऐसे हालात पूरे प्रदेश में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके हैं। यह प्राइवेट विश्वविद्यालय जो बन रहा है उसमें तमाम तरह का अध्ययन होगा तो इसमें संदेह पैदा होता है कि वाकई में इतना ढांचा जहां वह गांव वाटिका, तहसील सांगानेर और ग्राम फतेहपुरा वास, वाटिका, तहसील चाकसू, दोनों की जमीन संयुक्त रूप से मिलाकर यह जो ढांचा खड़ा किया गया है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वहां इतना स्ट्रक्चर है या नहीं इसकी जांच विधान सभा की एक कमेटी बनाकर की जाए ताकि पहले जो इन्होंने पाँच-छह आदमियों ने जांच की है, उस जांच की सत्यता का पता चले कि वाकई में इतना बड़ा ढांचा मेरे हिसाब से असंभव है। जो लाइब्रेरी है, इतने कम्प्यूटर लगे हुए हैं, इतनी मशीनें लगी हुई हैं, कम से कम इस विधेयक को पास करने से पहले जांच कराई जाए और फिर पास किया जाए ताकि आइन्दा इस तरह से विधेयक नहीं आ जाए। केवल मात्र मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक है वह माननीय मंत्रीजी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मेरे हिसाब से इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जाकर चैक नहीं किया होगा कि उसमें कुल कितने भवन है,

(श्री सुखराम विश्नोई)

क्या स्थिति है, कितनी प्रयोगशालाएं हैं, कितने खेल के मैदान हैं, तमाम जो खेल के मैदान हैं उनको सबको देखें तो कम से कम दो किलोमीटर रेंज में अगर विश्वविद्यालय फैला हो तब जाकर इतना ढांचा खड़ा हो सकता है और ये क्षेत्रफल कम बता रहे हैं। इसमें इससे शंका पैदा होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें फीस का निर्धारण है वह निर्धारण करने पर कोई कंट्रोल नहीं, तीन महीने से उस विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं, उसके जो चेयरपर्सन हैं वह उसका मूल्यांकन करेंगे। कोई सरकार का उस पर कंट्रोल नहीं है तो फिर सरकार का कंट्रोल फीस पर नहीं है, डाइरेक्टर, इन्सपेक्शन का भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इन्सपेक्शन करेंगे और इसके बाद में जो कमियां हैं, उन कमियों को उस विश्वविद्यालय को भेजेंगे। पालना होगी या नहीं होगी, उसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश नहीं है, कम से कम स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, उसमें चेयरपर्सन हैं, प्रेसीडेन्ट है, प्रति-प्रेसीडेन्ट है, प्रोवोस्ट है, कुलानुशासक है, संकाय का संकायाध्यक्ष है, कुल सचिव है, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अचम्भे की बात है कि इसमें डिसक्वालीफाई कैसे होंगे वह तो इसमें दिया है परन्तु उनकी योग्यता क्या है, किस योग्यता के अधिकारी होंगे, कौनसी डिग्री उनके पास होगी, कितना उनका अनुभव होगा, इस विधेयक में उसका कोई हवाला नहीं है। जब इतना बड़ा विश्वविद्यालय आप इसको मानते हैं और इसका विधेयक पास करने जा रहे हो, उसमें उसकी योग्यता नहीं दर्शाई गई है तो कम से कम इन तमाम जो सात-आठ अधिकारी हैं जो इस विश्वविद्यालय को चलाएंगे, कम से कम टेक्नीकल हैंड कितने हैं, दूसरे कितने हैं, क्या उनकी शिक्षा है, क्या उनकी उपाधियां हैं, क्या डिग्रियां हैं तो कम से कम इसमें योग्यता तो होनी ही चाहिए। एक पहली कक्षा होती है उसमें भी बीएसटीसी पास टीचर लगता है, कम से कम बीएसटीसी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय चलाने के लिए जो यह तमाम अधिकारी हैं, क्या उनकी योग्यताएं होगी, कम से कम इस विधेयक में योग्यता दर्शाई जाए ताकि इस तरह की संस्था खड़ी हो रही है उसकी गुणवत्ता बनी रहे, लोगों का उस पर

(श्री सुखराम विश्नोई)

विश्वास रहे, वरना जो इस तरह से हर दिन विधेयक पेश हो रहे हैं, हर दिन विधेयक पेश हो रहे हैं, अभी एक घंटे पहले यह नगरपालिका विधेयक आया तो हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि यह तो पाइप लाइन में था, यह क्या पता कि कितना लम्बा पाइप है, इस के बाद और आएगा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का विधेयक तो कम से कम जो भी इस एक्ट में है तो बिलकुल पारदर्शी तरीके से एक स्पष्ट होना चाहिए कि यह तो इसकी योग्यताएं हैं यह बिल्डिंग बनी हुई है, इतने लोग लेंगे, यह इतनी इसकी फीस होगी, फीस निर्धारण में सरकार का दखल होगा, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों को भर्ती किया जाएगा तो तमाम एससी, एसटी का रिजर्वेशन होगा, इसका इसमें कोई हवाला नहीं दिया गया है इसलिए मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक दिन पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद किया जाता है, एक सरकारी विश्वविद्यालय जिसके अंदर बच्चों को कम पैसे के अंदर शिक्षा मिले उसके ताला लगाया जाता है, अगले ही दिन एक निजी विश्वविद्यालय को हम राजस्थान के अंदर शुरू करने की बात करते हैं। सरकारें इसलिए नहीं बनती कि सरकारें व्यापार करें, सरकारें इसलिए बनती है कि जनता को वह लोग सुविधाओं का हस्तांतरण करें और अपनी तरफ से जो पैसा सरकार लेती है क्योंकि सरकार पैसा कोई अपने घर में नहीं छापती है, सरकार के पास में वही पैसा आता है जो जनता अपने गाढ़े पसीने से कमाती है और उस गाढ़े पसीने की कमाई से हम अगर लोगों को को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, न्यूनतम दर पर नहीं दे पाए तो यह उस सरकार का चलना निरर्थक कर देता है। राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की अगर मैं बात करूं तो 18 से 23 वर्ष की उम्र के व्यक्ति जिनका पंजीकरण शिक्षा के लिए होना चाहिए वह हमारे हिन्दुस्तान के अंदर 20 प्रतिशत है। विश्व की दृष्टि से 20 प्रतिशत सकल पंजीकरण होता है। इतने प्राइवेट विश्वविद्यालय लाने के बाद क्योंकि आम आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चे को निजी

(श्री धीरज गुर्जर)

विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाऊं और राजस्थान में आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि राजस्थान में सरकारी विश्वविद्यालयों से ज्यादा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में आपकी सरकार रिकार्ड तोड़ रही है। दीप शिखा कम्पनी जो आपकी है, दीप शिखा संस्था जिसको आप दे रहे हैं, क्या इस सदन के अंदर आप लोग हमारा या सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ खड़ा कर रहे हैं।

तो कहीं इस अधिनियम के अंदर नहीं दिया कि जो 30 एकड़ जमीन है वह इन्होंने खुद ने खरीदी है या सरकार ने इसको अपनी तरफ से पट्टों के माध्यम से कम रेट में दी है, सरकार से इन्होंने ली है और जो यह संस्थान है इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है इसके अंदर किन लोगों का पैसा लगा हुआ है। कहीं न कहीं यह बात हमारे सामने भी आनी चाहिए। आपने इसके अंदर लिखा है कि आपके विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, निदेशक-पौद्दार प्रबंधन संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जब इसको आप इस सदन के अंदर पास करा रहे हो और इसके बारे में जांच करने के लिए आप सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लोगों को भेज रहे हो तो इस सदन के जो सदस्य हैं जिनको इस विश्वविद्यालय को पास करना है, अगर इनकी कमेटी बनाकर उस कमेटी को उस जगह को देखने के लिए जो भवन निर्माण हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता को देखने के लिए या किस तरह से विश्वविद्यालय संचालित होगा वह देखने के लिए भेजे जाते हैं। हम विपक्ष के लोग हैं हम तो मना करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के आपके विधायक हैं, हमको नहीं, लेकिन उनको ही भेज देते। कम से कम जो सदन इसको पारित कर रहा है वह सदन जाकर देखता तो सही कि इस विश्वविद्यालय को पारित कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर किसका पैसा लग रहा है? दीपशिखा संस्थान है, इसकी पहले जयपुर में कॉलेजेज चलती थीं। अब इसको आप स्वायत्तशासी संस्था बना देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे तो वे कॉलेजेज आपके अधिग्रहण के अंदर तो थी, आपके अधिकार के अंदर तो थीं वे स्वायत्तशासी हो जाने के बाद आपका कहा मानेगी नहीं। बार-बार इस सदन के अंदर बात उठती रहती, चाहे सत्ता हमारी हो या सत्ता आपकी हो। जब निजी विश्वविद्यालय खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद सरकारी मंत्री का फोन तक नहीं उठाते हैं। जब आप विपक्ष में बैठते थे

(श्री धीरज गुर्जर)

तो आप लोग बात उठाते थे कि राजस्थान के अंदर एक नियामक आयोग होना चाहिए जिसका इन विश्वविद्यालयों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण हो, जो इन विश्वविद्यालयों को बाध्य कर सके कि इनकी फीस कितनी होगी। आज हमारे हाथ में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण करना ही नहीं है। इतनी कमेटी बनाने के बाद में, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद में जो निजी विद्यालय हैं उनकी फीस के ऊपर ही हम लोग प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस रामराज्य की बात कर रहे हैं जिसके नाम पर आप बार-बार सत्ता में आते हैं। जो निजी विश्वविद्यालय बनेंगे क्या उनकी फीस के ऊपर आपका अधिकार रहेगा कि वे कितनी फीस ले सकते हैं कितनी नहीं लेंगे। जो विषय उसने अपने पास रखे हैं, 22 सब्जेक्ट लिए हैं जिसके अंदर वह विश्वविद्यालय संचालित होगा। अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य, चिकित्सा और औषध निर्माण विज्ञान, प्रबंधन, होटल प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, पर्यटन और यात्रा, अनुप्रयुक्त विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, विधि, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, ऐसा कोई विषय नहीं जो इस विश्वविद्यालय ने नहीं लिया है और मात्र 30 एकड़ के अंदर यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। शायद किरण माहेश्वरी जी के विभाग का चार्ज लेने से पहले ही ये सब व्यवस्थाएं हो चुकी थीं। अब तो इन्हें सिर्फ पेश करना है।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पारित करने में हम इतनी जल्दबाजी न दिखाएं। निजी विश्वविद्यालय है, यह स्वायत्तशासी संस्था बन जाएगी। हम जान रहे हैं कि राजस्थान के अंदर, मैं राज की बात नहीं करता हूं, कोई राज नहीं चाहता कि उसके समय के अंदर फर्जी डिग्रियां बंटे, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से राजस्थान के अंदर शिक्षा का स्तर गिरने की जो घटनाएं होती हैं वे किसी संगठन के ऊपर नहीं, कांग्रेस, बीजेपी के ऊपर नहीं, बल्कि सरकार के चेहरे पर तमाचा होती है। जब वे लोग जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए वे वंचित रह जाते हैं और वे लोग जिनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए वे पैसे के दम पर डिग्रियां खरीद लेते हैं। इनको आप खुद के प्रश्नपत्र खुद आयोजित करने की इजाजत देंगे। ये पैसे लेने वाले लोग हैं। डोनेशन लेकर सीटें देते हैं। ये बच्चों को अपने यहां पढ़ने बुलाएंगे, ये प्रश्नपत्र खुद

(श्री धीरज गुर्जर)

बनाएंगे और खुद ही पास कराएंगे। क्यों नहीं निजी विश्वविद्यालय जो आप लेकर आते हो उन निजी विश्वविद्यालयों के अंदर यह बाध्यता रखी जाय कि जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो पेपर बनेंगे वे पेपर हम इनको देंगे। क्यों इनको पेपर बनाने की आप छूट देते हो, क्यों इनको खुद की परीक्षा खुद कराने की छूट देते हैं। ये सिर्फ लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और इन लाभ कमाने वाली संस्थाओं को अगर हम लोग आगे बढ़ने का मौका देंगे तो हिन्दुस्तान की आबादी के साथ चोट होगी, क्योंकि आज जो शिक्षा हमें मिलती है उस शिक्षा के अंदर चाहे बीए पास हो जाय, चाहे एमए पास हो जाय, जाय एमएड पास हो जाय, चाहे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग पास हो जाय, आज भी हमारा बच्चा चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिसके माता-पिता के पास लाखों-करोड़ों रुपये होते हैं वह डोनेशन की सीट लेता है और उस डोनेशन की सीट के अंदर उसके बच्चे को ये विश्वविद्यालय पास कर देते हैं इसलिए कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होने वाली निजी शिक्षण व्यवस्था को आप बढ़ावा न दें और राजस्थान के अंदर ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करें जिससे गरीब का बच्चा पढ़-लिखकर आगे बढ़ सके, गरीब के बच्चे को नौकरी मिल सके। अगर आप रामराज्य की बात करते हैं तो रामराज्य की बात करने से रामराज्य नहीं होगा। रामराज्य तब आएगा जब गरीब के बच्चे को आपके विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा, जब गरीब के बच्चे को कम फीस के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप गारंटी ले सकते हैं इस सदन के अंदर कि इन विश्वविद्यालयों की जो फीस बढ़ेगी उसके ऊपर आपका नियंत्रण रहेगा। आप ये गारंटी ले सकते हैं कि ये फर्जी डिग्री नहीं बांटेंगे। आप गारंटी ले सकते हैं कि इनके यहां पढ़ने वाले बच्चे का प्लेसमेंट हो जाएगा? जिस तरह से राजस्थान के अंदर आप लोग अंधाधुंध बिल लेकर आ रहे हैं, इतने कॉलेज का निर्माण कर दिया है, आज बिल सदन के अंदर पास हो रहा है। उससे पहले इसकी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। मान लीजिए आप इस बिल को पास नहीं करते हैं तो उस बिल्डिंग का यह क्या करेगा? इस संस्थान का जो ऑडिट है, इसमें किस-किस का पैसा लगा है, कितना-कितना पैसा लगा है, कैसे-कैसे पैसा लगा है, ये सब चीजें जब तक सदन की जानकारी में नहीं

(श्री धीरज गुर्जर)

आती हैं तब तक हमें इस विश्वविद्यालय को पारित करने से पहले जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। मैं अपनी प्रस्ताव पर बात करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 सरकार लायी है। कल भी करीब 12-13 विधेयकों में संशोधन थे और उससे पहले भी पिछले चार साल के अंदर कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल आये और प्राइवेट विश्वविद्यालयों की जो साख है, किस तरह जोधपुर के अंदर प्राइवेट विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्री बांटने का गोरखधंधा शुरू किया। पूरे देश के अंदर इस राजस्थान के शिक्षा जगत के अंदर पैठ थी, राजस्थान को शिक्षा के अंदर सबसे अच्छा राज्य माना जाता था अब उत्तर प्रदेश और बिहार की श्रेणी में राजस्थान आ गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन है कि इन प्राइवेट विश्वविद्यालय के नाम से इनको गुण्डागर्दी की छूट नहीं दी जाय, यह निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर देंगे, युवा पीढ़ी को खोखला कर देंगे। यहां न तो उपस्थिति की अनिवार्यता रहती है, चाहे जो गोल्ड मैडल ले लेता है, अगर आपको उपस्थिति पूरी दर्शानी है तो उसको पैसा अलग देना पड़ेगा, अगर आपको नम्बर लेने हैं तो उसका पैसा अलग देना पड़ेगा। इनकी गुण्डागर्दी देखो, चाहे जैसे नाम रख लेते हैं, चाहे जैसा अपना सिस्टम बना लेते हैं। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता माननीय विधायक ने अभी बात कही थी कम से कम राजस्थान विश्वविद्यालय जब एग्जाम कराता था तो बहुत बड़ी पैठ राजस्थान विश्वविद्यालय की थी और राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरे देश के अंदर नाम था। लेकिन अभी सीकर में एग्जाम हुए तो बहुत बड़ी शिकायत आयी कि फेल को पास और पास को फेल चाहे जैसा कर दिया। आज गरीब के बच्चे को रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन सरकार शिक्षा तो ढंग की दे। इसमें कौनसी होड़ में आप लगे हैं? इतने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को आप छूट दे दोगे, हजारों करोड़ की जमीन आपने राजस्थान में दे दी। इनके दिमाग इतने सूज गये, कई तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई गवर्नर चल रहा है। यहां जयपुर के अंदर लालबत्ती लगाकर चलाते

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं। मेरे हिसाब से लालबत्ती सारे देश के अंदर हट गयी होगी, लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालय कह देंगे कि हमारे एक्ट में कर लिया और लाल बत्ती लगाकर घूमेंगे। कौन उनको पूछेगा, कौन रोकेगा? क्योंकि रोकने-टोकने का सिस्टम तो राजस्थान में पूरा खत्म हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए दीपशिखा कला संस्थान, जयपुर को अनुमति दे रहे हैं उसके लिए मेरा इतना ही निवेदन था कि एक विधायकों की कमेटी इस जगह जाकर देखें कि वास्तव में कुछ है या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर दीपशिखा का कितना है, बिल्डिंग व दूसरी इसकी साख है, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज भी चला रहा है। इनकी जगह-जगह स्कूल भी है, दूसरे कॉलेज भी हैं और भी इसके काम-धंधे हैं। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। शायद कालीचरणजी ने जांच करायी होगी, इनके नजदीकी आदमी हैं। (व्यवधान) ये हंस रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि राजस्थान की जो साख है वह बनी रहे और अपन विधेयक लाने की होड़ के अंदर, राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि कुछ फालतू के कानूनों से, विधेयकों से राहत मिलेगी, लेकिन आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये। अभी चलते-चलते दो-तीन और लेकर आ गये। अब कितने लाओगे, यह तो आप जानो, लेकिन प्रदेश में जो उच्च शिक्षा का स्तर है उसके अंदर निश्चित रूप से गिरावट आयी है।

हर आदमी का, किसान का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़-लिखकर अच्छा अफसर बने, लेकिन आज हालात कैसे हो गये? अभी जो पेपर लीक प्रकरण हुआ, जब राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है तो प्राइवेट विश्वविद्यालय की क्या गारंटी है? यहां तो आपकी सरकार का सिस्टम है, सारी देखरेख है, लेकिन यहां तो इनका कोई धणी-धोरी नहीं है, चाहे जैसे एग्जाम कराते हैं, इनका ही सारा सिस्टम होता है, चाहे जैसी व्यवस्था कर लेंगे। मेरा निवेदन है कि जल्दबाजी के अंदर यह विधेयक लाने से पहले आपको पुन: एक बार सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) एक ओर सरकार धड़ल्ले से निजी विश्वविद्यालयों के बिल पारित करा रही है। हर सत्र में चार-पाँच बिल तो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

निजी विश्वविद्यालयों के होते हैं और दूसरी ओर सरकारी विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए बिल पारित कर रही है। कल ही इस सदन में पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद करने का बिल पास किया। इससे सरकार की नीति और मंशा साफ दिखती है।

जिसमें उन छात्रों के भविष्य को हाशिये पर रख निजी ग्रुप के व्यक्तियों को फायदा पहुंचा रही है। एक, विश्वविद्यालय के अन्दर कितनी स्वायत्तता, जो हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा भारत में जब उच्च शिक्षा केन्द्रों की परम्परा के लिए याद करते हैं तो हमारे ध्यान में प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय आता है जो आप सब ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि नालन्दा विश्वविद्यालय, जहां से शिक्षा लेकर लोगों ने इस भारत देश को पूरा विश्व गुरु बनने का सपना साकार किया था वो नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़कर लोग आगे बढ़े और उन्होंने नाम कमाया। तक्षशिला के विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है जहां प्राचीन काल में सचमुच विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल विश्वविद्यालयों और ज्ञान के बिम्ब बड़े समृद्ध हैं। वेद, धर्म शास्त्र और स्मृतियां ही नहीं, गणित, व्याकरण, न्याय, आयुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, योग तथा दर्शन की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध ग्रन्थों से साहित्य ज्ञान की गुणवत्ता और विस्तार की एक लम्बी परम्परा का पता चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसके अन्दर मुख्य रूप से यही निवेदन था कि सरकार आनन-फानन के अन्दर इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों के बिल लाकर इनको गुंडागर्दी का एक लाइसेंस राजस्थान के अन्दर दे रही है। यह लाइसेंस सरकार को नहीं देना चाहिए। पहले विश्वविद्यालय नियामक आयोग बने, इन पर नियंत्रण हो और सरकारी नियंत्रण के अन्दर इनके एग्जाम से लेकर सारी व्यवस्थाएं हो। उपस्थिति की अनिवार्यता, अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय के अन्दर पढ़ने वाला लड़का शुरू से ही चोरी करने लग जाएगा, वो पहले ही कह देगा कि मैं तो पैसे देकर मेरी अटेंडेंस पूरी करवा लूंगा तो फिर अपने जीवन में वो फर्जीवाड़ा ही सब जगह करेगा। मैं यह नहीं कहता कि प्राइवेट सैक्टर के अन्दर विश्वविद्यालय नहीं खुलने चाहिए लेकिन प्राइवेट सैक्टर की आड़ में आये दिन आप हर विश्वविद्यालय को यहां लाइसेंस जारी कर दोगे,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

नये-नये एक्ट लेकर आ जाओगे तो कम से कम आप इसकी साख का तो पता कर लेते कि जो आदमी विश्वविद्यालय बना रहा है उसकी खुद की साख कैसी है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन था कि एक बार इस एक्ट को पारित करने से पहले सरकार को विधायकों की कमेटी बनाकर यह जो पूरा ग्रुप है जो यह लेकर आया है दीपशिखा ग्रुप, इसके बारे में पूरी जांच करे, मौके पर जाए, क्या स्थिति है क्या नहीं है, यहां कागजों में कुछ बताते हैं और मौके पर दूसरा कुछ मिलता है तो मेरा यह निवेदन है कि इसको एक बार तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को जनमत जानने के संशोधन को मैं आपके माध्यम से सदन से वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान उच्च शिक्षण संस्थाओं में देश भर में काफी आगे चला गया लेकिन उनके दुष्परिणाम भी आने लगे हैं। अभी आठ दिन पहले की सूचना है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां बांटती थी उसने कर्मचारियों को सुविधा देने से मना किया, कर्मचारियों ने हड़ताल की तो लॉकआउट कर दिया। पिछले सदन में भी मैंने मांग की थी ये चेयरपर्सन और प्रेसीडेंट जो आप शब्द ला रहे हैं पर ये फैक्ट्रियां नहीं हैं, ये शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन उस समय इसको माना गया कि अमेरिका में ऐसा है, वहां ऐसा है। यह लॉकआउट का अर्थ उसके ध्यान में आ गया कि ये प्राइवेट दुकानें किस प्रकार से शिक्षा को बिगाड़ना चाहती हैं।

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से कई बातें रखना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में लॉ कॉलेज, लॉ फैकल्टी थी सभी गवर्नमेंट कॉलेजेज में, जो सम्भाग पर थे। उन सब को आजादी के 65 साल बाद में अलग कॉलेज बनाने पड़े। इस एक्ट में लॉ की कक्षाएं चलायेगा उसके लिए अलग कॉलेज

(डा. फूलचन्द भिन्डा)

की व्यवस्था नहीं है। अभी भी अस्थायी 60 साल से लॉ कॉलेज चलते रहे, लॉ फैकल्टी चलती रही और अभी बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने कहा कि आप अलग बनाओ और स्थायी मान्यता नहीं है पर इनको लॉ कॉलेज चलाने की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष जी, विधि में प्रोफेसर नहीं होगा, रीडर होगा और लेक्चरर होगा। इतना ही नहीं, यू.जी.सी. ने रिकमंडेशन में लिखा है कि केवल तीन पद होंगे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर इसमें एक शब्द 'अन्य व्यक्ति' का और उपयोग किया गया है। अब इसमें 'अध्यापक' से अभिप्राय 'विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचाय, सह आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।' अध्यापक की परिभाषा ही बदल दी इस एक्ट में। क्या बना रहे हैं, कौनसा एक्ट बना रहे हैं हम? किसकी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तकालय में किताबें, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि औषध निर्माण विज्ञान में 5126 किताबें हैं इस विश्वविद्यालय में और टाइटल हैं 563 और लॉ में 25 किताबें हैं और टाइटल एक भी नहीं है। यहां बहुत से लोग एलएल.बी. किये हुए हैं, कितने पाठ्यक्रम, कितने विषय चलते हैं और लॉ की इसमें 25 किताबें हैं और टाइटल एक का भी नहीं है। अब सारे विश्व में इतना औषध निर्माण विज्ञान हो गया जबकि धनवन्तरि जी के अलावा दुनिया में कोई था ही नहीं। यह इसमें 565 प्रकार के लिख दिये तो सरकार ने क्या देखा, निरीक्षण करने वाली कमेटी ने क्या देखा?

इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने चिमनपुरा कॉलेज के लिए कहा कि इसकी फैकल्टी को सेपरेट कॉलेज बना दो तो लिखकर गया कि 35 हैक्टेयर जमीन चाहिए, पर इस विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर फैकल्टी होगी, पशुपालन विज्ञान होगा और जमीन सिर्फ 30 एकड़। चिमनपुरा का कॉलेज केवल एग्रीकल्चर का अगर सेपरेट होगा तो 35 हैक्टेयर होगी और इसमें 30 एकड़। यही नहीं, दुनिया का एक आश्चर्य और है, यह जमीन कहां की है? यह सांगानेर में है और उसके बाद चाकसू

(डा. फूलचन्द भिन्डा)

तहसील में, दो जगह है। यह एक विश्वविद्यालय दो जगह स्थापित हो गया, एक सांगानेर तहसील में और एक चाकसू तहसील में जो यह रिकार्ड में है, दो जगह कॉलेज।

इतना ही नहीं, आप इसमें देखिये कि जितनी भी कमरों की नाप है उसमें पुस्तकालय का प्रावधान नहीं लिखा गया कि पुस्तकालय के कितने कमरे होंगे, यह नाप नहीं दी गई है। इस कारण से मेरा निवेदन यह है कि वास्तव में हमें ज्यादा दुकानें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इनको कंट्रोल के रूप में रखा जाए। अब इसमें अलग विधि महाविद्यालय होगा, कमरे तीन होंगे तो तीन तो कक्षाएं ही होती हैं। फिर मूट-कोर्ट का क्या होगा? आप भी एलएल.बी. किये हुए हैं, आजकल अनिवार्य है मूट-कोर्ट तो और कोर्ट है ही नहीं वहां। तीन ही कमरों में चलेगा तो फिर बैठेंगे कहां अध्यापक? फिर थर्ड ईयर में तो अलग-अलग हो जाते हैं, कोई लेबर एक्ट होता है, रेवेन्यू एक्ट होता है, कई होते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, अपने को इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करवाना है आज।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वो बाद की बात है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासरा जी, यह पढ़कर आने का और नहीं पढ़कर आने का अन्तर समझ लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके पढ़ाये हुए तो कई घूम रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपकी तरह बैठे-बैठे मैंने यही आपत्ति की थी प्रेसीडेंट की और यह। जब आपके शिक्षा मंत्री ने कहा था यह कि अमेरिकन पद्धति ला रहे हैं, ये दुकानें ला रहे हैं, फैक्ट्रियां ला रहे हैं तब उस समय मैंने कहा था कि फैक्ट्रियां नहीं हैं ये, ये शिक्षण संस्थाएं हैं, संस्कार देने का काम है, मानव निर्माण का काम है तब उस समय माननीय सदस्य, आपने स्वीकार नहीं किया था। उस समय भी मैं सदन में था। इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, 22 सब्जैक्ट नहीं है, आपने गलत कहा कि 22 सब्जैक्ट नहीं हैं। 9 नम्बर के कॉलम में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और ललित कलाएं.....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसे इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये राजस्थान को बेच खाएंगे। ये नेताओं को बदनाम कर देते हैं और सारा सौदा-सपट्टा ये अधिकारी करके बैठते हैं, अपनी मनमर्जी से बिल पेश कर देते हैं और राजस्थान का सौदा करने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं और बदनाम नेता हो रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसमें बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया का प्रावधान ही नहीं रखा और लॉ कॉलेज चलायेंगे। राजस्थान सरकार का एक भी कॉलेज बार काउन्सिल के बिना नहीं चलेगा लेकिन इस विश्वविद्यालय का लॉ कॉलेज चलेगा क्योंकि इस एक्ट में बार काउन्सिल का नाम तक नहीं है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है।

इसी प्रकार से कृषि प्रबन्धन, पर्यटन और यात्रा, कृषि और पशुपालन विज्ञान, ये एक-एक पाइंट में जोड़कर इसलिए दिखा दिया कि सब्जैक्ट तो सात ही दिखाये हैं और सारा कवर कर लिया। इस कारण से इस प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। अभी केवल नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से कितना बड़ा स्केण्डल हुआ, 20 हजार लोगों को फर्जी डिग्री दे दी और ये वहां हमारी पुरानी सरकार के चहेते थे जो नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से किया। ऐसे ही इसको भी इस प्रकार का नाम दिया गया है तो इसका भी नाम बदलना चाहिए, ठगने का काम नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अब तक विश्वविद्यालय खुले हैं उनमें राजस्थान के कितने बच्चों ने उससे नौकरी प्राप्त की है इसका सर्वेक्षण तो होना चाहिए। इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कहीं अपनी-अपनी फैक्ट्रियों के लोगों को लाकर डिग्री दिला दें यहां, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान, स्थापत्य कला, कोई सब्जैक्ट छोड़ा ही नहीं।......

श्री उपाध्यक्ष: सब्जैक्ट तो गुरुदेव इन्होंने बहुत छोड़े हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि कमरे तो नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: इनके इसमें ओशिनोग्राफी नहीं होगी। है क्या? नहीं होगी। स्पेस साइंस भी नहीं होगी। एन्वायर्नमेंटल साइंस भी नहीं होगी। मिलिट्री साइंस भी नहीं होगी। जिन विषयों को लेने की आवश्यकता है, वह विषय नहीं मिलेंगे। जो सामान्य विषय हैं, वह सारे मिलेंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इन विश्वविद्यालयों को कम से कम जब हम मान्यता दे रहे हैं तो कुछ मान्यता तो ऐसी भी साबित करें जैसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कई ग्रंथ हैं। जैसे हमारा बृहस्पति ग्रंथ है जिसमें टैक्स प्रणाली का मामला है। किसी में भी वह व्यवस्था नहीं है इसमें। भारद्वाज ग्रंथ हमारे एरोप्लेन बनाने के लिए ही बना है लेकिन इनको पाबंद नहीं कर सकते कि तुम खोज तो करो कम से कम। अभी हमारा ऐसा कौनसा विज्ञान था? लंका से भारत को जोड़ने के लिए जो बना, उसको मानते नहीं थे। कांग्रेस के लोग मानते नहीं थे कि राम को कहां से ले आये? ये तो बिलकुल नहीं मानते थे। वह नासा ने कह दिया कि यह वास्तव में, हकीकत में मानव निर्मित पुल है जिसका प्रावधान हमारे ग्रंथों में है। पत्थर तैरता है, यह हमारे ग्रंथों में है। हमारे पुष्पयान का प्रावधान उस भारद्वाज ग्रंथ में है, उसको छोड़ दिया जो ब्राह्मणों का कोई गौत्र है। क्या इनकी स्टडी के लिए नहीं कहा जाना चाहिए इनको? हम भारत को गुरु बनाना चाहते हैं सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। सारी दुनिया हमें पढ़ रही है और हम दुनिया की नकल करते-करते रह गये।

कुलपति को, उप कुलपति को भी प्रेसीडेंट बना रहे हैं। अब प्रेसीडेंट की योग्यता नहीं है। कल योग्यता के बारे में, हमने यहां 12 एक्ट पास किये केवल योग्यता के लिए। इसमें कोई योग्यता प्रेसीडेंट के लिए नहीं है, न कोई योग्यता चेयरमैन के लिए है, न चेयर पर्सन के लिए है, न वाइस चेयरमैन के लिए है। वह बिना योग्यता का होगा। ये सब चीजें इसमें हैं। मैं आपके माध्यम से यह तो नहीं कहूंगा कि जनमत जानने के लिए दिया जाये, लेकिन ऐसे एक्टों को पारित करने के पहले मैं तो यह कहूंगा आपके माध्यम से, आपके रहते हुए, कोई जैसे संसद में कुछ विषयों के एक्सपर्ट जो सांसद होते हैं, उनकी कमेटी होती है। यहां भी कोई न कोई ऐसी कमेटी बनाई जाये। इस प्रकार की दुकानों को एप्रूव करने के पहले, जिसके कारण से हमारे इस राजस्थान के भविष्य को क्योंकि इससे हमारी बदनामी हुई है। नेशनल

(डा. फूलचन्द भिन्डा)

यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे राजस्थान की बदनामी हुई है, ऐसी इन दुकानों के माध्यम से बदनामी नहीं हो, इस कारण से थोड़ा सोच-समझकर किया जाये क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है, मुझे नहीं लगता।

अब मैं आपको एक उदाहरण दूं। प्रबंधन, प्रोफेसर चार होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर एक ही होगा और सहायक आचार्य 12 होंगे। यह कौनसा सिस्टम है? 1-4-18 का रेशो तो मैंने देखा है। यूजीसी की रिकमण्डेशन है, एक प्रोफेसर, चार एसोसिएट प्रोफेसर और 16 असिस्टेंट प्रोफेसर लेकिन ये जो 4-1-16 यह जो सारा ही सिस्टम डमरू की तरह हो गया। इस कारण से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि इसको...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो माननीय सराफ साहब का किया हुआ है, इनका तो नाम-नाम ही है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह व्यक्ति का मामला नहीं है, यह उच्च शिक्षा विभाग संस्था है, सिस्टम है, व्यवस्था है। यह व्यक्ति के नाते नहीं है और मैं व्यक्ति के नाते बोल भी नहीं रहा हूं लेकिन इन सब चीजों को जानना चाहिए क्योंकि हम भी किसी न किसी रूप में इसके प्रति उत्तरदायी हैं कि हम राजस्थान के सिस्टम के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो उस कानून की उपादेयता भी, उसकी व्यावहारिकता भी, उसकी एकाउंटेबिलिटी भी, उसका उत्तरदायित्व भी, ये सब तय होने चाहिए। इतना ही कहकर मैं आपके माध्यम से मेरा जो प्रस्ताव है, उसको वापस लेते हुए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल (अनुपस्थित) प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सदा से सम्पूर्ण विश्व में ज्ञान-विज्ञान और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का केन्द्र रहा है। प्राचीन भारत में नालन्दा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे उच्च शिक्षा के केन्द्र थे, जहां पूरे विश्व से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे और भारत को विश्व-गुरु का दर्जा दिलाते थे। इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों का अध्ययन-अध्यापन, गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत होता था। इन विश्वविद्यालयों को जन सहयोग एवं राजकीय संरक्षण प्राप्त था और इसी के चलते ये सदियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। भारत की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
स्वतंत्रता के समय देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बड़ी संख्या में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय की स्थापना केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा की गई किन्तु राजकीय संसाधनों से ही उच्च शिक्षा के अवसर सभी भारतीयों को उपलब्ध कराना संभव नहीं था। इसलिए राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, आधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा प्रदान करने की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004 में राज्य का उच्च शिक्षा का जीईआर, सकल नामांकन अनुपात था, वह 6.04 परसेंट था, जबकि देश का सकल नामांकन अनुपात उस समय 9.97 परसेंट था। लगभग 20 वर्ष पूर्व तक राजस्थान में अधिकांश राजकीय महाविद्यालय ही होते थे जिनमें सीमित स्थान होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह जाते थे तथा अन्य राज्यों के निजी संस्थानों में उन्हें प्रवेश लेने के लिए जाना होता था किन्तु फिर हमारे राज्य में भी निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के केन्द्र स्थापित हुए और अब यह स्थिति है कि हम अधिक संख्या से विद्यार्थियों को अध्ययन हमारे यहां उच्च शिक्षा का करवा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमित वित्तीय संसाधनों एवं बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनजर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहयोग से विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पृथक्-पृथक् अधिनियमों के माध्यम से हुई हैं। अब तक हजारों करोड़ का निजी निवेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो चुका है। इसका एक उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा को संभ्रात वर्ग तक ही सीमिति न रखकर, जन-जन तक पहुंचाया जाये।

"वसुधैव कुटुम्बकम्" की अवधारणा में विश्वास करने वाली हमारी सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा का सपना साकार करने हेतु एवं शिक्षा के क्षेत्र में सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न इनोवेटिव कोर्सेज को उपलब्ध कराने का प्रयास इन्हीं निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासनकाल में, 2003-2008 के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी के द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हुआ और इसका परिणाम है कि आज राज्य में 45 ऐसे विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित किये जा चुके हैं। इन विश्वविद्यालयों के जरिये राज्य के हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के नवीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं और राजस्थान उच्च शिक्षा के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। यह गौरव का विषय है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों के कारण ही प्रदेश के अंदर आज 24 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 45 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि राज्य का सकल नामांकन अनुपात 21.9 परसेंट हो गया है, जबकि राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात अभी भी 25.3 परसेंट है किन्तु अभी भी ये अनुपात, राष्ट्रीय अनुपात से कुछ कम है। राष्ट्रीय औसत के बराबरी करने हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में पी.जी. स्तर पर नामांकन 8.3 परसेंट ही है जिसका अर्थ है कि उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के अवसर अभी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह अटूट विश्वास है कि कि उच्च शिक्षा के उपयुक्त अवसर प्रदान किये जायें तो हमारे युवा अत्यन्त उत्कृष्ट काम करके दिखाते हैं। वर्तमान राज्य सरकार सदा यह चाहती है कि हमारे राज्य के युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए उपयुक्त वातावरण व उच्च शिक्षा के केन्द्र हम जरूर दें। इस तरीके की हमारी मंशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी आफ टैक्नोलोजी जयपुर विधेयक इसी दिशा में उठाया गया नवीनतम कदम है। यह विश्वविद्यालय ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर व ग्राम फतेहपुरबास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो जयपुर सहित सीमावर्ती जिलों टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर सहित सम्पूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवसर प्रदान करेगा। इस विश्वविद्यालय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से 100 करोड़ रुपये का निवेश वे कर चुके हैं और आगामी पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रत्यक्ष रूप से 950 एवं परोक्ष रूप से 2,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में 80 स्टाफ मैम्बर नियुक्त किये जा चुके हैं। अपना राज्य औद्योगिक दृष्टि से तेजी से बढ़ने वाला राज्य है जहां एक ओर रिफाइनरी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, परमाणु ऊर्जा केन्द्र आदि विशाल औद्योगिक इकाइयां यहां हैं तो दूसरी ओर आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली हजारों इकाइयां राज्य में गत दिनों में राज्य सरकार के प्रयत्नों से स्थापित हुई हैं...

दूसरी ओर राज्य के कृषि अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान, नैनो टेक्नोलॉजी, फिल्म टेक्नोलॉजी जैसे नवीन क्षेत्रों में अपने भविष्य के लिए अवसर तलाशने में लगे हैं। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड हैल्थ, मेडिकल एंड फार्मास्युटिकल्स साइंस, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ट्यूर एंड ट्रेवल, एप्लाइड साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ, एजुकेशन, साइंस एवं टेक्नॉलॉजी, ह्यूमेनिटीज, सोशियल साइंस, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान, मास कम्युनिकेशन, फिल्म टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव थैरेपी, फॉरेन लैंग्वेजेज, धर्म, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फिजीकल एजुकेशन तथा खेल विज्ञान आदि पाठ्यक्रमों में अध्ययन एवं अनुसंधान का कार्य संबंधित विनियामक निकायों के नियमानुसार किया जा सकेगा।

इस प्रकार के नवीनतम पाठ्यक्रमों वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न युवा कौशल विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार न केवल निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा दे रही है बल्कि इनकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रही है। हमारे कुछ सदस्यों ने इसमें चिंता जाहिर की तो उनका इसी के अन्दर रिप्लाई है। अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले एवं शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के विरुद्ध हमने कठोर कदम भी उठाये

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैं। जब एसओजी द्वारा जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा की जा रही अनियमितता को उजागर करने पर राज्य सरकार द्वारा कठोर कदम उठाते हुए इसका परिसमापन करते हुए यहां संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रशासक नियुक्त किया व प्रशासक की देखरेख में अंतिम छात्र का अध्यापन पूर्ण होने के पश्चात इस विश्वविद्यालय का विधिवत विघटन कर दिया जाएगा। यह पहली बार ऐसा हुआ। भारतीय इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब किसी अनियमितता करने वाले विश्वविद्यालय के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा ऐसे कठोर कदम उठाये गये। इसके अतिरिक्त नौ निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न माध्यम में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। इनकी भी त्वरित जांच किये जाने हेतु अलग-अलग विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग जांच समितियों का गठन भी किया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही तदनुसार प्रभावी कार्यवाही भी की जायेगी। सभी निजी विश्वविद्यालयों की नियमित जांच करवाये जाने हेतु भी विभाग ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ाने की पक्षधर है, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना भी राज्य सरकार का दायित्व है। सरकार इस दायित्व को सजगता से निर्वहन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मुझे विश्वास है कि वर्तमान राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयत्नों से हमारे राज्य के विद्यार्थी स्वयं के सपनों को पूरा कर सकेंगे तथा सभी के सपनों को श्रेष्ठ, सक्षम, सामर्थ्यशाली एवं विकसित भारत का निर्माण भी हम कर सकेंगे।

आज का ये जो विश्वविद्यालय का हमारा बिल आया है इसमें हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार और जो शंकाएं यहां पर जाहिर की। इसके संदर्भ में भी मैं उनका रिप्लाई देना चाहती हूं आपकी अनुमति से, माननीय उपाध्यक्षजी। हमारे माननीय सदस्य जो कोटा उत्तर से आते हैं श्री प्रहलाद गुंजल जी इन्होंने इसके नाम के संदर्भ में अपनी कुछ शंकाएं जाहिर की। इस विश्वविद्यालय का प्रारंभ में जो नाम रखा गया था वो रीजनल टैक्नोलॉजी विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया गया था। विधि विभाग द्वारा रीजनल शब्द पर आपत्ति के बाद संस्था ने प्रौद्योगिकी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विश्वविद्यालय नाम प्रस्तावित किया था। इस नाम के विषय में भी संस्था से स्पष्टीकरण चाहा गया। संस्था ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का मुख्य विषय प्रौद्योगिकी से संबंधित है तथा अध्ययन अध्यापन में तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा इस आधार पर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का यह नाम रखा गया। माननीय सदस्य श्री डोटासरा जी जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं उनकी बात से मुझे लगता है कि उन्होंने इसको शायद पढ़ा ही नहीं इसलिए लेकिन फिर भी इन्होंने जो एक कहा कि ऐसे ही बनते रहते हैं और बजट कहां से आएगा, क्या किया तो ये सब बजट कहां से आयेगा ये आपको बता दें कि जो चार स्टेट यूनिवर्सिटीज अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा ये चारों यूनिवर्सिटीज की हमने हमारे पिछले कार्यकाल में घोषणा की थी लेकिन पाँच साल इनकी गवर्नमेंट रही इन्होंने एक पैसा भी उसके अन्दर नहीं दिया और इस वर्ष हमारी सरकार ने पचास करोड़ रुपये इन चारों यूनिवर्सिटीज के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, बारह करोड़ एक यूनिवर्सिटी के आये क्या? यूनिवर्सिटी बन जाएगी क्या बारह करोड़ में?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आपने तो एक पैसा भी नहीं दिया न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने दिया है न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आपने क्या किया? आपने न जमीन आबंटित करायी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने 2012 में स्थापना की पाँच करोड़ रुपये दिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अब आपको डिस्कशन करना है तो फिर बहुत लंबा डिस्कशन है और इसको तथ्य के आधार पर करो, खाली बोलने से नहीं होता। आपने तो बिल भी नहीं पढ़ा और बिना बिल पढ़े ही आप तो आ गये ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपसे करना है कि कालीचरण जी से, क्योंकि बिल तो इन्होंने बनाया था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आप विराज जाएं क्योंकि ये जो प्रश्न आपने कहा था जो शंका आपने कही कि बजट कहां से आयेगा तो आपके समय को जो बजट आपने एक पैसा दिया नहीं था इसको मुझे कहना जरूरी था। इसके अलावा हमारे जो माननीय सदस्य सादुलपुर से आते हैं मनोज जी वो अभी यहां सदन में बैठे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि निरीक्षण होना चाहिए इसका मैंने अपने रिप्लाई में कहा है कि हमारी धारा-41(1) के तहत और 42(2) के तहत हम लोगों का बराबर से निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने कार्य चल रहा है और हम लोगों ने आदेश भी दिये हैं कि इसका नियमित निरीक्षण होता रहना चाहिए निजी विश्वविद्यालय का और जो भी शिकायतें आयी हैं उसके लिए हमने पृथक् से कमेटियां गठित की है। सुखराम विश्नोई जी जो सांचौर से हमारे माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने कहा कि ये भवन का इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किसने किया। यह निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी बनाई गयी जो जिसके अन्दर कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें प्रो.गंगाराम जी जाखड़ जो कुलपति हैं बीकानेर के और उनके साथ में यह अगस्त 2011 में यह कमेटी बना कर और उससे निरीक्षण कराया गया। इसी के साथ में इन्होंने कहा कि योग्यता क्या रहेगी तो इसके बारे में भी मैं इनको जानकारी देना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय के चैयर पर्सन की तो इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती है, लेकिन जो प्रेसीडेन्ट होता है उसके पद की योग्यता जो हमारे कुलपति हैं उसकी योग्यता के समकक्ष हो, इस तरीके के निर्णय इसमें ऑलरेडी लिया जा चुका है। इसी तरीके से जो हमारे माननीय सदस्य जो जहाजपुर से आते हैं श्री धीरज जी इन्होंने जो कहा कि इसकी जमीन फ्री में इनको दे दी या क्या हुआ तो इसके बारे में भी मैं इनको जानकारी देना चाहूंगी कि संस्थान की जमीन स्वयं संस्था ने खरीदी है और इसका रूपांतरण जे.डी.ए. के द्वारा करवाया गया है तो यह आपकी जानकारी में रहे कि फ्री में कोई जमीन दी नहीं। माननीय सदस्य जो हमारे खींवसर से आते हैं श्री हनुमान जी बेनीवाल वो भी अभी सदन में तो नहीं बैठे हैं लेकिन बार-बार उन्हें लगता है कि पेपर लीक हुआ उसके प्रकरण के संदर्भ में क्या हुआ तो ये जो चिंता उनकी है उसके संबंध में भी बता दें कि सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाये। तुरंत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सस्पेंड किया और जो पेपर्स लीक हुए थे बी.ए. पार्ट-III का भूगोल का फर्स्ट पेपर, बी.ए. पार्ट-III भूगोल का सैकिंड पेपर, एम.ए. फाइनल का भूगोल और एम.कॉम. प्रिवियस का ए.बी.एस.टी. ये सारे पांचों पेपर्स हमने निरस्त कर दिये इसकी फिर से परीक्षा होगी इन पेपर्स को फिर से बनाया जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के जो चार प्रोफेसर्स और तीन कार्मिक कुल सात व्यक्तियों को निलंबित किया है। उनके नाम भी मैं आप कहें तो सदन के पटल पर रखूं और राजकीय महाविद्यालय से तीन को हम लोगों ने सस्पेंड किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मंत्री महोदय, जिम्मेदारी ले लो। इस पेपर लीक की जिम्मेदारी ले लो, नाम बताने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य जो विराटनगर से आते हैं फूल चंद जी भिण्डा साहब इन्होंने जो बात कही कि ये लॉ कॉलेज है और लॉ कॉलेज को किस तरीके से मान्यता होगी, क्या है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो भी कोर्सेज चलेंगे, ये जो पाठ्यक्रम का जो अधिनियम की धारा-38 के तहत विनियामक निकाय के नियमों, परिनियमों, मानदंडों के तहत ही यह संचालित कर सकेंगे और इसमें जैसे लॉ कोर्स है तो बी.सी.आई. से परमीशन लेना जरूरी है। इंजीनियरिंग के लिए ए.आई.सी.टी.आई. से लेना जरूरी है। मेडिकल कोर्स के लिए मेडिकल काउन्सिल कोर्स ऑफ इंडिया से और एग्रीकल्चर के लिए आई.सी.ए.आर. से अनुमति लेना जरूरी होगा। उसके बाद ही ये कोर्सेज चला पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ...।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैडम, बार काउन्सिल का नहीं है इसमें प्रावधान। नहीं लिखा है कुछ भी। बार काउन्सिल के लिए कुछ नहीं लिखा गया। मेरा दूसरा निवेदन और मैंने किया था कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिखाया इन्होंने वो प्रोपर नहीं है यह आपत्ति थी। यह हमने पढ़ा है जैसे लॉ कॉलेज के तीन कमरे हैं तो तीन कमरों में लॉ कॉलेज चलेगा क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): एक मिनट। ऐसा है, धारा-38 के तहत जब हमने कहा तो उसके अन्दर ये सारी चीजें कवर होती हैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और जो इसमें परमीशन देगी बी.सी.आई. तो वो इसमें सारी चीजों को लुक ऑफ्टर करेगी कि इसके अन्दर कैसे होना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भूमि दो जगह पर ली है तो यह भी मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भूमि दो जगह पर नहीं है यह दो तहसीलों के बीच में है सांगानेर एवं चाकसू तहसील इसमें आती हैं लेकिन यह सटी हुई भूमि है और इसको जे.डी.ए. ने रूपान्तरण किया है इसलिए यह कहना कि सांगानेर है चाकसू है तो सांगानेर, चाकसू तहसील जरूर है, लेकिन यह जमीन जो प्रैक्टिकली वहां पर है वो सटी हुई जमीन है और इसके लिए जे.डी.ए. से इन्होंने रूपांतरण भी करवाया है तो मैं समझती हूं कि जो हमारे माननीय सदस्यों की जो क्वेरीज थी जो उनके मन में डाउट्स थे उन डाउट्स को भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है।

इसके अलावा भी अगर उन्हें लगता है, मन में कुछ और भी डाउट्स हैं तो वह कभी भी आकर बातचीत कर सकते हैं और हम इन लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को स्वीकृत किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खण्ड 2 से 47, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुसूची 1 एवं 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई।

खण्ड़-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड़-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड़ 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस विषय से संबंधित नहीं है अगर आप अभी अनुमति दें तो एक महत्वपूर्ण विषय है जो सदन के लिये जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: इसके करने के बाद दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, इसके करने के बाद में अनुमति प्रदान कर दें, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पारित किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के तहत दिये गये प्रस्ताव की विषयवस्तु अमर्यादित, अत: अपलोपित की जाए

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के जरिये माननीय सदस्य पूरणमल जी सैनी ने एक ऐसी गलती कर ली, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गलती आज तक सदन में नहीं हुई। इन्होंने माननीय सदस्य शकुन्तला जी रावत, माननीय सदस्य अशोक जी गहलोत, यह दोनों सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, वह अनुपस्थित थे और अन्य कई जो सदन के सदस्य भी नहीं हैं, उनको इंगित करते हुए ऐसी ऐसी बातें कहीं जो असंसदीय भी थीं, अमर्यादित भी थीं और जो बिलकुल बेबुनियाद भी थी। इसलिए उसको डिलीट तो किया ही किया जाये और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, अगर अज्ञानतावश हो गया तो जो आसन व्यवस्था दे, अगर जानबूझ कर किया गया है तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए उसके बारे में व्यवस्था फरमाने की कृपा करें।

व्यवस्था

नियम 295 के तहत दिये जाने वाले प्रस्तावों की गहनता से जांच हो

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि संपूर्ण 295 जो श्री पूरणमल सैनी, विधायक खेतडी ने पढा है, उसको डिलीट कर दिया गया है और साथ में विधान सभा सैक्रेटेरिएट को यह भी हिदायत दी गई है कि 295 को ठीक ढंग से पढ़ा जाए। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि रही है, तो त्रुटि जहां भी रही हो उसको दुरुस्त किया जाए। अगर अध्यक्ष महोदय उचित समझे तो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होनी चाहिये।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.54 बजे बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बड़ी सादड़ी गांवों को टाडा में सम्मिलित करने की योजना

535. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र (चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़) में कौन-कौनसे गांव जनजाति क्षेत्र (टाडा) में आते हैं? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में जनजाति बाहुल्य गांवों को जनजाति क्षेत्र (टाडा) में जोड़ने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव एवं पंचायत के? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र (चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़) में जनजाति क्षेत्र (टाडा) में आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही हैं कि तहसील बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में जनजाति बाहुल्य गावों को जनजाति क्षेत्र (टाडा) में जोड़ने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। विस्तार के प्रस्तावों में सम्मिलित गांवों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में टीएसपी (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा आज्ञा क्रमांक 153/2014 दिनांक 09.12.14 से अनुमादन पश्चात् उक्त प्रस्ताव शासन के पत्र क्रमांक एफ.10 ( ) अनुसूचित क्षेत्र विस्तार/2014-15 दिनांक 26.12.14 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदन/ अधिसूचना जारी करने हेतु भिजवाये गये।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-18013/2/2014- सी एण्ड एल एम-1 दिनांक 06.08.2015 की अनुपालना में विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संवैधानिक आदेश के ड्राफ्ट को

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

प्रमाणित कर पत्र क्रमांक-एफ 33 (81)(1) सीटीएडी/2014-15/ 23450-51 दिनांक 21.08.15 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया।

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के ड्राफ्ट आदेश को प्रमाणित कर पत्र क्रमांक एफ 33 (81)(1) सीटीएडी/2014-15/ 1376-77 दिनांक 14.01.16 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.2.2016, 11.7.2016 को पत्र एवं 23.1.2017 को अ.शा. पत्र लिखा गया। माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान की ओर से अ.शा. पत्र दिनांक 17.3.2017 के द्वारा माननीय मंत्री महोदय, जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निवेदन किया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग भारत सरकार से शीघ्रातिशीघ्र निर्णय के संबंध में निरन्तर संपर्क बनाये हुए है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर की सड़कों की पुनः मरम्मत/डामरीकरण

536. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में किन-किन सड़क मार्गों की वैधता अवधि (गारन्टी पीरियड) समाप्त हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क मार्गों की पुन: मरम्मत/ डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में जिन सड़क मार्गों की वैधता अवधि (गारन्टी पीरियड) समाप्त हो चुकी है, उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों का पुन: डामरीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नलकूपों की मरम्मत हेतु सम्भाग स्तर से बजट जारी करने की योजना

537. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में विभाग के फैलीयर नलकूपों, अन्य मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु बजट का आबंटन या स्वीकृतियां अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर से जारी की जाती थी जो अब मुख्य अभियन्ता के स्तर से की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों हेतु बजट का आबंटन या स्वीकृतियां राज्य स्तर से जारी होने के कारण सामान्य व्यवस्था बनाये रखने में अनावश्यक विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति संभाग स्तर से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के माध्यम से ही बजट आबंटन या स्वीकृतियां जारी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में प्रचलित शिड्यूल ऑफ पॉवर में दिनांक 19.11.2010 को किये गये संशोधन अनुसार मुख्य अभियन्ता को राशि रुपये 100.00 लाख एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को राशि रुपये 50.00 लाख तक बजट उपलब्धतानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियां प्रदत्त थी। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन्हीं शक्तियों के तहत फेलियर नलकूपों, अन्य मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु स्वीकृतियां सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती रही हैं।

बजट नियंत्रण को प्रभावी बनाये रखने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को उनके स्तर से नई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करने हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा समय-समय पर आदेशित किया गया। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पेयजल संबंधी अति-आवश्यक कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु समय-समय पर अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को अधिकृत भी किया गया है। प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हाल ही में दिनांक 08.03.2017 को वित्त विभाग द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पॉवर के आईटम संख्या-1 के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को क्रमश: रुपये 100.00 एवं 50.00 लाख तक बजट उपलब्धतानुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं तथा योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियां वित्त विभाग के पास निहित हैं। प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है। बजट का आबंटन पूर्व में भी एवं वर्तमान में मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जाता है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी के भीमतल बांध से ग्राम पंचायत खीण्या में सिंचाई की योजना

538. श्री अशोक (हिण्डौली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बूंदी जिले में स्थित भीमतल बांध से कितनी ग्राम पंचायतों को सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जाती है? बांध की भराव क्षमता एवं वितरित किये जाने वाले पानी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खीण्या में जल स्तर काफी गहरा होने एवं पानी की अनुपलब्धता से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध क्षेत्र के भराव क्षेत्र वाली ग्राम पंचायत खीण्या में बांध की कोई नहर से सिंचाई नहीं की जा रही है?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत खीण्या में सिंचाई हेतु कोई नहर निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीमलत बांध से सिंचाई हेतु 410 एम.सी.एफ.टी. लाईव स्टोरेज पानी का उपयोग इसके डाऊन स्ट्रीम में स्थित अभयपुरा बांध के माध्यम से किया जाता है। अभयपुरा एवं भीमलत बांध में संग्रहित पानी की मात्रानुसार

(जल संसाधन मंत्री)

अभयपुरा बांध की दांयी एवं बांयी नहर के द्वारा 5 ग्राम पंचायतों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) जी हां।

(3) ग्राम पंचायत खीण्या का क्षेत्र निर्मित भीमतल एवं अभयपुर बांध के सम्मलित कमाण्ड एरिया में सम्मलित नहीं होने से नहर से सिंचाई नहीं की जा रही है।

(4) जी नहीं। क्योंकि उक्त बांधों में संग्रहित जल के उपयोग हेतु पूर्व में ही तदानुसार कमाण्ड निर्धारित है।

पाली की महावीर-कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच

539. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर की महावीर गृह निर्माण एवं कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा की गई अनियमितताओं की सरकार द्वारा जाचं किस अधिकारी द्वारा कब से की जा रही है एवं जांच कब तक पूर्ण करवा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों समितियों के दस्तावेजों की जांच पूर्ण नहीं होने तक इनके भू-खण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त समितियों की अब तक की गई जांच में कौन-कौनसे भू-खण्ड के दस्तावेज सही एवं कौन-कौनसे भूखण्डों के दस्तावेज संदेहास्पद या एक भू-खण्ड के एक या एक से अधिक दस्तावेज हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दोनों गृह निर्माण समितियों में किस-किस भू-खण्ड का पट्टा उप जिला कलेक्टर भूमि रुपान्तरण द्वारा व किस-किस भू-खण्ड का स्थानीय निकाय द्वारा एवं किस-किस भू-खण्ड का पट्टा समिति द्वारा दिया गया है एवं किस-किस भू-खण्ड के समिति द्वारा आबंटन पत्र किस-किस व्यक्ति को जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(5) क्या सरकार जिन-जिन भू-खंडों के पट्टे जारी कर दिये गये हैं, उक्त भू-खण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति में उप रजिस्ट्रार, पाली द्वारा तत्समय प्रवृत सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच आदेश दिनांक 24.08.1991 जारी कर श्री संजय अमरावत, निरीक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करायी गई।

कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति में सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत उप रजिस्ट्रार, पाली के आदेश दिनांक 06.01.2015 द्वारा श्री चम्पा लाल पालीवाल, निरीक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया किन्तु समिति का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होने के कारण सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 31 के अन्तर्गत रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु दायर वाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में लम्बित है।

(2) महावीर गृह निर्माण समिति के संबंध में समिति प्रशासक एवं जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आयुक्त नगर परिषद को समिति का रिकॉर्ड प्राप्त न होने के कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होने से सुविधा क्षेत्र की जमीन को नियमन नहीं किये जाने और न ही कोई निर्माण होने दिया जाने बाबत लिखा गया था।

(3) इस बाबत रिकॉर्ड प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। रिकॉर्ड प्राप्ति हेतु सहकारी अधिनियम 2001 की धारा 31 तथा 109(1)(ज) में वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में लंबित है।

(4) इस संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।

(5) जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आयुक्त नगर परिषद को प्रेषित पत्र में सुविधा क्षेत्र की जमीन के नियमन एवं निर्माण नहीं किये जाने बाबत लिखा गया जो नियमानुसार है।

अलवर जिले में देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

540. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितने कार्य स्वीकृत किये गये एवं उनमें से कितनों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अंतर्गत अलवर जिले में एवं विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितने कार्य स्वीकृत किये गये एवं उनमें से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण कर दिये गये एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? शेष कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ नियुक्त हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गिरूड़ी के राजस्व ग्राम इंद्रोड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन चुका है? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक चालू कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत प्रदेश में गत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों एवं उनकी स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**कार्य का नाम**	**कार्य की स्थिति**
2013-14	-	-
2014-15	-	-
2015-16	1 देवनारायण आवासीय विद्यालय मकसुदनपुरा सवाईमाधोपुर (छात्रा)	कार्य प्रगति पर है

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वर्ष	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति
	2 देवनारायण आर्दश छात्रावास बेगूं चित्तोड़गढ़ (छात्रा)	कार्य प्रगति पर है
2016-17	5 देवनारायण आवासीय विद्यालय देवडूगरी पाली (छात्र)	टेण्डर हो चुके हैं।
	6 देवनारायण आवासीय विद्यालय गुढला करौली (छात्र)	टेण्डर हो चुके हैं।
	7 देवनारायण आर्दश छात्रावास कोटा (छात्रा)	जिला कलेक्टर कोटा के स्तर पर भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन है।
	8 देवनारायण आर्दश छात्रावास चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर (छात्र)	टेण्डर हो चुके हैं।

(2) देवनारायण योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में स्वीकृत किये गये कार्यों तथा उनकी स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थान	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति
1	अलवर	छात्रावास (छात्रा)	2008-09	पूर्ण
2	राजगढ़	छात्रावास (छात्र)	2008-09	पूर्ण
3	थानागाजी	छात्रावास (छात्र)	2008-09	पूर्ण
4	बानसूर	छात्रावास (छात्र)	2008-09	पूर्ण
5	बानसूर	आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2008-09	पूर्ण
6	बानसूर	सैनिक विश्राम गृह	2008-09	पूर्ण
7	अलवर	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	2008-09	21 पूर्ण 10 अपूर्ण (सूची परि. अ पर संलग्न)
8	अलवर	महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास	2011-12	पूर्ण

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	स्थान	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति
9	अलवर	देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा (अलवर) (छात्र)	2011-12	पूर्ण

देवनारायण योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत किये गये कार्यों तथा उनकी स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	स्थान	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति
1	बानसूर	सैनिक विश्राम गृह	2008-09	पूर्ण
2	बानसूर	आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2008-09	पूर्ण
3	बानसूर	छात्रावास	2008-09	पूर्ण
4	बानसूर	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	2008-09	पूर्ण (सूची परि. ब पर संलग्न)

(3) प्रदेश में देवनारायण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रो में स्वीकृत पद कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	अलवर	86	86	76	10
2	धौलपुर	28	28	28	0
3	झालावाड़	38	38	28	10
4	करौली	29	29	24	5
5	सवाई माधोपुर	26	26	14	12
	योग	207	207	170	37

(4) विधानसभा क्षेत्र बानूसर में देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रो पर 25 का स्टाफ नियुक्ति है एवं कोई पद रिक्त नही है। सूची परिशिष्ट स पर सलंग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(5) जी हां। विधानसभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम गिरूडी के राजस्व ग्राम इद्रोडा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिस पर एएनएम कार्यरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खैरवाड़ा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति

541. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत खैरवाड़ा, ऋषभदेव एवं सेमारी ब्लॉक में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमि-भवन उपलब्धतता की क्या स्थिति है? कितनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं? सरकार उक्त केन्द्रों के भवन कब तक बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगीनियों के चयन में किन-किन योग्यताधारी को क्या-क्या मानदण्ड के आधार पर वरीयता प्रदान की जा रही है? ग्राम पंचायतवार रिक्त पदों की सूची एवं पंचायतों को अनुमोदन की कार्य शक्ति का उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की विवरणिका का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत 03 बाल विकास परियोजना क्रमश: खेरवाड़ा, ऋषभदेव एवं सराडा (सेमारी) संचालित है, जिसके अन्तर्गत खैरवाड़ा में 292, ऋषभदेव में 169 एवं सराडा (सेमारी) में 75 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बाल विकास परियोजना खैरवाड़ा के 02, ऋषभदेव के 14 एवं सराडा (सेमारी) के 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमि-भवन के पट्टे प्राप्त किये जा चुके हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के चयन संबंधी जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में रिक्त पदों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "द" पर सलंग्न है।

(3) खेरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गत वर्ष में बाल विकास परियोजना, सराडा में 01 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोला गया। खेरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बाल विकास परियोजना खेरवाड़ा में 13 एवं ऋषभदेव में 24 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में लीज धारकों से वसूली जा रही रायल्टी

542. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा जिले में सरकार द्वारा बजरी व पत्थरों के खनन एवं रायल्टी वसूली हेतु कहां-कहां पर किस-किस अवधि के लिए किन-किन शर्तों के तहत किस-किस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में लीजें जारी की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लीज धारकों एवं ठेकेदारों द्वारा रायल्टी वसूली हेतु अपने नाके कहां-कहां पर स्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पत्थर एवं बजरी भराई के दौरान अधिशेष वजन (एक्सेस लोड) की ठेकेदार द्वारा वसूल की जा रही राशि पर किसका अधिकार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को एक्सेस लोड/एक्सेस रायल्टी से कितनी आय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बजरी व पत्थरों को भरने के सबंध में टेक्टर, ट्रकों, डम्परों आदि वाहनों में कितने-कितने टन भार तथा रायल्टी आदि की वसुलियों के संबंध में क्या विभागीय मानदण्ड निर्धारित है? वाहनों की विभिन्न श्रेणियां, विहीत भार एवं रायल्टी दरों व अन्य वसूलियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(6) बजरी/पत्थर की लीजों के प्रकरण में एक्सेस लोड/एक्सेस रायल्टी के संबंध में विभाग की नीति एवं जारी आदेशों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाडा जिले में सरकार द्वारा खनिज चेजा पत्थर (मेसेनरी स्टोन) के कुल 158 खनन पट्टे तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में अंकित शर्तों एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत खनन पट्टों के स्थान, अवधि व पट्टेधारी के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। खनिज बजरी के 6 मंशा पत्र धारकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन एवं रॉयल्टी वसूली की अनुमति प्रदान की गई है, विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) खनिज बजरी के मंशा पत्र धारकों एवं खनिज चेजा पत्थर (मेसेनरी स्टोन) के अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी वसूली हेतु स्थापित किये गये नाकों की सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) खनिज चेजा पत्थर (मेसेनरी स्टोन) के अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा निर्धारित वार्षिक ठेका राशि के अनुसार प्रतिमाह किश्त विभाग में जमा कराई जाती है तथा अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार वाहनों से निर्गमित खनिज पर वजन के अनुसार रॉयल्टी व डीएमएफटी की राशि वसूल करता है। इसी प्रकार खनिज बजरी के मंशा पत्र धारकों द्वारा अस्थाई कार्यानुमति के तहत वाहनों से निर्गमित खनिज पर वजन के अनुसार रॉयल्टी, परमिट फीस एवं डीएमएफटी की राशि वसूल कर विभाग में जमा कराई जाती है। अधिशेष वजन पर पृथक से रॉयल्टी/डीएमएफटी/परमिट फीस की राशि वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) भीलवाडा जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 में खनिज चुनाई पत्थर (मेसेनरी स्टोन) के अधिक अधिशुल्क वसूली के ठेकों से रुपये 2,16,42,764/- की आय हुई हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में खनिज बजरी से रॉयल्टी एवं परमिट फीस से रुपये 17,15,13,201/- की आय हुई है।

(राज्य मंत्री, खान)

(5) वाहनों में खनिज बजरी व चुनाई पत्थर (मेसेनरी स्टोन) की मात्रा की भराई के संबंध में कोई भी विभागीय मानदण्ड नियमों में निर्धारित नहीं है। वाहनों से वसूली योग्य परमिट फीस की दरें राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51 (परिशिष्ट-4) में, खनिजों की रॉयल्टी की दरें राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के शिड्यूल-2 (परिशिष्ट-5) में तथा डीएमएफटी फण्ड की दरें डीएमएफटी रूल्स, 2016 के नियम 13 (परिशिष्ट-6) में दी गई है।

(6) खनिज बजरी व चुनाई पत्थर (मेसेनरी स्टोन) के अधिक अधिशुल्क संग्रहण के ठेके दिये जाने बाबत् प्रावधान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय-7 (परिशिष्ट-7) में निहित है। इसके अतिरिक्त एक्सेस लॉड बाबत विभागीय नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रागपुरा-पावटा (जयपुर) को नगरपालिका बनाने की योजना

543. डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्राम पंचायत अथवा किसी कस्बे को नगरपालिका का दर्जा देने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार 20,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या दो बडे गांवों को जोड़कर नगरपालिका बनाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो क्या सरकार विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम प्रागपुरा-पावटा जिनकी आबादी 40,000 से भी अधिक है, को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्राम पंचायत अथवा किसी कस्बे को नगरपालिका का दर्जा देने हेतु निर्धारित नियम /मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक में ग्राम पंचायत की आबादी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

20,000 से अधिक होने पर नगर पालिका गठन की अभिशंषा की गयी है। नियमानुसार मापदण्ड पूर्ण करने के पश्चात् परीक्षण किया जाकर राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाता है।

(3) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के अन्तर्गत होने पर नगरपालिका बनाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन में माडा योजना के तहत स्वीकृत कार्य

544. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में माडा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं व कौन-कौनसे कार्य किस-किस स्थान पर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में शेष रहे कार्यों के जो प्रस्ताव जिला परिषद के द्वारा भेजे गये हैं उनकी स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में माडा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में दो कार्य तथा 2015-16 में एक कार्य स्वीकृत किया गया है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर हैं।

(2) जिला परिषद करौली से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के लिये माडा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नही हुआ हैं।

माननीय विधायक महोदय द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में प्रस्तावित दो टाइल खरन्जा निर्माण कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु जिला परिषद करौली को लिखा गया है।

जिला परिषद से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरतगढ़-हनुमानगढ़ फोरलेन सड़क का पुनर्निर्माण

545. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ से हनुमानगढ फोर-लेन सड़क जर्जर अवस्था में होने के उपरान्त भी टोल-टैक्स वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सड़क जर्जर अवस्था में नहीं है। उक्त सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ फोरलेन (बीओटी) सड़क का निर्माण आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किया जाकर सूरतगढ़-पीलीबंगा खण्ड किमी. 26/0 से 54/0 का टोल मई 2011 से अप्रैल 2012 तक तथा हनुमानगढ़-पीलीबंगा खण्ड किमी. 0/0 से 26/0 पर जुलाई 2011 से सितम्बर 2011 तक विभागीय स्तर पर टोल वसूल किया गया था। किमी. 0/0 से 26/0 पर टोल वसूली अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 तक उक्त सड़क खराब होने एवं जन आन्दोलन को देखते हुए स्थगित कर दी गई थी तत्पश्चात् मई 2012 से पूरी सड़क पर टोल निविदा आमंत्रित कर संवेदक के माध्यम से राज्य नीति के अन्तर्गत टोल वसूल किया जा रहा है। उक्त सड़क गारण्टी अवधि में है तथा पैच इत्यादि कार्य से सड़क की नियमित मरम्मत करवाई जा रही है।

(2) उक्त सड़क निर्माण के दौरान रही कमियों व जन शिकायतों को देखते हुए सड़क की राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु उक्त सड़क का नियत समय से दो वर्ष पूर्व नवीनीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। इसके नवीनीकरण की निविदा जारी हो चुकी है जिसकी निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 03.05.2017 है तथा निविदा खोलने की तिथि 04.05.2017 है।

रायपुर तहसील के पायलट परियोजना में चयनित गांव

546. डॉ. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डॉ. बालू राम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, सहाड़ा की तहसील रायपुर ही प्रदेश की एकमात्र तहसील है, जो पेयजल हेतु पायलेट परियोजना के अन्तर्गत चयनित हुई है? यदि हां, तो उक्त परियोजना में क्या-क्या कार्य किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत 31 जनवरी, 2017 तक रायपुर तहसील के कौन-कौनसे कार्य हो चुके हैं एवं अगले चरण में क्या-क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नेशनल रूरल ड्रिकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत भीलवाड़ा जिले के ब्लॉक रायपुर की समस्त 22 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा प्लान तैयार करने की स्वीकृति एस.एल.एस.सी.सी. (राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी) की बैठक दिनांक 17.02.2012 को जारी की गई। इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स स्टूडैन्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर को कार्यादेश दिनांक 19.06.2012 को जारी कर दिनांक 25.06.12 को अनुबन्ध सम्पादित किया गया।

इस पायलेट परियोजना के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक की समस्त 22 ग्राम पंचायतों के 92 ग्रामों में समुदाय आधारित आई.ई.सी. एक्टिविटी के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, रैली, ग्राम सभा स्तरीय बैठकें, घर-घर सर्वे कार्य के अंतर्गत प्रत्येक घर के सदस्यों की संख्या, पशुधन एवं खेती का विवरण, वर्षा जल संग्रहण हेतु पक्के मकानो की छतों का क्षेत्रफल, शौचालयों की स्थिति इत्यादि तथा जल की मांग व आपूर्ति का आंकलन कर ग्राम जल सुरक्षा प्लान तैयार करने का कार्य सम्मिलित था।

(2) उक्त परियोजना के अंतर्गत उक्त वर्णित कार्य के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स स्टूडैन्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर को कार्यादेश दिनांक 19.06.2012 को जारी कर दिनांक 25.06.12 को अनुबन्ध सम्पादित किया गया। अनुबंधित फर्म द्वारा यह कार्य अक्टूबर, 2015 में पूर्ण किया जाकर तत्पश्चात् रायपुर ब्लॉक की 8 ग्राम पंचायतों के 30 ग्रामों हेतु जल सुरक्षा प्लान के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.सी.) की 13वीं बैठक दिनांक 03.09.2014 द्वारा जारी की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त स्वीकृति अनुरूप 30 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण की जाकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से इन्हें लाभान्वित किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

रायपुर ब्लॉक की शेष 14 ग्राम पंचायतों के 62 ग्रामों हेतु बनाये गये प्रस्तावों की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विचार किया जायेगा। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बनास नदी (तहसील राशमी) के बहाव क्षेत्र में निर्मित एनीकटों का सुदृढ़ीकरण

547. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बनास नदी (तहसील राशमी) के बहाव क्षेत्र में एनीकट व एनीकट-कम-काजवे बनाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस नाम से कहां-कहां पर तथा वर्तमान में उक्त एनीकट व एनीकट-कम-काजवे की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बनास नदी पर बने एनीकट व एनीकट-कम-काजवे व बगतावरपुरा राशमी एनीकट का सुदृढिकरण कर लोगों के आने जाने की सुविधा हेतु काजवे बनाने तथा मरमीमाता जी एनिकट-कम-काजवे तथा गंगपुरा एनीकट-कम-काजवे का सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बनास नदी पर तहसील राशमी में बनाये गये एनीकट एवं एनीकट कम काजवे का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बनास नदी पर बने एनीकट बगतावरपुरा का सुदृढ़ीकरण कर लोगों के आने जाने की सुविधा हेतु काजवे बनाने कार्य पी.डब्ल्यू.डी. से संबंधित होने से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

निर्मित मरमी माता एवं गेगपुरा एनीकट कम कॉजवे का सुदृढ़ीकरण संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों को ब्याज मुक्त ऋण

548. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में नए काश्तकारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितने काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2016-17 में रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में 160 नये काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बकाया का भुगतान

549. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2016 तक बारां जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितनों को पेंशन स्वीकृत की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्वीकृत पेंशन का भुगतान लम्बी अवधि से नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत जिला बांरा में 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2016 तक पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त एव स्वीकृत आवेदनों का तहसीलवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर सलंग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत जिला बांरा में स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा अग्रेसित पेंशन स्वीकृत आदेशों के अनुसार माह फरवरी 2017 तक का पेंशन भुगतान कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सागवाड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार का वितरण

550. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में कितने-कितने बालकों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो पोषाहार के रूप में वर्तमान में क्या-क्या खाद्य सामग्री किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगवाड़ा के अन्तर्गत 02 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: सागवाड प्रथम एवं सागवाडा द्वितीय संचालित है, जिसके अन्तर्गत परियोजना सागवाडा प्रथम में 231 एवं सागवाडा द्वितीय में 172 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित किये जा रहे बच्चों, गर्भवती/धात्री एवं किशोरी बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूह से की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नई खनिज नीति लागू करने की योजना

551. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा प्रदेश में नई खनिज नीति कब तक लागू कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति, 2015 दिनांक 04.06.2015 को जारी की गई, प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है, जिसमें दिनांक 28.02.2017 को संशोधन किया गया है, प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेतड़ी में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की योजना

552. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक किन-किन योजनाओं में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये एवं उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये और कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विभाग द्वारा 2014 से अब तक बिखरी जनजाति योजना में 8 छात्राओ को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत 0.325 लाख रुपये की राशि दी गई हैं जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर हैं।

निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किए गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बामनवास की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

578. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम जामडोली से बोली, बोली से खिरणी, लाखनपुर से मित्रपुरा, सीसोलाव से जलालपुरा व डूगरी विणोई, मित्रपुरा से दतूली, बोली से कुशलपुरा तक की सड़कें अत्यन्त क्षतिगस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का पुन: नवीनीकरण/ डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त सड़कों में से लाखनपुर मित्रपुरा में 2.00 किमी. के लिये राशि रु. 30.00 लाख व बौली से खिरनी में 3.00 किमी. हेतु राशि रु. 75.00 लाख की नवीनीकरण की वर्ष 2016-17 में स्वीकृति जारी की गई। बौली से खिरनी सड़क का 3 किमी. लम्बाई में डामरीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया व बोरखेड़ा से जटलाव का कार्य प्रगति पर है। शेष सड़कों की क्षतिग्रस्त लम्बाई हेतु नवीनीकरण, डामरीकरण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

चन्दोलपुरा-मोलपुरा (बाड़ी) सड़क बनाने की योजना

579. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में डांग क्षेत्र बहुत पिछडा क्षेत्र है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विकास एवं सुविधा हेतु वरपुरा रोड चन्दोलपुरा से पहाड़ के ऊपर मोलापुरा तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) चन्दीलपुरा व पहाड के ऊपर मोलापुरा डामर सडक से जुड़े हुए हैं। इन दोनों गांवों को आपस में अन्य डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में छात्र-छात्राओं को देय निःशुल्क यात्रा सुविधा

580. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा हेतु छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है? यदि हां, तो किस स्तर तक व किस-किस वर्ग के छात्र-छात्राओं को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन स्थानों पर निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है, उक्त स्थानों पर निजी बस सेवा में भी यह सुविधा देय है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उनको किस प्रकार से कितना भुगतान किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत राज्य की अनुसूचित जाति की बालिकाओं एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी वाहनों में निवास स्थान से स्कूल तक आने-जाने की नि:शुल्क यात्रा सुविधा देय है।

अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक आने-जाने हेतु (50 कि.मी. की परिधि में) निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में यात्री किराये में 50 प्रतिशत छूट/रियायत दी जा रही है।

(2) जी नहीं। जिन स्थानों पर निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर निजी बस सेवा मे नि:शुल्क यात्रा की यह सुविधा छात्र-छात्राओं को देय नहीं है।

निजी वाहनों को जारी किए जाने वाले परमिट के प्रावधानों एवं शर्तों तथा प्रचलित नियमों में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

नवलगढ़ में ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत सी.सी. सड़कों का निर्माण

581. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ योजना कब-कब लागू की गई? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत वर्ष 2015-16 व 2016-17 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कितने किलोमीटर लंबाई की सी.सी. सड़कें तथा नालियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 व 2016-17 में किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को उक्त योजना में लाभान्वित किया जाकर कितनी लम्बाई की सी.सी. सड़कें तथा नालियों का निर्माण किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ योजना वर्ष 2014-15 में लागू की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त योजना के तहत वर्ष 2015-16 में रु. 102106.24 लाख एवं 2016-17 में रु. 125341.90 लाख राशि की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2015-16 में 1973 एवं 2016-17 में 2086 कुल 4059 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 4043.15 किमी. लम्बाई की सी.सी. सड़क व नाली निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। विवरण परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2014-15 में 8 गौरव पथ राशि रु. 400 लाख के स्वीकृत किये गये जिनको राशि रु. 358.03 लाख व्यय कर पूर्ण कर दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विजयनगर पंचायत समिति में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण

582. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सोनादेवी)

(1) क्या यह सही है कि नवनिर्मित विजयनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में एक भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त पंचायत समिति में कौन-कौनसे गौरव पथ प्रस्तावित हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि गौरव पथ निर्माण हेतु स्थानीय विधायकों से प्रस्ताव नहीं लिए गए है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक प्रस्ताव लेकर गौरव पथ का निर्माण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्रीविजयनगर पंचायत समिति में नवनिर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति श्रीविजयनगर में स्वीकृत/निर्मित गौरव पथों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। गौरव पथों के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभागीय स्तर पर तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में फ्लोराइड समस्या से ग्रसित गांव

583. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले के किन-किन गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या है? विधान सभा क्षेत्रवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को स्वच्छ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार टोंक जिले के चार विधान

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सभा क्षेत्रों के 204 ग्रामों के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

विधान सभा क्षेत्रवार सम्मिलित ग्रामों के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। टोंक जिले के वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सम्मिलित कुल 1116 ग्रामों में से 1096 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के दीर्घकालिक समाधान के तहत सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से तीन वृहत् पेयजल परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इनमें से एक परियोजना पूर्ण की जाकर 410 ग्राम, तथा अन्य दो परियोजनाओं अंतर्गत 106 ग्राम, इस प्रकार अब तक कुल 516 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 580 ग्रामों को दो परियोजनाओं के तहत चरणबद्ध रूप से मार्च, 2018 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिले के शेष 20 ग्रामों में सतही/भू-जल आधारित विभागीय जल योजनाओं से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 11 ग्राम बीसलपुर योजना से लाभान्वित हैं तथा शेष 9 ग्रामों को अन्य स्वीकृत पेयजल योजना से बीसलपुर का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रगति पर है।

दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार टौंक जिले के फ्लोराईड प्रभावित उक्त 204 ग्रामों में से अब तक 20 ग्रामों में बीसलपुर का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष 184 ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2018 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु बजट का प्रावधान

584. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए वर्ष 2016-17 में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया गया था? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2016 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि के कार्य चल रहे हैं? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल रुपये 545209.85 लाख की राशि का बजट प्रावधान किया गया था। मदवार एवं योजनावार बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

माह दिसम्बर, 2016 तक हुए व्यय को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित आय-व्ययक अनुमानों में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कुल रुपये 463413.51 लाख का प्रावधान किया गया। मदवार एवं योजनावार बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक रुपये 255514.64 लाख एवं 31 मार्च, 2017 तक रुपये 421381.42 लाख की राशि व्यय की गई। मदवार एवं योजनावार व्यय राशि संबंधी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ व ब में निहित है।

इस प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में रुपये 1,65,866.78 लाख की राशि के कार्य किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र के सिंगल फेज मोटरों के बिजली के बिलों का भुगतान

585. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में कहां-कहां पर कितने बोरिंग, सिंगल फेज मोटर, टंकी व खेली का निर्माण,

(श्री ललित कुमार)

कितनी-कितनी लागत से करवाया गया व इनके बिजली के बिल का भुगतान किसके माध्यम से किया जाता है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिंगल फेज मोटरों के बिजली के बिलों के भुगतान को माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि में बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र, किशनगंज-शाहबाद में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु पेयजल स्रोत निर्माण अंतर्गत 18 थ्री-फेज नलकूप, 32 सिंगल फेज नलकूप (22 नलकूप विद्युत एवं 10 नलकूप सौर ऊर्जा आधारित), 154 हैण्डपम्प तथा जल भण्डारण कार्य अंतर्गत 5 उच्च जलाशय, 31 भू-तल जलाशय एवं 31 पशुखेली (कैटल वॉटर ट्रफ) निर्माण हेतु राशि रुपये 1318.27 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 17 थ्री-फेज नलकूप, विद्युत आधारित 22 सिंगल फेज नलकूप, 152 हैण्डपम्प, 4 उच्च जलाशय, 19 भू-तल जलाशय एवं 19 पशुखेली निर्माण के कार्य पूर्ण कियेजाकर अब तक रुपये 941.21 लाख की राशि इन पर व्यय की गई है। ग्राम पंचायतवार वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जनता जल योजना एवं सिंगल फेज नलकूपों के विद्युत बिलों का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा तथा इनके अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में नवीन सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण के संदर्भ में विभाग द्वारा दिनांक 19.06.2013 को जारी दिशा-निर्देशों में इन नलकूपों के निर्माण हेतु विभिन्न नॉर्म्स नियत किये गये हैं। इन नॉर्म्स में सिंगल फेज नलकूप के निर्माण का कार्य विभाग द्वारा तभी हाथ में लिया जायेगा यदि इन नलकूपों के संचालन एवं संधारण और इनके विद्युत बिलों के भुगतान बाबत स्थानीय समिति/ग्राम पंचायत तैयार हो। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पाइपलाइन लीकेज रोकने हेतु खरीदे गये जॉइंट

586. श्री रमेश (सपोटरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पाइपलाइन की लीकेज रोकने के लिए 14 करोड़ से अधिक लागत के 5.5 लाख से अधिक जॉइंट खरीदे गये हैं? यदि हां, तो कब, किस-किस फर्म से व क्यों? जॉइंट की एक्सपायरी डेट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच में इतनी अधिक संख्या में जॉइंट्स की आवश्यकता नहीं होना पाया गया है? यदि हां, तो उक्त खरीद किसकी अनुशंषा एवं आदेशों से की गई एवं सरकार द्वारा अनावश्यक व्यय के दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी जॉइंट्स जांच में बहुत ही निम्न स्तरीय पाये गये हैं? यदि हां, तो जॉइंट्स की जांच कब और कहां कराई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा दोषी कंपनियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण कार्य हेतु नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए (निविदा संख्या सी.आई.डी. ज्वाइंट्स/15-16/22 दिनांक 22.05.2015 के अंतर्गत) अनुमोदित दर संविदा (वैद्यता अवधि दिनांक 24.09.2015 से 10.07.2016 तक) के अनुसार विभिन्न साईज एवं क्लास के 5,79,956 सी.आई.डी. ज्वाइंटस राज्य की 16 लघु औद्योगिक ईकाईयों से राशि रुपये 1497.25 लाख के क्रय किये गये। क्रय किये गये सी.आई.डी. ज्वाइंटस संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्रय किये गये सी.आई.डी. ज्वाइंट्स की गारंटी इनके भण्डार में प्राप्त होने की दिनांक से 18 माह अथवा साईट पर इनके उपयोग की दिनांक से 12 माह की अवधि में से जो भी पहले हो, तक निर्धारित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। विभाग के विभिन्न खण्डीय कार्यालयों की मांग के आधार पर नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए सी.आई.डी. ज्वाइंट्स क्रय किये गये हैं।

(3) जी नहीं। खण्डीय भण्डार में प्राप्त समस्त सामग्री की विशिष्टियों अनुरूप गुणवत्ता की जांच करने हेतु खण्डीय स्तर पर जांच समिति (अधिशासी अभियंता, खण्डीय लेखाधिकारी एवं सहायक अभियंता-भण्डार) गठित की हुई है। इसके अतिरिक्त विभाग के जयपुर मुख्यालय स्थित गुणवत्ता एवं नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर खण्डीय भण्डार में प्राप्त सामग्री का औचक निरीक्षण भी किया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 24.09.2015 से 10.07.2016 के मध्य सी.आई.डी. ज्वाइंट्स के किये गये निरीक्षण संबंधी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। दर संविदा की शर्तों के अनुसार विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये सी.आई.डी. ज्वाइंट्स को दर संविदाधारियों से बदलवा लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की चंबल नदी को बनास नदी से जोड़ने की योजना

587. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चंबल नदी को बनास नदी से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नदी को बनास से जोड़ने पर किस-किस स्तर पर कौन-कौनसे क्षेत्र विकसित किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार

मावली के क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

588. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में सरकार के अधीन कितने बांध हैं? उक्त की भराव क्षमता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसे बांधों से क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति की जाती है?

(3) उक्त बांधों में से कितने बांध क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधास नभा क्षेत्र मावली में जल संसाधन विभाग के अधीन 6 बांध है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इन सभी बांधों से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है एवं पेयजल हेतु वर्तमान में किसी भी बांध से आपूर्ति नहीं की जाती है।

(3) उक्त 6 बांधों में से केवल 2 बांध क्रमश: उदयसागर एवं ढुढिया बांध की मरम्मत की आवश्यकता है जिनकी मरम्मत का कार्य संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए आबंटित राशि

589. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2016 तक नहर, बांध, लिफ्ट, तालाब एवं अन्य सिंचाई इकाईयों के निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद व योजना में स्वीकृत हुई? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन बांध/एनीकट कहां-कहां पर

(श्री हमीरसिंह भायल)

स्वीकृत हुए हैं तथा विभागीय स्तर पर कौन-कौनसे क्षेत्र की डी.पी.आर. लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले नालों एवं व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने हेतु कोई विशेष योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में माह दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2016 तक सिंचाई नहर, बांध, लिफ्ट, तालाब एवं अन्य सिंचाई इकाई का निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु कार्यों की स्वीकृत राशि/व्यय राशि का मद सहित कार्यवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत नवीन बांध/एनीकट की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है तथा विभाग स्तर पर विचाराधीन डी.पी.आर. की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सिवाना में पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले नालों एवं व्यर्थ बह जाने वाले जल को रोकने हेतु फॉर वाटर कन्सेप्ट योजना अंतर्गत तैयार किये गये प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सागवाड़ा में नई लैम्पस की स्थापना

590. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2016 तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? मय राशि कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई लैम्पस हेतु करीयाणा, फलातेड, गाडावेजनिया व जोसवा आदि में प्रस्ताव लम्बित है? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायतों में अब कब तक नई लैम्पस शुरू कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वर्ष 2013 से जनवरी 2016 तक स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में करियाणा, फलातेड, गडावेजनिया एवं जोसावा ग्राम पंचायत में लेम्पस गठन करने हेतु मात्र जोसावा पंचायत के प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति जारी की जा चुकी है शेष करियाणा, फलातेड, गडावेजनिया ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर में को-ऑपरेटिव कॉटन काम्प्लेक्स लिमिटेड के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन

591. श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या श्रीगंगानगर जिले में को-ऑपरेटिव कॉटन कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बंद होने के बाद अधिशेष घोषित अधिकारियों/कर्मचारियों/ श्रमिकों को अन्य विभागों में समायोजित कर दिया गया है? यदि हां, तो समायोजित कर्मियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिशेष अधिकारी/ कर्मचारी/श्रमिक अब भी समायोजित होने से शेष हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मियों को समायोजित करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में को-ऑपरेटिव कॉटन कॉम्प्लेक्स लि. बन्द होने के समय मिल में 79 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें से 73 अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2002-03 से 2003-04 के मध्य विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति/ समायोजन हेतु भिजवाया गया था। शेष 6 कर्मचारी मिल परिसर की सुरक्षा में लगे हुये थे, जिन्हें मिल/भवन/मशीनरी की बिक्री के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया था। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मिल बन्द होने के समय 490 श्रमिक थे। इनमें से 10वीं शैक्षणिक योग्यता धारक 196 श्रमिकों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/समायोजन के लिये

(सहकारिता मंत्री)

भेज दिया गया था। शेष 294 श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने के कारण उनका समायोजन/ प्रतिनियुक्ति नही की जा सकी है।

(2) जी हां। 294 श्रमिक समायोजन से शेष हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने के कारण इनका समायोजन नहीं हुआ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण में फसल बीमा योजना से लाभान्वित किसान

592. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा के.सी.सी. सहकारी या फसली ऋण लेते समय बीमा कम्पनियों द्वारा उनसे फसल बीमा की किश्त की कटौती कर फसल बीमा किया जाता है तथा उक्त कम्पनियों द्वारा फसल क्षति उपरान्त किसानों को फसल का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने काश्तकारों को कितनी राशि का फसली बीमा मुहैया कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर जिले में फसल बीमा के तहत गत तीन वर्षों में कितनी राशि तहसीलवार फसली ऋण से कटौती करके बीमा कम्पनियों को लाभान्वित किया गया तथा बीमा कम्पनियों के द्वारा कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। फसली ऋण लेने पर किसान द्वारा बोई संसूचित फसलों का बीमा करवाया जाता है एवं निर्धारित प्रीमियम दर से किसान के ऋण खाते को नामे कर राशि बीमा कम्पनी को प्रेषित की जाती है। फसल खराबा होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम दिया जाता है। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गत तीन वर्षों में निम्न विवरणानुसार काश्तकारों को फसली बीमा क्लेम मुहैया करवाया गया है:-

(सहकारिता मंत्री)

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	किसानों की संख्या	प्रेषित प्रीमियम की राशि	प्राप्त क्लेम की राशि
1	खरीफ 2014	975	944372.00	1039781.00
2	रबी 2014	-	-	-
3	खरीफ 2015	564	544277.00	4752927.12
4	रबी 2015	-	-	-
5	खरीफ 2016	606	154544.00	क्लेम प्राप्त होना शेष
6	रबी 2016	175	31868.25	क्लेम प्राप्त होना शेष

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उदयपुर जिले में फसल बीमा के तहत गत तीन वर्षों में बीमा कम्पनियों को किये गये बीमा प्रीमियम भुगतान एवं बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा क्लेम के लाभान्वित किसानों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	किसानों की संख्या	प्रेषित प्रीमियम की राशि	प्राप्त क्लेम की राशि
1	खरीफ 2014	40740	22315897.75	31097861.00
2	रबी 2014	21815	14729156.15	69428165.00
3	खरीफ 2015	37629	21306699.00	172846020.69
4	रबी 2015	24053	18352121.50	144960710.25
5	खरीफ 2016	29307	10491584.69	क्लेम प्राप्त होना शेष
6	रबी 2016	15125	4141727.68	क्लेम प्राप्त होना शेष

तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित अल्पसंख्यक छात्रावास

593. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने एवं कौन-कौनसी जगह अल्पसंख्यक छात्रावास

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में संचालित उक्त छात्रावासों में से किस-किस छात्रावास में कितने-कितने छात्र/छात्राओं की रहने की व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में वर्तमान में कुल कितने एवं कौन-कौनसे छात्र छात्राएं रह रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 57 राजकीय/अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित हैं। इनमें से 02 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास एवं शेष 55 अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास है। संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर अवलोकनीय है।

(2) प्रदेश में राजकीय/अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों में कुल 2947 छात्र-छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर अवलोकनीय है।

(3) प्रदेश में राजकीय/अनुदानित अल्पसंख्यक संचालित छात्रावासों में कुल 2507 छात्र-छात्राएं निवास कर रहे हैं। इन छात्रावासियों की धर्म/जाति के आधार पर संख्या निम्नवत है:-

क्र.सं.	**धर्म/जाति**	**आवासियों की संख्या**
1	मुस्लिम	1750
2	सिक्ख	718
3	जैन	30
4	ईसाई	04
5	पारसी	0
6	बौध्द	5
	कुल	2507

संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या विवरव समुदायानुसार परिशिष्ट ''स'' पर अवलोकनीय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में वितरित छात्रवृत्तियां

594. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जायल में सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाओं के तहत कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां वितरित की गई व कितनी शेष है? सरकारी योजना का नाम व लाभार्भियों के नाम-पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा सचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र (जायल) में गत तीन वर्षों में वितरित की गई छात्रवृत्ति राशि का नामवार वर्गवार वर्षवार एवं शिक्षण संस्था के पते सहित विवरण परिशिष्ट अ पर सलंग्न है। उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में गत तीन वर्षो में विधान सभा क्षेत्र जायल की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लम्बित नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हटाये गये लाभार्थी

595. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत की पंचायत समिति रायपुर के ग्राम लिलाम्बा आकेली व बागियाडा में लाभार्थी पेंशनधारी महिलाओं को सूची से अपात्र मानकर नाम हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो किसके द्वारा किसके आदेशों से व किन नियमों के तहत कब-कब? हटाये गये पेंशनधारियों की नामवार, ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के कर्मचारी को सर्वे के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या सर्वे कर लिया गया है?

(श्रीमती संजना आगरी)

(3) क्या यह भी सही है कि प्रकरण सामने आने पर सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2017 को जिला परिषद पाली व जिला कलेक्टर को 7 दिन के अन्दर मामले की जांच करवाने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र सोजत की पंचायत समिति रायपुर के ग्राम पंचायत के नाम लिलाम्बा आकेली एवं बागडियाडा ग्राम में अपात्र पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाये गए हैं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2013 के नियम 12 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 09(05) (12-1) /पेंशन/सान्याअवि/2015-16/192-392 दिनांक 06.04.2016 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2015- 16 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वर्ष का शत प्रतिशत वार्षिक सत्यापन कर उनकी पात्रता की जांच कर के नियमानुसार अपात्र पाए गए पेंशनरों की पेंशन बंद किए जाने के निर्देशों के तहत जिला कोषाधिकारी पाली के पत्र क्रमांक 73-91 दिनांक 28.04.2016 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर के पत्र क्रमांक 528 दिनांक 19.4.2016 द्वारा जारी निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत लिलाम्बा के पेंशन धारको के वार्षिक सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए पेंशन धारकों के पेंशन स्वीकृति आदेश निरस्त कर उनके नाम हटाये गए हैं।

विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश उसके निरंतर में जिला कोषाधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर द्वारा जारी किए गए आदेश नियम की छाया प्रति एवं अपात्र पाए गए लाभार्थियों की नामवार ग्रामवार सूची परिशिष्ट 1 सलंग्न है।

(2) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2013 के नियम 12 के तहत प्रत्येक वर्ष मार्च माह में सामाजिक सुरक्षा पेशनरों का वार्षिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच किए जाने का प्रावधान है। नियमों की अनुपालना में पेंशन स्वीकृत करता अधिकारी (विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर) द्वारा अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायत के कर्मचारियों/ग्राम सेवकों को पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन एवं उनकी पात्रता की जांच किए जाने के आदेश दिए

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

गए थे जिसकी पालना में वार्षिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच का कार्य संपादित किया गया है।

(3) जी हां। यह सही है कि दिनांक 08.02.2017 को जिला परिषद पाली में प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में भी ग्राम पंचायत लिलाम्बा में वार्षिक भौतिक सत्यापन वर्ष 2015-16 में पात्र लोगों की पेंशन बंद होने की शिकायत का मुद्दा उठा था जिसके क्रम में श्रीमान मंत्री महोदय ने ग्राम पंचायत लिलाम्बा के पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन कर पात्रता की जांच करने के लिए निर्देशित किया जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली) द्वारा नायब तहसीलदार रायपुर के नेतृत्व में आठ सदस्य जांच दल का गठन किया गया, जांच दल के द्वारा की गई जाच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 2 पर सलंग्न है। जाच रिपोर्ट के अनुसार कुल 197 पेंशनरों के भोतिक सत्यापन पश्चात 15 पात्र पाये गये पेंशनरों की पेंशन को पुन: शुरू कर दी गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में भूमि का आबंटन

596. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन - 1 कार्यालय द्वारा मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में किस-किस संस्था को कितनी-कितनी भूमि कब-कब किस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई और उक्त आबंटित संस्थाओं को कितनी-कितनी भूमि के आबंटन पत्र, आवंटन राशि का मांग पत्र जारी किया और संस्थाओं ने कितनी भूमि के लिए मांग राशि जमा कराई? जारी किये गये आबंटन पत्रों व मांग पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि जमा कराने के उपरान्त संस्थाओं को अधिक भूमि की मांग राशि जमा होने के उपरान्त भी कितनी-कितनी भूमि का पट्टा/लीज डीड किन आधारों से जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में उक्त

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

संस्था को 5476 वर्गमीटर भूमि की राशि जमा कराने के उपरांत भी अतिरिक्त बढे हुए क्षेत्रफल के लिए पुन: मांग राशि का नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त संस्थाओं को नियम विरुद्ध मांग राशि का नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन कार्मिक दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-1 कार्यालय द्वारा मालवीय सांस्थानिक क्षेत्र में जिस-जिस संस्था को जितनी-जितनी भूमि जब-जब जिस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आबंटित संस्थाओं को जारी किया गया आबंटन पत्र, मांग पत्र की प्रतियां एवं मांग राशि जमा, भूमि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त आबंटन राशि जमा कराने उपरान्त संस्थाओं को अधिक की मांग राशि जमा कराने के बावजूद उस भूमि का पट्टा/लीजडीड नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्णय पश्चात जारी किया गया है। जारी किये गये लीजडीड की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर ही संलग्न है।

(3) विजय नर्सरी शिक्षा समिति को 6400 वर्गगज (5351.06 वर्गमीटर) भूमि जेडीए की भूमि एवं सम्पति समिति की बैठक दिनांक 28.11.2006 द्वारा पूर्व में संस्था को जारी प्रोविजनल आबंटन पत्र दिनांक 05.10.1995 को तत्कालीन आरक्षित दर मय ब्याज पेनल्टी वसूल करते हुये आबंटन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 5476.28 वर्गमीटर पाया गया। जिसके कारण 125.28 वर्गमीटर बढे हुये क्षेत्रफल का राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिस्पोजल ऑफ अरबन रूल 1974 की धारा 23 (1) के तहत वर्तमान आरक्षित दर की दुगनी दर से गणना करते हुये आबंटन किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का भूमि एवं सम्पति समिति की 48वी बैंठक दिनांक 22.08.2008 में बढे हुये क्षेत्रफल 125.28 वर्गमीटर का वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर आबंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मांग पत्र दिनांक 08.09.2008 को जारी किया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जारी मांग पत्र की राशि संस्था द्वारा जमा नहीं कराई गई। विजय नर्सरी शिक्षा समिति को बढे हुये क्षेत्रफल आबंटन की अनियमितता बाबत् 13वीं विधान सभा के अष्टम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 623 द्वारा श्री विजय बंसल, माननीय सदस्य राज. विधान सभा के द्वारा संस्था को नियमानुसार बढे हुये क्षेत्रफल का आबंटन तत्समय की आबंटित दर से नहीं किये जाने बाबत जानकारी चाही गई, जिसका जवाब निरन्तर रूप से दिये जाने के पश्चात भी बार-बार जानकारी चाही गई, जिसके फलस्वरूप उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार संस्था को बढे हुये क्षेत्रफल की भूमि का आबंटन करने के लिये प्रकरण भूमि एवं सम्पति समिति की 125वी बैंठक दिनांक 29.06.2016 को रखा गया। भूमि एवं सम्पत्ति समिति द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल 125.28 वर्गमीटर का आबंटन योजना की वर्तमान सांस्थानिक आरक्षित दर पर ही करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पालना में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को दिनांक 08.07.2016 के तहत मांग पत्र जारी किया, लेकिन संस्था द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। एलपीसी के द्वारा लिये गये निर्णयों एवं संस्था को जारी मांग पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। मैसर्स विजय नर्सरी शिक्षा समिति को पुन: स्मरण पत्र क्रमांक 602 दिनांक 17.02.2017 को जारी किया गया, जिसमें बढे हुये क्षेत्रफल की राशि प्राधिकरण कोष में अविलम्ब जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसकी प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विवरण बिन्दु संख्या 3 में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के राजा शिवदास जी के रास्ते की सड़क की चौड़ाई

597. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के राजा शिवदास जी के रास्ते की गत तीन वर्ष पूर्व सड़क की चौड़ाई कितनी थी व वर्तमान में कितनी है? क्या यह सही है कि उक्त रास्ते में स्थित नादर जी के मंदिर के सामने सड़क की चौड़ाई गत तीन वर्ष पूर्व की तुलना में वर्तमान में कम हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) क्या यह सही है कि उक्त रास्ते में ड्रेनेज सुधार से नाले के ऊपर लगे हुए पट्टी-कातलों को हटाकर, फेरोकवर लगाने व आर.सी.सी. करने से उक्त नाले की ऊंचाई उक्त रास्ते में सड़क से एक से डेढ फीट ऊंची हो गई है? यदि हां, तो क्या नाला सड़क से ऊंचा होने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है? हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नाले की ऊंचाई सड़क लेवल पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर के राजा शिवदास जी के रास्ते की सड़क की चौड़ाई विगत तीन वर्ष पूर्व एवं वर्तमान में सभी स्थानों पर एक समान नही है। जग्गनाथ जी के मन्दिर से नादर जी के मन्दिर तक सड़क की चौड़ाई 10.30 मीटर एवं नादर जी के मन्दिर से एक साईड की रोड की चौड़ाई 7.50 मीटर है तथा नादर जी के मन्दिर के दूसरी और रोड की चौड़ाई 6.30 मीटर है और नादर जी के मन्दिर के सामने सड़क की चौड़ाई 5.15 मीटर है।

(2) जी नहीं। उक्त रास्तें में ड्रेनेज सुधार से नाले के ऊपर लगे हुए पट्टी कातलों को हटाकर, फरोकवर लगाने, आर.सी.सी. करने का कार्य यथा स्थान पर ही किया गया है एवं उक्त स्थल पूर्व में भी वाहन चलाने के उपयोग में नहीं आ रहा था एवं वर्तमान में भी आर.सी.सी. का उपयोग वाहन चलाने के उपयोग में नहीं आ रहा है।

(3) जी नहीं। नाले की ऊंचाई सड़क लेवल पर करने से सड़क पर पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

लोहा मण्डी योजना माचेडा (जयपुर) में न्यायालय स्थगन के उपरान्त जारी लीज डीड

598. श्री रामचन्द्र (डग): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोहा मण्डी योजना माचेडा के (जोन नं. 6) में भूखण्ड संख्या 31,365 व 70 की

(श्री रामचन्द्र)

लीजडीड जारी की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन के नाम से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना पर स्थगन होने के उपरान्त भी लीजडीड जारी की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का नक्शा अनुमोदित नहीं है? यदि हां, तो बिना नक्शे अनुमोदन के भूखण्ड नम्बर किस प्रकार आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूखण्ड संख्या 31, 365, 70 की लीजडीड जारी की गई है। उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कोर्ट के स्थगन के पश्चात स्थगन से प्रभावित योजना की भूमि में स्थित भूखण्डों की लीजडीड जारी नहीं की गयी है। उक्त तीनों भूखण्ड संख्या 31, 70, 365 की भूमि स्थगन से प्रभावित नहीं होने के कारण इन भूखण्डों की लीजडीड जारी की गई है।

(3) लोहामण्डी योजना के मानचित्र का प्रथम अनुमोदन प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी (पी.आर.सी.) की बैठक 01/2001 दिनांक 24.01.2001 को किया गया था। तत्समय प्रस्तावित मानचित्र का जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था एवं उक्त मानचित्र पर सहायक नगर नियोजक-प्रोजेक्ट, डीटीपी-प्रोजेक्ट एवं सदस्य सचिव (पी.आर.सी.) के हस्ताक्षर है। नक्शें की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विश्वेसरिया नगर का सुविधा क्षेत्र

599. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गोपालपुरा बाईपास जयपुर स्थित विश्वेसरिया नगर (पिंकसिटी सोसायटी) का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कर दिया गया है? यदि हां, तो भूखण्डधारियों की सूची मय प्लाट नं. व साईज के सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(2) क्या उक्त कॉलोनी के प्लाट नं. 170 से 180 तक में से कोई प्लाट सुविधा क्षेत्र में आ रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्कीम का नक्शा मय सुविधा क्षेत्र के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्वेसरिया नगर का नियमन किया जा चुका है। नियमन किये भूखण्डधारियों की सूची एवं प्लॉट नम्बर व साइज परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 170 से 180 तक में भूखण्ड संख्या 171-ए व 172 सुविधा क्षेत्र में दर्शाये गये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 13.03.1995 में किये गये निर्णयानुसार भूखण्ड संख्या 172 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर नियमन किया जा चुका है।

(3) अनुमोदित योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के नगर विकास न्यास के ऑडिटोरियम का किराया

600. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास कोटा द्वारा कोटा शहर में ऑडिटोरियम का निर्माण कब व किन उद्देश्यों के लिये किया गया?

(2) क्या नगर विकास न्यास द्वारा रंग कर्मियों को आयोजन के लिए ऑडिटोरियम के किराये में कोई छूट दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रंगकर्मियों को आयोजन के लिए यू.आई.टी. ऑडिटोरियम, कोटा के किराये में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या यह सही है कि यू.आई.टी. ऑडिटोरियम, कोटा का किराया,

(श्री संदीप शर्मा)

बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर के किराये से काफी अधिक है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ऑडिटोरियम का निर्माण वर्ष 2012-13 में किया गया। उक्त ऑडिटोरियम निर्माण सांस्कृतिक आयोजन, विभिन्न प्रकार के कान्फ्रेन्स के लिए किया गया है।

(2) रंगकर्मियों (रजिस्टर्ड संस्थानों) को आयोजन हेतु ऑडिटोरियम के मूल किराये में 75 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(3) रंगकर्मियों (रजिस्टर्ड संस्थानों) को आयोजन हेतु न्यास ऑडिटोरियम के किराये में 75 प्रतिशत छूट देती है।

(4) न्यास ऑडिटोरियम कोटा को मुख्य 800 सीटर हॉल का किराया 50000/- + टैक्स प्रतिदिन है।

प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के लाभार्थी

601. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना कब से प्रारम्भ की गई और इसमें किन-किनको लाभान्वित किया जाता है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2016-17 में कितने लोगों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा करायी गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी वर्ष 2017-18 में कितने नागरिकों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा कराई जाएगी और हवाई मार्ग से जाने वाले नागरिकों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वर्ष 2013 14 में प्रारम्भ हुई। वर्ष 2016 17 में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

तीर्थयात्रा योजना किया गया। इनमें निम्नलिखित अर्हता वाले को लाभान्वित किया जाता है:-

1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
2. आयकरदाता न हो।
3. इस योजना के अर्न्तगत पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आशय का Self Declaration यात्री का देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंधन किया गया है तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक देय होगी एवं आई.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
4. भिक्षावृति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होगे।
5. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी. कांजेस्टिव कार्डियक श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी Coronary अपर्याप्तता Cronary thrombosis मानसिक व्याधि संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
6. वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकास से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नहीं होंगे।

योजना का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2016-17 में वरिष्ठ नागरिकों को करायी गयी तीर्थ यात्रा का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु 70 के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के अन्तर्गत 20000 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। जिनमें से 5000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा कराई जावेगी।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

वर्ष 2017 18 की यात्रा हेतु यात्रा कार्यक्रम की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

हवाई मार्ग से जाने वाले नागरिकों का चयन निम्न प्रक्रिया से किया जावेगा। 1 जुलाई 2017 को जिन आवेदकों की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होने पर हवाई यात्रा हेतु उनकी सहमति के आधार पर ई-मित्र ऑनलाईन से आवेदन लिए जाकर जिला कलेक्टर के स्तर पर लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के मंदिरों की चल-अचल सम्पत्तियां

602. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में विभाग के अधीन कितने मंदिर हैं एवं इनमें से किन-किन मंदिरों के पास कितनी चल और अचल सम्पत्ति कहां-कहां पर स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर के परकोटे के अन्दर किन संस्थाओं/व्यक्तियों को विभाग द्वारा अपनी संपत्ति कहां-कहां पर तथा कब से लीज पर दी गई है? उक्त में से कितनी संस्थाओं/ व्यक्तियों के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है एवं विभाग द्वारा वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में मंदिरों में सेवा-पूजा हेतु पुजारी-सेवादार नियुक्त करने हेतु आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 4 मंदिर राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के 2 मंदिर स्थित है जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर के परकोटे के भीतर किसी संस्थाओं/व्यक्तियों को विभाग ने अपनी कोई सम्पत्ति लीज पर नहीं दे रखी है अत: सूचना शून्य है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) जी हां। यह सही है कि विभाग में पूर्व मन्दिरों के सेवा पूजा हेतु पुजारी सेवादार-सेवागीर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मोहन लाल सुखाडिया विश्वविधालय, उदयपुर के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 02.02.14 को किया गया। विश्वविधालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने के कारण प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

603. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसंबर, 2008 से 31 जनवरी, 2017 तक कौन-कौनसे राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किये गये एवं कौन-कौनसे राजस्व गांव आंगनबाड़ी केंद्र से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त स्वीकृत केंद्रों में से कितने केंद्र वर्तमान में भवन विहीन हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत 02 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: बालेसर एवं शेरगढ संचालित है। उक्त दोनों परियोजनाओं में दिसम्बर, 2008 से 31 जनवरी, 2017 तक स्वीकृत किये गये। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं राजस्व ग्राम जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है, का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का मापदण्ड राजस्व गांव न होकर जनसंख्या हैं। मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में परियोजना बालेसर के 58 एवं शेरगढ के 70 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये एवं अन्य सरकारी भवनों में संचालित है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद में वितरित पोषाहार

604. श्री गोरधन (धोद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं को पोषाहार या पूरक पोषाहार या अन्य प्रकार के लाभ दिये जाते हैं? यदि हां, तो किस प्रकार व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र, धोद में बच्चों, किशोरियों व महिलाओं को पोषाहार, पूरक पोषाहार व अन्य सहायता दी जाती है? यदि हां, तो किस प्रकार, कब व कितनी मात्रा में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाऐं योजनान्तर्गत समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, घोंद मे बच्चों, किशोरियों व महिलाओं को समेकित बाल विकास सेवाऐं योजनान्तर्गत समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध कराई जा रही खाद्य सामग्री का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित पूरक पोषाहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर अधिकारियों एवं फील्ड स्टॉफ द्वारा सघन निरीक्षण किया जाता है। पोषाहार की निगरानी हेतु आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों की देखरेख एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में पोषाहार का वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। पोषाहार वितरण में अनियमितता की सूचना प्राप्त होने पर दोषी कार्मिकों एवं स्वयं सहायता समूह के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ के भवनरहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

605. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बने हुए नहीं हैं तथा वे अन्य भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना जमवारामगढ़ संचालित है, जिसमें 271 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिसमें से 41 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विभागीय भवन बने हुए है, शेष 230 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों (विध्यालय, अन्य सरकारी भवनों एवं किराये के

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

भवनों) में संचालित है, जिसका आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/ स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है। वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक 5326 केन्द्र के भवन निर्माण की राशि स्वीकृत की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में जिंक एवं एलाइड खनिजों के मलबे से प्रभावित क्षेत्र

606. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में Zink एवं Allied खनिजों की रामपुरा आगूचा माईन्स से वेदान्ता कम्पनी द्वारा खनन कार्य कराया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि खनन से निकलने वाला मलबा (waste) 172 मीटर की ऊँचाई तक साढ़े पांच किलोमीटर की परिधि में डाला जा रहा है, जिससे डस्ट उड़कर आसपास के गांवों के खेतों में पड़ता रहता है?

(3) क्या इस तरह डस्ट उड़कर खेतों में फैलने से सभी खेत खराब हो रहे हैं और फसलें भी नहीं हो पा रही है तथा हवा के साथ-साथ दूर तक उड़ने वाली डस्ट को रोकने के लिए Dust Arrest Plant लगाया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि खनन कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से सारा पीने का पानी व सिंचाई का पानी प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो प्रदूषित पानी को पीने व सिंचाई के काम में लेने लायक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खान के खनन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में किस-किस गांव के कितने-कितने लोगों को कहां-कहां से हटाया गया है और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है? हटाये गये लोगों के नाम व जाति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राम लाल गुर्जर)

(6) उक्त खानों की खनन प्रक्रिया से कितना क्षेत्र, गांव, ढाणियां व मजरे प्रभावित हुए? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भीलवाडा जिले में लेड, जिंक एवं एसोसिएटेड मिनरल्स की रामपुरा आगूचा माइन्स में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। खनन से निकलने वाला मलबा (waste) 172 मीटर की ऊँचाई तक साढ़े पांच किलोमीटर की परिधि में नहीं डाला जा रहा है। खनन से निकलने वाले मलबे (waste) को 140 मीटर की ऊँचाई तक लगभग 7-8 किलोमीटर परिमाप के 310 हैक्टर क्षेत्र के वेस्ट डम्प पर व्यवस्थित रूप से डाला जा रहा है, जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति ली गयी है। डस्ट को उड़ने से रोकने हेतु हॉल रोड्स एवं वेस्ट डम्प पर 40,000 लीटर क्षमता के 4 वाटर स्प्रिंकलर्स द्वारा पानी का निरन्तर छिड़काव तथा वेस्ट डम्प की बेंचों पर वृक्षारोपण व जियोटेक्सटाईल का भी प्रयोग किया गया है।

(3) जी नहीं। डस्ट उड़कर खेतों में फैलने से खेत खराब नहीं हो रहे हैं, अपितु नियमित रूप से फसल की बुवाई हो रही है। डस्ट को उड़ने से रोकने हेतु हॉल रोड्स एवं वेस्ट डम्प पर 40,000 लीटर क्षमता के 4 वाटर स्प्रिंकलर्स द्वारा पानी का निरन्तर छिड़काव किया जाता है। पानी के साथ केमिकल वेटिंग एजेन्ट का प्रयोग कर धूल को उड़ने से रोका जाता है। ब्लास्टेड मेटिरियल पर पानी का मिस्ट स्प्रे किया जाता है ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो। प्राइमरी व सेकन्ड्री क्रशिंग संचालन के दौरान भी पानी का छिड़काव व वेन्च्यूरी स्क्रबर से डस्ट को कन्ट्रोल किया जाता है तथा इण्डस्ट्रियल रोड़ को रोड़ स्वीपर मशीन से साफ किया जाता है।

(4) रामपुरा आगूचा खान प्रबन्धन पानी की शून्य निकासी पर कार्य करता है। खनन की अयस्क सज्जीकरण (ओर ड्रेसिंग) प्रक्रिया में प्रयुक्त पानी को काम में लेने के उपरान्त उपचारित कर टेलिंग बांध में एकत्र कर पुन: उपयोग में लिया जाता है। पटटाधारी द्वारा जल संरक्षण हेतु प्लान्ट में 35000 व 50000 घनमीटर क्षमता के रिजरवॉयर का निर्माण किया गया है।

(राज्य मंत्री, खान)

टेलिंग डेम के पानी को इन्हीं रिजरवॉयर में लाया जाता है। डीप कोन थिकनर के माध्यम से भी जल संरक्षण किया जाता है। जल पुन:श्चक्रण की मात्रा बढ़ाने हेतु हाई रेट थिकनर, हाइड्रो साईक्लोन लगाये गये हैं। साथ ही कॉलोनी एवं खनन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मल जल के उपचार हेतु एक-एक मल जल उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र (Sewage Treatment Plant) स्थापित किया गया है जिससे उपचारित जल का उपयोग बागवानी एवं वृक्षारोपण कार्यों में करके स्वच्छ जल की खपत को कम किया जाता है। वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए प्लान्ट में 65000, 5000 व 20000 घन मीटर पानी की क्षमता वाले सम्प (Sump) का निर्माण किया गया है। प्लान्ट पानी के शून्य बहिर्स्राव पद्धति पर कार्य करता है। खदान क्षेत्र के आस-पास 13 कुओं में 8 पीजोमीटर के माध्यम से जल की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है। समय-समय पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भी जल गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण होना नहीं पाया गया है।

(5) रामपुरा आगुचा खान से तहसील हुरड़ा के आगुचा (खेड़ा रामपुरा) गांव के 60 परिवारों को विस्थापित कर अन्यत्र बसाया गया हैं। आगुचा (खेड़ा रामपुरा) गांव के विस्थापितों को आवासीय भूमि व मकान के एवज में 307 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया तथा विस्थापित स्थल पर मूलभूत सुविधायें विकसित करने के लिए 52 लाख रुपये खर्च किये गये। खेड़ा पालोला (भीलों का खेड़ा) तहसील फुलियां कलां के 23 परिवारों को विस्थापित कर अन्यत्र बसाया गया। खेड़ा पालोला (भीलों का खेड़ा) के विस्थापितों को आवासीय भूमि व मकान के एवज में 23.54 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया तथा विस्थापित स्थल पर मूलभूत सुविधायें विकसित करने के लिए 7.15 लाख रुपये खर्च किये गये। तहसील हुरड़ा के ग्राम भैरूखेड़ा-प्रथम के 140 परिवारों को विस्थापित कर अन्यत्र बसाया गया। भैरूखेड़ा-प्रथम के विस्थापितों को आवासीय भूमि व मकान के एवज में 2813 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया तथा विस्थापित स्थल पर मूलभूत सुविधायें विकसित करने के लिए 300 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है। विस्थापित परिवारों की ग्रामवार सूची मय जाति के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(6) रामपुरा आगुचा खान का कुल क्षेत्रफल 1200 हैक्टेयर है, जो तहसील हुरड़ा के राजस्व ग्राम आगूचा (खेड़ा रामपुरा) व भैरूखेड़ा -प्रथम तथा तहसील फुलियां कलां के राजस्व ग्राम कोठिया व खेड़ा पालोला (भीलों का खेड़ा) में आता है। रामपुरा आगुचा खान से आगूचा (खेड़ा रामपुरा), भैरूखेड़ा-प्रथम तथा खेड़ा पालोला (भीलों का खेड़ा) के 223 परिवार प्रभावित होने से उन्हें विस्थापित कर अन्यत्र बसाया गया है। खनन कार्य से आस-पास के क्षेत्र, गांव, ढाणियों व मजरों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तथापि आस-पास के क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर के उन्नयन हेतु M/s. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा आगुचा खदान द्वारा अपनी सी.एस.आर. पॉलिसी के तहत आस-पास के गांवों में विकास के कार्य किये जा रहे है। मूलत: ये कार्य आस-पास के 30 गांव जो कि हुरड़ा, फुलियां कलां एवं शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के है, में किये जा रहे है। कम्पनी द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत आंगनबाड़ी परियोजना, शैक्षणिक कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य, पेयजल, आधारभूत संरचनाओं का विकास, उन्नत कृषि एवं पशुपालन, महिला सशक्तिकरण इत्यादि के कार्य करवाये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बजरी खनन के बोलीदाताओं से संविदा का निष्पादन

607. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बजरी खनन हेतु नीलाम किए गए खनन पट्टों की अवधि अधिकतम पांच वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि संविदा के निष्पादन से शुरू होनी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उच्चतम बोलीदाताओं को मंशापत्र (एल.ओ.आई.) जारी कर बिना संविदा निष्पादन के बजरी खनन की अनुमति प्रदान कर दी गई? यदि हां, तो उक्त बोलीदाताओं से अब तीन से पांच वर्ष बाद संविदा का निष्पादन कराने के क्या कारण हैं तथा शर्तों के अनुसार उनका पांच वर्ष का समय कब शुरू होगा?

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(3) किन कारणों एवं किस नियम के तहत मंशापत्र (एल.ओ.आई.) धारक को खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई व वह अब कितने समय तक खनन कार्य करेगा? बजरी निविदा आमन्त्रण, मंशा पत्र जारी करने एवं खनिज दोहन की अनुमति से संबंधित, संविदा के निष्पादन तक का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में खनिज बजरी के खनन पट्टों के आबंटन हेतु नियमों में खनन पट्टों की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है जो संविदा पंजीयन की तिथि से शुरू होती है।

(2) यह सही है कि उच्चतम बोलीदाताओं को मंशा पत्र जारी किये गये, परन्तु यह सही नहीं है कि बिना संविदा निष्पादन के बजरी खनन की अनुमति प्रदान कर दी गई। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2013 के अनुसरण में जिन 82 एलओआई धारकों द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार में पर्यावरण अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे थे जो कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सूची में शामिल थे, उन एलओआई धारकों को राज्य सरकार द्वारा अस्थाई कार्यानुमति के तहत संविदा निष्पादन किया जाकर खनन की अनुमति दी गई। एलओआई धारकों द्वारा मंशा पत्र (एलओआई) की पालना करने पर ही खनन पट्टा स्वीकृत किया जाकर संविदा निष्पादन किया जा सकता है, जिन एलओआई धारकों द्वारा मंशा पत्र (एलओआई) में अंकित शर्तों की पालना कर दी है, उन्हें खनन पट्टा स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन के प्रकरणों में खनन पट्टे के पांच वर्ष की अवधि अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन कार्य प्रारंभ करने की दिनांक अर्थात् करार (संविदा निष्पादन) की दिनांक से शुरू होगी।

(3) प्रदेश में वर्ष 2012 में खनिज बजरी के खनन पट्टा आबंटन हेतु तहसीलवार या नदी क्षेत्र के स्ट्रेचवार गैर-मुमकिन नदी-नालों के राजस्व खसरा अनुसार प्लाट्स का डेलिनियेशन किया जाकर निविदाएं आमंत्रित की गई, जिनमें उच्चतम निविदादाताओं को निर्धारित अवधि में अनुमोदित खनन

(राज्य मंत्री, खान)

योजना तथा पर्यावरण सहमति प्रस्तुत करने की शर्त पर मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किये गये। एलओआई धारकों को अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2013, 24.02.2014 व 27.03.2014 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.06.2012 के क्रम में दी गई। अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन से पूर्व एलओआई धारकों के साथ करार (संविदा निष्पादन) किया गया है। खनिज बजरी के अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन के प्रकरणों में खनन पट्टे की अवधि अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन कार्य प्रारंभ करने की तिथि अर्थात् करार (संविदा निष्पादन) की दिनांक से शुरू होगी। पट्टाधारी अस्थाई कार्यानुमति के तहत किये गये प्रथम संविदा निष्पादन की दिनांक से 05 वर्ष तक खनन कार्य कर सकेगा।

बजरी खनन पट्टों के आवंटन हेतु जारी एक निविदा विज्ञप्ति की प्रति, बजरी के एक मंशा पत्र की प्रति व अस्थाई कार्यानुमति की शर्तें तथा अस्थाई कार्यानुमति के संविदा निष्पादन की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)